मेनहर्ट नियुक्ति घोटाला

लम्हों की ख़ता

सरयू राय

प्रकाशक

नेचर फाउंडेशन

लेखक :
सरयू राय
सदस्य, झारखंड विधानसभा
जमशेदपुर पूर्व

प्रथम संस्करण
जुलाई 2020

© प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :
नेचर फाउंडेशन
सिदरौल, नामकुम, राँची

मुद्रक :
झारखंड प्रिंटर्स प्रा. लि.
6 'ए' गुरूनानक नगर,
साकची, जमशेदपुर–831001

समर्पित

उन समस्त साथियों को,

जो राज-समाज में अनीति और
भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्षरत हैं,

जिन्होंने इस यज्ञ में यथायोग्य
आहूति दी है,

जो तनाव और असमंजस के लंबे कालखंड में
मेरा संबल रहे,

जिन्हें भरोसा है कि
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं.

चीयर्स ...
घोटाला
घोटाला
लम्हों
की
ख़ता

प्रस्तावना

विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की अनगिनत कहानियाँ हैं. लाभ, लोभ और असुरक्षा जनित भय की मानव प्रवृति इसकी जड़ में है. आम धारणा है कि समाज ने इसे काफी हद तक स्वीकार कर लिया है. माना जाने लगा है कि शासन–प्रशासन में भ्रष्टाचार होना कोई अनहोनी नहीं है, यह एक आम घटना है जो अक्सर हमारे आसपास घटती रहती है. अवसर मिला तो खाकपति देखते–देखते लाखपति बन जाता है. उसकी, उसके घर–परिवार की, उसके रिश्तेदारों–नातेदारों की, लगुओं–भगुओं की कारस्तानियां मुँह चिढ़ाने लगती हैं. एक धारणा पैर पसारने लगी है कि व्यवस्था की इस प्रक्रिया में जिसका समायोजन नहीं हो पाता है, जो किसी न किसी कारण विक्षुब्ध हो जाता है, जिसे भ्रष्टाचार करने का अवसर हाथ नहीं लगता, वही इसका विरोध करता है, इसे उजागर करने की मुहिम से जुड़ता है, इसका भंडाफोड़ करने के लिये कोई न कोई जुगत लगाता है. आम मानसिकता हो गई है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं. जिसे अवसर नहीं मिलता है वह विरोध का स्वर उठाता है. विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के बहते जलस्रोत में हाथ धो लेने की होड़ में हर कोई लगा हुआ है.

एक अन्य धारणा भी घर करती जा रही है कि भ्रष्टाचार के विरोध से कुछ होता–जाता नहीं है. भ्रष्टाचारी प्रभाव वाला है तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं, उल्टे विरोध करने वाला ही प्रताड़ित होता है. ऐसा भ्रष्टाचारी सीना तान कर चलता है, अपने समाज में प्रतिष्ठा पाता है, उसके समर्थन में एक दबाव समूह खड़ा हो जाता है. इसलिये भलाई इसी में है कि चुपचाप रहो, समय का इंतजार करो, इनके सामने घुटने टेक दो या इनसे आँखें फेर लो या इनका कुकर्म उजागर होने के अवसर का इंतजार करो. इसके लिये मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता जैसा कोई अप्रत्यक्ष माध्यम ढूंढो.

भ्रष्टाचार के बारे में एक राय यह भी है कि यह विकास के इंजन में ग्रीज–मोबिल जैसा काम करता है. यह ग्रीज–मोबिल विकास के इंजन का स्वास्थ्य ठीक रखता है और प्रगति के पहिया को बिना अवरोध गतिशील रखता है. अधोसंरचना निर्माण में लगे सरकार के कार्य विभागों में पहले इसे एक दस्तूर के रूप में लिया जाता था. कनीय अभियंता से बड़ा बाबू, कैशियर और अभियंता प्रमुख से विभाग/निदेशालय प्रमुख तक की इसमें यथायोग्य हिस्सेदारी निर्धारित रहती थी. कार्य को गतिशील रखने के लिए यह व्यवस्था अभियंत्रण के स्तर तक सीमित थी. सरकार के सचिवालय–मंत्रालय आम तौर पर इसकी परिधि से दूर रहते थे. इसे 'दाल में नमक'

की या कार्य व्यवस्था में 'ल्युब्रिकेंट' की संज्ञा दी जाती थी. कालांतर में इसका स्वरुप बदलता गया. सचिवालय–मंत्रालय भी इसमें डुबकी लगाने लगे, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे. फिर ऐसा समय आया कि कार्यव्यवस्था में ल्युब्रिकेंट माना जानेवाला भ्रष्टाचार ही व्यवस्था का इंजन बन गया. परियोजनाओं के प्राक्कलन के समय ही इसका प्रावधान किया जाने लगा. राज्य की समृद्धि बढ़ी तो समय के साथ उर्वर मेधावी मस्तिष्कों ने इसके अलग स्वरुप की रचना कर डाली. बड़ी विकास परियोजनायें परामर्शियों के हवाले की जाने लगीं. सरकारी तंत्र कूपमंडूक माना जाने लगा. परामर्शियों को वैश्विक दृष्टिकोण के ज्ञाता की संज्ञा मिल गई. परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने का काम परामर्शियों के हवाले हो गया. विभाग का योगदान नियमानुसार इनके कार्यों पर स्वीकृति की मुहर लगाने भर तक सीमित हो गया.

परियोजना बड़ी है तो सरकार परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये बड़ा परामर्शी नियुक्त करेगी ही करेगी. चयन के उपरांत परामर्शी ही निविदा प्रपत्र तैयार करेगा। उस आधार पर संवेदक नियुक्त होंगे. कार्य आरम्भ होने पर परामर्शी उसका पर्यवेक्षण करेगा. विभाग प्रमुखों का काम परामर्शियों और संवेदकों द्वारा समय–समय पर जमा किये जाने वाले विपत्रों की समीक्षा करने, इन्हें स्वीकृत करने और इनका भुगतान सुनिश्चित करने तक ही सिमट गया है. सम्प्रति हमारे महत्वाकांक्षी कहे जाने वाले विकास कार्य ''समय'' की इसी पटरी पर चल रहे हैं. भगवती चरण वर्मा के उपन्यास ''सबहीं नचावत राम गोसाईं'' की पटकथा के पात्रों की तरह हम सब इसमें डूब–उतरा रहे हैं.

भ्रष्टाचार का यह स्वरुप अब ''इंजन में ग्रीज–मोबिल या दाल में नमक'' की सीमा में नहीं रहा. लक्ष्मण रेखा लांघकर यह लाभ–लोभ के निहित स्वार्थ का भागीदार हो गया है. सत्ता शीर्ष से नियंत्रित भ्रष्टाचार का यह स्वरूप सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान के दंभ में विस्तार पाते जा रहा है. इसकी व्याप्ति अंतरराष्ट्रीय हो गयी है. विश्व बैंक निर्धारित विशिष्टियों और वैश्विक निविदा के आधार पर विश्वविख्यात बाह्य ताकतें विकास के अखाड़े में अपने स्थानीय सहयोगियों का साथ लेकर ताकत आजमाने लगी हैं. शीर्ष को प्रभावित कर अपना दबदबा कायम करना इनकी मुख्य रणनीति बन गई है. साम–दाम, दंड–भेद की राजनीति अपनाकर इन्होंने शासन के सभी अंगों को अपने पाश में जकड़ लिया है. नियम–कानून में मनमाना परिवर्तन कराना, नीतियों में मनोनुकूल बदलाव कराना, वित्तीय नियमावली की प्रासंगिक

धाराओं को शिथिल कराना इनके बांये हाथ का खेल हो गया है. चोरी भी और सीनाजोरी भी इनका घोष वाक्य बन गया है.

ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई प्रयास नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है. देश में सतर्कता आयोग, लोकपाल का प्रावधान किया गया है. राज्य में लोकायुक्त, निगरानी ब्यूरो का गठन हुआ है. राष्ट्र और प्रदेश के स्तर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बना हुआ है. निगरानी ब्यूरो, सी.बी.आई., ईडी जैसे अनेक सरकारी संगठन सक्रिय हैं. अनेक स्वयंसेवी समूह, गैर सरकारी संगठन भ्रष्टाचार के विरोध में काम कर रहे हैं. सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारियाँ लेकर ये लोग जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से भ्रष्ट आचरण करने वालों पर प्रहार कर रहे हैं. इस प्रयास के कारण कई संगीन घोटालों के पर्दाफाश हुए हैं, कई भ्रष्टाचारी दंडित भी हुये हैं, वे जेल की सलाखों तक पहुँचे हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल संस्था इस समस्या के खिलाफ लगातार लगी हुई है. पर ''मर्ज बढ़ता गया ज्यों–ज्यों दवा की'' की तरह भ्रष्टाचार का दायरा बढ़ता ही जा रहा है. आखिर क्यों? क्या कारण है इसका?

ऐसा नहीं कि सत्ता के गलियारों में सक्रिय नवीन व्यवस्था के किरदारों में सबके सब भ्रष्ट एवं अविवेकी हैं. आज भी यहाँ खुलकर खेलनेवालों की संख्या सीमित है. उनका बहुमत नहीं हैं पर मर्मस्थल पर प्रभाव पूरा है. कहा जाता है और सही कहा जाता है कि समस्या दुर्जन शक्तियों की सक्रियता के कारण नहीं बल्कि सज्जन शक्तियों की शिथिलता के कारण घनीभूत होती है. प्रशासनिक ढांचा में व्याप्त असुरक्षाजनित भय के कारण ये किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाती हैं. स्थानांतरण–पदस्थापन की पीड़ा और सेवा की असुरक्षा का भय इनकी सबसे कमजोर नस है, जिसके कारण ये या तो दुर्जन शक्तियों के सहयोगी हो जाते हैं या चुप्पी साध लेते हैं. इनमें कुछ तो 'चुपचाप, भ्रष्टाचारी साफ' होने की परिस्थिति आने की प्रतीक्षा में अपनी परोक्ष भूमिका तलाश लेते हैं पर अधिकांश लकीर का फकीर होकर कारवाँ से जुड़े रहने में ही भलाई समझते हैं, जो हो रहा है उसे मान लेने की मानसिकता बना लेते हैं. इससे भ्रष्टाचार पोषित व्यवस्था का हौसला बढ़ता है. वह मदमस्त हो जाती है, बेपरवाह हो जाती है, नियम कानून को ठेंगा दिखाने लगती है. यह सब तभी मुमकिन होता है जब भ्रष्ट आचरण को उपर वाले की सरपरस्ती हासिल रहती है. ऊपर से नीचे तक एक श्रृंखला बन जाती है, जिसकी कड़ियाँ भ्रष्ट आचरण का प्रत्यक्ष–परोक्ष समर्थन करने में ही अपनी शान समझती हैं.

व्यवस्था के इस स्वरूप ने ऊपर से नीचे तक छोटे से बड़ों का मकड़जाल बना लिया है. बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह की तरह छुटभैयों की कारस्तानियाँ परवान चढ़ने लगी हैं. ऐसी स्थिति में जनहित इसका सबसे बड़ा शिकार बन गया है. आमजन तक सेवा सुविधा पहुँचानेवाला तंत्र शासन प्रणाली के मूल उद्देश्य से भटक गया है. हर सेवा–सुविधा पात्र लाभुक, व्यक्ति–समूह–समाज–स्थान, तक पहुँचने के लिये अवैध सेवा शुल्क का मोहताज हो गई है. इन्हें आम जन तक पहुँचाने के लिए पदस्थापित व्यक्ति मोल–तोल करने वाला किरदार बन गया है. समाज या विकास की अंतिम सीढ़ी पर बैठा व्यक्ति बिना कुछ लिये–दिये अपना सामान्य हक पाने का भरोसा खोने लगा है. यही दस्तूर बन गया है, दस्तूरी मनमर्जी बन गई है. ऐसी स्थिति में इसके विरोध में स्वर उठाने वाला व्यवस्था का दुश्मन करार दिया जाता है. जनहित का प्रतीक आम आदमी सरकारी तंत्र और समाज के बिचौलियों की साँठगाँठ के बीच पिसने के लिये मजबूर हो जाता है. संविधान की धाराओं पर आधारित 'हक' आमजन को दिलानेवाले नागरिक चार्टर एवं अन्य प्रावधान दिखावा की वस्तु बनकर रह जाते हैं. शीर्ष पर बैठी भ्रष्ट व्यवस्था के नाक–कान बने ये निहित स्वार्थी तत्व जनता की छाती पर मूँग दलने की भूमिका में अक्सर दिखते रहते हैं. ये भय और भ्रष्टाचार का संयुक्त उपक्रम कायम कर लेते है. मुर्गी और अंडे की तरह पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि इनमें कौन किसका जनक है, किसका अस्तित्व किससे है?

इसमें से उत्पन्न जनता की हताशा शीर्ष पर काबिज भ्रष्ट व्यवस्था की स्वाभाविक परिणति के रूप में सामने आती है. हम, आप, ये, वो सभी इसमें अपनी भूमिका तलाश करने में लग जाते हैं. फिर इस बीच से ही कोई खड़ा होता है जो खतरा मोल लेता है और भ्रष्ट व्यवस्था के विनाश का बीज बनता है. तमाम संकटों के बीच यह भरोसा बना रहे, इसका प्रयत्न सज्जन शक्तियाँ करें तो घोर अंधकार के बीच प्रकाश की यह किरण ही परिवर्तन का आधार बन सकती है. इस मनोभाव को धारण करने वाला 'निष्क्रिय प्रतिरोध' समय आने पर लौ को मशाल बना देता है. कंगूरे ढहते हैं तो परपीड़क की भूमिका निभाने वाले छुटभैये खुद–ब–खुद काल के गाल में समा जाते हैं. समय का तकाजा है कि यह विश्वास बना रहे.

अक्सर सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्ट आचरण की परिभाषा क्या है? गुणी जनों ने इस प्रश्न के भिन्न–भिन्न उत्तर दिए हैं. भ्रष्टाचार को विविध प्रकार से परिभाषित किया है. इन्होंने इसके सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक,

परिस्थितजन्य प्रकारों का विश्लेषण किया है. इसके उर्ध्व, क्षैतिज, अधोगामी प्रभावों का अध्ययन किया है. भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया है कि यह योग्यता की बलि चढ़ाता है, अयोग्य को प्रोत्साहित करता है. सही के स्थान पर गलत को प्रश्रय देता है. स्वाभिमानी मेधा इसका पहला शिकार बनती है. संसाधनों को अपनी कुंडली में समेट लेता है. आर्थिक–सामाजिक विषमता बढ़ाता है. परियोजना कार्यों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है. व्यवस्था की नींव में दीमक का काम करता है. प्रतिस्पर्धात्मक चयन के स्थान पर मनोनुकूल मनोनयन को प्राथमिकता देता है. भ्रष्टाचार परपीड़क प्रवृति का पोषक है. समाज जीवन की नींव को खोखला बना देता है. भोग–विलास की संस्कृति के लिये उर्वरक का काम करता है, असामाजिक प्रवृति के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है. सामाजिक–सांस्कृतिक तानाबाना को छिन्न–भिन्न कर देता है. घर–परिवार, अड़ोस–पड़ोस में प्रतिस्पर्धी लोलुपता का माहौल बना देता है. यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दुश्मन है. इससे मनमानी को बढ़ावा मिलता है. सामूहिकता समाप्त होती है. काला धन का जन्म इसकी स्वाभाविक परिणति है. यह समान्तर अर्थव्यवस्था का जनक है. इससे एकाधिकार पनपता है. इसके पूर्ण परिमाण का आकलन कठिन है. आदि, आदि.

यह सब सही है, परंतु मुझे लगता है कि सामाजिक–राजनीतिक–शासकीय जीवन में शीर्ष पर आसीन व्यक्तियों के भ्रष्टाचार का संबंध दायित्व निर्वाह में होने वाली गलतियों को देखने–परखने के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है. काम करते समय गलतियाँ होना स्वाभाविक है. परंतु जब गलती का पता चल गया, किसी ने गलती की ओर इशारा कर दिया, तब गलती या गलतियों को सुधार लेने से, इनका परिमार्जन कर लेने से भ्रष्टाचार पनपने के संभावना की भ्रूण हत्या हो जाती है. वह आकार ग्रहण करने के पहले ही समाप्त हो जाता है. परंतु गलती का पता चल जाने पर, इसका संकेत मिल जाने पर, गलती करने वाला इसे सुधारने में रूचि नहीं लेता, बार बार बताये जाने पर भी इससे विमुख नहीं होता तो इसका मतलब है कि वह गलतियां जानबूझकर कर रहा है, योजनानुसार कर रहा है, निहित स्वार्थवश कर रहा है, बाह्य शक्तियों के प्रभाव में कर रहा है, तब वह भ्रष्टाचार कर रहा है. बार–बार याद दिलाने के बाद भी वह रुकता नहीं है, गलतियाँ करता जाता है तो इसका मतलब है कि वह आदतन भ्रष्टाचार करता जाता है. एक गलती पर परदा डालने के लिये उससे भी बड़ी गलती यानी बड़ा भ्रष्टाचार करने लगता है तो उसका यह भ्रष्टाचार घोटाला में परिवर्तित हो जाता है. भ्रष्टाचार की यह परिभाषा और पैमाना मुझे उपयुक्त लगती है.

गलती की जानकारी हो जाने पर उसे सुधार लेना भ्रष्टाचार पनपने की संभावना को शून्य कर देना है. गलती का पता चलने के बाद भी उसे छुपाने के लिए गलती पर गलती करते जाना ही भ्रष्टाचार करना है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है. पहले एक छोटी गलती होती है, फिर उसे छुपाने के लिए बड़ी गलतियाँ होती हैं और एक बार मुँह को खून का चस्का लग गया तो ये गलतियाँ आदत बन जाती हैं, फिर सुनियोजित और संस्थात्मक भ्रष्टाचार का रूप ले लेती हैं. ये घोटालों की जड़ बन जाती हैं.

जिस विषय को इस पुस्तक का केन्द्र बिन्दु बनाया गया है, उसे भ्रष्टाचार की इस कसौटी पर कसें तो उसका आरम्भ भी एक छोटी सी गलती से उपजा भ्रष्टाचार है, जो कालांतर में घोटाला बन गया.

राँची शहर के लिए सिवरेज–ड्रेनेज की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए 2003 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का एक आदेश हुआ. तत्कालीन सरकार ने इसके लिए खुली निविदा के आधार पर दो परामर्शियों का चयन किया. इनका काम पूरा होने की कगार पर था कि चुनावोपरांत राज्य की सरकार बदल गई. नगर विकास विभाग के मंत्री भी बदल गये. उन्होंने इन परामर्शियों के काम पर रोक लगा दी, इन्हें हटा दिया. इनके स्थान पर नया परामर्शी बहाल करने के लिए वैश्विक निविदा प्रकाशित हुई. बेवजह विश्व बैंक की गुणवत्ता आधारित प्रणाली को निविदा प्रकाशन और मूल्यांकन का आधार बनाया गया. निविदा खुली तो मूल्यांकनकर्ताओं ने पाया कि कोई भी निविदादाता निविदा की शर्तों पर योग्य नहीं है. मूल्यांकनकर्ताओं ने इस निविदा को रद्द कर और निविदा शर्तों को बदलकर 'गुणवत्ता और लागत आधारित' प्रचलित प्रणाली के आधार पर नई निविदा प्रकाशित करने का परामर्श दिया. तत्कालीन नगर विकास मंत्री जी ने यह परामर्श नहीं माना. योग्यता की शर्तों में बदलाव कर इसी निविदा के आधार पर परामर्शी चयन हेतु मूल्यांकन करने का दबाव बनाया. ऐसा करना नियम विरुद्ध था, पर सरकारी अधिकारी इस दबाव के आगे झुक गये. इस प्रकरण में यह पहली गलती थी.

शर्तों में बदलाव कर निविदा का मूल्यांकन आरंभ हुआ. शर्तों में बदलाव के बावजूद जो योग्य नहीं ठहर रहा था, उसे योग्यता के मूल्यांकन में योग्य करार दिया गया. तकनीकी मूल्यांकन में पक्षपात कर उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया. फिर वित्तीय मूल्यांकन में मंत्री स्तर तक निगोशिएसन कर अधिक वित्तीय लागत पर उसे कार्यादेश दे दिया गया. मंत्रिपरिषद् ने भी इस पर मुहर लगा दिया. यह दूसरी गलती थी.

इसके अगले दिन इसमें हुई अनियमितता का सवाल विधान सभा में उठा. तीन

दिन तक विधान सभा बाधित होती रही. सरकार के सामने एक अवसर था कि पूरी प्रक्रिया पर पुनर्विचार कर गलती स्वीकार कर ले. पर नगर विकास विभाग के मंत्री श्री रघुवर दास ने ताल ठोंककर विधान सभा में घोषणा की–सांच को आंच क्या? हम किसी भी जाँच का सामना करने के लिए तैयार हैं. यह तीसरी गलती थी। जान–बूझकर गलत को सही ठहराने का दुस्साहस था, दंभ था.

विधान सभा अध्यक्ष ने जाँच के लिए विधान सभा की विशेष जाँच समिति का गठन कर दिया. इस जाँच समिति को नगर विकास विभाग ने सहयोग नहीं किया. जाँच समिति को प्रभावित किया. समिति के सामने गुमराह करने वाला असव्य विवरण प्रस्तुत किया. इस कारण जाँच समिति विषय वस्तु की गहराई में जाकर जाँच नहीं कर सकी. अपनी साख बचाने के लिए, बला टालने के लिये एक शर्त लगाकर जाँच प्रतिवेदन दे दिया कि विषय के कतिपय तकनीकी बिन्दुओं की जाँच कराकर सरकार आगे की कार्रवाई कर सकती है. गलती छुपाने के लिए समिति को गुमराह करना, समिति के सामने झूठा विवरण प्रस्तुत करना, यह चौथी गलती थी.

सरकार ने विशेष जाँच समिति की शर्त पूरा करने के लिए मनगढंत तकनीकी बिन्दुओं की जाँच की खानापूरी की. इसके लिए नगर विकास विभाग की अधीनस्थ इकाई आर.आर.डी.ए. के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में तकनीकी समिति बनाकर नगर विकास विभाग ने जाँच के नाम पर लीपापोती कर दी. यह पहले हुई एक छोटी गलती पर परदा डालने के लिए पाँचवीं गलती थी.

इसके बाद यह मामला विधानसभा की कार्यान्वयन समिति के सामने आया. समिति ने गहराई में जाकर विधानसभा की विशेष जाँच समिति के प्रतिवेदन की छानबीन करने लगी. तब जाँच नहीं होने देने के लिए स्वयं नगर विकास मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को दो बार पत्र लिखकर दबाव बनाया. समिति के काम में अड़ंगा डाला. निविदा का मूल्यांकन करने वाले अभियंताओं और अधिकारियों को समिति के सामने गवाही देने से रोका. जब तक उनकी सरकार रही, तब तक कार्यान्वयन समिति की जाँच रोक दी गई. यह छठवीं गलती थी.

इस बीच सरकार बदल गई, सरकार बदली तो जाँच आगे बढ़ी. निविदा का मूल्यांकन करने वाली तकनीकी उपसमिति और उच्चस्तरीय समिति के अभियंताओं और अधिकारियों की कार्यान्वयन समिति के समक्ष पेशी हुई, उनसे पूछताछ की गई. पूछताछ में असलियत सामने आ गई. समिति ने निष्कर्ष निकाला कि निविदा की योग्यता शर्तों के मुताबिक मेनहर्ट अयोग्य था. उसकी बहाली अनियमित थी. यह

निष्कर्ष सरकार के पास भेजा गया. सरकार का उत्तर नहीं मिला तो कार्यान्वयन समिति ने अपना प्रतिवेदन विधान सभा अध्यक्ष को सौंप दिया. परन्तु किसी भी दोषी किरदार पर कार्रवाई नहीं होने दी गई. इस समिति की अनुशंसा को दबा दिया गया. सच्चाई का गला घोंट दिया गया. यह सातवीं गलती थी.

बाद में सरकार ने कार्यान्वयन समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों की सत्यता जाँचने के लिए पाँच अभियंता प्रमुखों की तकनीकी समिति गठित की. इस समिति के चार सदस्यों ने माना कि निविदा की शर्तों पर मेनहर्ट की नियुक्ति में भूल हुई है. एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि निविदा प्रकाशन से लेकर निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में हर जगह त्रुटि हुई है. परंतु इसके आधार पर मेनहर्ट की अनियमित नियुक्ति रद्द नहीं की गई. यह इस संदर्भ में आठवीं गलती थी.

इसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की. माननीय न्यायालय का आदेश हुआ कि ''याचिकाकर्ता निगरानी आयुक्त के पास जाए. उनकी शिकायत में दम होगा तो निगरानी आयुक्त विधि–सम्मत कार्रवाई करेंगे.'' निगरानी ब्यूरो के आईजी ने एक साल में पाँच पत्र निगरानी आयुक्त को लिखा कि मामले की जाँच के लिए अनुमति दी जाय, पर निगरानी आयुक्त से उन्हें जाँच की अनुमति नहीं मिली. निगरानी ब्यूरो को जाँच नहीं करने दी गई. यह नौंवी गलती थी.

इस बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया. राज्यपाल के सलाहकार ने मामले की जाँच का आदेश दिया. फिर भी निगरानी ब्यूरो को जाँच करने की अनुमति नहीं मिली. इसकी जगह निगरानी विभाग के ही तकनीकी परीक्षण कोषांग को जाँच करने के लिए कहा गया. इसकी जाँच विस्तार से किया. जाँच में कार्यान्वयन समिति का निष्कर्ष सही साबित हुआ. कोषांग ने इसने निविदा के मूल्यांकन में हुए पक्षपात और गलतियों को उजागर कर दिया. राष्ट्रपति शासन हटते ही जाँच की कारवाई ठप हो गई. थोड़े ही दिन बाद दुबारा राष्ट्रपति शासन लगा तो तकनीकी परीक्षण कोषांग ने रूका काम पूरा कर दिया. अपना जाँच प्रतिवेदन जमा कर दिया. जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा वैसे ही तकनीकी परीक्षण कोषांग के निष्कर्षों को दबा दिया गया. निगरानी आयुक्त ने कोई मंतव्य दिये बिना ही संचिका नगर विकास विभाग को भेज दिया. सरकार ने निर्णय किया कि इस मामले में अब कार्रवाई निगरानी विभाग नहीं बल्कि नगर विकास विभाग ही करेगा. यानी 'माँस की पोटली की हिफाजत गिद्ध के जिम्मे' कर दी गई. अब तक हुई कई गलतियों के बाद की यह सबसे बड़ी और दसवीं गलती

थी. इस गलती के बाद यह मामला दबा तो दबा रह गया. इतनी गलतियों ने इस मामले को घोटाला बना दिया. पर गलतियों का सिलसिला रूका नहीं न मेनहर्ट पर कारवाई हुई और न इसे गलत तरीका से बहाल करने वालों को दंडित किया गया.

मेनहर्ट निविदा में अंकित योग्यता की शर्तों पर अयोग्य था। योग्यता की शर्तों के अनुसार निविदादाता फर्मों से गत तीन वर्षों, 2004–05, 2003–04 और 2002–03, का टर्न ओवर मांगा गया था. मेनहर्ट ने केवल दो वर्षों– 2002–03, और 2003–04 का ही टर्न ओवर दिया था. 2004–05 का टर्न ओवर उसने दिया ही नहीं था. इस कारण उसकी निविदा मूल्यांकन के पहले चरण में ही, यानी योग्यता के मूल्यांकन के समय ही, खारिज हो जानी चाहिए थी. इसका तकनीकी लिफाफा खुलना ही नहीं चाहिए था. पर अयोग्य होने के बाद भी उसे योग्य करार दिया गया. इसे छुपाने के लिए हर जगह मंत्री और अधिकारी यही कहते रहे कि निविदा केवल दो लिफाफों में ही माँगी गई थी. एक तकनीकी क्षमता का लिफाफा और दूसरा वित्तीय लागत का लिफाफा. योग्यता के लिफाफा का अस्तित्व ही नकार दिया गया. यह झूठ तत्कालीन नगर विकास मंत्री श्री रघुवर दास ने 9 मार्च 2006 को सबसे पहले विधानसभा के पटल पर बोला. इसके बाद जाँच समितियों के सामने भी सरकार की ओर से बार–बार यही झूठ परोसा गया. इसी झूठ की बुनियाद पर मेनहर्ट को परामर्शी नियुक्त कर लिया गया.

09 मार्च, 2005 को इस मुद्दे पर विधान सभा में बहस के दौरान नगर विकास मंत्री श्री रघुवर दास ने सभा पटल पर अपने भाषण में कहा कि ''निविदा दो लिफाफों में आमंत्रित की गई थी.'' विशेष जाँच समिति के सामने रखे गये कागजात, उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष रखे गये दस्तावेज, कार्यान्वयन समिति को दिये गये विवरण, महाधिवक्ता को दी गई संचिका आदि, सभी में सरकार की ओर से यही अंकित किया गया कि निविदा दो मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित की गई थी. एक लिफाफा तकनीकी क्षमता का था और दूसरा लिफाफा वित्तीय लागत का था. योग्यता के लिफाफा के अस्तित्व को इन्होंने इसलिये दरकिनार कर दिया, क्योंकि निविदा शर्त के मुताबिक जो निविदादाता योग्यता की किसी भी एक शर्त पर खरा नहीं उतरेगा या अपूर्ण रहेगा तो उसका आगे का मूल्यांकन नहीं होगा, उसका तकनीकी और वित्तीय लिफाफा नहीं खुलेगा. वह प्रतिस्पर्द्धा से बाहर हो जायेगा.

इस कारण यह आश्चर्य नहीं कि जो लोग 'सांच को आंच क्या' का दंभ भरते थे, वे जाँच के नतीजों की आग पर निहित स्वार्थ का पानी डालकर 'जाँच की आंच'

को बुझा देने की साजिश में जुट गये. जब उच्च न्यायालय ने मेनहर्ट द्वारा दायर किये गये मुकदमा में भुगतान का निर्देश दे दिया तो इसे इनलोगों ने अपनी जीत माना. विधि विभाग और महाधिवक्ता का यह परामर्श उन्होंने नहीं माना कि इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की डबल बेंच के सामने अपील करनी चाहिए. इन्होंने मंत्रिपरिषद से निर्णय करा लिया कि सरकार इस मामले में अपील नहीं करेगी.

स्पष्ट है कि अयोग्य होने के बावजूद मेनहर्ट को परामर्शी नियुक्त करने की जो गलती हुई, उसे छुपाने के लिए और अपनी चमड़ी बचाने के लिए नगर विकास मंत्री और संबंधित अधिकारियों द्वारा गलती पर गलती की गई. यह उनके भ्रष्ट आचरण का ज्वलंत उदाहरण है. इसके लिए दोषियों को दण्ड मिलना चाहिए था, परन्तु उन्हें पुरस्कार मिलते रहे. इसका नतीजा है कि राँची शहर के सिवरेज ड्रेनेज परियोजना का डीपीआर तैयार करने के लिए मेनहर्ट की बहाली के डेढ़ दशक बीत जाने के बाद झारखंड की वर्तमान सरकार ने 2020 में पुनः निर्णय लिया है कि राँची शहर के सिवरेज ड्रेनेज निर्माण के लिए नये सिरे से परामर्शी नियुक्त किया जायेगा. मेनहर्ट द्वारा तैयार डीपीआर दो बार संशोधित किया गया. इसके बावजूद योजना निर्माण के पहले चरण का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया. योजना चार चरणों में पूरी होने वाली थी. इस मामले में जिन्होंने गलती पर गलती की, वे तो पुरस्कृत होते रहे, पर इनकी गलतियों का खामियाजा भुगतने के लिए आज पूरा राँची शहर अभिशप्त है. एक व्यक्ति के भ्रष्ट आचरण का सिला समाज कैसे भोगता है, यह मामला इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है.

इस प्रकरण में शासन के तीनों अंगों– कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका– का रहस्यमय मौन कचोटने वाला है. इससे समस्या उलझी है, उलझन घनीभूत हुई है, सुशासन कलंकित हुआ है, कदाचार बेपर्द हुआ है, बदनीयत खुलकर सामने आ गई है. ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि इस कालखण्ड में जब–जब झारखण्ड में राष्ट्रपति शासन लगा, तब–तब जाँच आगे बढ़ी, परन्तु राष्ट्रपति शासन हटने के बाद फिर वही 'ढाक के तीन पात'. यह राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक फूलप्रूफ मामला है. आज नहीं तो कल इस मामले में न्याय होगा, मौन टूटेगा, दोषी दण्डित होंगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी.

– सरयू राय

पुस्तक परिचय

2006 में झारखंड विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी ने विधान सभा की एक नई समिति का गठन किया. इसका नाम रखा–कार्यान्वयन समिति. विधान सभा की कई समितियां होती हैं जो कार्य एवं प्रक्रिया नियमावली के अधीन काम करती हैं. विधान सभा का सत्र नहीं चलने की अवधि में भी ये समितियाँ कार्यरत रहती हैं. इसलिए इन्हें लघु विधान सभा भी कहा जाता है. इनमें से कुछ समितियाँ स्थायी होती हैं और कुछ विधान सभा अध्यक्ष के विवेकानुसार समय और परिस्थिति के अनुसार गठित की जाती हैं. कार्यान्वयन समिति ऐसी ही एक समिति थी जिसे माननीय सभा अध्यक्ष द्वारा एक विशेष उद्देश्य से गठित किया गया था. विधान सभा की विभिन्न स्थायी–अस्थायी समितियों की अनुशंसाओं को सरकार से कार्यान्वित कराना और कार्यान्वयन की समीक्षा करना इस समिति का उद्देश्य था.

इसके पहले तक झारखंड विधान सभा की विभिन्न समितियाँ अपनी अनुशंसाओं का क्रियान्वयन सरकार से स्वयं कराया करती थीं. अब विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति यह दायित्व निभाती है. माननीय सभा अध्यक्ष ने महसूस किया कि विधान सभा समितियाँ अपनी अनुशंसाओं का कार्यान्वयन तत्परता पूर्वक सरकार से नहीं करा पा रही हैं. संबंधित समितियाँ विषय वस्तु के विविध पहलुओं का गहन विश्लेषण के उपरांत मेहनत करके अनुशंसा तो दे देती हैं, परंतु सरकार से इन अनुशंसाओं का कार्यान्वयन कराने के प्रति उतना सक्रिय एवं सजग नहीं रहती हैं. इससे विधायिका की साख प्रभावित हो रही है. विधान सभा अध्यक्ष इस मान्यता के प्रति दृढ़ थे कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है. यह मान्यता केवल सिद्धांत में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी परिलक्षित होना चाहिये. इसलिये विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन तत्परता से कराने के लिये उन्होंने विधान सभा की एक अलग समिति बना दी. इस समिति का नाम रखा–कार्यान्वयन समिति. मुझे उन्होंने इस समिति का पहला सभापति नामित किया.

कार्यान्वयन समिति ने काम करना आरम्भ किया तो विधान सभा सचिवालय ने विधान सभा की विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं से संबंधित समस्त संचिकायें कार्यान्वयन समिति के पास भेज दिया जिनका कार्यान्वयन सरकार के स्तर पर लंबित था. इनमें राँची के सिवरेज–ड्रेनेज के लिये मेनहर्ट को परामर्शी बनाने मे हुई अनियमितता की जाँच करने के लिये विधान सभा द्वारा गठित विशेष जाँच समिति का

प्रतिवेदन भी शामिल था. कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक 24.6.2006 को हुई जिसमें सभा समितियों की अनुशंसाओं का अध्ययन कर इनके क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में संबंधित विभागों से प्रतिवेदन माँगने का निर्णय हुआ. नगर विकास विभाग ने तत्परता पूर्वक सूचित किया कि मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में अनियमितता की जाँच करने के लिये सभा अध्यक्ष द्वारा गठित विधान सभा की विशेष जाँच समिति का प्रतिवेदन लागू कर दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि परामर्शी नियुक्ति में हुई अनियमितता को लेकर सदन पटल पर लगातार तीन दिनों (7, 8 और 9 मार्च 2006) तक तत्कालीन नगर विकास मंत्री श्री रघुवर दास के विरूद्ध भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगते रहे. सदन बार–बार स्थगित होता रहा. तब जाकर सरकार ने आरोपों की जाँच सदन से कराना स्वीकार किया. तदुपरांत आरोपों की जाँच विधान सभा की विशेष जाँच समिति से कराने का सभा अध्यक्ष का नियमन हुआ. भ्रष्टाचार के आरोपों की सभा अध्यक्ष के आदेश से जाँच के लिये सदन के सात माननीय वरिष्ठ सदस्यों की 'विशेष जाँच समिति' गठित हुई.

विधान सभा द्वारा गठित इस विशेष जाँच समिति की अनुशंसा थी कि कतिपय तकनीकी पहलुओं की जाँच करने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई कर सकती है. कार्यान्वयन समिति के सभापति के नाते मैंने नगर विकास विभाग के अधिकारियों से जानकारी माँगी कि इस विशेष जाँच समिति की अनुशंसा के इस बिन्दु का कार्यान्वयन किस भाँति हुआ है. साथ ही मैंने राँची के सिवरेज–ड्रेनेज के निर्माण एवं पर्यवेक्षण के लिये परामर्शी नियुक्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी माँगा. कार्यान्वयन समिति की बैठकों मे विभागीय सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ विमर्श कर विधान सभा के विशेष जाँच समिति की अनुशंसा के तकनीकी पहलुओं को समझने का प्रयास हुआ. प्रथमदृष्ट्या शंका हुई कि दाल में कुछ काला है. पर नगर विकास विभाग द्वारा इस बारे में उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के अध्ययन एवं पदाधिकारियों से की गयी पृच्छा के बाद स्पष्ट हो गया कि केवल दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है.

इस पृष्ठभूमि में काफी उम्मीद से गठित विधानसभा की विशेष जाँच समिति एक अति गम्भीर मामले (राज्य की राजधानी राँची में सिवरेज–ड्रेनेज निर्माण के लिये परामर्शी चयन के बारे) में ऐसा सतही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, यह मेरी सोच से परे था, कल्पनातीत था, निराश करने वाला था. बे–सिर–पैर वाली इसकी सतही

अनुशंसा तो और भी विचित्र थी. झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा इसके त्वरित कार्यान्वयन का दावा उससे भी विचित्र था.

कार्यान्वयन समिति ने इसकी तह तक जाने का निर्णय किया. इसके लिए माननीय विधान सभा अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त की गई. तदुपरांत नगर विकास विभाग से संबंधित दस्तावेज माँगे गये. उनके अध्ययन के बाद निविदा के मूल्यांकन से जुड़े इंजीनियरों और अफसरों को समिति की बैठकों में बुलाकर जानकारियाँ ली जाने लगीं. उनके बयान अंकित किये जाने लगे, उनसे प्रासंगिक कागजात सौंपने के लिये कहा जाने लगा, निविदा निष्पादन से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर सवाल किया जाने लगा तो मानो हड़कम्प मच गया, सूचनायें छुपायें जाने लगीं. परेशान अफसरों और अभियंताओं ने अपनी चिंता नगर विकास मंत्री तक पहुँचा दिया. तब श्री रघुवर दास नगर विकास विभाग के मंत्री थे, वे सरकार के वित्त मंत्री भी थे. विधान सभा में बहस के दौरान पहले तो वे इस मामले की जाँच विधान सभा की विशेष समिति से कराने की विपक्ष की माँग को मानने से इंकार करते रहे. बाद में सभा अध्यक्ष का रूख देखकर जाँच कराने पर राजी हुये. विधान सभा के पटल पर चिल्लाकर उन्होंने कहा– साँच को आँच क्या? पर जब कार्यान्वयन समिति ने साँच की जड़ तक पहुँचने वाली जानकारियाँ उनके विभाग से माँगना शुरू किया तो वे जाँच को बाधित करने पर उतर आये. शुरू में वे इस प्रयास में कुछ हद तक सफल भी रहे. पर कार्यान्वयन समिति भी अपने निश्चय पर दृढ़ रही. जाँच पूरी हुई, विधान सभा अध्यक्ष एवं सरकार के पास प्रतिवेदन भेजा गया. सरकार के आदेश से प्रतिवेदन की अनुशंसाओं मे विहित तथ्यों की उच्चस्तरीय जाँच हुई, निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग ने भी जाँच किया. प्रत्येक जाँच में कार्यान्वयन समिति का प्रतिवेदन खरा उतरा. साबित हो गया कि कार्यान्वयन समिति के प्रतिवेदन में जो अनियमिततायें, त्रुटियाँ उजागर की गयी. जिन काले कारनामों को सामने लाया गया है, वह सब अक्षरश: सही है.

उसके बाद क्या होना चाहिये था और क्या हुआ? जो होना चाहिये था वह क्यों नहीं हुआ? अब क्या हो रहा है, और आगे क्या होना चाहिये? इसके बारे में सर्वसामान्य को जानकारी देना इस पुस्तक का उद्देश्य है.

कार्यान्वयन समिति का प्रतिवेदन विधान सभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत हुआ तो भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश के तत्कालीन संगठन महामंत्री श्री रंजन पटेल ने यह प्रतिवेदन देखने की जिज्ञासा प्रकट की. मैने उन्हें प्रतिवेदन की छाया प्रति अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दी. उन्होंने इस प्रतिवेदन या इस प्रतिवेदन के

सार–संक्षेप के बारे में मौखिक या लिखित रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अधिकारियो को दिखाया या बताया कि नहीं इसकी जानकारी मुझे नही मिली, लेकिन मुझपर आरोप लगाये गये, मेरी मंशा पर संदेह व्यक्त किया गया कि मेरे इस प्रतिवेदन से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की झलक मिलती है.

मुझे स्मरण है कि कार्यान्वयन समिति की कार्यवाही के दौरान उभर कर आ रहे तथ्यों के बारे में मैने तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी को अवगत कराया था. उन्होंने मुझे और नगर विकास मंत्री को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया था. पर नगर विकास विभाग मंत्री की अकड़ के कारण बात आगे नही बढ़ सकी. उसी शाम विधानसभा अध्यक्ष ने हम दोनों को कांके रोड, राँची स्थित अपने आवास पर बुलाया. मैं तो ससमय पहुँच गया, पर मंत्री नहीं आये. नामधारी जी के आग्रह पर उन्होंने मुझसे दूरभाष पर इस बारे में संक्षिप्त वार्तालाप अवश्य किया. परंतु फिर वही ढाक के तीन पात.

इस संदर्भ में भाजपा संगठन में जिला से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक मेरे विरुद्ध प्रचार हुआ. मिथ्या धारणा बनाने की सुनियोजित कोशिश हुई कि मैंने राजनीतिक दुर्भावना से इस मामले में तिल को ताड़ बनाया है. इस दुष्प्रचार में झारखंड भाजपा विचार परिवार के कतिपय भारी भरकम वजनदार व्यक्तित्व भी शामिल थे. सत्य सुनने और उसपर गौर करने के लिये ये लोग तैयार नहीं थे. पर भाजपा के अधिकांश सामान्य कार्यकर्ताओं ने और राज्य के अन्य प्रबुद्ध लोगों ने मेरी बातों पर गौर किया, इसे सुना, समझा और इस पर भरोसा किया. उच्च स्तर पर कानाफूसी और मिथ्या प्रचार के बीच वरीय–कनीय भाजपा कार्यकर्ताओं एवं अन्य लोगों का स्नेह और समर्थन इस अवधि में मेरे लिये पर्याप्त संतोष का कारण बना रहा. आत्मीय जनों का यह विश्वास तनाव एवं असमंजस के इस लंबे कालखंड में मेरा बड़ा संबल बना रहा. यह पुस्तक उन्हें सादर समर्पित है.

इस पुस्तक में कुल 19 खंड हैं. क्लिष्ट आँकड़ों के तकनीकी विश्लेषण पर और सरकारी संचिकाओं की अनावश्यक वक्र चाल पर आधारित यह पुस्तक पाठकों को नीरस और उबाऊ नहीं लगे एवं पुस्तक के कथानक का मर्म उन तक सुगमता से पहुँच जाए, इसके मद्देनजर विषय वस्तु की प्रासंगिक प्रस्तुतियों को विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है. यह सुनिश्चित करने के लिये भी इस बहुचर्चित विषय को पुस्तक के रूप में सार्वजनिक करना मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ कि इस संदर्भ में जिनलोगों ने मुझपर भरोसा किया, वे सही थे. एक संवैधानिक दायित्व के निर्वहन के

क्रम में दूध का दूध और पानी का पानी करने का मेरा प्रयास गलत या पक्षपातपूर्ण नही था, बल्कि विधान सभा सदस्य के नाते और विधान सभा की एक समिति के सभापति के रूप में दायित्व निर्वहन के परिप्रेक्ष्य में संविधान और कानून की शपथ के अनुरूप था. मुझे विश्वास है कि समय संदर्भ में एक सरकार के कतिपय किरदारों और सत्ता के गलियारों मे विचरण करते रहने वाले निहित स्वार्थी तत्वों के बीच की साँठगाँठ के फलस्वरूप राज्यहित और जनहित पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की एक झलक इस पुस्तक में अवश्य मिलेगी.

इस पुस्तक में अंकित शत–प्रतिशत तथ्य सूचना अधिकार अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत राज्य सरकार के नगर विकास विभाग और निगरानी विभाग की आधिकारिक संचिकाओं, मसलन संचिका संख्या 3/न.वि./यो./102/09 और 2/न./वि./यो./सि/ड्रे./02/05 (खंड संचिका) में रक्षित दस्तावेज़ों और टिप्पणियों पर आधारित हैं. इसका लेश मात्र भी मनगढ़ंत, अनुमान या पक्षपात पूर्ण विवेचना पर आधारित नहीं है. संचिकाओं में विस्तार से अंकित टिप्पणी पक्ष और पत्रकार पक्ष के प्रमाणों को पुस्तक में यथास्थान काफी संक्षेप में उद्धृत किया गया है. इस क्रम में पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि संक्षेपीकरण के दौरान प्रमाणों के मूल स्वरुप एवं भाव के साथ रंच मात्र भी छेड़–छाड़ या तोड़–मरोड़ नहीं हो. किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर आक्षेप करना या जनता की नज़रों में किसी को नीचा दिखाना पुस्तक का उद्देश्य नहीं है. किसी घटना या प्रसंग को पुस्तक में समाहित करते समय शब्दों की मर्यादा का पूरा ध्यान रखा गया है. प्रयास किया गया है कि तथ्य का चित्रण सत्य पर तो आधारित हो, परन्तु नग्न या विद्रूप प्रतीत नहीं हो, इन पर शालीनता का आवरण रहे. फिर भी पुस्तक में अंकित साँच की आँच से किसी को मानसिक क्लेश हो या पुस्तक का कोई प्रसंग किसी को नागवार लगे तो इसके लिये मेरे सिवाय किसी अन्य को दोष देना मुनासिब नहीं होगा. पुस्तक के लिये प्रामाणिक सामग्री जुटाने, लेखन एवं सम्पादन के समय शब्द चयन एक वाक्य विन्यास के लिये मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ. इस बारे में सुझाव अथवा आलोचना का स्वागत है. पुस्तक में विधानसभा की कार्यवाही तथा कतिपय अन्य कई दस्तावेजों के अंश की भाषा मूल रूप में रखी गई है. इस कारण उनमें निहित भाषाई अशुद्धियों को नजरअंदाज करने का अनुरोध है.

कोविड–19 की विभीषिका के समय नोवेल कोरोना वायरस के साथ संघर्ष के आरम्भिक दिनों में देश में घोषित लॉकडाउन–1 और लॉक डाउन–2 के बीच के

एकांतवास के दौरान इस पुस्तक रचना हुई. अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा की ख़ातिर कोरोना महामारी के साथ संघर्ष करते हुये दिवंगत होने वाले देश–दुनिया के समस्त कोरोना योद्धाओं की पुण्यात्माओं को हमारा श्रद्धा सुमन निवेदित है. विश्वास है कि इनका अमर बलिदान विश्व को कोविड–19 महामारी पर विजय दिलाने में कामयाब होगा.

पुस्तक की पांडुलिपि का टंकन करने में तथा अनेक स्थानों पर बेतरतीब पसरी हुई संचिकाओं में से सार्थक सामग्रियों को एकत्र कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करने में मेरे नवनियुक्त निजी सहायक श्री राजेश सिन्हा ने कठिन परिश्रम किया है. इसके लिये उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाए, वह कम है. झारखंड प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त वरीय पदाधिकारी श्री एच. एन. राम ने पुस्तक की टंकित पाण्डुलिपि को पढ़ने और भाषागत त्रुटियों का निवारण करने का कष्ट किया है. उन्हें बहुत–बहुत धन्यवाद. झारखण्ड प्रिंटर्स के श्री बालाजी ने विषय सामग्री को पुस्तक का सुगठित आकार प्रदान किया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं. इसके साथ ही झारखंड प्रिंटर्स के प्रबन्धन को इसलिए मेरा विशेष धन्यवाद कि उन्होंने पुस्तक का मुद्रण करने का मेरा आग्रह स्वीकार किया. पुस्तक के प्रकाशक नेचर फाउंडेशन का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने यह दायित्व स्वीकार किया. प्रकाशक के क्षेत्र में यह इनका पहला कदम है. इनके उज्जवल भविष्य के प्रति मेरी अशेष शुभकामना.

– सरयू राय

अनुक्रमणिका

खण्ड	विषय		पृष्ठ संख्या
●	प्रस्तावना	....	5
●	पुस्तक परिचय	....	15
1	विधान सभा में मेनहर्ट	....	23
2	ओआरजी और स्पैन की छुट्टी	....	28
3	विशेष समिति की जाँच	....	33
4	उच्च स्तरीय समिति का फर्जीवाड़ा	....	41
5	निविदा शर्तों में गैरकानूनी परिवर्तन	....	51
6	निविदा का पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन	....	60
7	कार्यान्वयन समिति की जाँच	....	67
8	अभियंता प्रमुखों द्वारा जाँच	....	80
9	निगरानी ब्यूरो की जाँच में अड़ंगा	....	84
10	तकनीकी परीक्षण कोषांग : आरम्भिक जाँच	....	94
11	तकनीकी परीक्षण कोषांग : योग्यता की जाँच	....	101
12	तकनीकी परीक्षण कोषांग : तकनीकी क्षमता की जाँच	....	107
13	तकनीकी परीक्षण कोषांग : वित्तीय दर विश्लेषण	....	111
14	तकनीकी परीक्षण कोषांग : जाँच का निष्कर्ष	....	117
15	जाँच की आँच पर राजनीति का पानी	....	122
16	मुकदमों का सिलसिला	....	130
17	महाधिवक्ता का गलत परामर्श	....	141
18	विधानसभा अध्यक्ष से गुहार	....	147
19	किसकी ख़ता, किसको सजा !	....	153
20	उपसंहार	....	160

❖❖❖

खण्ड– 1

विधानसभा में मेनहर्ट

7 मार्च 2006. झारखण्ड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था. प्रश्न काल के दौरान 'विभिन्न चर्चा' में सदन के वरिष्ठतम सदस्य श्री स्टीफेन मरांडी ने सवाल उठाया कि सरकार के कैबिनेट ने कल राँची के सिवरेज–ड्रेनेज के लिये मेनहर्ट नामक कंसल्टेंट की बहाली 22 करोड़ रूपए की लागत पर की है. उन्होंने कहा कि एक ओर वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च करने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है और दूसरी ओर सरकार खजाना का दुरूपयोग कर रही है. यह बहुत गम्भीर मामला है, यह पैसे की लूट है.

इस पर माननीय अध्यक्ष श्री इन्दर सिंह नामधारी ने वित्त एवं नगर विकास मंत्री श्री रघुवर दास को निर्देश दिया कि ''उसके पीछे क्या मकसद है यह बताइये.''

श्री रघुवर दास ने बताया कि ''भारत सरकार ने ड्रेनेज व सिवरेज के लिये झारखण्ड सरकार को कहा है कि कंसलटेंट नियुक्त करके डीपीआर मास्टर प्लान बनाएँ। ड्रेनेज सिवरेज में जो खर्च होगा, उसमें 50 परसेंट पैसा भारत सरकार देगी. इसी को ध्यान में रखकर हमलोगों ने कंसलटेंसी बहाल किया है.'' इसपर काफी शोरगुल हुआ. इस कारण विधान सभा की पहली पाली में अन्य कोई काम नहीं हुआ.

8 मार्च 2006. विधान सभा की कार्यवाही आरम्भ होते ही व्यवधान शुरू हुआ. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य वेल में आ गये. सभा अध्यक्ष ने कहा– ''कल जो तनाव के क्षण थे जिस समय माननीय विपक्ष के सदस्यों ने कंसलटेंसी का विषय उठाया था और कई तरह के नारे दिये थे, उसके उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जी के मुँह से भी कुछ शब्द निकले थे, उस पैन्डेमोनियम (शोरगुल) में मैंने किसी का नोटिस नहीं लिया..... क्योंकि अगर आप किसी को कमीशनखोर कहते हैं तो आपके पास कोई साक्षात प्रमाण होना चाहिये.

इसपर नेता प्रतिपक्ष श्री सुधीर महतो ने कहा– ''अध्यक्ष महोदय, प्रमाण है, प्रमाण है अध्यक्ष महोदय.'' इसके कुछ देर बाद मंत्री श्री रघुवर दास ने कहा–''साँच को आँच क्या.'' मैं जाँच कराने के लिये तैयार हूँ. दूसरी बात, अगर कल की (मेरी) बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा, तो मैं खेद प्रकट करता हूँ.''

इसपर श्री स्टीफेन मरांडी ने कहा कि विधान सभा की समिति से इसकी जाँच करा दी जाए. माननीय सभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं बीच का रास्ता निकालता हूँ. मैं

फाईल मँगवा लूँगा, 3–4 लोग अपोजिशन के रहें, मंत्री जी को भी साथ में बैठा लूँगा. इसके बाद लगता है कि सदन की सर्वदलीय समिति बननी चाहिये तो मैं आश्वासन देता हूँ कि वो कर दिया जायेगा.

मंत्री श्री रघुवर दास ने सभाध्यक्ष से मुखातिब होकर कहा कि 4–5 को बुलाने की जरूरत नहीं है. श्री स्टीफेन मरांडी ने सवाल उठाया है उनको बुला लीजिये. इस पर श्री स्टीफेन मरांडी ने कहा कि जिनके विरूद्ध अभियोग है, उनको क्यों बैठाइयेगा. इस पर सभाध्यक्ष ने नियमन दिया कि कल इस पर 'अल्पकालीन चर्चा' होगी.

अगला दिन 9 मार्च 2006. 10 बजे पूर्वाह्न विधान सभा में राँची शहर में सिवरेज–ड्रेनेज निर्माण के लिये कंसल्टेन्सी की नियुक्ति पर 'अल्पकालीन चर्चा' शुरू हुई। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक होती रही. विधान सभा अध्यक्ष को पाँच बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी. विपक्ष के सदस्य कहते थे कि मेनहर्ट को परामर्शी नियुक्त करने में भारी अनियमितता हुई है, इसकी जाँच विधान सभा की समिति से कराई जाए. जबकि सत्ता पक्ष कहता था कि नियुक्ति टेंडर से हुई है. टेंडर विश्व बैंक के मानदंड पर हुआ है, टेंडर का मूल्यांकन पारदर्शी तरीका से हुआ है. इसलिये जाँच की कोई जरूरत नहीं है.

मंत्री श्री रघुवर दास ने सदन को बताया कि ''राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्रों में दिनांक 30.6.2005 को निविदा का प्रकाशन किया गया. निविदा की प्रमुख शर्त थी कि **निविदा दो मुहरबंद लिफाफों में (तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव के लिये अलग–अलग) आमंत्रित की गईं. विश्व बैंक की मार्गदर्शिका के आधार पर दो लिफाफा पद्धति अपनाते हुये क्वालिटी बेस्ड सेलेक्शन हुआ.** अध्यक्ष महोदय, हमने इसे टेंडर पेपर में भी अंकित किया था कि किसे हमें खोलना है और क्वालिटी में जो बेस्ट आयेगा उसी का टेंडर खुलेगा. यह हमने टेंडर पेपर में भी अंकित कर दिया था. इसमें तकनीकी रूप से सर्वोच्च अंक पाने वाले का ही वित्तीय बिड खोला जाता है तथा दर वार्ता करके शुल्क का अंतिम रूप से निर्णय होता है.

अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न उठाया था तो **जो टेंडर डाक्युमेंट है उसके अनुसार हम नहीं करते, तो दूसरा पार्टी कोर्ट चला जाता.** महोदय, मुख्य समिति ने 18.9.2005 को तकनीकी उपसमिति के प्रतिवेदन पर विचार किया. सभी फाइलों की विस्तृत समीक्षा मुख्य समिति द्वारा की गई. मुख्य समिति के स्तर पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका. मुख्य समिति ने सभी तथ्यों को नगर विकास विभाग को भेजते हुये राज्य सरकार के स्तर पर यथोचित कारवाई करने की अनुशंसा की. मंत्री स्तर से भी

हमने कार्रवाई की है. .....मंत्रिपरिषद द्वारा मेसर्स मेनहर्ट सिंगापुर प्रा. लि. को 21 करोड़ 40 लाख रूपये के शुल्क खर्चे पर परामर्शी नियुक्त करने हेतु सहमति दी गई.

मंत्री के वक्तव्य को विपक्ष के सदस्यों ने सिरे से नकार दिया और जाँच कमिटि बनाने की मांग पर अड़े रहे. सदन दो बार स्थगित करने के बाद भी बात नहीं बनी तो सभाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा से हस्तक्षेप करने के लिये कहा.

मुख्यमंत्री ने परामर्शी नियुक्त करने की जरूरत के बारे में विस्तार से सदन को बताया और कहा कि मंत्रिपरिषद में जाने के पहले संचिका मेरे पास भी आई थी. मैंने एक प्रेजेंटेशन भी देखा था. मैंने कहा कि विश्व बैंक के जो मापदंड हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर किया गया है कि नहीं, इन सारी चीजों को देखकर के मंत्रिपरिषद में लाया जाय. ..... ये सोचकर हमने किया है और ट्रांसपरेंट वे में किया है. परंतु माननीय सदस्यों को इस बात की आशंका है, **तो मैं उस आशंका को भी ध्यान में रखते हुये मंत्रिपरिषद ने फैसला किया, तो मैं मंत्रिपरिषद में फिर से, हमलोग इस गंभीर विषय में, फिर से जिन विषयों पर आपने प्रकाश डाला, उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुये फिर से इसकी समीक्षा करेंगे.**

इसके बाद विपक्ष के सदस्य वेल में आ गये. सभाध्यक्ष ने समझाया कि ''मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इसको हमलोग फिर से कैबिनेट में ले जाते हैं, पूरा रिव्यू कर लेते हैं, आप सभी सीट पर चले जाइये. विपक्ष का हंगामा नहीं थमा तो सभाध्यक्ष ने सदन को तीसरी बार स्थगित कर दिया.

दूसरी पाली मे सदन पुन: बैठा तो विपक्ष ने पुन: हंगामा शुरू किया, वेल में आ गये. सभाध्यक्ष ने चौथी बार 10 मिनट के लिये सदन को स्थगित कर दिया. स्थगन के बाद सभाध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही विपक्षी सदस्य पुन: वेल में आ गये. कुछ देर बाद सभाध्यक्ष के आग्रह पर विपक्ष के सभी सदस्य अपने स्थान पर चले गये. सभाध्यक्ष ने कहा कि नगर विकास मंत्री रघुवर दास कुछ कहना चाहते हैं. इसपर विपक्ष के सभी सदस्य पुन: वेल में आ गये. वे श्री रघुवर दास को सुनने के लिये तैयार नहीं थे. सभाध्यक्ष के बार बार कहने के बाद भी विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर नही गये और वेल में ही डटे रहे तो सभाध्यक्ष ने पाँचवी बार 3.30 बजे अपराह्न तक सदन स्थगित कर दिया. स्थगन के बाद आसन ग्रहण करते ही सभाध्यक्ष ने मंत्री रघुवर दास से बोलने के लिये कहा.

मंत्री रघुवर दास ने कहा कि ''अध्यक्ष महोदय मैंने पूर्व में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि साँच को आँच क्या? इसलिये जब माननीय सदस्यों का

सुझाव है, सदन की कमेटी का, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है.

सभा अध्यक्ष ने नियमन दिया कि इस पर सदन की समिति बना दी जायेगी. तदुपरांत इस तरह राँची के सिवरेज–ड्रेनेज निर्माण के लिये मेनहर्ट को परामर्शी नियुक्त करने में अनियमितता बरते जाने के विपक्ष के आरोपों पर झारखंड विधान सभा में तीन दिनों से जारी गतिरोध समाप्त हुआ. इसकी जाँच के लिये विधान सभा की विशेष समिति गठित करने के लिए सभाध्यक्ष ने नियमन दिया.

सार संक्षेप

1. परामर्शी की नियुक्ति पर विधान सभा में तीन दिन तक हंगामेदार बहस हुई. तदुपरांत विधान सभा अध्यक्ष ने विशेष जाँच समिति गठित करने का नियमन दिया. विधान सभा के जिन माननीय सदस्यों ने जिन स्रोतों से मिली सूचना के आधार पर यह विषय सभा में उठाया, उनकी सूचना सही थी, परन्तु उन्होंने विषयवस्तु का गहन अध्ययन नहीं किया था. यदि अध्ययन किया था, तो सही तरीके से उसे प्रस्तुत नहीं कर सके. विधान सभाध्यक्ष ने जाँच का नियमन दिया तो उसका कारण वाद–विवाद की गुणवत्ता नहीं, अपितु सदन के वेल में आकर विपक्षी सदस्यों का हंगामा करना था, उनके फेफड़ों की ताकत थी.
2. नगर विकास मंत्री श्री रघुवर दास ने विधान सभा को गुमराह किया. विधान सभा अध्यक्ष से तथ्य ही नहीं छुपाया बल्कि झूठ भी बोला. उन्होंने जोर देकर सभा को बताया कि **निविदा दो मुहरबंद लिफाफों में मंगायी गयी थी. एक तकनीकी और दूसरा वित्तीय. जबकि सच्चाई यह है कि निविदा तीन लिफाफों में मांगी गई थी. तीसरा लिफाफा योग्यता का था, जिसमें मेनहर्ट अयोग्य था.** यह बात उन्हें पता थी, इसलिए उन्होंने निविदा में योग्यता के लिफाफा की बात छुपा ली, सदन से झूठ बोल दिया.
3. सदन में वाद–विवाद के दौरान दो अवसर आये जब इस विषय पर गहन मंथन कर समाधान निकाला जा सकता था. पहला मौका था जब विधान सभा अध्यक्ष ने सदन में सवाल उठाने वाले सदस्यों से आग्रह किया कि वे ''संबंधित कागजात अपने कार्यालय में मंगा लेते हैं, विपक्ष के दो–चार लोग रहें और नगर विकास के मंत्री रहें.'' पर इस पर पक्ष–विपक्ष के लोग राजी नहीं हुए. अन्यथा माननीय सभा अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में उसी समय इसका निपटारा हो गया होता.

4. दूसरा मौका था जब सदन में मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुण्डा ने कहा कि वे इस विषय में फिर से कैबिनेट में विचार करेंगे. यदि पहले मंत्रिपरिषद से कोई चूक हुई है तो दुबारा मंत्रिपरिषद में लाकर इसे सुधार लिया जायेगा. विपक्ष के सदस्य यदि मुख्यमंत्री का यह अनुरोध मान लिये होते तो मंत्रिपरिषद में पुनर्विचार के बाद मेनहर्ट को दिया गया आदेश उसी समय रद्द हो गया होता.

5. यदि विपक्ष के सदस्य गम्भीर होते और उन्होंने विषय वस्तु का गहन अध्ययन किया होता तो वे सदन झूठी जानकारी देने के लिए मंत्री श्री रघुवर दास के खिलाफ सदन अवमानना का प्रस्ताव लाते और मेनहर्ट की बहाली में हुई अनियमितता की पोल वहीं खुल जाती. पर विपक्ष के सदस्य तो अड़े रहे कि इसकी जाँच सदन की सर्वदलीय समिति से ही करायी जाए.

6. जब सभाध्यक्ष ने जाँच के लिए विशेष समिति की घोषणा कर दी तो इसी के साथ इस विषय के बारे में विपक्ष की सक्रियता भी समाप्त हो गई. विपक्ष का उद्देश्य मानो अनियमितता और भ्रष्टाचार को दूर करना और इसके दोषियों को चिन्हित करना नहीं था बल्कि सदन की विशेष जाँच समिति गठित कराकर सत्ता पक्ष को नीचा दिखाना ही इस विषय को उठाने का उनका मुख्य मकसद था.

●●●

खण्ड– 2

ओआरजी और स्पैन की छुट्टी

वित्त एवं नगर विकास मंत्री श्री रघुवर दास ने 8 मार्च 2006 को विधानसभा में वक्तव्य दिया. उन्होंने स्वीकार किया कि ''जनहित याचिका संख्या WP (PIL) No. - 3858/02 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने राँची शहर में सिवरेज–ड्रेनेज का निर्माण शीघ्र करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था. तदनुसार पूर्ववर्ती सरकार ने खुली निविदा के आधार पर ''ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप प्रा. लि. (ओआरजी) नामक एक परामर्शी का चयन किया था. समीक्षा में इनका कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण वर्तमान सरकार ने इन्हें हटा दिया और परामर्शी चयन के लिये नये सिरे से ग्लोबल टेंडर निकालकर ''पारदर्शी'' तरीका से मेनहर्ट को नया परामर्शी बहाल किया गया.''

सवाल यह है कि क्या केवल ओआरजी को ही बहाल किया गया था? या किसी अन्य कंसलटेंसी को भी इसके साथ बहाल किया गया था. सच्चाई यह है कि तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा इस काम के लिये 'ओआरजी' के साथ ही 'स्पैन ट्रायवर्स मॉर्गन' को भी उस समय परामर्शी बहाल किया गया था? यह तथ्य मंत्री जी ने सदन को नहीं बताया कि 'स्पैन ट्रायवर्स मॉर्गन' का काम भी संतोषप्रद था या नहीं था या मेनहर्ट को अधिक कीमत पर बहाल करना था, इसलिये येन–केन–प्रकारेण 'ओआरजी और स्पैन ट्रायवर्स' मॉर्गन को रास्ते से हटा दिया गया? इस बारे में सदन में किसी ने सवाल भी नहीं किया.

वस्तुस्थिति यह है कि राँची नगर निगम क्षेत्र को दो भागों में बाँटकर सिवरेज और ड्रेनेज निर्माण के लिये जुलाई 2003 में राज्य सरकार द्वारा एक निविदा प्रकाशित हुई. इसके लिए दो परामर्शियों का चयन हुआ. वार्ड संख्या 1 से 24 तक के लिये मे. ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप (ओआरजी) का और वार्ड संख्या 25 से 37 तक के लिये मे. स्पैन ट्रायवर्स मॉर्गन का. 11 अक्टूबर 2003 को इनके साथ राँची नगर निगम का एग्रीमेंट हुआ. इन्हें राँची नगर निगम क्षेत्र के लिये ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम स्थापित करने के लिये निर्माण और पर्यवेक्षण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करना था. इन्होंने काम शुरू किया. इनके काम की देख–रेख और जाँच–पड़ताल के लिये राँची के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमिटी बना दी गई.

2005 में झारखंड विधान सभा का चुनाव हुआ. श्री अर्जुन मुंडा पुन: राज्य के

मुख्यमंत्री बने. पर नगर विकास विभाग के मंत्री बदल गये. 2005 के पहले झरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री बच्चा सिंह इस विभाग के मंत्री थे. अब जमशेदपुर पूर्व विधान सभा क्षेत्र से विधायक श्री रघुवर दास नगर विकास विभाग के मंत्री बन गये. 1 जून, 2005 को नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में ओआरजी द्वारा अब तक किये गये कार्य की समीक्षा की गई. इनके कार्य प्रतिवेदन को संतोषजनक मानकर ओआरजी को 30 अगस्त, 2005 तक फाइनल डी.पी.आर. दे देने के लिए निर्देश दिया गया. निर्णय हुआ कि इस डी.पी.आर. के आधार पर शीघ्र राँची नगर निगम के 10 वार्डों में सिवरेज और ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा. इस कार्य के लिए हुडको 90 प्रतिशत ऋण देगा और शेष 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार लगायेगी. यह खबर अगले दिन 2 जून को राँची के प्रभात खबर सहित अन्य अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई.

2 जून 2005 को अचानक मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में फिर एक बैठक बुलाई गई. उसमें निर्णय हुआ कि 'ओआरजी और स्पैन ट्रायवर्स मॉर्गन' को परामर्शी के काम से हटा दिया जाए क्योंकि इन्होंने काम पूरा करने में देरी की है और इनका काम संतोषजनक नहीं है. विस्तार से यह नहीं देखा गया कि ओआरजी और स्पैन ने कितना काम किया है? अब तक इन्होंने कितने आरम्भिक (inception) प्रतिवेदन और कितने प्रारम्भिक (Preliminary) परियोजना प्रतिवेदन जमा किया है? इनमें से कितने प्रतिवेदन स्वीकृति के लिए रांची नगर निगम के यहाँ या सरकार के यहाँ कितनों दिनों से लंबित हैं? इनके प्रतिवेदनों की समीक्षा करने के लिये गठित उच्चस्तरीय समिति का इनके कार्यों के बारे में क्या आकलन है? इन्हें किस–किस काम का कितना भुगतान हुआ है? आदि आदि.

इस पर भी विचार नहीं हुआ कि ओआरजी और स्पैन के साथ राँची नगर निगम का जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें इन्हें हटाने की शर्तें क्या हैं? यह सब विचारे बिना नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इन्हें हटाने का एकतरफा निर्णय कर लिया गया. विभाग ने 15 जून 2005 को ओआरजी और स्पैन को काम से हटाने का आदेश जारी कर दिया. राँची नगर निगम के प्रशासक ने अपना पल्ला झाड़ते हुये 17 जून 2005 को इन्हें सूचना भेज दी कि राज्य सरकार ने 15 जून 2005 को आदेश दिया है कि राँची के सिवरेज–ड्रेनेज निर्माण के लिये आपकी सेवा नहीं ली जाए. इसलिये 11 अक्टूबर 2003 को आपके साथ हुआ एग्रीमेंट रद्द किया जाता है. यदि आपका कोई बकाया है तो 27 जून 2005 तक नगर निगम कार्यालय को बतायें. उल्लेखनीय है कि इनका एग्रीमेंट राँची नगर निगम के साथ हुआ था, राज्य सरकार या नगर विकास विभाग के साथ नहीं.

ओ.आर.जी. का मुकदमा

राँची नगर निगम और झारखण्ड सरकार में विभिन्न स्तरों पर वार्ता एवं पत्राचार का कोई नतीजा नहीं निकला तो इस आदेश के खिलाफ ओआरजी हाईकोर्ट चला गया. स्पैन ट्रायवर्स मॉर्गन चुप बैठ गया. लंबी मुकदमेबाजी के उपरांत झारखंड हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत फैसला किया और केरल हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू.पी. सिंह को इस केस में आर्बिट्रेटर (मध्यस्थ) बहाल कर दिया. न्यायमूर्ति सिंह ने लंबी सुनवाई के बाद 30 मई 2012 को फैसला दिया कि झारखंड सरकार द्वारा ओआरजी को काम से हटाना सही नहीं था. **ओआरजी ने सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार काम किया है. इसे नगर निगम के उप प्रशासक ने भी और उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष सह राँची के उपायुक्त ने भी अलग–अलग तिथियों को जारी अपने परिपत्रों में स्वीकार किया है. एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए ओआरजी को काम से हटाने के एकतरफा निर्णय को गलत बताते हुए विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि ओआरजी किये गये काम की एवज में मेहनताना और हर्जाना मिलाकर 3,61,98,816 (तीन करोड़ इकसठ लाख अन्ठानवे हजार आठ सौ सोलह) रूपये लेने का हकदार है, जिसका भुगतान सरकार करे.**

न्यायमूर्ति यू.पी. सिंह के फैसले में अंकित तथ्य चौंकाने वाले हैं जिनसे साबित होता है कि ओआरजी ने अपना काम समय पर पूरा कर दिया था. फैसला में कहा गया है कि इसने आरम्भिक (inception) रिपोर्ट जमा की थी जिसके लिये नगर निगम ने भुगतान किया है. इसने प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन (Preliminary Project Peport - PPR) भी जमा की थी जिसे सरकार द्वारा राँची के उपायुक्त के नेतृत्व में गठित समिति ने स्वीकार किया था. इसने 10 वार्डों का पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन भी जमा की थी. 1 जून, 2005 को नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन्हीं 10 वार्डों में सिवरेज–ड्रेनेज कार्य शीघ्र शुरू करने का निर्णय हुआ था. जिस दिन नगर विकास विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ओआरजी को हटाने का निर्णय हुआ, उसके एक दिन पहले तक इसने अपने प्रतिवेदन जमा किए थे. सवाल है कि इस समीक्षा बैठक में किसी विभागीय अधिकारी ने इन तथ्यों को मंत्री महोदय के सामने रखा या नहीं? यदि इसे रखा तो फिर किस कारण से ओआरजी को हटाने का निर्णय हुआ?

राँची नगर निगम के उप प्रशासक ने नगर विकास विभाग के अपर सचिव को

02.07.2005 और 22.10.2005 को दो पत्र लिखे. ये दोनों पत्र ओआरजी को हटा दिये जाने के बाद लिखे गये हैं. 2 जुलाई 2005 को लिखे गये पत्र में अंकित है कि 'ओआरजी' की आरम्भिक रिपोर्ट को राँची के उपायुक्त ने स्वीकार किया है. इसके बाद 'ओआरजी' को इसके लिये 96 लाख रुपये का भुगतान किया गया. इस पत्र में आगे कहा गया है कि 'ओआरजी' द्वारा दिये गये ये सभी प्रतिवेदन उपायुक्त, राँची की अध्यक्षता वाली 'हाई लेबल कमिटी' के पास भी और सीधे सरकार के पास भी जमा किये जाते रहे हैं. इस बारे में किये जानेवाले निर्णयों के लिये हुई बैठकों की कार्यवाहियाँ भी नियमित रूप से सरकार और उपायुक्त, राँची की अध्यक्षता वाली समिति के पास भेजी जाती रही हैं. जिस दिन नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली कमिटि में 'ओआरजी' को हटाने का निर्णय हुआ उसके एक दिन पहले भी 'ओआरजी' के प्रतिवेदन सौंपे गये हैं. एक बार पूर्व में 3 फरवरी 2005 को भी कभरिंग लेटर (व्याख्या पत्र) के साथ इन्हें भेजा गया है. 22 अक्टूबर 2005 के पत्र मे अंकित है कि 'ओआरजी' द्वारा प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन (PPR) जमा कर दिया गया है और राँची के उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसे स्वीकार भी कर लिया है. इसके लिये परामर्शी द्वारा जमा बिल का भुगतान किया जाना उचित है. स्पष्ट है कि 'ओआरजी' को काम से हटाने के लिये दिये जाने वाले तर्कों में कोई दम नहीं है. 'ओआरजी' ने प्रतिवेदन जमा किया था जिनमें से कुछ के लिये भुगतान भी सरकार से हुआ है. वस्तुतः ओआरजी को गलत तरीका से हटाने के निर्णय के साथ मेनहर्ट को अनियमित रूप से बहाल करने के तार जुड़े हुए हैं.

ज्ञातव्य है कि हटाने के पहले सरकार 'ओआरजी' को 96 लाख रूपये का भुगतान कर चुकी थी. 'ओआरजी' को हटाया जाना सही नहीं था, इस कारण कि एक ओर माननीय न्यायमूर्ति यू.पी. सिंह ने अपने पंच फैसला में उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए 3 करोड़ 61 लाख 98 हजार 816 रूपये का हर्जाना देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था. दूसरा कि जब सरकार ने यही काम करने के लिए 21.40 करोड़ रूपया में मेनहर्ट को बहाल कर लिया तो 'ओआरजी' द्वारा किये गये इस कार्य को भी उसे 96 लाख रूपया में बेच दिया. यदि 'ओआरजी' का काम सही नहीं था तो आखिर क्यों मेनहर्ट ने इसके लिए 96 लाख रुपया दिया? वस्तुतः ओआरजी ने राँची के सिवरेज–ड्रेनेज का डी.पी.आर. (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तैयार करने का काम पूरा कर लिया था. पी.पी.आर. को सरकार द्वारा स्वीकृत कर देने के बाद अधिक से अधिक 3 माह के समय के भीतर इन संशोधनों को समाहित कर 'ओआरजी' पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन सरकार को सौंप देता. इसी काम के एवज

में न्यायमूर्ति यू.पी. सिंह ने उसे 3.62 करोड़ रूपया की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था. इस तरह ओआरजी का यह काम 4 करोड़ रूपये के आस–पास खर्च पर पूरा हो जाता, जिसके लिए 'मेनहर्ट' को 21.40 करोड़ रूपया देने की बात तय हुई. 'ओआरजी' द्वारा किया गया पूरा आधारभूत कार्य भी मेनहर्ट को मात्र 96 लाख में मिल गया.

सार संक्षेप

1. ओआरजी को काम से हटाना सही नहीं था. न्यायमूर्ति यू.पी. सिंह के पंच फैसला से स्पष्ट है कि ओआरजी समय–समय पर प्रतिवेदन देता रहता था. प्रतिवेदन को स्वीकृत करने या सुझाव देकर लौटाने में सरकार के यहाँ देर होती थी. ओआरजी को काम करने दिया गया होता तो राँची नगर निगम के 1 से 24 वार्डो में सिवरेज–ड्रेनेज का काम अबतक पूरा हो गया होता जिस काम के लिये मेनहर्ट को 21.40 लाख पर बहाल किया गया वह काम करीब 4 करोड़ रुपया में हो गया होता.
2. 1 जून 2005 को ओआरजी के काम को सही ठहराकर 30 अगस्त, 2005 तक अंतिम प्रतिवेदन देने का आदेश नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिया गया, फिर अगले दिन ही इनको काम से हटा देने का निर्णय हो गया. यह निर्णय सामान्य निर्णय नहीं है. उस रात जरूर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है कि नगर विकास विभाग के मंत्री को अपना फैसला बदलना पड़ा.
3. ओआरजी–स्पैन को हटाना एक बहाना था. सच तो यह है कि येन–केन–प्रकारेण मेनहर्ट को लाना था. पंचाट के फैसला के अनुसार 'ओआरजी' सरकार से 3 करोड़ 62 लाख रूपया का मुआवजा लेने का हकदार है. इसकी वसूली मेनहर्ट को बहाल करने के दोषियों से की जानी चाहिए.
4. ओआरजी ने ड्राफ्ट पी.पी.आर. तक काम कर दिया था. न्यायमूर्ति यू.पी. सिंह ने इसकी कीमत 3.62 करोड़ रूपया लगाई है. सरकार ने ओआरजी का यह काम केवल 96 लाख रूपया में मेनहर्ट को दे दिया. यदि यह काम संतोषप्रद था तभी मेनहर्ट ने कीमत चुकाई. यह सरकार और मेनहर्ट के बीच साठ–गांठ का द्योतक है कि ओआरजी द्वारा किया गया 24 वार्डो का काम मेनहर्ट को सस्ते में मिल गया.

●●●

खण्ड–3

विशेष समिति की जाँच

9 मार्च 2006 को विधानसभा में माननीय सभा अध्यक्ष द्वारा दिये गये नियमन के आलोक में मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में अनियमितताओं की जाँच के लिए दिनांक 11 मार्च 2006 को एक विशेष जाँच समिति गठित की गई. इस समिति का गठन निम्नवत है :–

1.	श्री अशोक कुमार (भाजपा)	–	अध्यक्ष
2.	श्री नियेल तिर्की (कांग्रेस)	–	सदस्य
3.	श्री नलिन सोरेन (झामुमो)	–	सदस्य
4.	श्री नीलकण्ठ सिंह मुंडा (भाजपा)	–	सदस्य
5.	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (भाजपा)	–	सदस्य
6.	श्री रामचंद्र चंद्रवंशी (राजद)	–	सदस्य
7.	श्री कामेश्वर नाथ दास (जदयू)	–	सदस्य

इस समिति का शुरुआती कार्यकाल 31 मार्च 2006 तक था. समिति निर्धारित समय पर रिपोर्ट नहीं दे सकी, तब समिति की कार्य अवधि दो बार बढ़ाई गई. समिति ने दिनांक 12 मई 2006 को अपना जाँच प्रतिवेदन दिया। जाँच प्रतिवेदन हू–ब–हू नीचे दिया जा रहा है :–

विशेष समिति का जाँच प्रतिवेदन

''मेनहर्ट परामर्शी'' की नियुक्ति मामले में अनियमितता की जाँच के लिए सदन द्वारा विशेष समिति का गठन किया गया था, जिसे दिनांक 31 मार्च, 06 तक अपना जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था. समिति ने दिनांक–31 मार्च, 06 की बैठक में अपने जाँच प्रतिवेदन को पारित कर इसे माननीय अध्यक्ष महोदय को अग्रसारित कर दिया.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक– 09.04.06 को अपने इस आदेश के साथ प्रतिवेदन पुन: समिति को लौटा दिया कि– समिति का कार्यकाल 25.04.06 तक इस निदेश के साथ विस्तारित किया जाता है कि समिति अपनी अनुशंसा स्पष्ट रूप से दे.

सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या– 949 दिनांक 12.04.06 द्वारा समिति

का कार्यकाल 25.04.06 तक विस्तारित किया गया. इस बीच विभागीय पदाधिकारियों के साथ दिनांक 24.04.06 को समिति की बैठक हुई किन्तु समिति ने ऐसा महसूस किया कि सारे बिन्दुओं पर गहन विमर्श हेतु पुन: समिति के कार्यकाल को विस्तारित करना अनिवार्य है. माननीय संयोजक के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के कार्यकाल को पुन: 15.05.06 तक के लिए विस्तारित करने के लिए आदेश प्रदान किया. इस आदेश के आलोक में अधिसूचना संख्या– 1138 दिनांक 27.04.06 द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक 15.05.06 तक विस्तारित किया गया. दिनांक 24.04.06 की बैठक में विभागीय पदाधिकारियों के साथ समिति ने गहन विमर्श किया.

समिति की बैठक में माननीय संयोजक ने कहा कि नियेल तिर्की साहब ने सवाल उठाया था कि जो टेक्नीकल बिड खोला गया, उसमें मैनहर्ट का टर्न ओवर माँग के अनुरूप नहीं है, जबकि आपलोगों ने जो पेपर दिया था, उसमें उसके द्वारा 2000 करोड़ रूपये का काम दिखाया गया है. इस प्रश्न पर सचिव, नगर विकास विभाग ने समिति को जानकारी दी कि इसमें दो चीजें थी, एक तो टर्न ओवर था और दूसरा उनके द्वारा 5 सालों में कितने सौ करोड़ रूपये का काम किया गया. वर्ल्ड बैंक के नार्म्स के आधार पर जो टेंडर वाला गाईड लाईन था, उसमें सौ नम्बर में 5 नम्बर सिर्फ टर्न ओवर के लिए था. इसके आधार पर तीनों कम्पनियों को 5–5 अंक दिये गये. इसको कमिटि ने तय किया था. जितने मामले बैठक में उठे हैं, उनके सारे प्वाइंटस को लिखित में आप हमको दे दीजिए. नियेल जी ने जो उठाया था, उसका भी जवाब दे दीजिए.

समिति के निदेश के आलोक में सचिव, नगर विकास विभाग ने परामर्शी के लिए की गयी नियुक्ति पर गठित विशेष समिति के लिए सामग्री के रूप में नगर विकास विभाग के संकल्प संख्या– 1412 दिनांक 09.07.05 तथा कार्यालय आदेश संख्या– 40 दिनांक 06.07.05 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया.

सचिव ने समिति को जानकारी दी कि असेंबली में जो बात उठी थी कि बिटॉन कम्पनी का 1996–97 में उद्घाटन हुआ था, उसको 300 करोड़ रूपये का एक्सपीरियेंस नहीं है. मेरा कहना है कि 1997 में कार्य प्रारंभ हुआ और हमलोगों को जून, 2000 से लेकर जून, 2005 तक 5 साल का एक्सपीरियेंस और 300 करोड़ रूपये का टर्न ओवर देखना था. यह कम्पनी 1997 से 2 जून, 2000 तक में 2000 मिलियन डॉलर का काम दिखला रहा था. यानी की करीब–करीब 8000 करोड़ रूपये का काम हुआ.

उसमें लगभग 1,300 करोड़ रूपये का सिवरेज काम किया. यदि हम इसे नहीं भी मानें तो वर्ष 2000 से वर्ष 2004 के बीच के इसके द्वारा सिंगापुर में सिवरेज और ड्रेनेज का काम 92 मिलियन डॉलर और दूसरा 74 मिलियन डॉलर यानी 166 मिलियन डॉलर का काम किया गया, जो लगभग 500 करोड़ रूपये हो जाते हैं. तब भी 300 करोड़ रूपये पूरा हो जाता है.

संयोजक ने जब यह पूछा कि 2000 मिलियन डॉलर का जो सबमिट है वह क्या है तो सचिव, नगर विकास विभाग ने जानकारी दी कि वह प्रोजेक्ट कोस्ट है. चूंकि तीनों कम्पनियों ने 300 करोड़ रूपये से ऊपर का काम किया था, इसलिए टेक्नीकल बिड खोला गया. नम्बरिंग में 50 करोड़ रूपये का टर्न ओवर था, इसलिए इसके नम्बर दे दिया गया. टेन्डर में ऑलरेडी डिफाइन्ड था कि इतने नम्बर देंगे. समिति ने जब यह जानना चाहा कि क्या उन्होंने अरबन एरिया में ड्रेनेज का काम डायरेक्ट किया है तो सचिव, नगर विकास विभाग का उत्तर था– जो पेपर इन्होंने सबमिट किया है, उसमें इनके द्वारा सिंगापुर में 2000 मिलियन डॉलर का काम किया गया है और सिंगापुर तो सारा शहर ही है.

समिति ने जब यह जानना चाहा कि टेन्डर पेपर में सचिव का हस्ताक्षर नहीं है तो सचिव ने समिति को यह जानकारी दी कि जो टेंडर बिकता है, उसमें सचिव हस्ताक्षर करते हैं न कि जो टेंडर ऑथोराइज होता है, उसमें सचिव हस्ताक्षर करेंगे.

समिति की अनुशंसा :–

समिति द्वारा पूछे गये प्रश्नों के आलोक में विभाग द्वारा जो उत्तर उपलब्ध करवाया गया उस उत्तर के गहन मंथन के पश्चात् समिति संतोष व्यक्त करती है, किन्तु इसके कतिपय बिन्दु गहन तकनीकी समीक्षा से सम्बद्ध हैं. अत: समिति यह अनुशंसा करती है कि अपेक्षित तकनीकी जाँच करवाते हुए सरकार आगे की कार्रवाई प्रारंभ करे.''

जाँच समिति के उपर्युक्त प्रतिवेदन और अनुशंसा को देखने से लगता है कि समिति ने विधान सभा द्वारा सौंपे गये दायित्व का सही रूप से निर्वहन नहीं किया. जाँच समिति को यह देखना था कि राँची के सिवरेज–ड्रेनेज निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शी के रूप में मेनहर्ट का चयन अनियमित था या नहीं? विधान सभा में बहस के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने यह आरोप लगाया था. इसके लिए निविदा प्रपत्र और निविदा मूल्यांकन की गहन समीक्षा करना आवश्यक था, ताकि निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके कि निविदा के मूल्यांकन में

और परामर्शी की नियुक्ति में निविदा शर्तों एवं निविदापूर्व बैठक (प्री–बिड मिटिंग) के निर्णयों का पालन हुआ है अथवा नहीं हुआ है? यदि इनका पालन हुआ है तो परामर्शी की नियुक्ति सही है और नहीं पालन हुआ है तो नियुक्ति गलत है. परन्तु इस प्रतिवेदन के अवलोकन से लगता है कि समिति ने जाँच के इन बिन्दुओं पर विचार तक नहीं किया है.

इतना ही नहीं 7, 8 और 9 मार्च 2006 को तीन दिनों तक विधान सभा में इस विषय पर गर्मा–गर्म बहस हुई. 9 मार्च को तो अव्यवस्था का आलम यह था कि हो–हल्ला होने एवं सदस्यों के वेल में आ जाने के कारण सभाध्यक्ष को सदन की कार्यवाही 5 बार स्थगित करनी पड़ी. सदन में हुए वाद–विवाद के क्रम में कतिपय महत्वपूर्ण सूचनाएँ सामने आईं थी, जिन पर विचार होना एवं जिनका विश्लेषण किया जाना आवश्यक था. मगर समिति ने इनका विचार–विश्लेषण तो दूर इनका जिक्र तक प्रतिवेदन में नहीं किया.

इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे. सभी सदस्य वरिष्ठ एवं अनुभवी थे. इसमें विधान सभा में हंगामा मचाने और सदन को बाधित करने वाले दलों के सदस्य भी थे और इस विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना देने वाले सदस्य भी थे. परंतु किसी ने इस तरह के सतही और सदन की विशेष जाँच समिति की अवधारणा का मखौल उड़ाने वाले प्रतिवेदन पर सहमति जताते समय यह ध्यान नहीं रखा कि राज्यहित एवं जनहित से जुड़ी अनियमितता और भ्रष्ट आचरण के प्रतीक इस मामले की जाँच में उनकी भूमिका का विश्लेषण इतिहास किस प्रकार करेगा. विधायिका की किसी समिति द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितता से जुड़े किसी गम्भीर मामले की जाँच का ऐसा सतही प्रतिवेदन देने का उदाहरण शायद ही कहीं और मिले. प्रतिवेदन में तथ्यों की अनदेखी तो की ही गई है, विधान सभा समिति के प्रतिवेदन के परम्परागत स्वरूप की उपेक्षा भी की गई है. विशेष जाँच समिति का यह प्रतिवेदन अत्यंत सतही है.

विधान सभा सत्र के दौरान माननीय सभा अध्यक्ष का स्पष्ट नियमन था कि विशेष जाँच समिति को मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में अनियमितता के आरोप की जाँच करनी है. मगर विशेष जाँच समिति के प्रतिवेदन में न तो अनियमितता के आरोपों का कहीं उल्लेख है और न ही विधान सभा में इस विषय पर हुई विस्तृत चर्चा के किन्हीं बिन्दुओं का समावेश है. विशेष जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन के साथ लगे अनुलग्नकों में भी कोई प्रासंगिक कागजात संलग्न नहीं हैं. समिति के प्रतिवेदन में

सामग्री के रूप में नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये जिन कागजातों का उल्लेख है, वे मेनहर्ट की नियुक्ति संबंधी सामग्री हैं ही नहीं. वे वस्तुतः विशेष जाँच समिति के गठन के संबंध में 6 जुलाई 2005 और 2 जुलाई 2005 को नगर विकास द्वारा निर्गत अधिसूचनायें मात्र हैं.

विधान सभा की समितियाँ आमतौर पर अपने प्रतिवेदन विधान सभा अध्यक्ष को अथवा चलते सदन में विधान सभा को एक परम्परागत स्वरूप में सौंपती हैं. इनके आरम्भ में प्राक्कथन होता है, समिति के गठन का संदर्भ रहता है, समिति की सहायता करने के लिये नियुक्त सभा सचिवालय के अधिकारियों और सहायकों की नामावली रहती है. इसके बाद प्रतिवेदन का प्रारूप, फिर निष्कर्ष और अंत में अनुशंसा रहती है. पर इतने महत्वपूर्ण विषय पर विधान सभा द्वारा गठित इस विशेष जाँच समिति के प्रतिवेदन में इन परम्परागत औपचारिकताओं का निर्वहन तक नहीं किया गया है. अनुशंसा सहित पूरा प्रतिवेदन मात्र तीन पृष्ठों (ए–4 आकार के डेढ़ पन्नों) में सिमटा हुआ है. प्रतिवेदन के साथ जो अनुलग्नक दिये गये हैं, वे नगर विकास विभाग द्वारा समिति के गठन अथवा इसके स्वरुप में हुए परिवर्तन हेतु समय–समय पर जारी संकल्प और अधिसूचनायें भर हैं. विषय की वस्तुस्थिति से इनका कोई लेना देना नहीं है.

इसके अतिरिक्त, नगर विकास विभाग ने जाँच समिति के समक्ष मेनहर्ट की बहाली के संबंध में विभाग द्वारा तैयार किया गया एक विस्तृत विवरण सौंपा था. उसमें उल्लेख था कि इस हेतु निविदा **दो मुहरबंद लिफाफा में आमंत्रित की गई थी. एक लिफाफा तकनीकी योग्यता का और दूसरा वित्तीय लागत का. निविदा के साथ एक अन्य लिफाफा योग्यता का भी मांगा गया था, इसका जिक्र इस प्रतिवेदन में नहीं है.** कारण कि निविदा प्रपत्र में निर्धारित योग्यता के पैमाने पर मेनहर्ट अयोग्य था. इसलिए नगर विकास विभाग ने यह जानकारी समिति से छुपा ली. इस विवरण का कोई उल्लेख विशेष जाँच समिति के प्रतिवेदन में नहीं है. यह प्रतिवेदन महज खानापूर्ति है, जिसमें कतिपय तकनीकी पहलुओं की जाँच करा लेने का जिम्मा उन्हीं पर छोड़ दिया गया है, जिनपर इस मामले में मुख्य दोषी होने का आरोप है. इससे भी अधिक हास्यास्पद तो यह है कि इस विषय में कौन से बिन्दु गहन तकनीकी समीक्षा से संबंधित हैं जिनकी जाँच करानी है? इसका कोई उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है. यानी यह निर्धारित करने का भार भी उन्हें ही दे दिया गया है जिनकी ओर शक की सुई जा रही थी.

विशेष जाँच समिति को विभागीय सचिव ने बताया था कि मेनहर्ट ने सिंगापुर

शहर में काम किया है, जो कि सरासर झूठ है. वस्तुतः इसने सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच के एक छोटे से द्वीप पर स्थित बिंटान रिसोर्ट में किया हुआ अपना काम दिखाया था. प्रतिवेदन में जिस बिंटान कम्पनी का जिक्र है, वह वास्तव में इसी से संबंधित बिंटान रिसोर्ट मैनेजमेंट है. मेनहर्ट ने इस कम्पनी का काम करने का अनुभव प्रमाण–पत्र प्रासंगिक निविदा के साथ बिंटान रिसोर्ट के 'लैटर हेड' पर दिया है. इस प्रमाण–पत्र के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कुछ लोगों ने बिंटान रिसोर्ट मैनेजमेंट से सम्पर्क किया और ई–मेल से यह प्रमाण–पत्र बिंटान मैनेजमेंट कम्पनी के पास सत्यापन हेतु भेजा. बिंटान रिसोर्ट मैनेजमेंट कम्पनी ने इसका उत्तर ई–मेल से भेजा जिसमें कहा गया है कि बिंटान ने 2001 के बाद से कम्पनी का उस लेटर हेड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, जिस लेटर हेड पर मेनहर्ट ने निविदा के साथ अनुभव प्रमाण–पत्र जमा किया है. जबकि मेनहर्ट ने यह प्रमाण–पत्र 2005 में दिया है. यदि यह सही है तो मेनहर्ट ने जालसाजी की है. इसकी गहन जाँच सक्षम जाँच एजेन्सी से कराई जानी चाहिए थी. परन्तु विधान सभा की विशेष जाँच समिति ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया. इस अनुभव प्रमाणपत्र पर किसी 'तेह काब जेंग' का हस्ताक्षर है. बिंटान रिसोर्स मैनेजमेंट का कहना है कि उसके पास 'तेह काब जेंग' नाम का कोई व्यक्ति काम नहीं करता है. बिंटान रिसोर्ट मैनेजमेंट का प्रासंगिक ई–मेल नीचे हू–ब–हू दिया जा रहा है :–

Cc : Caroline Tay carolinetay@bintan-resorts.com

Sent. Tuesday, July 19, 2005 9.50 AM

Subject : Confidential Urgent info Please.

Regardless of the contents of the certificate, I would like to point out that we have stopped using Bintan Resort Management letter head since 2001 and to my best knowledge we do not have a colleague by the name of Teoh Kab Jeng. I have further confirmed this with our Resort Planning Department.

इसका हिन्दी अनुवाद निम्नवत है :–

''प्रमाण–पत्र के विषयवस्तु में गये बिना मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने 2001 से बिंटान रिसोर्ट मैनेजमेंट के लेटर हेड का उपयोग करना बंद कर दिया है और मेरी जानकारी के अनुसार 'तेह कॉब जेंग' नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ काम नहीं करता है. मैंने अपने रिसोर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी इसकी संपुष्टि कर ली है.''

इस ई–मेल के आलोक में मेनहर्ट ने बिंटान रिसोर्ट मैनेजमेंट के लेटर हेड पर कार्य अनुभव का जो प्रमाण–पत्र दिया है, वह संदेह के घेरे में आ जाता है. समिति को इसके बारे में नगर विकास विभाग से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी. नगर विकास विभाग द्वारा भी निविदा निष्पादन के समय इसका संज्ञान नहीं लिया जाना शक को जन्म देता है कि दाल में कुछ–न–कुछ काला जरूर है. इस गंभीर विषय की ओर विधान सभा द्वारा गठित विशेष जाँच समिति द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना विधान सभा अध्यक्ष के नियमन की अवहेलना करने जैसा है.

माननीय सभा अध्यक्ष ने इस मामले की जाँच के लिये विधान सभा की विशेष समिति का गठन तत्परता से किया, जाँच समिति में सदन के सात वरिष्ठ सदस्यों को स्थान दिया, विधान सभा में सवाल उठाने वाले सदस्य को भी समिति का सदस्य बनाया और मार्च माह के अंत तक जाँच प्रतिवेदन सौंपने की समय–सीमा निर्धारित कर दी. परंतु समिति गठित हो जाने के बाद जितनी तत्परता की अपेक्षा माननीय वरीय सदस्यों से थी, वह पूरा नहीं हो सकी. सदन में विषय को जोर–शोर से उठाने वाले माननीय सदस्य, जिन्हें जाँच समिति में स्थान मिला था, वे भी समिति की बैठक में उम्मीद के अनुरूप भूमिका नहीं निभा पाये. विधान सभा की समितियों के साथ अक्सर यह विडम्बना जुड़ी रहती है कि हम जनप्रतिनिधि इनमें समुचित योगदान करने के प्रति गम्भीर नहीं रहते हैं. समिति का पूरा दारोमदार सभापति के कंधों पर छोड़ दिया जाता है. विधानसभा के अधिकारियों और कर्मियों के सहयोग से समिति का प्रतिवेदन तैयार करने की औपचारिकता उन्हें ही निभानी पड़ती है. बाकी सदस्य सदाशयता और भरोसे में प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर देने मात्र तक ही अपनी भूमिका सीमित रखते हैं. मेनहर्ट नियुक्ति प्रकरण में अनियमितता की जाँच करने वाली विधानसभा की विशेष जाँच समिति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ प्रतीत होता है. अन्यथा जिस तरह का सतही, अति संक्षिप्त और बिना ओर–छोर का जाँच प्रतिवेदन इस विशेष जाँच समिति ने सौंपा है, उसकी कल्पना ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों वाली समिति से नहीं की जा सकती.

सार संक्षेप

1. विधान सभा द्वारा मेनहर्ट परामर्शी की बहाली में अनियमितता के आरोपों की जाँच करने के लिए विशेष जाँच समिति गठित की गई थी. इस समिति ने अपने दायित्व का पालन नहीं किया और एक सतही प्रतिवेदन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया.

2. झारखण्ड सरकार के नगर विकास विभाग ने समिति को गुमराह करने के उद्देश्य से मेनहर्ट की बहाली प्रक्रिया का एक विवरण दिया था, जो गलत था. इसमें कहा गया था कि निविदा केवल दो मुहरबंद लिफाफों में मांगी गई थी. एक तकनीकी लिफाफा और दूसरा वित्तीय लागत का लिफाफा. योग्यता वाली एक अन्य लिफाफा भी निविदा के साथ मांगा गया था. इसे विभाग ने समिति से छुपा लिया, क्योंकि इसकी जाँच होने पर मेनहर्ट अयोग्य साबित हो जाता.
3. विशेष जाँच समिति ने गठन के 20 दिन में ही अपना पहला प्रतिवेदन माननीय विधान सभा अध्यक्ष को 31 मार्च 2006 के दिन सौप दिया. जिसे विधान सभा अध्यक्ष असंतोषजनक पाया और स्पष्ट अनुशंसा देने का निर्देश समिति को दिया.
4. जाँच समिति ने विधान सभा की परम्परा के अनुरूप प्रतिवेदन देने की औपचारिकता पूरी नहीं की और प्रतिवेदन को मात्र डेढ़ पन्नों में समेट दिया.
5. समिति ने मेनहर्ट द्वारा निविदा के साथ दिये गये बिंटान रिसोर्ट के कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र की सत्यता जानने और जाँचने का प्रयास नहीं किया.
6. निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तों के आधार पर निविदादाता की योग्यता का मूल्यांकन, तकनीकी मूल्यांकन और वित्तीय लागत के मूल्यांकन की विसंगतियों की जाँच समिति द्वारा नहीं की गई.
7. सरकार की ओर से समिति को सौंपे गये कागजात भ्रामक थे. नगर विकास विभाग ने समिति के समक्ष जो प्रतिवेदन सौंपा था, वह वास्तव में झूठ का पुलिंदा था.
8. कुल मिलाकर विशेष जाँच समिति का प्रतिवेदन सतही, आधारहीन और असंतोषजनक था. नगर विकास विभाग ने समिति का सहयोग नहीं दिया और समिति के समक्ष गलत सूचना पेश किया.

●●●

खण्ड– 4

उच्चस्तरीय समिति का फर्जीवाड़ा

मेनहर्ट की नियुक्ति में अनियमितता की जाँच के लिये गठित विधान सभा की विशेष जाँच समिति द्वारा दिया गया प्रतिवेदन जितना सतही था और भ्रामक तथ्यों पर आधारित था, उससे भी अधिक सतही इस समिति की अनुशंसा थी. समिति की अनुशंसा थी कि **''इसके कतिपय बिन्दु गहन तकनीकी समीक्षा से संबद्ध हैं. अत: समिति अनुशंसा करती है कि अपेक्षित तकनीकी जाँच करवाते हुए सरकार आगे की कार्रवाई प्रारम्भ करे.''** यानी मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति मामले में सरकार कतिपय बिन्दुओं की तकनीकी जाँच करा ले, इसके बाद आगे की कारवाई करने के बारे में निर्णय ले. विधानसभा की विशेष जाँच समिति ने अपने प्रतिवेदन में इन तकनीकी बिन्दुओं को रेखांकित नहीं किया था. यह नहीं बताया कि वे कौन से बिन्दु हैं जिनकी तकनीकी समीक्षा करनी आवश्यक है? समिति ने इस बारे में केवल कतिपय शब्द का इस्तेमाल करके अपनी जिम्मेदारी पूरा हुआ मान लिया.

सरकार ने भी कतिपय तकनीकी बिन्दुओं को स्पष्ट करने के लिये समिति से जानकारी नहीं प्राप्त किया. सरकार द्वारा अपने बुद्धि–विवेक से इसकी जाँच के लिये तीन अभियंताओं की एक समिति गठित कर दी गई, जिसे **'उच्चस्तरीय तकनीकी समिति'** कहा गया. इस समिति को भी यह नहीं बताया गया कि उसे किन बिन्दुओं की तकनीकी समीक्षा करनी है. फिर भी इस समिति ने प्रतिवेदन दिया और अपने प्रतिवेदन में सरकार को क्लिन चिट दे दी और कहा कि–''मेनहर्ट की नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं हुई है.'' उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा निम्नवत है :–

''उच्चस्तरीय तकनीकी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि परामर्शी की नियुक्ति में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन हुआ है. पारदर्शिता अपनाते हुए सभी को इस कार्य में भाग लेने का अवसर दिया गया है. तकनीकी उपसमिति ने सभी प्रस्तावों को स्वतंत्र रूप से आर.एफ.पी. में निहित शर्तों एवं सभी निविदादाताओं का मूल्यांकन विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया है. निगोसिएशन की प्रक्रिया भी पारदर्शी रही है तथा निविदा का दर भी कार्यभार एवं निर्धारित समय सीमा के आलोक में इकोनॉमिकल एवं व्यावहारिक प्रतीत होता है.''

उच्चस्तरीय तकनीक समिति के प्रतिवेदन और अनुशंसा पर एक नजर डालने से पता चलता है कि इसने मामले पर लीपापोती करने का शर्मनाक प्रयास किया है.

यह प्रयास इसने नगर विकास विभाग के प्रभाव में आकर किया है. उल्लेखनीय है कि 2009 में राष्ट्रपति शासन के दौरान माननीय राज्यपाल के सलाहकार ने इस मामले की जाँच करने का निर्देश निगरानी आयुक्त को दिया था. निगरानी आयुक्त के निर्देशानुसार निगरानी विभाग के 'तकनीकी परीक्षण कोषांग' ने इसकी जाँच किया. अपनी जाँच में कोषांग ने उच्चस्तरीय समिति की इस अनुशंसा को गलत ठहराया जो इस पुस्तक के खंड 10 से खंड 14 तक में अंकित है.

इस उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक बनाये गये थे श्री एस.पी. सिन्हा. श्री सिन्हा मूलत: जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता थे, परंतु उस समय नगर विकास विभाग के अधीन ''राँची रिजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरआरडीए)'' में मुख्य अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्त थे. इनके अतिरिक्त समिति में दो अन्य सदस्य नामित किये गये थे. एक सदस्य श्री घूरन राम, अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग थे जो सेवा के आरम्भिक काल में श्री एस. पी. सिन्हा (संयोजक) से जूनियर हुआ करते थे, पर अनुसूचित वर्ग श्रेणी में होने के कारण प्रोन्नति पाकर वे उनसे सीनियर हो गये थे. समिति के दूसरे सदस्य बनाये गये थे श्री निर्मल कुमार केडिया, अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग. कायदे से पदक्रम में वरीयतम होने के नाते अभियंता प्रमुख श्री घूरन राम को समिति का संयोजक बनाया जाना चाहिये था. परंतु उन्हें नहीं बनाकर सरकार ने पदक्रम में उनसे कनीय श्री एस.पी. सिन्हा को संयोजक बना दिया गया. ऐसा क्यों किया गया, इसका उत्तर तत्कालीन नगर विकास विभाग के तत्कालीन माननीय मंत्री या सचिव ही दे सकते हैं.

उच्चस्तरीय समिति को 24 मई 2006 को जांच का आदेश मिला और समिति ने 28 मई 2006 को जांच प्रतिवेदन सौंप दिया. विधान सभा की कार्यान्वयन समिति ने इस समिति के सदस्यों को पूछताछ के लिये 17 नवम्बर 2006 को बुलाया। पूछताछ में उन्होंने कार्यान्वयन समिति को जो बताया, वह चौंकाने वाला है. उसका संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया गया है. समिति ने जानना चाहा कि इस उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का अधिकार क्या था तथा समिति को किन–किन बिन्दुओं पर विचार करना था? इस पर संयोजक ने बताया कि हमें सब कुछ देखना था. उन्होंने निविदा में अंकित योग्यता की शर्तों को पढ़कर सुनाया, जो निम्नवत है:–

"A quality based procedure shall be followed for selection of technical proposals for the firms that meet the eligibility criteria. The minimum essential requirement in respect of eligibility has been indicated below. Proposal deficient in any of these requirements will not be considered for further evaluation."

यानी ''जो निविदा प्रस्ताव इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (योग्यता के मापदंड) के किसी भी एक बिन्दु पर अपूर्ण पाया जायेगा उसका इवेल्यूएशन (मूल्यांकन) आगे नहीं होगा.''

उनसे पूछा गया कि राँची नगर निगम के प्रशासक निविदा का शुरूआती मूल्यांकन करने वाली तकनीकी उपसमिति के अध्यक्ष थे. उन्होंने तुलनात्मक विवरणी बनाकर मुख्य समिति के पास भेजा था, जिसके पहले पेज के पहले कॉलम में लिखा है कि–''ऐनुअल एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट थ्री इयर्स 40 करोड़ या उससे अधिक'' होना चाहिए. लेकिन मेनहर्ट ने केवल दो वर्ष का ही टर्न ओभर दिया है. इस पर संयोजक का उत्तर था कि, ''ये जो हमारी कमिटि में आया है, उससे हम डिफर कर रहे हैं.'' उनसे पुन: पूछा गया कि मेनहर्ट के द्वारा वर्ष 2004–05 के टर्न ओभर का विवरण नहीं दिया गया था. इसलिये मेनहर्ट के टेंडर पर आगे विचार नहीं होना चाहिए था. तब मुख्य अभियंता–सह–समिति के संयोजक ने माना कि थोड़ी गलती हुई है.

उच्चस्तरीय तकनीकी समिति से पूछा गया कि आपने प्रतिवेदन में क्यू.बी.एस. पद्धति के पक्ष में बहुत से तर्क दिये हैं, लेकिन इवैल्यूएशन थ्री स्टेज में हुआ इसका जिक्र उक्त प्रतिवेदन में क्यों नहीं किया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार इसमें इरेगुलरिटी कहाँ है? इस पर मुख्य अभियंता ने बताया कि–**प्रोपोजल दो ही तरह का मांगा गया था, एक टेक्निकल तथा दूसरा फाईनेंसियल।** इस पर समिति ने कहा कि आप एक ही लाईन पढ़ रहे हैं. तब उन्होंने प्रतिवेदन की कंडिका–3 और 4 को पढ़ा. जिसमें लिखा हुआ था कि–आर.एफ.पी. के अनुसार योग्यता हेतु निर्धारित तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर 40 करोड़ की सीमा पार कर लेने के कारण सभी को बराबर अंक दिये गये हैं. तब उनसे कहा गया कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि निविदा में एक प्रोपोजल योग्यता का भी था. इस पर वे चुप रहे.

कार्यान्वयन समिति ने संयोजक से पूछा कि आपकी समिति जब गठित हुई थी और विभाग द्वारा जो कागजात आपकी समिति को उपलब्ध कराये गये थे, उनमें तकनीकी उपसमिति द्वारा तैयार की गई तुलनात्मक विवरणी थी या नहीं? इस पर मुख्य अभियंता–सह–संयोजक का उत्तर था कि हमलोगों को केवल इवैल्यूएशन चार्ट ही मिला था, तुलनात्मक विवरणी नहीं. पुन: कार्यान्वयन समिति ने पूछा– आपने अपने प्रतिवेदन की कंडिका–4 में लिखा है कि निविदा का गहन अध्ययन कर मूल्यांकन किया गया है और सभी को निर्धारित अंक दिये गये हैं. समिति जानना

चाहती है कि जब तुलनात्मक विवरणी आपको उपलब्ध ही नहीं कराया गया तो आपने कैसे उसका गहन अध्ययन किया? इस पर अधीक्षण अभियंता (श्री निर्मल केडिया) का कहना था कि तुलनात्मक विवरणी उन्हें नहीं उपलब्ध कराई गई.

उनसे अगला प्रश्न था कि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति ने क्यू.बी.एस. पद्धति की अपने प्रतिवेदन में काफी प्रशंसा की है तथा उसे सर्वोत्कृष्ट ठहराया है, तो आप बतायें कि–जब विश्व बैंक की चयन प्रक्रिया को अपनाया गया तो उसके मार्गदर्शिका का पालन हुआ अथवा नहीं? अपने प्रतिवेदन में आपने 11 बिन्दु अंकित किया है. इन 11 बिन्दुओं को आपने कहाँ से निकाला? इस पर मुख्य अभियंता सह संयोजक का उत्तर था कि उन 11 बिन्दुओं को मार्गदर्शिका से निकाला गया था. इस पर उन्हें बताया गया कि मार्गदर्शिका में तो ये बिन्दु हैं ही नहीं. जब आपने परामर्शी के रूप में मेनहर्ट के चयन को अपने प्रतिवेदन में सही ठहरा ही दिया था तो इसको और अधिक सही ठहराने के लिए असत्य उद्धृत करने की क्या आवश्यकता थी? इस पर संयोजक ने मौन साध लिया.

कार्यान्वयन समिति ने उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के एक अन्य सदस्य श्री निर्मल कुमार केडिया, अधीक्षण अभियंता से जानना चाहा कि इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस पर श्री केडिया ने स्पष्ट किया कि उसी दिन मेरी माँ का देहान्त हो गया था. उस दिन हम थोड़ा उलझे हुए थे, लेकिन इस फाईल को मेरे द्वारा देखा गया है. इसमें एलिजिबिलिटी (योग्यता) का मूल्यांकन दिया गया है, जो सबों के लिए एक ही है.

आगे मुख्य अभियंता–सह–संयोजक से पूछा गया कि क्यू.बी.एस. पद्धति में व्यय अधिक रहने की संभावना रहती है या नहीं? आपके प्रतिवेदन में अनु.–1 का जिक्र है, यह अनु.–1 क्या है? तो इस पर मुख्य अभियंता ने बताया कि अनुलग्नक –1 मेरे पास है, जो तकनीकी उपसमिति की तुलनात्मक विवरणी थी. तब इस पर समिति ने उनसे पूछा कि पहले आपने कैसे कहा कि इस तुलनात्मक विवरणी को आपने नहीं देखा है और आपको यह उपलब्ध नहीं करायी गयी थी? समिति ने फिर पूछा कि क्या मूल्यांकन की सभी प्रक्रियाओं पर बात हुई है? इस प्रश्न पर मुख्य अभियंता का जवाब था कि हम इस संबंध में थोड़ा डिफर करते हैं. तब समिति ने पुन: प्रश्न किया कि कभी आप कहते हैं कि कागजात नहीं मिला है, कभी कहते हैं कि डिफर करते हैं. जब आपको कागजात ही नहीं मिला तो डिफर कैसे किया? इस पर उन्होंने चुप्पी साध लिया.

कार्यान्वयन समिति ने इसी क्रम में श्री घूरन राम, अभियंता प्रमुख से जानना चाहा कि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक जो कह रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं या डिफर कर रहे हैं? इस पर अभियंता प्रमुख का उत्तर था कि **''जिस दिन रिपोर्ट देना था उसके एक दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि मुझे इसका सदस्य बनाया गया है.** उन्होंने संयोजक की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये हमारे सीनियर रहे हैं, इन्होंने जो लिखा था उसको मुझे एक्सप्लेन किया.''

उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक से पूछा गया कि आपके प्रतिवेदन में उल्लेख है कि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति को कागजात उपलब्ध कराने में पूरी पारदर्शिता बरती गई है. इस पर मुख्य अभियंता का उत्तर था कि हमें ''दो बीड दिया गया, इसके पहले जो हुआ है वह नहीं पता है.'' अधीक्षण अभियंता श्री केडिया का जवाब था कि जो पारदर्शिता की बात हमने कही है, वह तकनीकी मूल्यांकन से संबंधित चीजों के बारे में है और अन्य जो क्राइटेरिया था जैसे परामर्शी की योग्यता, चूंकि इसके बारे में प्रासंगिक कागजात हमारे समक्ष नहीं आये थे, इसलिए प्रतिवेदन में वो बात आई.

इसके बाद कार्यान्वयन समिति ने उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का ध्यान तकनीकी मूल्यांकन चार्ट (परि.–14) की ओर आकृष्ट करते हुए जानना चाहा कि इसमें श्री शशि रंजन कुमार ने जी.के.डब्ल्यू. को 80.77 अंक दिया है, जबकि श्री के.पी.शर्मा, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं श्री उमेश कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियंता ने क्रमश: 49.89 और 63.47 अंक दिया है. रिपोर्ट में एक ही प्रकार के तथ्यों के मूल्यांकन के संबंध में इतना अंतर कैसे है? इस ओर आपका ध्यान गया था कि नहीं? आपकी रिपोर्ट के अनुसार आपने इसका गहन अध्ययन किया है.

इस पर मुख्य अभियंता सह संयोजक ने इसे स्वीकार करते हुए बताया कि 80 और 49 का यह अंतर ज्यादा है. यह कुछ उल्टा दिख रहा है, इस ओर ध्यान नहीं गया. इतने बड़े अंतर की ओर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि अंतर तो कम अंकों का होना चाहिए. इस पर मुख्य अभियंता ने स्वीकार करते हुए कहा–''जी महोदय.''

फिर कार्यान्वयन समिति ने कहा कि– दो व्यक्तियों द्वारा किये गये मूल्यांकन में एक ने मेनहर्ट को अधिकतम अंक दिया है, वहीं पर एक अन्य ने न्यूनतम दिया है. पहले मूल्यांकनकर्ता ने मेनहर्ट, सिंगापुर को 78.59 एवं 74.84 दिया है, वहीं पर दूसरे ने उसी को 90.45 एवं 92.66 दिया है. यह प्रशासक और कार्यपालक अभियंता

का मूल्यांकन है, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या इसमें पारदर्शिता बरती गई? आपके प्रतिवेदन में पारदर्शिता शब्द दुहराया गया है, लेकिन मूल्यांकन चार्ट में पारदर्शिता कहीं दिखाई नहीं देती है. विधान सभा की विशेष जाँच समिति ने जितना भरोसा करके आपसे कतिपय तकनीकी बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन सौंपने को कहा था, आपने उसके साथ न्याय नहीं किया है. जो प्रतिवेदन आपलोगों ने तैयार किया है, वह प्रतिवेदन स्तरीय नहीं है. इसमें आपलोगों ने अनावश्यक रूप से सरकार के निर्णय का बचाव करने का प्रयास किया है और हर स्तर पर मुख्य अभियंता–सह–संयोजक द्वारा चयन प्रक्रिया की इतनी प्रशंसा की गई है जो इसके लिए आवश्यक प्रतीत नहीं हो रही है. यहाँ पर इस संदर्भ में आपने केवल सरकार की अच्छाईयाँ ही दिखाई है, 'भाईटल फैक्ट' को आपने छुपा दिया है.

इसके बाद कार्यान्वयन समिति ने इस उच्चस्तरीय तकनीकी जाँच समिति के गठन के संबंध में जानना चाहा. पूछा कि आपको जाँच के लिए कब निर्देश मिला। इस पर मुख्य अभियंता सह संयोजक का जवाब था कि 24.5.06 को निर्देश मिला था और हमने 28.05.06 को प्रतिवेदन दे दिया. फिर समिति ने पूछा कि मात्र 3 दिन में आपलोगों ने प्रतिवेदन तैयार कर लिया तो हमें बतायें कि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की कितनी बैठकें हुई? अलग–अलग फाईल बनाकर तीनों सदस्यों को आपके द्वारा कागजात भेजा गया था अथवा नहीं? इस पर अभियंता प्रमुख (श्री घूरन राम) का जवाब था कि ''नहीं भेजा गया था, सभी कागजात संयोजक के पास थे.'' इस पर संयोजक द्वारा बताया गया कि एक दिन फाईल हम छोड़ दिये थे. समिति ने पुन: जानना चाहा कि तीनों सदस्यों से आपका विमर्श हुआ? इस पर मुख्य अभियंता ने कहा, ''महोदय, श्री घूरन राम के यहाँ फाईल दिनांक 27.05.06 को दी थी. इस पर अभियंता प्रमुख (श्री घूरन राम) ने कहा कि मैंने रिपोर्ट पर केवल दस्तखत किया है, संचिका नहीं दी गई थी और रिपोर्ट पर ही साईन करने को कहा गया था. ऐसी स्थिति में केवल प्वाइंट पढ़कर साईन कर दिया था.

कार्यान्वयन समिति ने संयोजक से जानना चाहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय से संबंधित यह संचिका थी, इस पर विचार करने के लिए तथा इसका अध्ययन–विश्लेषण करने के लिए आपको कितना समय मिला? इस पर मुख्य अभियंता सह संयोजक ने कहा कि नगर विकास विभाग में मैं पहले से था और इस विषय के बारे में मैं जानता था. इस उत्तर पर समिति ने कहा कि तब तो आपको संयोजक बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप सभी तथ्यों से अवगत थे. इस पर मुख्य अभियंता

का कहना था कि पेपर (समाचार पत्र) में इसके बारे में जो बातें छपती रहती थी, उसी को पढ़कर मुझे जानकारी होती थी. इस पर समिति ने कहा कि पेपर में तो इस बारे में केवल आलोचना ही निकलती थी, लेकिन आपने तो रिपोर्ट में केवल प्रशंसा की है. आपने तीन दिनों में ही रिपोर्ट तैयार कर दिया. अगर आप डिस्कशन करते तो कम से कम 3–4 दिन उसमें लगते कि नहीं? संयोजक के नाते रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको कितना समय मिला? आपको तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए मात्र एक–डेढ़ दिन ही मिला. इसका मतलब हुआ कि सदस्यों के बीच सहमति बनने के पूर्व ही आज की यह रिपोर्ट तैयार थी?

कार्यान्वयन समिति ने संयोजक से पूछा कि क्या पूर्व में विधान सभा की विशेष जाँच समिति को एक तथ्यात्मक विवरणी सरकार ने इस बारे में दिया था, जिसमें यह निविदा केवल दो मुहरबंद लिफाफों में देने की बात कही गई है. इस संबंध में मुख्य अभियंता–सह–संयोजक ने स्पष्ट किया कि **जब फाईल दिया गया, उस समय भी इसमें दो ही चीज कहा गया था. इसका नहीं पता था कि तीन लिफाफा में निविदा आनी थी.** इस पर समिति का कहना था कि आपने केवल दो दिन में रिपोर्ट तैयार करा दिया, इस जिम्मेदारी को आपने काफी हल्के से लिया. यह विधान सभा से निर्देशित कार्य था. यह केवल सरकार का काम नहीं था. आपने तो इस प्रतिवेदन में मेनहर्ट को बचाने की भरपूर कोशिश की है. इस संबंध में उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का संयोजक होने के नाते और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप इसके लिए स्वतंत्र है, आप अपनी बात रखिये. इस पर मुख्य अभियंता ने कहा कि **समिति के सामने दो ही प्रोपोजल थे, एक टेक्निकल तथा दूसरा फाईनेंशियल बीड. उसी की जाँच की गई जो इस संचिका में आया था.**

कार्यान्वयन समिति ने उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक के संबंध में अपना मंतव्य अंकित कराया, जो निम्नवत है :–

''प्रासंगिक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के 3 सदस्य विगत 17 नवम्बर 2006 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे. इनके मंतव्य समिति की बैठक की कार्यवाही में अंकित है जिससे स्पष्ट होता है कि समिति के एक सदस्य श्री घूरन राम को संचिका नहीं भेजी गयी. उन्हें संचिका दिखायी गयी और रिपोर्ट पर ही साईन करने को कहा गया. एक अन्य सदस्य श्री केडिया ने कहा कि उनकी माता जी के देहान्त के कारण वे पूरा समय नहीं दे सके थे. एक दिन संचिका देखकर संतुष्ट हुए. इस उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक द्वारा समिति के समक्ष दिए गए मंतव्य

परस्पर विरोधी हैं. इससे सिद्ध होता है कि उनके द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण है और तथ्यों को ध्यान में रखे बगैर तैयार किया गया है. समिति के अन्य दो सदस्यों को जाँच प्रतिवेदनों पर ध्यान देने का पूरा मौका नहीं दिया गया. उनका यह आचरण अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही का द्योतक है. विधान सभा की विशेष जाँच समिति द्वारा इंगित प्रासंगिक विषय के तकनीकी पहलुओं की जाँच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के संयोजक के नाते उन्होंने विधान सभा की विशेष जाँच समिति की अनुशंसा में निहित निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया है. इसके लिए वे स्वयं पूर्णत: जिम्मेदार हैं. समिति नगर विकास विभाग के सचिव को निर्देश देती है कि वे उच्चस्तरीय समिति के संयोजक सह मुख्य अभियंता, आर.आर.डी.ए. के आचरण की जाँच करें और इस संबंध में सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपना मंतव्य भेजें या अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करें.''

समिति के इस निदेश के आलोक में संयोजक, सह मुख्य अभियंता आर.आर.डी.ए. के आचरण की जाँच एवं उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सभा सचिवालय के पत्रांक 5347 दिनांक 06.12.2006 द्वारा सरकार के नगर विकास विभाग को पत्र भेजा गया. इस पत्र के आलोक में की गई कार्रवाई की सूचना आज तक अप्राप्त है. अर्थात इस पर कोइ कारवाई नहीं की गई.

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या– कार्या. सं. 03/06–5347/वि.स.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची.

सेवा में,

सचिव,
नगर विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची.

राँची, दिनांक – 06 दिसम्बर, 2006

विषय : सदन द्वारा गठित विशेष समिति की अनुशंसाओं के आलोक में क्रियान्वयन हेतु नगर विकास विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक–

सह–तत्कालीन मुख्य अभियंता, आर.आर.डी.ए. की आचरण की जाँच करने और कार्रवाई हेतु सरकार को आवश्यक मंतव्य भेजने के संबंध में.

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि झारखण्ड विधान सभा की कार्यान्वयन समिति दिनांक 17.11.06 को उच्चस्तरीय तकनीकी की समिति के संयोजक एवं सदस्य के साथ विचार–विमर्श की थी, विचार–विमर्श के क्रम में समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि समिति के एक सदस्य श्री घूरन राम को उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के सदस्य होने के बावजूद संचिका नहीं दी गई और रिपोर्ट पर ही साईन करने को कहा गया. एक अन्य सदस्य श्री निर्मल कुमार केडिया द्वारा बताया गया कि उनकी माताजी के देहान्त हो जाने के कारण वे पूरा समय नहीं दे सके थे. एक दिन संचिका देखकर संतुष्ट हुए. उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक का समिति के समक्ष दिये गये मंतव्य भी परस्पर विरोधी है. इस पर समिति का मत गठित हुआ है कि तैयार किया गया उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण है, तथ्यों को ध्यान रखे बगैर तैयार किया गया है. समिति के अन्य दो सदस्यों को विषयवस्तु पर ध्यान देने का पूरा मौका नहीं देने के कारण संयोजक का आचरण अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है. विधान सभा की विशेष समिति के द्वारा प्रासंगिक विषय के तकनीकी पहलुओं की जाँच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति के संयोजक के नाते उन्होंने विधानसभा की विशेष जाँच समिति की अनुशंसा में निहित निर्देश को गम्भीरता से नहीं लिया. तथ्यों की छान–बीन और विश्लेषण के उपरांत की गई अनुशंसा के लिए वे स्वयं पूर्णत: जिम्मेदार है.

इस पर दिनांक 01.12.06 की बैठक में समिति द्वारा सचिव, नगर विकास विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक सह तत्कालीन मुख्य अभियंता, आर.आर.डी.ए. के आचरण की जाँच कर उनके संबंध में कार्रवाई हेतु आवश्यक मंतव्य सरकार को भेजे.

अत: आपसे अनुरोध है कि समिति के निर्देश के अनुसरण में ली गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराने की कृपा की जाय.

विश्वासभाजन
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची.

सार संक्षेप

1. उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन अनियमितता के सबूतों पर लीपापोती करने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है.
2. उच्चस्तरीय तकनीकी समिति ने स्वीकार किया है कि निविदा मूल्यांकन का जो विवरण उसे नगर विकास विभाग द्वारा दिया गया उसमें निविदा दो ही लिफाफों में देने का उल्लेख था. एक तकनीकी लिफाफा और दूसरा वित्तीय लिफाफा.
3. इस समिति को भी सरकार ने योग्यता वाले लिफाफा के बारे में नहीं बताया. कारण कि योग्यता के मापदंड के आधार पर मेनहर्ट अयोग्य था. इस समिति और मेनहर्ट की नियुक्ति में अनियमितता के दोषियों के बीच सांठ–गांठ प्रतीत होता है.
4. विधान सभा की विशेष जाँच समिति को भी और जाँच समिति की अनुशंसा के तकनीकी बिन्दुओं की जाँच करने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति को भी नगर विकास विभाग ने गुमराह किया है, प्रभावित किया है, यह एक आपराधिक कृत्य है.
5. उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक एवं दो अन्य सदस्य तत्पर रहते और सही रिपोर्ट देते तो अयोग्य मेनहर्ट की नियुक्ति उसी क्षण रद्द हो जाती. सरकार के भ्रष्ट आचरण का यह ज्वलंत उदाहरण है. अयोग्य होने के बावजूद मेनहर्ट की नियुक्ति उच्चस्तरीय साजिश का परिणाम है.

●●●

खण्ड–5

निविदा शर्तों में गैरकानूनी परिवर्तन

'ओआरजी और स्पैन ट्रायवर्स मॉर्गन' को रास्ते से हटाने के बाद झारखण्ड सरकार के नगर विकास विभाग ने राँची शहर के सिवरेज ड्रेनेज निर्माण एवं पर्यवेक्षण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये परामर्शी का चयन करने हेतु 30 जून 2005 को एक ग्लोबल टेंडर (वैश्विक निविदा) प्रकाशित किया. इसका निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2005 थी. निविदा की शर्तों एवं तकनीकी विशिष्टियों को समझने–समझाने के लिये निविदा पूर्व (प्रि–बिड) बैठक 18 जुलाई 2005 को विभागीय सचिव के कक्ष में हुई. इस बैठक में निविदा प्रपत्र का क्रय करने वाली फर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुये और निविदा प्रपत्र के विविध पहलुओं पर अपना सुझाव दिया. उन्होंने प्रपत्र में कतिपय संशोधन भी पेश किया, जिनमें से कुछ को सरकार ने स्वीकार भी किया.

इस आलोक में 4 निविदादाताओं ने निविदा प्रपत्र भर कर जमा किया. निविदा प्रपत्र भर कर जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2005 को अपराह्न 4 बजे तक थी. तदुपरांत निविदा प्रपत्रों का मूल्याँकन हुआ. सरकार ने मूल्याँकन के लिये एक तकनीकी उपसमिति गठित किया. राँची नगर निगम के प्रशासक को इस तकनीकी उपसमिति का अध्यक्ष और दो कार्यपालक अभियंताओं, श्री के.पी.शर्मा और श्री उमेश गुप्ता को सदस्य नामित किया. इसके अतिरिक्त चार सदस्यों वाली उच्चस्तरीय मुख्य समिति बनाई गई. इसमें नगर विकास विभाग, वित्त विभाग और भवन निर्माण विभाग के सचिव और पथ निर्माण विभाग के केन्द्रीय निरूपण संगठन के मुख्य अभियंता सदस्य रखे गये.

यह निविदा विश्व बैंक के क्वालिटि बेस्ड सिस्टम (QBS) अर्थात गुणवत्ता आधारित प्रणाली पर आधारित थी. इस प्रणाली में निविदा तीन मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित की जाती है. पहले लिफाफा में निविदादाताओं से उनकी योग्यता की विशिष्टियां, दूसरे लिफाफा में उनकी तकनीकी विशिष्टियां और तीसरे लिफाफा में कार्य की वित्तीय लागत मांगी जाती है. निविदा प्रपत्र में योग्यता और तकनीकी उत्कृष्टता के मापदंड निर्धारित रहते हैं. योग्यता के मापदंड पर खरा उतरने वाले निविदादाताओं के ही तकनीकी लिफाफे खोले जाते हैं. योग्यता के एक भी मापदंड पर अपूर्ण रहने वाले निविदादाता के तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे नहीं खोले जाते. उन्हें

निविदा प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता हैं. इसके बाद निविदा का तकनीकी मूल्यांकन होता है. जो निविदादाता तकनीकी मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है, केवल उसी का वित्तीय लिफाफा खोला जाता है. यानी इस प्रणाली में वित्तीय प्रतिस्पर्धा नहीं होती है. इसलिये निविदा में भाग लेनेवाला प्रत्येक निविदादाता वित्तीय लागत बढ़ा–चढ़ा कर पेश करता है. फलतः परियोजना के निर्माण में लागत अधिक आती है. यह प्रणाली अतिविशिष्ट प्रकार की संरचनाओं के निर्माण हेतु आमंत्रित निविदाओं में प्रयुक्त की जाती है. जैसे हवाई जहाज, पनडुब्बी, युद्धक विमान, रॉकेट आदि. इसके अतिरिक्त सामान्य विशिष्टयों वाले निर्माण कार्यो के लिये परामर्शी का चयन करने के लिये विश्व बैंक की एक अन्य प्रणाली भी है, जिसे क्युबीसीएस (QBCS) यानी क्वालिटी एवं कॉस्ट बेस्ड सिस्टम (गुणवता एवं लागत आधारित प्रणाली) कहा जाता है. इसमें योग्यता और तकनीकी विशिष्टता के साथ ही लागत में भी निविदादाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है. जिस कारण परियोजना की लागत कम से कम आती है. झारखंड राज्य में आम तौर पर यही निविदा प्रणाली अपनाई जाती है.

राँची शहर के लिये सिवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण का कार्य अतिविशिष्ट श्रेणी में आता है या नहीं इस पर भिन्न–भिन्न विचार हो सकते हैं. परंतु झारखण्ड सरकार के नगर विकास विभाग ने इसे अतिविशिष्ट श्रेणी का कार्य माना और यह कार्य सम्पन्न कराने हेतु एक अदद परामर्शी नियुक्त करने के लिये विश्व बैंक की गुणवता आधारित प्रणाली (QBS) अपनाया. **इसके लिए प्रकाशित निविदा प्रपत्र में अंकित था कि निविदा तीन मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित की जा रही है. निविदादाता एक लिफाफा में अपनी योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे. दूसरे लिफाफा में अपनी तकनीकी क्षमता का प्रमाण देंगे. तीसरे लिफाफा में कार्य की लागत के बारे में अपनी इच्छा अभिव्यक्त करेंगे.**

निविदा प्रपत्र के आरम्भ में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ था कि निविदा प्रपत्र में अंकित योग्यता के किसी भी एक बिन्दु पर निविदादाता की योग्यता कम पडेग़ी, यानी वह अपूर्ण होगा, तो वह आगे की प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिये अयोग्य माना जायेगा और उसका तकनीकी लिफाफा नहीं खोला जायेगा. वह प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जायेगा. प्रासंगिक निविदा प्रपत्र की कंडिका 3.1.3 में इस बारे में अंगरेजी में जो लिखा हुआ था, वह निम्नवत् है :–

3.1.3 The minimum essential requirement in respect of eligibility has been

indicated below. Proposal deficient in any of these requirements will not be considered for further evaluation.

1. **Minimum experience requirement :-** Project Management Consultancy of at least one Urban Sewerage and Drainage System during the last five years with total estimated project cost of Rs 300 crores.

2. **Annual average turnover :-** Annual turnover (average of last 3 years of the bidder should be equal to or more than Rs. 40 crore and the bidder should have been making a continued profit in the last 3 years.

निविदा में योग्यता की उपर्युक्त दो शर्तें महत्वपूर्ण थीं. एक, निविदादाता के विगत तीन वर्षों का औसत टर्न ओभर 40 करोड़ रूपया से कम नहीं होना चाहिये. दूसरा, निविदादाता द्वारा विगत 5 वर्षो में सिवरेज और ड्रेनेज के क्षेत्र में कम से कम 300 करोड़ रूपये का परामर्शी कार्य करने का अनुभव होना चाहिये. जो निविदादाता योग्यता की इन शर्तों को पूरा करते, उन्हीं का तकनीकी लिफाफा खुलता और निविदा में वर्णित तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर उनकी तकनीकी क्षमता आंकी जाती. तकनीकी मूल्यांकन में जो निविदादाता सर्वाधिक अंक लाता, केवल उसी का वित्तीय लिफाफा खोला जाता और वित्तीय निगोशियेसन (दर वार्ता) के उपरांत उसे कार्य आदेश दे दिया जाता.

निविदा प्रपत्रों के मूल्यांकन में क्या हुआ और मूल्यांकन कैसे हुआ यह सरकार को समर्पित तकनीकी उपसमिति के प्रतिवेदन से समझा जा सकता है. तकनीकी समिति ने निविदा प्रपत्र भरने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा की शर्तों के अनुसार योग्य नहीं पाया. निर्णय किया कि यह निविदा रद्द कर दी जाय और दूसरी निविदा QCBS यानी गुणवता एवं लागत आधारित प्रणाली पर निकाली जाय. यह निर्णय इस संबंध में दिनांक 12.8.2005 को इस हेतु आमंत्रित निविदा प्रस्तावों की समीक्षा हेतु गठित तकनीकी समिति की बैठक में लिया गया. इसमें 1. सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची, अध्यक्ष, 2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची, सदस्य, 3. प्रशासक, राँची नगर निगम, सदस्य, 4. मुख्य अभियंता, सी.डी.ओ, पथ निर्माण विभाग उपस्थित हुए. इस बैठक की कार्यवाही निम्नवत है :–

''आज दिनांक 12.08.2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे राँची नगर निगम के लिए समेकित सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कन्सलटेंट के चयन हेतु आमंत्रित निविदा में प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सचिव, नगर विकास

विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की एक बैठक सम्पन्न हुई. बैठक में सरकार द्वारा गठित तकनीकी उप–समिति के अध्यक्ष (प्रशासक, राँची नगर निगम) के द्वारा तकनीकी प्रस्तावों के आंशिक मूल्यांकन के उपरान्त एक तुलनात्मक विवरणी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई. समिति के द्वारा उक्त तुलनात्मक विवरणी पर विचार किया गया. यह पाया गया कि चारों में से कोई भी निविदादाता बीड डॉक्यूमेंट में पूर्व से निर्धारित Essential minimum qualifying criteria को fulfil नहीं करते है. इस तरह उप–समिति ने सभी निविदादाताओं के तकनीकी प्रस्तावों को Non-responsive पाया है. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में समिति द्वारा राँची नगर निगम की समेकित सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित निविदाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया. यह भी निर्णय लिया गया कि इस परियोजना के लिए पुन: निविदा आमंत्रित करने के पूर्व बीड डॉक्यूमेंट में यथा–वर्णित विभिन्न शर्तों में आवश्यक परिवर्तन (परिवर्द्धन) करना आवश्यक एवं वांछनीय होगा. समिति का यह भी मत है कि वर्तमान में बीड डॉक्यूमेंट में वर्णित इस आवधारणा को कि निविदाओं का अंतिम निष्पादन निविदादाता के मात्र क्वालिटी के आधार पर किया जाय, में भी परिवर्त्तन करना वांछनीय एवं आवश्यक है, और उसके स्थान पर क्वालिटी एवं कॉस्ट दोनों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि झारखण्ड वित्तीय नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जा सके.

ह./– अध्यक्ष, तकनीकी समिति

तकनीकी समिति का यह निर्णय संबंधित संचिका में संधारित कर विभागीय सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री का मंतव्य प्राप्त करने के लिए भेजा गया. विभागीय सचिव ने संचिका पर विभागीय मंत्री के आदेशार्थ निम्नांकित मंतव्य अंकित कर संचिका मंत्री के पास भेजा.

मंत्री, नगर विकास विभाग

राँची शहर के लिए एक समेकित सिवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम का विकास करने के उद्देश्य से मैनेजमेंट कंसलटेन्सी सेवाएं प्रदान के करने के लिए एक कंसलटेंसी के चयन हेतु जो निविदा आमंत्रित की गई थी, उनके आकलन का कार्य सरकार के द्वारा गठित तकनीकी उप समिति को सौंपा गया था. तकनीकी उपसमिति के द्वारा सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अपना आकलन प्रस्तुत किया गया है कि टेंडर डाक्यूमेंन्ट में निविदादाता के लिए जो न्यूनतम आवश्यक अर्हतायें (एलिजिबिलिटि क्रायटेरिया) अपेक्षित की गई हैं, उनकी पूर्ति चारों निविदादाता के द्वारा की गई है या

नहीं. उप समिति से प्राप्त तुलनात्मक विवरणीय से स्पष्ट हुआ कि चारों ने निविदादाताओं में से किसी ने योग्यता के संबंध में सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं (मिनिमम एसेंसियल रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटि) को पूरा नहीं किया है. तकनीकी उप समिति के अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत समीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चूंकि निविदादाताओं के द्वारा निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं पूरी नहीं की गई हैं, इसलिए उनके निविदा पर आगे विचार किया जाना विधिसम्मत एवं नियमानुकूल नहीं होगा. वर्णित परिस्थितियों में निविदा के रद्द करने का निर्णय समिति के द्वारा आज की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया.

चूंकि सरकार राँची शहर में समेकित सिवरेज एवं ड्रेनेज प्रणाली को अधिष्ठापित करने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए यह आवश्यक है कि इसके लिए पुन: एक निविदा निकाली जाए. परन्तु ऐसा करने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि पूर्व में जिन न्यूनतम अर्हताओं को पूरा करने की अपेक्षा निविददाताओं से की गई है, उनमें आवश्यक परिवर्तन किया जाए. इसके साथ ही इस बिन्दु पर भी निर्णय लिया जाना आवश्यक है कि इस कार्य को किसी कंसल्टेंसी को सुपुर्द करने का निर्णय न केवल टेक्निकल प्रोपोजल के आकलन के आधार पर, मात्र उनकी क्वालिटी के आधार पर लिया जाए वरन् टेक्निकल एवं वित्तीय दोनों प्रकार के प्रस्ताव के समेकित आकलन के बाद ही लिया जाए.

इस कार्य में मात्र क्वालिटी के आधार पर निविदा के अंतिम निष्पादन की शर्त रखी गई थी, उनके स्थान पर क्वालिटी एवं कॉस्ट दोनों के आधार पर आकलन एवं निष्पादन करने की शर्त रखी जाए. बीड डॉक्यूमेंट को नये सिरे से तैयार करने के लिए तकनीकी समिति को आवश्यक निर्देश दिया जा सकता है. उस समिति में सिवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम का ज्ञान रखने वाले कुछ अनुभवी एवं ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना श्रेयस्कर होगा, जिससे कि इस प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की जाने वाली बीड डॉक्यूमेंट में सभी आवश्यक एवं अपेक्षित शर्तों का समावेश किया जा सके. आज दिनांक 12.08.2005 को सम्पन्न हुई समिति की बैठक की कार्यवाही संचिका से पृष्ठ–49 पर देखी जा सकती है.

ह./–बी.के. सिंह (सचिव)

संचिका विभागीय मंत्री के पास पहुँची तो उन्होंने तकनीकी समिति के विधिसम्मत एवं नियमानुकुल निर्णय को अस्वीकार कर दिया और विभागीय सचिव के मंतव्य से

असहमति व्यक्त किया. संचिका पर उन्होंने निम्नांकित आदेश दिया :–

''दिनांक 17.08.2005 को अपराह्न में 1.00 बजे निविदा समिति एवं तकनीकी समिति की संयुक्त बैठक मेरे कार्यालय कक्ष में रखी जाए.''

ह./– रघुवर दास (मंत्री)/16.08.2005

तकनीकी समिति के उपर्युक्त निर्णय के पश्चात् निविदा रद्द करके परामर्शी चयन के लिये नये सिरे से निविदा प्रकाशित करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था. परंतु जिन निहित स्वार्थी शक्तियों ने ओआरजी और स्पैन को अपने रास्ते से हटाया था, वे पुन: सक्रिय हो गईं. तत्कालीन वित्त सह नगर विकास विभाग मंत्री ने 16.8.2005 को संचिका में आदेश देकर अगले दिन अपराह्न 1 बजे अपने कार्यालय कक्ष में तकनीकी उपसमिति और मुख्य समिति के सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाई. उन्होंने निर्देश दिया कि वर्तमान निविदा की शर्त्तों में ही कतिपय संशोधन कर इनपर फिर से विचार किया जाय. मंत्री ने आदेश दिया कि इसके लिये मुख्य समिति और तकनीकी समिति के सदस्य आज ही मेरे कार्यालय कक्ष में शाम 4.30 बजे बैठक कर इस बारे में निर्णय लें. मंत्री के निदेशानुसार उसी दिन शाम 4.30 बजे उनके कार्यालय कक्ष में दोनों समितियों की संयुक्त बैठक हुई.

17.08.2005 को 1.00 बजे अपराह्न माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में राँची सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित निविदा में प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही निम्नवत है :–

आज दिनांक 17.08.05 को माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में राँची सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित निविदा में प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों की समीक्षा हेतु अपराह्न 1.00 बजे बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें तकनीकी प्रस्तावों की समीक्षा हेतु सरकार द्वारा गठित मुख्य समिति एवं तकनीकी उपसमिति के अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. सचिव, नगर विकास विभाग
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग
3. सचिव, भवन निर्माण विभाग
4. प्रशासक, राँची नगर निगम
5. के.पी. शर्मा, कार्यपालक अभियंता
6. श्री उमेश गुप्ता, कार्यपालक अभियंता

इस बैठक में पथ निर्माण विभाग के केन्द्रीय निरूपण संगठन (सी.डी.ओ.) के मुख्य अभियंता, श्री अनिल कुमार उपस्थित नहीं हुए. मंत्री, नगर विकास विभाग ने मुख्य समिति के द्वारा प्रस्तुत 12.08.05 के बैठक की कार्यवाही के संबंध में उपस्थित सदस्यों से उनके अभिमत प्राप्त करने के उपरांत यह निदेश दिया गया कि चूंकि तकनीकी समिति के दो सदस्य तुलनात्मक विवरणी से असहमत हैं, इसलिए मुख्य समिति एवं तकनीकी उप–समिति के सभी सदस्य एक साथ बैठकर Documents in support of Minimum Eligibility criteria का पुन: एक बार अध्ययन करें एवं Eligibility के बिन्दु पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचे. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मुख्य समिति एवं तकनीकी उपसमिति के सभी सदस्यगण आज ही 4.30 बजे अपराह्न मेरे कार्यालय कक्ष में बैठक कर निर्णय लें.

(ह./– रघुवर दास)/दिनांक 16.08.2005

मंत्री के आदेशानुसार मुख्य समिति और तकनीकी समिति के सदस्य 17 अगस्त 2005 को ही शाम 4.30 बजे बैठे और प्रकाशित एवं मूल्यांकित निविदा में अंकित योग्यता की दो शर्तो में से एक में परिवर्तन कर दिया. प्रकाशित और मूल्यांकित मूल निविदा की यह शर्त थी कि निविदादाता को कम से कम एक सिवरेज और ड्रेनेज परियोजना का काम करने का अनुभव हो, जिसकी लागत 300 करोड़ रूपया से कम न हो. मुख्य समिति और तकनीकी समिति की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि इस शर्त को इस हद तक संशोधित कर दिया जाय कि उस निविदादाता को भी योग्य माना जायेगा, जिसे 300 करोड़ रूपया लागत के केवल सिवरेज या केवल ड्रेनेज परियोजना में से किसी एक के परामर्श प्रबंधन का अनुभव हो. **17.08.05 को अपराह्न 4.30 बजे सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य समिति एवं तकनीकी उप–समिति के सदस्यों की बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है। इसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए.**

1. सचिव, नगर विकास विभाग
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग
3. सचिव, भवन निर्माण विभाग
4. प्रशासक, राँची नगर निगम
5. के.पी. शर्मा, कार्यपालक अभियंता
6. श्री उमेश गुप्ता, कार्यपालक अभियंता

पथ निर्माण विभाग के केन्द्रीय निरूपण संगठन (सी.डी.ओ.) के मुख्य अभियंता, श्री अनिल कुमार ने इस बैठक में भी भाग नहीं लिया. माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग के द्वारा यथा आदेशित मुख्य समिति एवं तकनीकी उप–समिति के सदस्यों के द्वारा निविदा में प्राप्त Documents in support of Minimum Eligibility पर विचार–विमर्श किया गया. दिनांक 12.08.05 को यह view लिया गया था कि किसी भी निविदादाता के लिए न्यूनतम Eligibility criteria के रूप में यह साबित करना आवश्यक है कि उनके द्वारा पिछले 5 वर्षों में 300 करोड़ की एक शहरी सिवरेज–ड्रेनेज प्रणाली को विकसित करने हेतु Project Management Consultancy Services प्रदान किया गया हो. आज की बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत इस view पर सहमति बनी कि अगर किसी निविदादाता के द्वारा सिवरेज अथवा ड्रेनेज दोनों में से किसी भी घटक से संबंधित 300 करोड़ रूपये की परियोजना के Project Management का कार्य किया गया हो तो यह मान लिया जाएगा कि उस निविदादाता के द्वारा Minimum Eligibility के इस शर्त को पूरा कर लिया गया है.

तकनीकी उपसमिति को यह निदेश दिया गया कि वे उक्त के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन के उपरांत एक तुलनात्मक विवरणी मुख्य समिति के समक्ष शीघ्र उपस्थापित करें.

(ह./– अध्यक्ष, मुख्य समिति)

नियमानुसार निविदा खुल जाने के बाद और उसका आंशिक या पूर्ण मूल्याँकन हो जाने के बाद उसकी शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता. ऐसा करना अनुचित, नियम विरुद्ध, पक्षपातपूर्ण एवं भ्रष्ट आचरण माना जाता है. निविदा खुल जाने के बाद इसकी योग्यता शर्तो में सिवरेज और ड्रेनेज की जगह सिवरेज या ड्रेनेज कर देने से अर्थात सिवरेज और ड्रेनेज दोनों के कार्य का अनुभव होने की शर्त को बदलकर इसकी जगह सिवरेज या ड्रेनेज में से किसी भी एक का अनुभव होने की शर्त तक सीमित कर देना एक बड़ा परिवर्तन है. इसने निविदा के मूल चरित्र को बदल दिया। यदि यह बदली हुई शर्त पूर्व से ही निविदा में रहती तो हो सकता था कि ऐसा अुनभव रखने वाले कतिपय अन्य संस्थान भी निविदा में भाग लेते. निविदा खुल जाने के बाद शर्तों में यह परिवर्तन करना ऐसी संस्थाओं को निविदा में भाग लेने से रोक देना है, जो संविधान प्रदत्त अवसर की समानता के अधिकार का उल्लंघन है. इसके साथ ही निविदा मूल्याँकन के बाद योग्यता की शर्त में परिवर्तन करना कार्य की गुणवत्ता से

समझौता करना है जो विश्व बैंक की गुणवत्ता आधारित प्रणाली की भावना के विपरीत है. ऐसा करना भ्रष्ट एवं पक्षपातपूर्ण आचरण का द्योतक है.

सार संक्षेप

1. निविदा खुल जाने के बाद इसका मूल्यांकन करने वाली तकनीकी उपसमिति और मुख्य समिति ने निर्णय लिया कि निविदा रद्द कर दी जाय और नई निविदा गुणवत्ता और लागत दोनों को ध्यान में रखकर प्रकाशित किया जाय.
2. तत्कालीन वित्त और नगर विकास विभाग के मंत्री श्री रघुवर दास ने तकनीकी उपसमिति और मुख्य समिति के इस मंतव्य को नकार दिया और उन पर निविदा का पुनः मूल्यांकन करने के लिये दबाव डाला.
3. उपर्युक्त दबाव के कारण निविदा समिति और मुख्य समिति ने उसी दिन मंत्री की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक किया और उनके निदेशानुसार निविदा शर्तों में परिवर्तन कर दिया.
4. निविदा खुल जाने और इसके योग्यता वाले लिफाफा का मूल्यांकन हो जाने के बाद निविदा की शर्त में परिवर्तन का निर्देश देना नियम विरूद्ध है. यह नगर विकास मंत्री के पक्षपातपूर्ण एवं भ्रष्ट आचरण का द्योतक है.
5. मंत्री, नगर विकास विभाग के नियम विरूद्ध आदेश का पालन करना भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के पदाधिकारियों के ''आचरण संहिता (Code of Conduct) के विरूद्ध है. यह केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के भी विरूद्ध है.'' इसके बावजूद उन्होंने मंत्री के अवैधानिक आदेश को क्रियान्वित किया.
6. यह निर्णय निविदा की मूल भावना (गुणवत्ता आधारित प्रणाली) पर आघात है और परिवर्तित शर्त की कसौटी को पूरा करनेवाले अन्य संभावित निविदादाताओं को निविदा में भाग लेने के अवसर से वंचित करता है.
7. निविदा शर्त में बदलाव करने के इस गैरकानूनी निर्णय में किसी पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. निविदा शर्तों में यह बदलाव इस बारे में भविष्य के निर्णयों का संकेत है.

●●●

खण्ड–6

निविदा का पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन

निविदा प्रपत्र में निविदादाताओं की न्यूनतम योग्यता का मापदंड निर्धारित था. मंत्री, नगर विकास विभाग, श्री रघुवर दास के दबाव में तकनीकी उपसमिति और मुख्य समिति ने इसको अनुचित, अनैतिक, भ्रष्ट एवं अनियमित तरीके से बदल दिय. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुसार निविदा खुल जाने के बाद शर्तों में मनोनुकूल परिवर्तन करना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है. इसके बाद तकनीकी उपसमिति ने इस बदली गई कसौटी पर निविदादाताओं की योग्यता का मूल्यांकन किया.

योग्यता का मूल्यांकन :

योग्यता निर्धारण के लिये दो प्रमुख कसौटियाँ निविदा प्रपत्र में अंकित थी. पहली महत्वपूर्ण कसौटी थी– निविदादाताओं के तीन पूर्ववर्ती वर्षो का औसत टर्न ओवर 40 करोड़ रूपया से अधिक होना चाहिए और इन वर्षों में निविदादाता फर्म लगातार लाभ में रहना चाहिये. ये तीन वर्ष थे– 2002–03, 2003–04 और 2004–05, जिन्हें 18 जुलाई 2005 को हुई प्रि–बिड मीटिंग में निर्धारित किया गया था. इस शर्त के बारे में प्रि–बिड मिटिंग में सवाल उठा था. सवाल उठाया था ''तहल इंजीनियरिंग कंसल्टेन्सी लि.'' के प्रतिनिधि ने. उन्होंने कहा था कि निविदा में टर्न ओवर के प्रमाण के रुप में विगत तीन वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट की सत्यापित प्रति माँगी जा रही है, परन्तु वर्ष 2004–05 का बाह्य ऑडिट रिपोर्ट देना संभव नहीं है. कारण कि यह ऑडिट जुलाई माह में होता है. तब यह तय हुआ कि निविदा के साथ वर्ष 2002–03 और वर्ष 2003–04 की बाह्य अंकेक्षित रिपोर्ट और वर्ष 2004–05 की आंतरिक अंकेक्षित रिपोर्ट मान्य होगी.

मेनहर्ट का प्रतिनिधि भी मीटिंग में उपस्थित था. उसने इस पर सहमति जतायी, इस निर्णय का विरोध नहीं किया, इस पर कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं दी. यानी टर्न ओवर के संदर्भ में इन तीन वर्षों के निर्धारण पर मेनहर्ट को कोई आपत्ति नहीं थी. मेनहर्ट के प्रतिनिधि ने प्रि–बिड मिटिंग में केवल एक ही सलाह दी थी. उन्होंने कहा था कि निविदा प्रपत्र में अंकित है कि सिवरेज के लिये 12 और ड्रेनेज के लिये 12 विशेषज्ञ जरूरी होंगे. यह संख्या ज्यादा है. दोनों के लिये 3–3 विशेषज्ञ पर्याप्त होंगे. इस पर सिवरेज और ड्रेनेज दोनों के लिये अलग अलग 72 मानव माह उपलब्ध कराने पर मिटिंग में सहमति बनी. मेनहर्ट के प्रतिनिधि ने टर्न ओवर से

संबंधित वित्तीय वर्षों के निर्धारण के बारे में प्रि–बिड मिटिंग में कुछ भी नहीं कहा.

जब योग्यता वाले लिफाफे मूल्याँकन के लिये खुले तो मेनहर्ट के निविदा प्रपत्र में केवल दो वर्षों, 2002 और 2003, का ही अंकेक्षित टर्न ओवर दिया हुआ था. वर्ष 2004–05 के मूल्यांकन वाले खाना में लिखा था– अनुपलब्ध। इसके अलावा मेनहर्ट ने वर्ष 2001–02 का टर्न ओवर निविदा के साथ संलग्न किया था, जिसे न माँगा गया था, न जिसकी जरूरत थी और न तो जिसे मूल्यांकन में शामिल किया जाना था. परंतु तकनीकी उपसमिति ने मेनहर्ट के केवल दो वर्षों के टर्नओवर पर ही औसत निकाल दिया और उसे योग्य करार दिया. यह अनुचित था, अकल्पनीय था, भ्रष्ट आचरण था. यदि मेनहर्ट के 2004–05 टर्न ओवर को शून्य मानकर औसत निकाला जाता तो वह 40 करोड़ रुपया से कम होता.

मूल निविदा में न्यूनतम योग्यता की दूसरी शर्त थी कि निविदादाता फर्म को विगत पाँच वर्षों में कम से कम एक शहरी सिवरेज और ड्रेनेज के परियोजना प्रबंधन कंसल्टेन्सी का अनुभव होना आवश्यक है जिसकी कुल अनुमानित लागत 300 करोड़ रूपया होनी चाहिये. 18 जुलाई 2005 को आयोजित प्रि–बिड मिटिंग में किसी भी निविदादाता फर्म के प्रतिनिधि ने निविदा प्रपत्र में अंकित न्यूनतम योग्यता के इस प्रावधान पर प्रश्न नहीं किया था, इसमें बदलाव करने की माँग नहीं उठायी थी, सभी ने इसे मान लिया था. परंतु जब इनकी योग्यता के लिफाफे मूल्यांकन के लिये खुले तो कोई भी निविदादाता इस कसौटी को पूरा नहीं कर रहा था. इसीलिये निविदा मूल्यांकन कर रही तकनीकी उपसमिति और मुख्य समिति ने निर्णय किया कि यह निविदा रद्द कर दी जाय और इस काम के लिये नई निविदा निकाली जाय. नई निविदा क्वालिटी एंड कॉस्ट प्रणाली आधारित (QBCS) निकाली जाय, क्योंकि निविदा भरने वालों में से कोई भी इस शर्त के आधार पर योग्य नहीं पाया गया है.

परंतु जैसा कि पूर्व के खंड में देखा जा सकता है, तकनीकी मूल्यांकन समिति और मुख्य समिति की यह सिफारिश स्वीकार करने की जगह मंत्री, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक कर योग्यता मूल्यांकन की शर्त ही बदल दी गई. सिवरेज और ड्रेनेज दोनों के परामर्शी अनुभव की जगह सिवरेज या ड्रेनेज में से किसी एक का अनुभव मान्य कर दिया गया. जब प्रि–बिड मिटिंग में निविदादाताओं ने यह परिवर्तन नहीं सुझाया था तो मंत्री को इसे बदलने की क्या लगी थी? इसे ही कहते हैं मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त. गोलपोस्ट में गोल नहीं दाग सको तो गोल पोस्ट को ही उठाकर गेंद की दिशा में रख दो और गोल कर देने की वाहवाही लूटो, इनाम पाओ.

वास्तव में यह बदलाव भ्रष्ट आचरण का प्रतीक है.

इतना होने पर भी मेनहर्ट योग्यता के इस पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा था. उसके पास न तो ड्रेनेज के काम का परामर्शी अनुभव था और न सिवरेज के काम का ही परामर्शी अनुभव था. योग्यता के अपने लिफाफे के इस खाने में उसने लिखा था कि उसके पास ''समान कार्य'' का अनुभव है. यह समान कार्य क्या है? समान कार्य का उल्लेख निविदा प्रपत्र में भी नहीं है, प्रि–बिड मिटिंग में भी किसी ने यह सुझाव नहीं दिया और बाद में जब मंत्री के दबाव में सिवरेज और ड्रेनेज दोनों के अनुभव की योग्यता को बदलकर उसकी जगह सिवरेज या ड्रेनेज में से किसी एक के अनुभव को योग्यता में शामिल करने का निर्णय हुआ, उस समय भी ''समान कार्य'' का अनुभव होने का पैमाना उसमें नहीं जोड़ा गया. यदि एक और बदलाव कर इसे भी जोड़ दिया होता तो बात बन जाने की ''थेथरोलोजी'' दी जा सकती थी. परंतु मूल्यांकन करने वालों की बदनीयत और दुस्साहस तो देखिये. उन्होंने मूल्यांकन की दोनों कसौटियों पर मेनहर्ट को योग्य ठहरा दिया, जिन पर वह सर्वथा अयोग्य था. यदि ये बदले गये पैमाने विज्ञापित निविदा में दर्ज रहते, तो हो सकता था कि ऐसी योग्यता रखने वाली कतिपय अन्य फर्मों ने भी निविदा प्रतिस्पर्द्धा में भाग लिया होता. योग्यता के मूल्यांकन में ऐसी बेईमानी, ''न भूतो न भविष्यति.''

तकनीकी मूल्यांकन

न्यूनतम योग्यता पैमाने पर सफल करार दिये गये तीन निविदादाताओं की तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन तकनीकी उपसमिति ने 28 सितंबर 2005 को किया. निविदा प्रपत्र में तकनीकी मूल्यांकन के जो मापदण्ड दिये गये थे, उनका विश्लेषण करने पर निष्कर्ष निकलता है कि इसमें पक्षपात की काफी गुंजाइश छोड़ी गई थी. निविदा प्रपत्र में तकनीकी मूल्यांकन का विस्तृत मापदंड दिया हुआ था और इस आधार पर दिये जानेवाले अंक भी निर्धारित किये गये थे. मगर मापदंड का विखंडन उप–मापदंडों में नहीं किया गया था. परन्तु तकनीकी मूल्यांकन समिति ने मूल्यांकन करते समय इन मापदंडों को अपने हिसाब से विभिन्न उप–मापदंडों में विखण्डित कर दिया. निर्धारित एकमुश्त अंक को भी मनमाफिक विभिन्न उपखंडों में बाँट कर मनमाना अंक बैठा दिया. उदाहरण के लिये, मूल निविदा में मुख्य विशेषज्ञों की योग्यता और क्षमता के लिए तालिका में एकमुश्त 50 अंक निर्धारित था. तकनीकी उपसमिति ने इस 50 अंक को दो भाग में खंडित कर डिजाइन टीम के लिये 30 अंक और सुपरविजन टीम के लिये 20 अंक कर दिया. डिजाइन टीम के लिये खंडित 30

अंक को इन्होंने पुन: 10 भागों में विखंडित कर विभिन्न श्रेणी के विशेषज्ञों के लिये 1 से लेकर 9 तक अंक निर्धारित कर दिया. इसी तरह का विखंडन निविदा के प्राय: सभी तकनीकी मापदंडों में तकनीकी उपसमिति ने कर दिया ताकि मनमाफिक मूल्यांकन किया जा सके.

सवाल उठता है कि विश्व बैंक गुणवत्ता आधारित प्रणाली (Quality Based System) का ढिंढोरा पीटने वालों ने निविदा प्रकाशित करते समय इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? निर्धारित निविदा मापदंडों का मूल्यांकन के समय उप–मापदंडों में मनमाना विखंडन करने की गुंजाइश क्यों छोड़ दी? यह सब निविदा प्रकाशन के बाद तकनीकी मूल्यांकन करते समय किया गया जो उचित नहीं है. यदि यह निविदा वाकई विश्व बैंक की गुणवत्ता आधारित प्रणाली के अनुरुप तैयार की गई होती (जिसमें तकनीकी मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक लाने वाले परामर्शी का ही वित्तीय लागत वाला लिफाफा खोला जाता) तो निविदा प्रपत्र तैयार करते समय यह ध्यान रखा गया होता कि मूल्यांकन करने वालों को ऊपर के आदेश से मनमानी करने की गुंजाइश नहीं रहे. परंतु यहाँ तो तकनीकी मूल्यांकन करने वालों ने अपने मन से ही मापदंडों का विभाजन और अंकों का विखंडन कर लिया. इससे तकनीकी मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं रहा और मूल्यांकन की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, मूल्यांकन की पारदर्शिता प्रभावित हुई.

इतना ही नहीं, तकनीकी मूल्यांकन के दौरान अंक देते समय तीन तकनीकी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी परामर्शियों को दिये गये अंकों में भेदभाव साफ झलकता है. विखंडित उपमापदंडों के आधार पर अंक देने में एकरूपता नहीं बरती गई. उदाहरण के लिये, समिति के अध्यक्ष शशिरंजन कुमार द्वारा तीनों निविदादाताओं को दिये गये अंकों में काफी कम अंतर है. जबकि के.पी. शर्मा द्वारा इन्हें दिये गये अंकों में काफी अधिक अंतर है. इन्होंने मेनहर्ट को अंक दिया है. काफी अधिक उदाहरण के लिए स्नातकोत्तर योग्यता के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित था. तहल कंसल्टेन्सी और मेनहर्ट दोनों के पास स्नातकोत्तर विशेषज्ञ थे. पर तकनीकी उपसमिति के सदस्य श्री उमेश गुप्ता ने इसके लिये मेनहर्ट के स्नातकोत्तर जे.पी. निगम को पूरा 20 प्रतिशत अंक दिया और तहल के स्नातकोत्तर जे. के. शर्मा को 15 प्रतिशत पर समेट दिया. सिवरेज सिस्टम डिजाइन इंजीनियर के मामले में भी उन्होंने ऐसा ही किया. मेनहर्ट के स्नातकोत्तर एस. कुमार को 20 प्रतिशत अंक दिया और तहल के स्नातकोत्तर पी. कापला को मात्र 15 प्रतिशत अंक दिया. दूसरे तकनीकी सदस्य के. पी. शर्मा का झुकाव भी अंक देने के मामले में ऐसा ही पक्षपात पूर्ण रहा है. विशेषज्ञों

के जीवन वृत (बायोडाटा) मूल्यांकन में विभिन्न विखंडित उपमापदंडों के लिये अलग–अलग अंक देने के बदले इन्होंने एक मुश्त अंक दे दिया, जिसका स्पष्ट कारण पता नहीं चलता. इनका मूल्यांकन पारदर्शी नहीं है. इन्होंने मेनहर्ट को सर्वाधिक 92.66 प्रतिशत अंक दिया है. शेष दोनों फर्मों को 80 और 50 अंकों पर समेट दिया. विडम्बना तो यह है कि मुख्य समिति के सदस्यों ने भी इन त्रुटियों को नजर अंदाज कर दिया.

इससे पता चलता है कि योग्यता का तकनीकी मूल्यांकन करने के लिये निर्धारित निविदा शर्तों के आधार पर अयोग्य साबित हो चुके मेनहर्ट को योग्य करार देने की धृष्टता करने वाले तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्यों ने तकनीकी मूल्यांकन में भी उसे अधिक अंक देकर पक्षपात किया. उन्होंने पारदर्शिता को प्रभावित किया और मेनहर्ट को अधिक अंक देकर केवल उसी का वित्तीय लिफाफा खुलना सुनिश्चित किया.

वित्तीय निगोशियेसन (दर वार्ता)

तकनीकी मूल्यांकन में मेनहर्ट को सर्वाधिक अंक मिलने के कारण केवल उसी का वित्तीय लिफाफा खुलना था. यह लिफाफा 19 अक्टूबर 2005 को खुला. पता चला कि मेनहर्ट ने डिजाइन चरण के लिये 22,81,14,000 रूपये और सुपरविजन चरण के लिये 14,47,12,440 रूपये यानी कुल 37,28,26,440 रुपये का शुल्क यह काम करने के लिये अपने वित्तीय निविदा प्रपत्र में उद्धृत किया है. निविदा में वित्तीय लागत को कम करने के लिये निगोशियेसन का प्रावधान था. 22 नवम्बर 2005 को तकनीकी समिति की एक बैठक नगर निगम के प्रशासक की अध्यक्षता में हुई जिसमें निविदा की शर्तों के अनुसार परियोजना प्रबंधन कंसलटेन्सी की मूल लागत का आकलन किया गया. इस बैठक में मुख्य समिति के एक सदस्य अनिल कुमार, मुख्य अभियंता भी उपस्थित हुये थे. आकलन किया गया कि डीपीआर प्रचार करने पर करीब 9.25 करोड़ रुपया की लागत आयेगी. इसमें 10.2 प्रतिशत सर्विस टैक्स जोड़ देने पर कुल वित्तीय भार करीब 10.20 करोड रुपये आयेगा, जबकि मेनहर्ट की माँग इसके लिये 37 करोड़ रूपया से अधिक है. इस पर विचार करने के लिये मुख्य समिति की बैठक 5 दिसंबर 2005 को हुई. निर्णय हुआ कि तकनीकी उपसमिति 10 दिनों के भीतर तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों पर निगोशियेशन कर मुख्य समिति को सूचित करे.

इस बीच मुख्य समिति ने सिवरेज–ड्रेनेज की पेचीदगियों एवं तकनीकी

आवश्यकताओं को देखते हुये बाह्य विशेषज्ञों की सेवायें लेने तथा इनपर होने वाले व्यय के संबंध में आकलन करने और इसके बाद चयनित परामर्शी से निगोशिएसन (दर वार्ता) करने के लिये तकनीकी उपसमिति को निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रि–बिड मीटिंग में मेनहर्ट के प्रतिनिधि ने विशेषज्ञों की संख्या कम करने के लिये सुझाव दिया था. पर यहाँ मुख्य समिति ने बाह्य विशेषज्ञों को जोड़ने की बात कह दी. उपसमिति ने 29 दिसंबर 2005 को बैठक की और 10 बाह्य विशेषज्ञों की सेवायें लेने पर कुल व्यय भार 19,47,95,400 रुपये होने का आकलन किया.

इस आकलन का कोई ठोस आधार नहीं था. फिर भी मेनहर्ट इस पर तैयार नहीं हुआ. उसने कुल 27,15,46,000 रूपये की माँग रखी. इसके बाद 18/19 जनवरी 2006 को मुख्य समिति ने बैठक की और तकनीकी उप समिति के आकलन में कमी बताते हुये इसे संशोधित किया और कुल 21,00,30,400 रूपया मेनहर्ट को देने की अनुशंसा किया. लेकिन मेनहर्ट 25,40,00,000 रूपये से कम लेने पर तैयार नहीं था. ऐसी स्थिति में निगोशिएसन करने का जिम्मा सरकार स्तर पर भेज दिया गया.

24 जनवरी, 2006 को विभागीय मंत्री और मुख्य समिति ने मेनहर्ट के साथ बैठक कर 21,40,00,000 रूपये पर सहमति बनाई. नगर विकास विभाग की संचिका पर मंत्री के आदेश में परामर्शी को एकमुश्त 21.40 करोड़ रूपये देने का आदेश है. इसमें यह जिक्र नहीं है कि 21.40 करोड़ रूपये में से कितना व्यय डिजाइन फेज के लिये है और कितना सुपरविजन पर्यवेक्षण फेज के लिये है। 21.40 करोड़ रूपये के व्यय पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति 22 जून 2006 को मिली और 22 जून 2006 को ही नगर विकास विभाग से मेनहर्ट को कार्यादेश मिल गया. इस कार्यादेश में डिजाइन फेज के लिए 16.04 करोड़ रुपया और पर्यवेक्षण फेज के लिये 5.36 करोड़ का जिक्र था.

सवाल उठता है कि निविदा प्रपत्र में प्रावधान नहीं एवं प्रि–बिड मिटींग में चर्चा नहीं होने के बावजूद 10 बाह्य विशेषज्ञों की सेवा लेने की जरूरत निविदा खुलने के बाद क्यों आ पड़ी? क्या निविदा प्रपत्र में इसका प्रावधान था? प्री–बिड मीटिंग में तो मेनहर्ट के प्रतिनिधि ने विशेषज्ञों की संख्या घटाने का सुझाव दिया था, तब यहाँ बाह्य विशेषज्ञों की संख्या क्यों बढ़ाई गयी? मात्र 10 बाह्य विशेषज्ञों की सेवा लेने के नाम पर वित्तीय भार का आरम्भिक आकलन 10.20 करोड़ रूपया से बढ़कर 21.40 करोड़ रूपया कैसे हो गया? वित्तीय निगोशिएसन में इस लोचा का जवाब देने के लिये कोई तैयार नहीं था. स्पष्ट है कि योग्यता मूल्यांकन और तकनीकी मूल्यांकन से

लेकर वित्तीय निगोशिएसन तक में मेनहर्ट के समर्थन में पक्षपात किया गया. अयोग्य होने पर भी उसे योग्य मान लिया गया. पक्षपात कर तकनीकी मूल्यांकन में उसे सबसे अधिक अंक दे दिया गया और वित्तीय निगोशिएसन में उसे काफी अधिक राशि दे दी गई. मेनहर्ट पर सरकार की इस मेहरबानी का कोई तो कारण होगा. कौन है इसके पीछे और किस मंशा से है? क्या यह झारखण्ड सरकार में लोक सेवकों के भ्रष्ट आचरण का ज्वलंत उदाहरण नहीं है? इसे ''भ्रष्टाचार का नंगा नाच नहीं कहा जाय तो क्या कहा जाय.''

सार संक्षेप

1. निविदा के योग्यता मूल्यांकन के साथ ही उसके तकनीकी मूल्यांकन में भी मेनहर्ट के पक्ष में पक्षपात किया गया.
2. निविदा विश्व बैंक के गुणवत्ता आधारित प्रणाली के अनुरूप होने की घोषणा के बावजूद इसमें वित्तीय मूल्यांकन के मापदंडों में पक्षपात की गुंजाइश रखी गई, जिसका दुरूपयोग तकनीकी उपसमिति और मुख्य समिति ने किया. इन्होंने एकमुश्त अंकों वाले प्रावधानों का मनोनुकूल विखण्डन कर मनमाना अंक निर्धारित किया.
3. समान योग्यता के लिए मेनहर्ट के विशेषज्ञों को अधिक अंक और अन्य विशेषज्ञों को कम अंक दिये गये.
4. वित्तीय निगोशिएसन में बाह्य विशेषज्ञों के नाम पर 14 करोड़ रूपये से अधिक के भुगतान किया गया, जबकि इसका प्रावधान निविदा में नहीं था.
5. मंत्री स्तर पर निगोशिएसन में 21.40 करोड़ रूपया की एकमुश्त राशि पर मेनहर्ट को कार्य आदेश देने का निर्णय हुआ. इसमें डिजाईन फेज और पर्यवेक्षण फेज का विभाजन नहीं था. परन्तु जब यह विषय स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद में गया तो नगर विकास विभाग द्वारा 21.40 करोड़ की राशि को डिजाईन फेज (16.04 करोड़ रु.) और पर्यवेक्षण फेज (5.36 करोड़ रु.) में बांटकर दिखाया गया. सवाल है कि यह विभाजन क्यों और किस आधार पर किया?
6. निविदा मूल्यांकन में हर स्तर पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रावधानों की धज्जियाँ उड़ायी गईं और नियम–कानून को ताखे पर रखकर मनोनुकूल परामर्शी की बहाली सुनिश्चित की गयी. कहा गया है–कामातुरानाम् न भयं, न लज्जा.

●●●

खण्ड–7

कार्यान्वयन समिति की जाँच

मेनहर्ट की नियुक्ति में अनियमितता के आरोपों की जाँच करने के लिये गठित विधान सभा की सात सदस्यीय विशेष जाँच समिति के प्रतिवेदन की अनुशंसा के बारे में कार्यान्वयन समिति ने नगर विकास विभाग के सचिव से जानना चाहा कि विभाग ने इस अनुशंसा का क्रियान्वयन किस प्रकार किया है? सचिव ने बताया कि समिति की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में कतिपय बिन्दुओं की तकनीकी समीक्षा के लिये विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति गठित कर दी गई. जांचोपरांत इस समिति ने प्रतिवेदन दिया और अपनी अनुशंसा मे बताया कि राँची के सिवरेज ड्रेनेज निर्माण के लिये मेनहर्ट की नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं हुई है. उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की यह अनुशंसा निम्नवत हैं –

''उच्चस्तरीय तकनीकी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि परामर्शी की नियुक्ति में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन हुआ है. पारदर्शिता अपनाते हुए सभी को इस कार्य में भाग लेने का अवसर दिया गया है. तकनीकी उपसमिति ने सभी प्रस्तावों को स्वतंत्र रूप से आर.एफ.पी. में निहित शर्तों एवं सभी निविदादाताओं का मूल्यांकन विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया है. निगोशिएसन की प्रक्रिया भी पारदर्शी रही है तथा निविदा का दर भी कार्यभार एवं निर्धारित समय सीमा के आलोक में इकोनॉमिकल एवं व्यावहारिक प्रतीत होता है.''

इसके बाद विभाग ने मेनहर्ट को कार्यादेश दे दिया. इसके लिये मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई. कार्यान्वयन समिति ने नगर विकास सचिव से जानने का प्रयास किया कि नगर विकास विभाग ने विशेष समिति की सहायता करने के लिये उसे कौन कौन से कागजात उपलब्ध कराए. इस पर सचिव ने बताया कि विभाग ने विशेष समिति का पूरा सहयोग किया, समिति ने जो भी कागजात माँगे, उसे दिया गया.

विभागीय सचिव ने कार्यान्वयन समिति के समक्ष मेनहर्ट नियुक्ति प्रकरण के संबंध में विभागीय प्रतिवेदन का एक सार संक्षेप प्रस्तुत किया. यही सार संक्षेप उनके द्वारा विधान सभा द्वारा गठित विशेष जाँच समिति को भी दिया गया था. इसमें अंकित था कि निविदा दो मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित की गई थी. एक लिफाफा तकनीकी विवरण का था और दूसरा वित्तीय विवरण का था. उन्होंने बड़ी सफाई से एक

महत्वपूर्ण तथ्य को छुपा लिया था कि परामर्शी चयन के लिये निविदा दो नहीं बल्कि तीन मुहरबंद लिफाफों में माँगी गई थी. तीसरा लिफाफा योग्यता का था. नगर विकास विभाग के सचिव एवं अन्य अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन समिति के सामने, विशेष जाँच समिति के साथ और उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के सामने प्रस्तुत किये गये विषयवस्तु के सार संक्षेप में भी उन्होंने ऐसा ही किया था. सार संक्षेप का अध्ययन करने पर पाया गया कि इसमें भी यही कहा गया है कि निविदा दो मुहरबंद लिफाफों में माँगी गई थी. एक लिफाफे में तकनीकी विवरण और दूसरे में वित्तीय विवरण.

नगर विकास विभाग के मंत्री श्री रघुवर दास ने भी विधान सभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुये यही कहा था कि **निविदा दो मुहरबंद लिफाफों में माँगी गई थी, एक में तकनीकी क्षमता के प्रमाण थे और दूसरे में वित्तीय भार का विवरण था.** विधान सभा सचिवालय ने झारखंड विधान सभा में हुये वाद विवाद को पुस्तक के रूप में छपवाया है. इसके भाग 32 के पृष्ठ 247 और 248 पर नगर विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री, श्री रघुवर दास के भाषण का यह अंश देखा जा सकता है. इसका उल्लेख इस पुस्तक के खण्ड–1 में किया गया है.

नगर विकास विभाग ने पहले विधानसभा की विशेष जाँच समिति के सामने और बाद में कार्यान्वयन समिति के सामने मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति संबंधी प्रतिवेदन का जो सार–संक्षेप भेजा था उसका प्रासंगिक अंश निम्नवत है :–

निविदा की प्रमुख शर्तें :–

1. निविदा दो मुहरबंद लिफाफों (तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों के लिए अलग–अलग) में आमंत्रित की गई.
2. विश्व बैंक की मार्गनिदेशिका के आधार पर दो लिफाफा पद्धति अपनाते हुए गुणवत्ता आधारित चयन (क्वालिटि बेस्ड सेलेक्शन) प्रक्रिया के अनुसार योजना कार्य कराने का निर्णय लिया गया. इस प्रक्रिया में तकनीकी रूप से सर्वोच्च अंक पाने वाले निविदादाता का ही वित्तीय बिड खोला जाता है तथा दर वार्ता करके शुल्क का अंतिम रूप से निर्णय होता है.
3. तकनीकी उपसमिति के सभी सदस्यों द्वारा निविदा में उल्लेखित मानदंडों के आधार पर प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए अंक दिया गया, जिसमें सर्वोच्च अंक मेसर्स मेनहर्ट सिंगापुर प्रा. लिमिटेड ने प्राप्त किया.
4. मुख्य समिति ने उपसमिति की अनुशंसा को मानते हुए विभागीय मंत्री से परामर्शी चयन के द्वितीय चरण का कार्य करने की अनुमति प्राप्त की.

कहावत है कि एक झूठ को सौ बार दुहराइये तो लोग उसे सच मानने लगते हैं. हिटलर के प्रचार मंत्री गोयेबल्स ने यह कथन प्रतिपादित किया था. नगर विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री से लेकर अधिकारीगण तक मेनहर्ट की अनियमित नियुक्ति के मामले में गोयेबल्स की इसी कहावत को चरितार्थ करने में जुटे थे. उन्हें पता था कि मेनहर्ट के चयन में उन्होंने गलती की है और यह गलती उनसे अनजाने में नहीं हुई है. यह गलती उन्होंने जान–बूझकर की है. यानी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है. इसलिये वे इस मामले में पूरी तरह सजग थे. हर जगह जहाँ उन्हें गलती पकड़े जाने की आशंका थी, लिखित रूप में भी और मौखिक स्वीकृति में भी, उन्होंने गलती को छुपाने का भोंड़ा प्रयास किया. विधानसभा में मंत्री श्री रघुवर दास ने यही किया, विधानसभा की विशेष जाँच समिति के सामने नगर विकास विभाग ने यही किया, विधानसभा की विशेष जाँच समिति की अनुशंसा के तकनीकी बिन्दुओं की जाँच के लिये गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के सामने भी इन्होंने यही किया. अब इसी झूठ को वे कार्यान्वयन समिति के सामने भी परोस रहे थे. उनकी कोशिश थी कि कार्यान्वयन समिति भी भ्रमित हो जाय और यह झूठ पचा ले, उनके भ्रष्ट कुकृत्य पर सवाल नहीं उठाये.

जनता का विश्वास जीत कर सदन का सदस्य बनने वाले अधिकांश जनप्रतिनिधियों के साथ यही विडम्बना है कि कागजातों के अध्ययन और विश्लेषण के बारे में वे नौकरशाही पर निर्भर हो जाते हैं. उनके सामने जो बातें लिखित या मौखिक रूप में रखी जाती हैं, उनकी विवेचना अपने स्तर से करने और विषयवस्तु की तह तक पहुँचने के लिये उसमें से क्या ग्रहण करने लायक है और क्या छोड़ देने लायक है, इसकी मीमांसा करने में समय लगाने के प्रति वे तत्पर नहीं रहते हैं. इसका जिम्मा वे बुद्धिमान अधिकारियों पर छोड़ देते हैं. जो जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं करते, उन्हें नुक्ताचीनी करनेवाला, बाल की खाल निकालने वाला, मीन–मेख निकालने वाला कहा जाता है. पार्टियों का नेतृत्व भी ऐन मौके पर उनसे हिसाब–किताब चुकता कर लेता है. कोशिश होती है कि वे फिर से सदन का मुँह नहीं देखें और जनता की कृपा से चुनकर आ भी गये तो उन्हें सरकार में, समितियों में, वाद–विवाद में शामिल होने का मौका नहीं मिले. मेनहर्ट परामर्शी नियुक्ति प्रकरण इस मामले में एक यादगार वृतांत है.

कार्यान्वयन समिति के साथ हुई बैठकों में नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद

निष्कर्ष निकला कि इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विरोधाभास और झूठ है. इन्होंने तथ्य के साथ घालमेल किया है. इनकी टालमटोल की प्रवृति को देखते हुये समिति ने इस विषय में एक अलग प्रतिवेदन देने का निर्णय किया.

इस बारे में माननीय सभा अध्यक्ष से वार्ता हुई, संसदीय मामलों में संदर्भ ग्रंथ के रूप में राष्ट्र स्तर पर मान्य ''कॉल एंड शकधर'' लिखित पुस्तक ''संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया'' का प्रासंगिक संदर्भ लिया गया और तय हुआ कि समिति इस मामले में एक अलग प्रतिवेदन देगी तथा निविदा मूल्यांकन के लिए गठित तकनीकी उपसमिति और उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों को बुलाकर जानकारी हासिल करेगी. इस संदर्भ में ''कॉल एंड शकधर'' के संदर्भ ग्रंथ ''संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया'' का प्रासंगिक अंश निम्नवत है :–

विशेष प्रतिवेदन देने की शक्ति :

''समिति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि वह ठीक समझे, तो किसी ऐसे विषय पर, जो उसके कार्य के दौरान उत्पन्न हो या प्रकाश में आये और जिसे समिति अध्यक्ष या सभा, यथास्थिति के ध्यान में लाना आवश्यक समझे, विशेष प्रतिवदेन दे सकती है, चाहे ऐसा विषय समिति के निदेश मदों से प्रत्यक्षतया संबंधित न हो अथवा उसके अंतर्गत नहीं आता हो या उनसे आनुषंगिक नहीं हो.''

कार्यान्वयन समिति ने 4 अगस्त, 2006 को तकनीकी उपसमिति और उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के सदस्यों को तलब किया. इसके प्रतिक्रिया स्वरुप नगर विकास विभाग के मंत्री श्री रघुवर दास ने एक पत्र विधान सभा अध्यक्ष को लिखा, जिस पर विमर्श करने का निर्देश सभा अध्यक्ष ने कार्यान्वयन समिति के सभापति को दिया. सभाध्यक्ष के साथ विमर्श हुआ. 4 अगस्त 2006 को बुलायी गयी बैठक यथावत रही. माननीय सभा अध्यक्ष ने बैठक करने की अनुमति दी. परंतु दोनों समितियों के सदस्य इस बैठक में उपस्थित नहीं हुये. समिति ने इस बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति और मंत्री श्री रघुवर दास द्वारा माननीय सभा अध्यक्ष को लिखे गये पत्र पर विचार किया. नगर विकास मंत्री श्री रघुवर दास ने कार्यान्वयन समिति द्वारा तकनीकी उपसमिति और उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों को बुलाने का विरोध किया. उन्होंने माननीय विधान सभा अध्यक्ष को जो पत्र लिखा था, वह अर्द्ध सरकारी पत्र सं.– 1285 हू–ब–हू नीचे दिया जा रहा है :–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

1. गत सत्र में राँची में समेकित सिवरेज–ड्रेनेज के निर्माण हेतु परामर्शी चयन के मामले की जाँच करने के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों की मांग पर आपके द्वारा विधान सभा की विशेष समिति का गठन किया गया. विशेष समिति का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नगर विकास विभाग द्वारा तदनुसार कार्रवाई करते हुए उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन कर तकनीकी बिन्दुओं की जाँच करायी गयी. तकनीकी समिति का जाँच प्रतिवेदन कैबिनेट द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात् परामर्शी का चयन किया गया और राँची नगर निगम द्वारा चयनित परामर्शी को कार्यादेश निर्गत किया गया. परामर्शी द्वारा कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है.

2. विधान सभा की क्रियान्वयन समिति द्वारा विशेष समिति की अनुशंसा के क्रियान्वयन को लेकर कई बैठकें की गयी हैं. नगर विकास विभाग द्वारा क्रियान्वयन समिति को विशेष समिति की अनुशंसा के क्रियान्वयन की लिखित सूचना दे दी गयी है तथा उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का जाँच प्रतिवेदन भी उपलब्ध करा दिया गया है. मैं समझता हूँ कि क्रियान्वयन समिति को अब नगर विकास विभाग से प्रासंगिक मामले में और किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए.

3. क्रियान्वयन समिति द्वारा दिनांक 4.8.2006 को पुन: निविदा की तकनीकी मूल्यांकन के लिए गठित तकनीकी समिति एवं विशेष समिति की अनुशंसा के आलोक में तकनीकी बिन्दुओं की जाँच के लिए गठित कमिटि के सदस्यों को अलग–अलग समय पर बुलाया गया है. मैं समझता हूँ कि समिति को अब तकनीकी समिति के सदस्यों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विभाग द्वारा विशेष समिति की अनुशंसाओं को क्रियान्वित कर दिया गया है. मेरी जानकारी के अनुसार क्रियान्वयन समिति का कार्यक्षेत्र विधानसभा की समितियों द्वारा की गयी अनुशंसाओं को संबंधित विभागों द्वारा क्रियान्वयन कराने का है.

4. कार्य करने वाले पदाधिकारियों द्वारा कार्य के दौरान मानवीय भूल भी हो सकती है और बार–बार अनावश्यक रूप से समिति के समक्ष उपस्थित होने पर उनमें कार्य के प्रति अभिरूचि कम हो जाती है. प्राय: सभी पदाधिकारियों द्वारा भी व्यक्तिगत रूप से मेरे समक्ष इस बात की चिन्ता व्यक्त की गयी है.

5. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक मार्गनिर्देशन देने की कृपा की जाय.

सादर,

आपका

ह./– (रघुवर दास)/01.08.2006

सेवा में,
श्री इन्दर सिंह नामधारी
अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा.

• • •

मंत्री श्री रघुवर दास के इस पत्र पर कार्यान्वयन समिति ने गहराई से मंथन किया और इस पर अपने मंतव्य से माननीय सभा अध्यक्ष को अवगत कराया, जो निम्नवत है :–

''माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग का एक पत्र, जो माननीय सभाध्यक्ष को लिखा गया है, उसे माननीय सभा अध्यक्ष द्वारा सभापति, कार्यान्वयन समिति को विमर्श के लिए भेजा गया. यह पत्र संचिका में रखा गया है. इस पत्र पर माननीय सभा अध्यक्ष से विमर्श हुआ. इस पत्र में माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग का यह कहना है कि कार्यान्वयन समिति को विशेष समिति की अनुशंसा के क्रियान्वयन के बारे में विभाग द्वारा लिखित सूचना दे दी गयी है तथा उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का जाँच प्रतिवेदन भी उपलब्ध करा दिया गया है. समिति को इस प्रासंगिक मामले में नगर विकास विभाग से और किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. अपने पत्र के कंडिका–3 में माननीय मंत्री ने कहा है कि कार्यान्वयन समिति का कार्य क्षेत्र विधानसभा की समितियों द्वारा की गई अनुशंसाओं का संबंधित विभागों द्वारा क्रियान्वयन कराने का है. इसलिए समिति को मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति के संबंध में गठित तकनीकी उपसमिति एवं उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. आगे उन्होंने कंडिका–4 में कहा है कि कार्य करनेवाले पदाधिकारियों द्वारा कार्य के दौरान मानवीय भूल भी हो सकती है और बार–बार शारीरिक रूप से समिति के समक्ष उपस्थित होने पर उनकी कार्य के प्रति रूचि कम हो जाती है. संबंधित सभी पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से मेरे समक्ष इस बात की चिन्ता व्यक्त की है.

अध्यक्ष महोदय, ''कार्यान्वयन समिति के कार्य क्षेत्र के बारे में समिति पूरी तरह अवगत है और अभी तक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही अपनी कार्यवाही का संचालन करती रही है. विगत 28 जुलाई, 2006 को हुई समिति की बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा की विशेष जाँच समिति की अनुशंसा क्या है. इस अनुशंसा में निहित तकनीकी पहलुओं की जाँच कराने के बाद ही आगे की कार्यवाही करने की बात कही गयी है. चूंकि तकनीकी पहलुओं की जाँच के नतीजे पर ही आगे की कार्रवाई निर्भर करती है, इसलिए समिति निविदा मूल्यांकन करने वाली तकनीकी उपसमिति के सदस्यों से उनके मूल्यांकन के तरीके ओर निष्कर्ष के बारे में और विभाग द्वारा उन्हें उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के बारे में जानकारी चाहती है. वैसे विधान सभा की किसी भी समिति को यह अधिकार प्राप्त है कि अपनी कार्यवाही के दौरान अगर कोई ऐसा विषय आता है जिसका संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रासंगिक विषय से है तो समिति इस संबंध में अलग प्रतिवेदन दे सकती है.

विगत 28 जुलाई 2006 की बैठक में समिति ने इस विषय पर अध्यक्ष महोदय से भी मार्गदर्शन की अपेक्षा की है. जहाँ तक कार्य करने वाले पदाधिकारियों द्वारा कार्य के दौरान मानवीय भूल करने की बात है, समिति यह स्पष्ट करना चाहती है कि समिति ने मेनहर्ट परामर्शी के योग्य नहीं होने के संबंध में उपलब्ध तथ्यों को विभाग और सभा अध्यक्ष के समक्ष रखा है. इन्हें मानवीय भूल के रूप में लेना सही नहीं है. या तो तकनीकी पदाधिकारियों ने जान–बूझकर तथ्यों की अनदेखी की है अथवा नगर विकास विभाग ने तकनीकी समितियों के समक्ष सम्पूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया है. विधान सभा की विशेष जाँच समिति के समक्ष नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में कहा गया है कि **निविदा केवल दो मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित की गयी थी, एक तकनीकी और दूसरा वित्तीय. जबकि निविदा प्रपत्र के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित है कि निविदा प्रस्ताव तीन मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत किया जायेगा.** पहले मुहरबंद लिफाफे में निविदादाताओं की योग्यता अंकित रहेगी. योग्यता के किसी भी मापदण्ड पर अगर निविदादाता का प्रस्ताव खरा नहीं उतरता है तो उसे आगे के किसी भी मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जायेगा. इस तथ्य को नगर विकास विभाग ने विधानसभा की विशेष जाँच समिति के समक्ष रखे गये विवरण में ओझल कर दिया है, जिसके कारण विधानसभा की विशेष जाँच समिति किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँचने में कामयाब नहीं हो सकी. नतीजतन, समिति ने अनुशंसा की है कि कतिपय तकनीकी पहलुओं की जाँच आवश्यक प्रतीत होती है. इसलिए तकनीकी पहलुओं की जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाय.

माननीय सभा अध्यक्ष को लिखे गये पत्र में माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा यह कहा जाना उचित नहीं है कि बार–बार अनावश्यक रूप से समिति के समक्ष पदाधिकारियों को उपस्थित होने के लिए कहा जाता है. कार्यान्वयन समिति द्वारा केवल एक बार नगर विकास विभाग के सचिव को उपस्थित होकर समिति के सामने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था. इसके बाद दूसरी बार समिति ने आज तकनीकी उपसमिति और मुख्य समिति दोनों समितियों के सदस्यों को उपस्थित होकर निविदा मूल्यांकन के बारे में समिति के सामने वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए बुलाया था. ऐसी स्थिति में विभागीय पदाधिकारी अगर विधानसभा की समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं और इस बारे में माननीय मंत्री के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और माननीय मंत्री इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं तो यह न केवल दुखद है, बल्कि ऐसे अधिकारियों की कर्तव्यपरायणता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है.

कार्यान्वयन समिति के समक्ष जो तथ्य रखे गये हैं, वे उन्हीं कागजातों से मिले हैं, जिन्हें नगर विकास विभाग ने विधानसभा की विशेष जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निविदा मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा गठित तकनीकी उप समिति और मुख्य समिति ने इन तथ्यों पर विचार नहीं किया है और उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के सामने सरकार द्वारा वे तथ्य नहीं रखे गये हैं, जिसके अनुसार मेनहर्ट परामर्शी को मूल्यांकन के आरम्भ में ही अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए था और उसके निविदा प्रस्ताव का आगे मूल्यांकन नहीं होना चाहिए था. आज की बैठक में दोनों तकनीकी समिति के सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारण उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किए बिना भी समिति इस तथ्य को अंकित करा देना चाहती है. समिति माननीय अध्यक्ष महोदय से इस बारे में आवश्यक मार्गदर्शन चाहती है कि दोनों तकनीकी समिति के सदस्यों को कार्यान्वयन समिति के समक्ष कब बुलाया जाय ताकि समिति आगे की कार्रवाई कर सके. उपर्युक्त मंतव्य के साथ कार्यान्वयन समिति की संचिका माननीय विधान सभा अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित कर दी गई.

कार्यान्वयन समिति के इस मंतव्य पर सभाध्यक्ष का आदेश काफी दिनों तक नहीं आया. इस बीच झारखण्ड में सरकार बदल गई. श्री अर्जुन मुंडा की जगह श्री मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन गये और श्री इंदर सिंह नामधारी की जगह श्री आलमगीर आलम विधान सभा के अध्यक्ष हो गये. इसके बाद संचिका 30 अक्टूबर 2006 को सभाध्यक्ष

के यहाँ से कार्यान्वयन समिति के पास लौटी. सभा अध्यक्ष के निदेशानुसार 17.11.2006 को पूर्वाह्न 11 बजे कार्यान्वयन समिति की बैठक में तकनीकी उपसमिति के सदस्यों को और 12 बजे उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के सदस्यों को बुलाया गया. ये समिति के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके. समिति ने इनके संदिग्ध आचरण से नगर विकास विभाग को अवगत कराते हुये इनके विरूद्ध कारवाई करने का निर्देश दिया, जिसका पालन विभाग ने अबतक नहीं किया है.

इसके बाद समिति ने वित्त विभाग के सचिव को भी बुलाया. वे मुख्य समिति के अध्यक्ष थे. किसी कारणवश वे नहीं आये. उनकी जगह वित्त विभाग के अपर आयुक्त, श्री अंजनी कुमार आये. समिति ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि आपको लगता है कि समिति के समक्ष दिये गये आपके वक्तव्य में कुछ छूट गया है या आपकी तरफ से अतिरिक्त तथ्य देना है तो आप लिखकर दे सकते हैं. इस बीच नवनिर्वाचित विधान सभा अध्यक्ष को भी श्री रघुवर दास का एक पत्र प्राप्त हुआ. यह पत्र उन्होंने पूर्व मंत्री के रूप में भेजा था. इस पत्र की प्रति उन्होंने कार्यान्वयन समिति को भी भेजा था. यह पत्र हू–ब–हू नीचे दिया जा रहा है. इस पत्र में पूर्व मंत्री श्री दास ने कार्यान्वयन समिति पर मनगढ़ंत आरोप लगाया है.

• • •

सेवा में,

रांची, 12.12.2006

माननीय अध्यक्ष जी,
झारखण्ड विधानसभा, राँची.

महोदय,

दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 को राँची से प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों में राँची नगर निगम क्षेत्र में सिवरेज–ड्रेनेज निर्माण का परामर्शी मेनहर्ट को नियुक्त किए जाने में मेरे मंत्रित्वकाल में लिए गए कथित निर्णय को लेकर मेरे चरित्र–हनन का प्रयास विधानसभा की कार्यान्वयन समिति के हवाले से किया गया है.

उल्लेखनीय है कि राँची नगर निगम क्षेत्र में सिवरेज ड्रेनेज निर्माण के लिए परामर्शी एजेंसी का चयन करने हेतु राज्य सरकार की तकनीकी समिति एवं उच्च स्तरीय समिति गठित थी, उसी के अनुशंसा के आलोक में मेनहर्ट को कार्य आवंटित किया गया था. तत्कालीन नगर विकास मंत्री की हैसियत से मेनहर्ट को निर्धारित

लागत से लगभग तीस चालीस ..... रूपये* की लागत पर कार्य करने हेतु सहमत कराया था. जहाँ तक मेनहर्ट को काम दिए जाने की बात है, इस पर विधानसभा में काफी हो–हल्ला होने के फलस्वरूप विधानसभा की विशेष जाँच समिति बनायी गयी थी, जिसने रिपोर्ट में किसी प्रकार की अनियमितता के तथ्य को प्रकाश में नहीं लाया. विशेष जाँच समिति के प्रतिवेदन के बाद जब इसके कार्यान्वयन का जिम्मा विधानसभा की कार्यान्वयन समिति को सौंपा गया, तो समिति ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मेनहर्ट को वर्णित कार्य आवंटन को ही गलत सिद्ध करने की कोशिश शुरू कर दी तथा मेरे कार्यकाल में विभाग द्वारा लिये गये निर्णय पर चरित्र हनन की राजनीति की शुरूआत की.

वर्णित स्थितियों में आपसे अनुरोध है कि कार्यान्वयन समिति को प्रक्रिया के निर्धारित नियमों के अनुसरण में कार्य करने का निर्देश दिया जाए, साथ ही प्रेस वक्तव्यों के माध्यम से पूर्व में गठित विशेष समिति के सदस्यों को अयोग्य ठहराने तथा खुद को ही सर्वथा योग्य सिद्ध करने से बचने की सलाह दें.

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के आलोक में समिति की बैठकों की कार्यवाही गोपनीय मानी जाती है. अत: समिति के सदस्यों को यह निर्देश भी दिया जाना चाहिए कि वे अपने प्रतिवेदन देने के पूर्व बैठकों की कार्यवाही सार्वजनिक न करें.

* ***पत्र से हू–ब–हू उद्धृत है.***

विश्वासभाजन

ह./–(रघुवर दास)

• • •

नगर विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री श्री रघुवर दास द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को कार्यान्वयन समिति के सभापति के विरूद्ध लिखा गया यह पत्र उनकी दोषी मनोवृति का द्योतक है. यह कार्यान्वयन समिति की जाँच को प्रभावित करने का उनका हताशाजनक प्रयास है. उनके द्वारा विधान सभा में की गई दम्भोक्ति–सांच को आंच क्या– की भावना के विपरीत है. कहावत है "Guilty mind is always suspicious." दोषी मस्तिष्क हमेशा संदेहग्रस्त रहता है कि कहीं उसकी गलती पकड़ी न जाये.

इस पत्र में उन्होंने दो बिन्दु उठाए हैं. एक कि कार्यान्वयन समिति अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जाँच कर रही है. उनके इस बिन्दु का उत्तर समिति ने उस समय दे दिया था, जब जाँच बाधित करने लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को

01.08.2006 को पत्र लिखा था. इस कारण जाँच कुछ माह के लिए बाधित हो गई थी. कार्यान्वयन समिति ने इस प्रसंग में अपने मंतव्य से माननीय सभा अध्यक्ष को अवगत करा दिया था.

उनका दूसरा बिन्दु है कि विधानसभा की समितियों की कार्यवाही गोपनीय होती है. इस बारे में मैं पुन: ''कॉल एंड शकधर''के संदर्भ ग्रंथ ''संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया'' का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसमें नियम 269(2) का हवाला देते हुए कहा गया है कि ''यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वह उसके सामने दिये गये किसी मौखिक या लिखित साक्ष्य को गोपनीय या गुप्त समझे. भले ही कोई साक्षी स्पष्ट रूप से यह इच्छा व्यक्त करे कि उसके साक्ष्य को गोपनीय समझा जाय, तो भी समिति इसके विरूद्ध फैसला कर सकती है.'' पर यहाँ तो किसी साक्ष्य देनेवाले ने इस तरह का अनुरोध भी नहीं किया था. फिर श्री रघुवर दास को यह कैसे लगा कि इससे समिति की गोपनीयता भंग हुई है और इससे उनका चरित्र हनन हो रहा है.

इस संबंध में एक अन्य प्रकरण का उदाहरण देना प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है. यह प्रकरण सितम्बर, 2010 का है. 13.09.2010 और 14.09.2010 को 'न्यूज–11' नामक टी.वी. चैनल ने एक खबर चलाई थी कि **''रघुवर पर एफ.आई.आर. का आदेश। 21 करोड़ 20 लाख का है घोटाला. मेनहर्ट मामले में हाईकोर्ट ने दिया आदेश.''** इस पर श्री रघुवर दास ने न्यूज–11 के मुख्य संपादक और रिपोर्टर सह संयुक्त संपादक श्री हरिनारायण सिंह को अवमानना की नोटिस झारखण्ड हाईकोर्ट के एक वरीय अधिवक्ता द्वारा भिजवाई और कहा था कि ये लोग 15 दिन के भीतर माफी मांगें नहीं तो 20 लाख रूपये का हर्जाना दें. अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. पता नहीं, इस वकालती नोटिस का क्या हुआ? उनलोगों ने माफी मांगी या नहीं? पर मेरी जानकारी के मुताबिक उनके विरूद्ध मानहानि का मुकदमा किसी न्यायालय में दायर नहीं हुआ.

इसके बाद कार्यान्वयन समिति ने नगर विकास विभाग के सचिव को लिखा कि यदि आपको इस मामले में कुछ और भी कहना है तो कहें. नगर विकास विभाग के सचिव द्वारा या समिति के सामने उनकी ओर से साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हुये पदाधिकारियों की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या प्रतिवाद नहीं आया तो तथ्यों का विश्लेषण करते हुए कार्यान्वयन समिति ने 7 जनवरी, 2007 को अपना प्रतिवेदन विधान सभा अध्यक्ष को सौंप दिया. इसकी प्रति नगर विकास विभाग को भी भेज दी गई. प्रतिवेदन में समिति की अनुशंसा निम्नवत है :–

(1) नगर विकास विभाग द्वारा सभा की विशेष समिति की अनुशंसा का सही कार्यान्वयन नहीं किया गया है. समिति अनुशंसा करती है कि नगर विकास विभाग द्वारा राँची के समेकित सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना के लिए मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति और इसे दिया गया कार्यादेश अविलम्ब रद्द किया जाय.

(2) सभा की विशेष समिति की अनुशंसा के गलत कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से नगर विकास विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति, विशेषकर इसके संयोजक, पूरी तरह जिम्मेदार हैं. समिति अनुशंसा करती है कि इनके विरूद्ध अविलम्ब विधिसम्मत कार्रवाई प्रारम्भ की जाय.

(3) निविदा प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए गठित तकनीकी उपसमिति ने अपने दायित्व का उचित निर्वहन नहीं किया है. निविदा प्रपत्र में वर्णित योग्यता और अनुभव के मापदंड के अनुरूप मेनहर्ट परामर्शी के निविदा प्रस्ताव के मूल्यांकन में इस समिति का आचरण पक्षपातपूर्ण है. समिति अनुशंसा करती है कि तकनीकी उपसमिति के सदस्यों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाय.

(4) निविदा प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए गठित मुख्य समिति ने तकनीकी उपसमिति के मूल्यांकन पर मुहर लगाने में लापरवाही का परिचय दिया है. निविदा रद्द करने और शर्तों में संशोधन के साथ फिर से निविदा प्रकाशित करने के अपने निर्णय के विरूद्ध उसी निविदा प्रस्ताव का पुन: मूल्यांकन करने और मेनहर्ट परामर्शी का गलत चयन करने का मुख्य समिति के सदस्यों का आचरण उनके पद एवं जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं है. समिति अनुशंसा करती है इसके लिए उन्हें कड़ी चेतावनी दी जाय.

(5) जून, 2005 में ग्लोबल टेंडर प्रकाशित करने की परिस्थिति से लेकर मेनहर्ट परामर्शी के चयन और सभा की विशेष समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया में कतिपय ऐसे तथ्य उभर कर सामने आये हैं, जिनकी छानबीन समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. समिति अनुशंसा करती है कि सरकार इसकी आवश्यक जाँच कराये.

सार संक्षेप

1. नगर विकास विभाग ने पूर्व में विधान सभा की विशेष जाँच समिति और उच्च स्तरीय तकनीकी समिति को गुमराह किया था. उसी तरह उन्होंने कार्यान्वयन समिति को भी गुमराह करने की कोशिश की. इन्होंने समिति के सामने जो

दस्तावेज रखा, उसमें अंकित था कि निविदा दो मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित की गई थी. एक तकनीकी लिफाफा और दूसरा वित्तीय लिफाफा. उन्होंने समिति से यह तथ्य छुपा लिया कि एक अन्य लिफाफा योग्यता का भी है, कारण कि योग्यता के मापदंड पर मेनहर्ट अयोग्य था और जो किसी भी एक मापदंड पर अयोग्य हो जायेगा वह निविदा मूल्यांकन की आगे की प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा.

2. अयोग्य होने के बाद भी इन्होंने मेनहर्ट को नियुक्त कर लिया था. इसलिए सचिव सहित विभाग के अन्य अधिकारी और स्वयं विभाग के तत्कालीन मंत्री हर अवसर पर योग्यता वाले लिफाफा की बात छुपाते रहे. ये सभी निविदा शर्तों पर अयोग्य मेनहर्ट को योग्य साबित करने की साजिश में शामिल हैं.

3. नगर विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री श्री रघुवर दास ने कार्यान्वयन समिति की जाँच को बाधित करने का प्रयास किया. विधानसभा अध्यक्ष को दो बार बेबुनियाद पत्र लिखा, समिति की मंशा पर ऊंगली उठायी और जाँच को बाधित किया.

4. उन्होंने अपने विभाग के उन अधिकारियों को कार्यान्वयन समिति की बैठक में आने से रोक दिया जिन्होंने निविदा का गलत मूल्यांकन किया था और अयोग्य को योग्य बना दिया था. इस प्रकार उन्होंने कार्यान्वयन समिति की जाँच को बाधित किया.

5. 'सांच को आंच क्या' की घोषणा करने वालों की गलतियाँ पकड़ ली जाती हैं तो वे 'चोरी भी और सीनाजोरी भी' की दबंगई पर उतर जाते हैं. नियम–कानून को ठेंगा दिखाने का उनका दुस्साहस उनके चरित्र की खोट को प्रतिबिम्बित करता है.

6. कार्यान्वयन समिति ने इस मामले की गहन जाँच नहीं की होती तो निहित स्वार्थियों के मकड़जाल में फंसकर भ्रष्टाचार का यह मामला हमेशा के लिए दम तोड़ चुका होता. राँची नगर में सिवरेज–ड्रेनेज की बदहाल स्थिति के जिम्मेदार किरदारों की करतूतें सामने नहीं आ पातीं.

●●●

खण्ड–8

अभियंता प्रमुखों द्वारा जाँच

विधान सभा अध्यक्ष को समर्पित कार्यान्वयन समिति का जाँच प्रतिवेदन नगर विकास विभाग में पहुँचा तो विभाग ने इसपर शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया. विभाग की संबंधित संचिका में अंकित विवरण इसका गवाह है. इन्होंने कार्यान्वयन समिति की कार्यप्रणाली की विश्वसनीयता पर अनाप–शनाप सवाल उठाया, जिसके विस्तार में जाना रुचिकर नहीं होगा. इनका रवैया 'उल्टे चोर कोतवाल को डाँटे' वाला था. परन्तु तत्कालीन मुख्यमंत्री मधुकोड़ा ने कार्यान्वयन समिति के प्रतिवेदन में अंकित गंभीर अनियमितताओं की जाँच का आदेश दिया. जाँच के लिये अभियंता प्रमुख स्तर के पाँच वरीय तकनीकी विशेषज्ञों की समिति बनाई गई. इस समिति में निम्नांकित अभियंता शामिल किये गये :–

1. श्री एस. हसन, मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
2. श्री एस.के. मिश्रा, अभियंता प्रमुख, सिंचाई विभाग
3. श्री एस.के. मिश्रा, अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षण कोषांग
4. श्री सूर्यदेव प्रसाद, अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग
5. श्री पी.एम. टोप्पो, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग

इस समिति ने अलग अलग दो प्रतिवेदन दिये. चार लोगों ने एक साथ एक प्रतिवेदन दिया और श्री सूर्यदेव प्रसाद, अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग ने अपना अलग प्रतिवेदन दिया. दोनों ने ही विषयवस्तु की व्यापकता और गहराई में जाकर जाँच नहीं किया. परंतु दोनों ने माना कि निविदा शर्तों के आधार पर मेनहर्ट अयोग्य था. ये प्रतिवेदन 2 अप्रैल, 2008 को राज्य सरकार को सौंपे गये. दोनों ही प्रतिवेदन हू–ब–हू नीचे दिये जा रहे हैं :–

चार सदस्यों का संयुक्त प्रतिवेदन :–

1. चूंकि नगर विकास विभाग द्वारा राँची नगर निगम क्षेत्र में समेकित सिवरेज ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति और कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है. मेनहर्ट द्वारा सम्भवत: इस पर काफी हद तक डी.पी.आर. बनाने का कार्य किया जा चुका है. इसलिए कार्यादेश रद्द करने या

चालू करने के संबंध में विभाग या सरकार को अपने स्तर से निर्णय लेना चाहिए.

2. जहाँ तक मेनहर्ट के फिजिबिलिटि से संबंधित प्रतिवेदन, जिसमें विगत तीन वर्षो के टर्न ओवर और विगत तीन वर्ष से मुनाफे में रहने से संबंधित है, मेनहर्ट द्वारा वर्ष 2001–02, 2002–03, 2003–04, के टर्न ओवर अभिलेख में दिया गया है. जबकि प्रि–बिड मिटिंग में एवं निविदा आमंत्रण सूचना शर्त के कंडिका–3 में स्पष्ट उल्लेख है कि टर्न ओवर वर्ष 2002–03, 2003–04 का अंकेक्षित एवं 2004–05 का अनांकेक्षित रहना चाहिए. कार्यान्वयन समिति के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक श्री एस.पी. सिन्हा ने वर्ष 2001–02 के टर्न ओवर को मानने की अनुशंसा की थी. इसलिए इस संबंध में सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा सकती है.

3. तकनीकी उपसमिति द्वारा निविदा में निहित शर्तों के अनुरूप मेनहर्ट का भी वर्ष 2002–03, 2003–04 का अंकेक्षित एवं 2004–05 का अनांकेक्षित टर्न ओवर एवं लगातार लाभ में रहने के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की अनुशंसा की जानी चाहिए थी. मेनहर्ट द्वारा 2002–03 तथा वर्ष 2003–04 का क्रमश: 54.989 तथा 49.143 करोड़ के टर्न ओवर (अंकेक्षित) के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। वर्ष 2004–05 का प्रतिवेदन नहीं दिया गया है. यदि मेनहर्ट द्वारा इसके पूर्ववर्ती वर्षों यथा 2001–02, 2000–01 का प्रतिवेदन जो निविदा अभिलेख में दिया गया है, को भी विचारणीय माना जाय तो उसकी क्षमता कार्य के अनुरूप प्रतीत होती है.

Barchill Partners Pvt. Ltd. द्वारा भी वर्ष 2002–03, 2003–04 का अनांकेक्षित टर्न ओवर प्रस्तुत किया गया था और उनके द्वारा वर्ष 2004–05 का टर्न ओवर प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके कारण उनको अयोग्य घोषित किया गया था, परन्तु मेनहर्ट का मामला इस प्रकार का नहीं है.

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.08.2005 को राँची सिवरेज ड्रेनेज परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित निविदा प्रस्तावों की समीक्षा हेतु जो बैठक आयोजित हुई थी उसमें निविदा को रद्द करने हेतु निर्णय लिया गया था. परन्तु दिनांक 17.08.2005 को आयोजित मुख्य समिति एवं तकनीकी उपसमिति के सदस्यों के बैठक में Eligibility के संबंध में परिवर्तन किया गया तथा तदोपरांत

दस्तावेजों के अध्ययन के उपरांत एक तुलनात्मक विवरणी तैयार की गयी तथा इसके अनुरूप अग्रेतर निर्णय लेते हुए मेनहर्ट को कार्य आवंटित किया गया.

वैसे तो विशुद्ध तकनीकी कारणों पर मेनहर्ट अयोग्य हो जाता है (निविदा शर्तों के अनुरूप) परन्तु मैनहर्ट की वित्तीय क्षमता (टर्न ओवर) कार्य के योग्य प्रतीत होती है (पूर्ववर्ती वर्षों के टर्न ओवर के आलोक में). राज्य हित में सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय ले सकती है.

ह./- (एस. हसन) ह./-(बी.एन. प्रसाद) ह./-(एस.के. मिश्रा) ह./-(पी.एम. टोप्पो)

श्री सूर्यदेव प्रसाद, अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग का अलग प्रतिवेदन:-

1. चूंकि नगर विकास विभाग द्वारा राँची नगर निगम क्षेत्र में समेकित सिवरेज ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति और कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है. इसलिए कार्यादेश रद्द करने के लिए विभाग या सरकार को अपने स्तर से निर्णय लेना उपयुक्त होगा.
2. जहाँ तक मेसर्स मेनहर्ट की योग्यता से संबंधित प्रतिवेदन, जिसमें विगत तीन वर्षों के टर्न ओवर और विगत तीन वर्ष से मुनाफे में रहने से संबंधित है, निविदा आमंत्रण सूचना शर्त के कंडिका – 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 का अंकेक्षित टर्न ओवर का औसत रू. 40 करोड़ या उससे उपर होना चाहिए.
3. तकनीकी उपसमिति द्वारा निविदा में निहित शर्तों के अनुरूप मेनहर्ट का भी वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 के टर्न ओवर के औसत एवं लगातार लाभ में रहने के आधार पर ही निविदा पर निर्णय लेने की अनुशंसा करनी चाहिए थी. **इसमें तकनीकी उप समिति द्वारा चूक हुई है.** मेनहर्ट द्वारा 2004–05 का टर्न ओवर उपलब्ध नहीं कराया गया है. यदि इनके वित्तीय वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 का (2004–05 शून्य मानकर) औसत टर्न ओवर लिया जाता तो यह चालीस करोड़ रूपये से नीचे आता। **इस प्रकार मेसर्स मेनहर्ट की निविदा अमान्य घोषित हो जाती है.**

   Barchill Partners Pvt. Ltd. द्वारा भी वर्ष 2002–03, 2003–04 का अनांकेक्षित टर्न ओवर प्रस्तुत किया गया था और उनके द्वारा वर्ष 2004–05 का टर्न ओवर प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके कारण उनको अयोग्य घोषित किया गया था. **इसी प्रकार मेनहर्ट को भी अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था.**

4. निविदा प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए गठित मुख्य समिति ने भी तकनीकी उप समिति के मूल्यांकन पर बिना एन.आई.टी. में निहित शर्तों पर विचार किए हुए निविदा के प्रस्ताव को पुन: मूल्यांकन करने एवं मेनहर्ट परामर्शी का चयन करने में गलती की है.

5. **जून, 2005 में ग्लोबल टेंडर प्रकाशित करने की परिस्थिति से लेकर मेनहर्ट परामर्शी के चयन तक में भूल हुई है.**

(ह. सूर्यदेव प्रसाद)

सार संक्षेप

1. दोनों ही प्रतिवेदनों का निष्कर्ष है कि निविदा की शर्तों के अनुसार मेनहर्ट अयोग्य साबित हो जाता है.

2. स्पष्ट तकनीक बिन्दुओं एवं निविदा शर्तों पर जाँच समिति के पाँच सदस्यों का एकमत नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त प्रतिवेदन देने वाले चार अभियंता प्रमुख दबाव में थे.

3. चार अभियंताओं का संयुक्त प्रतिवेदन भी मानता है कि निविदा शर्तों के आधार पर मेनहर्ट अयोग्य है, पर उसके पहले वर्षों के टर्न ओवर के अनुसार उसकी आर्थिक क्षमता मजबूत है. जब निविदा में तीन वित्तीय वर्षों का स्पष्ट उल्लेख है तब अन्य वर्षों का जिक्र जाँच प्रतिवेदन में करने का कोई तुक नहीं है. इसे वरिष्ठ अभियंताओं की तकनीकी बेइमानी की संज्ञा दी जा सकती है.

4. दोनों ही प्रतिवेदनों की जाँच निविदादाताओं के टर्न ओवर तक ही सीमित रही है. योग्यता की दूसरी शर्त का इन्होंने जिक्र तक नहीं किया है. तकनीकी मूल्यांकन में हुए पक्षपात के पहलू पर भी ये चुप हैं. इस पर इन्होंने गौर ही नहीं किया है.

5. वित्तीय निगोशियेसन में मेनहर्ट को अधिक दर पर कार्य देने पर भी इन्होंने विचार तक नहीं किया है, इस पर मौन साध लिया है. वरीय तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा निविदा प्रस्ताव की जाँच व्यापकता और गहराई से नहीं करना आश्चर्यजनक है. फिर भी दोनों ही प्रतिवेदनों में मेनहर्ट को अयोग्य ठहराया गया है.

●●●

खण्ड–9

निगरानी ब्यूरो की जाँच में अड़ंगा

विधानसभा की कार्यान्वयन समिति का प्रतिवेदन 7 जनवरी 2007 को सौंप दिया गया था. इसके आधार पर गठित पाँच अभियंता प्रमुखों का जाँच प्रतिवेदन 2 अप्रैल 2008 को सरकार के पास आया. इसके बाद भी सरकार ने इनकी अनुशंसाओं और मंतव्यों के आधार पर दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई नहीं की. पाँच अभियंताओं की जाँच समिति गठित होने के पहले ही सरकार ने मेनहर्ट को कार्य आदेश दे दिया था. इस पर कतिपय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जाँच समिति के प्रतिवेदनों की प्रतियाँ प्राप्त की. मेनहर्ट की नियुक्ति में हुये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की निगरानी जाँच कराने के लिये एक परिवाद पत्र सरकार और निगरानी ब्यूरो के समक्ष दाखिल किया गया. इस बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. कारण कि मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन तमाड़ विधान सभा उपचुनाव हार गये थे. कांग्रेस समर्थित उनकी सरकार गिर गई थी. इस कारण झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया था.

माननीय राज्यपाल के सलाहकार श्री जी. कृष्णन् ने परिवाद पत्र को कारवाई के लिये निगरानी विभाग में भेज दिया. उन्होंने 23 सितंबर 2009 को मेनहर्ट की नियुक्ति में अनियमितता की जाँच करने का आदेश निगरानी आयुक्त को दे दिया. इसके साथ ही परिवाद पत्र की एक प्रति अलग से निगरानी ब्यूरो को भी प्राप्त हुई थी. निगरानी ब्यूरो ने इसके आधार पर परिवाद संख्या 593/09 दायर कर लिया. परिवाद पत्र 60 पृष्ठों का था जिसमें मेनहर्ट की नियुक्ति में हुई तमाम अनियमितताओं का विस्तार से जिक्र था. इस आधार पर निगरानी ब्यूरो ने परिवाद पत्र के आपराधिक पहलुओं की जाँच स्वतः आरम्भ कर दिया.

तब श्री एम. वी. राव (वर्तमान आरक्षी महानिदेशक) निगरानी ब्यूरो के आरक्षी उपमहानिरीक्षक थे. इस परिवाद पत्र में पूर्व नगर विकास मंत्री और विधायक श्री रघुवर दास को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था. इसके अतिरिक्त मेनहर्ट की बहाली संबंधी निविदा का मूल्यांकन करने वाली तकनीकी उपसमिति एवं उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के सदस्य अभियंतागण एवं मुख्य समिति के सदस्य वरीय अधिकारीगण भी इसमें अभियुक्त बनाये गये थे. इसलिए श्री राव ने जाँच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये 16 अक्टूबर 2009 को 60 पृष्ठों का मूल परिवाद पत्र संलग्न करते हुये

निगरानी आयुक्त को पत्र लिखकर उनसे इस संदर्भ में मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया. यह पत्र निम्नवत है –

पत्रांक – परि.सं.– 593/09/पत्रांक 285 (अनु0)
झारखण्ड सरकार
निगरानी ब्यूरो, राँची.

प्रेशक,

पुलिस उप–महानिरीक्षक,
निगरानी ब्यूरो, राँची.

सेवामें,

निगरानी आयुक्त,
मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग,
झारखण्ड, राँची.

राँची, दिनांक 16.10.2009

प्रसंग : परिवाद सं.–593/09 विरूद्ध ततकालीन नगर विकास मंत्री एवं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, श्री रघुवर दास, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के ततकालीन मुख्य अभियंता, उनके सहयोगी तथा निविदा की तकनीकी मूल्यांकन उप समिति के सदस्य.

विषय : प्राप्त परिवाद पत्र में अग्रेतर कार्रवाई हेतु मार्गदर्शन के संबंध में.

महाशय,

निदेशानुसार प्रसंगाधीन परिवाद संख्या– 593/09 मूल रूप में उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि इस पर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु मार्गदर्शन देने की कृपा की जाय.

अनु.–मूल परिवाद पत्र कुल 60 पृष्ठों में.

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर अस्पष्ट)
पुलिस उप महानिरीक्षक,
निगरानी ब्यूरो, राँची.

• • •

परंतु उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिला. निगरानी आयुक्त ने निगरानी ब्युरो द्वारा जाँच करने की अनुमति लेने हेतु ब्यूरो के इस पत्र से संबंधित संचिका राज्यपाल के सलाहकार के पास नहीं भेजा. इसकी जगह निगरानी आयुक्त ने निगरानी तकनीकी परीक्षण कोषांग से जाँच कराने की संचिका राज्यपाल के सलाहकार को भेज दिया, जिस पर राज्यपाल के सलाहकार ने जाँच करने हेतु आदेश कर दिया. निगरानी आयुक्त ने संचिका निगरानी तकनीकी परीक्षण कोषांग के कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता को जाँच के बारे में मंतव्य देने हेतु भेज दिया. 18 दिसंबर 2009 को निगरानी तकनीकी परीक्षण कोषांग के कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता ने आदेश की संचिका मुख्य अभियंता के पास भेज दिया. मुख्य अभियंता ने उसी दिन आरंभिक जाँच का आदेश दे दिया. आरंभिक जाँच के फलाफल का विस्तृत विवरण इस पुस्तक के अगले खंड–10 में अंकित है.

निगरानी आयुक्त द्वारा निगरानी ब्यूरो को जाँच करने की अनुमति नहीं देने के पीछे का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि निगरानी ब्यूरो जाँच आरम्भ करने के पहले प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करता है, अनुसंधान के क्रम पुख्ता साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तारी कर पूछताछ करता है और सबूत जुटाने के लिये अभियुक्तों के ठिकानों पर छापामारी भी करता है. अनुसंधान पूरा हो जाने पर चार्जशीट (आरोप पत्र) अदालत में दायर करने के समय भी गिरफ्तारी हो सकती है. मेनहर्ट के अवैध बहाली मामले में सबूत इतने पुख्ता थे कि इसमें निगरानी ब्यूरो की जाँच होने पर यह सब होना ही होना था. इसलिये निगरानी आयुक्त के यहाँ से पुलिस उप महानिरीक्षक श्री एम वी राव को जाँच करने की अनुमति नहीं मिली. एक अपराध पर परदा डालने और मेनहर्ट प्रकरण की निगरानी ब्यूरो द्वारा जाँच कराने की राह में अडंगा डालने का यह कुत्सित प्रयास था.

इस बीच ताहिर हुसैन नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मेनहर्ट की नियुक्ति में अनियमितता और भ्रष्टाचार संबंधी तमाम जानकारियाँ सूचना अधिकार अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इकट्ठा किया और इस आधार पर इसकी जाँच कराने की प्रार्थना के साथ झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका संख्या WP(PIL) संख्या 735/2010 दायर कर दिया. तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री भगवती प्रसाद और माननीय न्यायाधीश श्री नरेंद्र नाथ तिवारी की खंडपीठ ने याचिका के सुनवाई के उपरांत 13 सितम्बर 2010 को फैसला दिया, जो निम्नवत है :–

"The petitioner may approach the Director General (Vigilance),

and in case substance is found in his allegation, appropriate steps in accordance with law may be taken.

With this observation, this petition is disposed of."

Sd/- Bhagwati Prasad, J Sd/- Narendra Nath Tiwari, J

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के इस निर्णय के अनुरूप याचिकाकर्ता ने उनके पास उपलब्ध अनियमितता के प्रमाणों के साथ निगरानी आयुक्त के समक्ष एक परिवाद पत्र 21.9.2010 को दाखिल किया. निगरानी ब्यूरो ने इस परिवाद पत्र को भी परिवाद संख्या–593/09 के साथ नत्थी कर दिया. निगरानी ब्यूरो ने इस परिवाद पर जाँच की कार्रवाई आरम्भ किया. चुकि पूर्व मंत्री और विधायक श्री रघुवर दास इस परिवाद पत्र में मुख्य अभियुक्त थे, इसलिये निगरानी ब्यूरो ने निगरानी आयुक्त से नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिये अनुमति देने की माँग की. निगरानी ब्यूरो के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक श्री एम.वी. राव ने 22 सितंबर 2010 को इस परिवाद पत्र को संलग्न करते हुये मार्गदर्शन देने का अनुरोध निगरानी आयुक्त से किया. यह पत्र निम्नवत है –

पत्रांक– 5614
झारखण्ड सरकार
निगरानी ब्यूरो, राँची.

प्रेषक,

एम. वी. राव, भा. पु. से.,
पुलिस महानिरीक्षक
निगरानी ब्यूरो, राँची.

सेवामें,

निगरानी आयुक्त,
झारखण्ड, राँची.

राँची, दिनांक 22.09.2010

विषय : डब्लू. पी. (पी.आई.एल.) सं.– 735/2010 मो. ताहिर बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, निहित स्वार्थवश जानबूझ कर राँची के सिवरेज–ड्रेनेज निर्माण हेतु अयोग्य होने के बावजूद मेनहर्ट को परामर्शी नियुक्त करने इत्यादि के संबंध में.

महोदया,

उपर्युक्त विषय से संबंधित मोहम्मद ताहिर नामक व्यक्ति का परिवाद पत्र अनुलग्नक सहित प्राप्त हुआ है, जिसे संलग्न कर भेजा जा रहा है. यह परिवाद पत्र तत्कालीन मंत्री श्री रघुवर दास एवं अन्य पर आरोप से संबंधित है, जिसमें राज्य सरकार का मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक प्रतीत होता है.

निदेशानुसार अनुरोध है कि इस संबंध में उचित मार्गदर्शन देने की कृपा प्रदान की जाय.

अनु.– यथोपरि.

विश्वासभाजन
(एम. वी. राव)
पुलिस महानिरीक्षक,
निगरानी ब्यूरो, राँची.

• • •

इसके बाद श्री राव ने 4–12–2010 और 20–01–2011 को इस बारे में निगरानी आयुक्त को स्मार पत्र भेजा. परंतु निगरानी ब्यूरो को परिवाद की जाँच करने की अनुमति निगरानी आयुक्त से नहीं मिली. ये दोनों पत्र निम्नवत हैं –

पत्रांक– 7390
झारखण्ड सरकार
निगरानी ब्यूरो, राँची.

प्रेषक,

एम. वी. राव, भा. पु. से.,
पुलिस महानिरीक्षक
निगरानी ब्यूरो, राँची.

सेवामें,

निगरानी आयुक्त,
झारखण्ड, राँची.

राँची, दिनांक 04.12.2010

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 5614 दिनांक 22.09.2010

विषय : डब्लू.पी. (पी.आई.एल.) सं.– 735/2010 मो. ताहिर बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, निहित स्वार्थवश जानबूझ कर राँची के सिवरेज–ड्रेनेज निर्माण हेतु अयोग्य होने के बावजूद मेनहर्ट को परामर्शी नियुक्त करने इत्यादि के संबंध में.

महोदया,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय का कृपया स्मरण किया जाय, जिसमें राज्य सरकार का मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक बताया गया. वांछित मार्गदर्शन अब तक अप्राप्त है.

निर्देशानुसार अनुरोध है कि इस संबंध में उचित मार्गदर्शन देने की कृपा प्रदान की जाय.

विश्वासभाजन
(एम. वी. राव)
पुलिस महानिरीक्षक,
निगरानी ब्यूरो, राँची.

• • •

पत्रांक– 401
झारखण्ड सरकार
निगरानी ब्यूरो, राँची.

प्रेषक,

एम. वी. राव, भा. पु. से.,
पुलिस महानिरीक्षक
निगरानी ब्यूरो, राँची.

सेवामें,

निगरानी आयुक्त,
झारखण्ड, राँची.

राँची, दिनांक 20.01.2011

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 5614 दिनांक 22.09.2010 एवं स्मार पत्र सं.– 7390, दिनांक 04.12.2010

विषय : डब्लू.पी. (पी.आई.एल.) सं.–735/2010 मो. ताहिर बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, निहित स्वार्थवश जानबूझ कर राँची के सिवरेज–ड्रेनेज निर्माण हेतु अयोग्य होने के बावजूद मेनहर्ट को परामर्शी नियुक्त करने इत्यादि के संबंध में.

महोदया,

उपर्युक्त विषय से संबंधित मोहम्मद ताहिर नामक व्यक्ति का परिवाद पत्र अनुलग्नक सहित प्राप्त हुआ है, जिसे संलग्न कर भेजा जा रहा है. इस परिवाद पत्र में तत्कालीन मंत्री श्री रघुवर दास एवं अन्य पर आरोप से संबंधित है, जिसमें राज्य सरकार का मार्ग दर्शन प्राप्त करना आवश्यक प्रतीत होता है.

निदेशानुसार अनुरोध है कि इस संबंध में उचित मार्ग दर्शन देने की कृपा प्रदान की जाय.

अनु.– यथोपरि.

विश्वासभाजन
(एम. वी. राव)
पुलिस महानिरीक्षक,
निगरानी ब्यूरो, राँची.

• • •

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व अक्टूबर 2009 से झारखंड विधान सभा के आम चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी. नवम्बर–दिसंबर 2009 में झारखण्ड विधान सभा के चुनाव हुए. चुनाव के बाद दिसंबर 2009 के अन्त में झारखण्ड में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की मिलीजुली सरकार गठित हो गई, जिसमें श्री शिबू सोरेन मुख्यमंत्री और श्री रघुवर दास उपमुख्यमंत्री बन गये थे. यह सरकार अल्प अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन रहने के बाद प्रखंड में भाजपा–झामुमो–आजसू गठबंधन की सरकार बन गई और श्री रघुवर दास सत्ताधारी दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गये. इसलिये 2009 में और इसके बाद निगरानी ब्यूरो को परिवाद पर कार्रवाई करने, यानी मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करने, की अनुमति नहीं मिली तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है.

इस बीच इस मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के संदर्भ में महाधिवक्ता कार्यालय से श्री एम. एस. अख्तर स्टैंडिंग काउंसिल का एक पत्र (पत्रांक–2681, दिनांक 24–03–2011) निगरानी

जाँच में हुई कार्रवाई की प्रगति जानने के लिये निगरानी ब्यूरो कार्यालय में आया. इस आलोक में श्री एम.वी. राव, पुलिस महानिरीक्षक, निगरानी ब्यूरो ने निगरानी आयुक्त को पुन: एक पत्र 28–3–2011 को लिखा और पूर्व के अपने पत्रों का संदर्भ देते हुये कहा कि शिकायत की जाँच करने के लिए अबतक कोई मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुआ है, शीघ्र मार्गदर्शन दिया जाय ताकि माननीय न्यायालय को इससे अवगत कराया जा सके। श्री एम.वी. राव के इस पत्र को नीचे दिया जा रहा है.

एम.वी. राव का प्रासंगिक पत्र :–

प्रेषक,

एम.वी. राव, भा.पु.से.,
पुलिस महानिरीक्षक
निगरानी ब्यूरो, राँची.

पत्रांक– 2198
झारखण्ड सरकार
निगरानी ब्यूरो, राँची.

सेवा में,

निगरानी आयुक्त,
मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग,
झारखण्ड, राँची.

राँची, दिनांक 28.03.2011

प्रसंग : श्री एम.एस. अख्तर, स्टैंडिंग कौंसिल (माईन्स) महाधिवक्ता का कार्यालय, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 2681 दिनांक 24.03.2011

विषय : W.P(C) No. 4009 of 2010 मेसर्स मेनहर्ट सिंगापुर प्राईवेट लि. बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में.

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि महाधिवक्ता कार्यालय से फैक्स द्वारा भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न किया जाता है. इस पत्र में मेसर्स मेनहर्ट सिंगापुर प्रा. लि. बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से संबंधित W.P(C) No. 4009/10 के संदर्भ में निगरानी ब्यूरो में चल रहे जाँच का जिक्र किया गया है.

उल्लेखनीय है कि W.P(PIL) No. 735/2010 मो. ताहिर बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2010 को पारित

आदेश की छायाप्रति मो. ताहिर द्वारा निगरानी ब्यूरो में अपने आवेदन के साथ दिनांक 21.09.2010 को समर्पित किया गया है. इस आवेदन एवं उसके अनुलग्नक की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 5614 दिनांक 22.09.2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उचित मार्गदर्शन हेतु मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग में भेजा गया. अब तक कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है.

यह पत्र मूलत: प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग को संबोधित है. प्रसंगाधीन वाद दिनांक 18.04.2011 को माननीय उच्च न्यायालय में Listed है.

अनुरोध है कि इस संबंध में उचित कार्रवाई करना चाहेंगे.

अनु.– यथोपरि.

विश्वासभाजन
(एम.वी. राव)
पुलिस महानिरीक्षक,
निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची.

• • •

परंतु पहले की ही तरह निगरानी ब्यूरो को इस बार भी मामले की जाँच करने की अनुमति नहीं मिली. भ्रष्टाचार उन्मूलन के उद्देश्य से बनाई गई प्रमुख संस्था निगरानी ब्यूरो को नख–दंत विहीन बना दिया गया. इसके पैरों में निगरानी आयुक्त के मार्गदर्शन/अनुमति की बेड़िया डाल दी गई. विदित हो कि पूरी अवधि में श्रीमती राजबाला वर्मा निगरानी आयुक्त थीं.

सार संक्षेप

1. निगरानी ब्यूरो के आई.जी. श्री एम.वी. राव ने कुल पाँच पत्र निगरानी आयुक्त को लिखा, परंतु निगरानी ब्यूरो को जाँच की अनुमति नहीं मिली.
2. निगरानी ब्यूरो के समक्ष एक परिवाद पत्र माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आया था. निर्णय था कि याचिकाकर्ता निगरानी आयुक्त के पास जाय। यदि उनकी शिकायत तथ्यपूर्ण होगी तो निगरानी आयुक्त विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे. परन्तु निगरानी आयुक्त ने परिवाद पत्र में दर्ज शिकायतों का संज्ञान लेना तो दूर इसकी जाँच करने के लिए लिखे गये निगरानी ब्यूरो के पत्रों का भी संज्ञान नहीं लिया. जाँच को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी.

3. जाँच की अनुमति नहीं देने के पीछे भी ठोस कारण था. निगरानी ब्यूरो जब जाँच आरंभ करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता के और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विहित प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज करता है. प्रारंभिक जाँच में प्रमाण मिलते हैं तो विधिवत जाँच आरंभ करता है. संबंधित लोगों से सघन पूछ–ताछ करता है. जाँच में आरोप सिद्ध होने के बाद चार्जशीट दाखिल करता है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करता है.

4. स्वाभाविक रूप से इस जाँच में आय से अधिक संपति की जाँच भी जुड़ जाती है. अब तक की विभिन्न जाँचों में जो प्रमाण आये थे, उनके आधार पर यह भ्रष्टाचार का ठोस मामला बनता है.

5. निगरानी ब्युरो को जाँच आगे बढ़ाने की अनुमति मिली होती तो दोषी व्यक्ति अब तक सलाखों के पीछे होते.

●●●

खण्ड–10

तकनीकी परीक्षण कोषांग : आरम्भिक जाँच

निगरानी ब्यूरो के आई.जी., श्री एम.वी. राव के 16 अक्टूबर 2009 के पत्र का संज्ञान निगरानी आयुक्त ने नहीं लिया और श्री रघुवर दास एवं अन्य पर मुकदमा दर्ज कर मामले का अनुसंधान करने की अनुमति निगरानी ब्यूरो को नहीं दिया. लेकिन श्री एम.वी. राव ने जिस परिवाद का संदर्भ लिया था, उसपर जाँच की कार्रवाई अलग से आरम्भ हो गई. नगर विकास विभाग की एक संचिका पर राज्यपाल के सलाहकार श्री जी. कृष्णन् ने मामले की निगरानी जाँच का आदेश 23 सितम्बर 2009 को ही निगरानी आयुक्त को दे दिया था। उन्होंने संचिका पर स्पष्ट आदेश किया था कि :– vigilance commissioner you could examine this. उस समय झारखण्ड में राष्ट्रपति शासन था, विधान सभा निलंबित थी. कारण कि मुख्यमंत्री पद पर रहते श्री शिबू सोरेन तमाड़ विधान सभा क्षेत्र से उपचुनाव हार गये थे और कांग्रेस समर्थित उनकी सरकार गिर गई थी.

राज्यपाल के सलाहकार के इस आदेश के बाद भी निगरानी आयुक्त ने निगरानी ब्यूरो को जाँच करने की अनुमति नहीं दिया. उन्होंने निगरानी विभाग के ही तकनीकी परीक्षण कोषांग के अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता को मामले के समस्त कागजात का अध्ययन कर के इसके तकनीकी पहलुओं की जाँच करने के बारे में तीन दिन से पाँच दिन के भीतर मंतव्य देने का आदेश निगरानी विभाग की संचिका पर दे दिया. निगरानी विभाग (तकनीकी परीक्षण कोषांग) के कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता ने अपनी संयुक्त टिप्पणी के साथ 18 दिसंबर 2009 को विधिवत जाँच करने का आदेश लेने के लिये संचिका मुख्य अभियंता को भेज दिया। मुख्य अभियंता ने उसी दिन उनकी संयुक्त टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और टिप्पणी के प्रासंगिक अंश पर जाँच करने का आदेश प्राप्त करने के लिये संचिका निगरानी आयुक्त के पास भेज दिया. निगरानी आयुक्त ने भी इसकी जाँच निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग से कराने का आदेश दे दिया. यह आदेश उन्होंने संचिका पर भी दिया कि इससे संबंधित अन्य कोई संचिका या कागजात किसी अन्य विभाग में हो तो उन्हें भी लेकर तकनीकी परीक्षण कोषांग को दे दिया जाय. अर्थात् निगरानी ब्यूरो के पास भी जो कागजात हैं उन्हें भी तकनीकी परीक्षण कोषांग को दे दिया जाय.

निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग के अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता ने जाँच का आदेश प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक संचिका पर मुख्य अभियंता को जो मंतव्य प्रेषित किया है, वह आँखें खोलने वाला है. सर्वसामान्य की जानकारी के लिये इसे हू–ब–हू नीचे दिया जा रहा है :–

मुख्य अभियंता को प्रेषित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता का मंतव्यः

निगरानी ब्यूरो के पत्रांक 593/09 दिनांक 16.10.2009 के द्वारा (पृष्ठ 62–1/प.) श्री रघुवर दास, तत्कालीन मंत्री, नगर विकास विभाग एवं तदेन मुख्य अभियंता, नगर विकास प्राधिकार तथा उनके सहयोगी एवं निविदा की तकनीकी मूल्यांकन के उपसमिति के सदस्यों विरूद्ध परिवाद पत्र की प्रति देते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु मार्गदर्शन की माँग की गयी है. इस संबंध में निगरानी आयुक्त द्वारा पूर्ण कागजात का अध्ययन कर मंतव्य देने का निर्देश दिया गया है.

परिवाद पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आरोपकर्ता के द्वारा राँची शहर के सिवरेज–ड्रेनेज निर्माण हेतु आमंत्रित परामर्शी के चयन की निविदा में, निविदा की शर्तों के अनुसार अयोग्य होने के बावजूद सिंगापुर की परामर्शी कम्पनी मेनहर्ट को परामर्शी नियुक्त करने एवं इस मद में करीब आठ करोड़ रूपये का अनियमित भुगतान करने का आरोप मुख्य रूप से लगाया गया है. परिवाद पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों, जो संचिका में रक्षित हैं, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

1. अक्टूबर 2003 में राँची शहर के सिवरेज एवं ड्रेनेज के निर्माण हेतु ओ.आर.जी. कम्पनी से परामर्शी के रूप में राँची नगर निगम के द्वारा एकरारनामा किया गया है. 11 पृष्ठ के एकरारनामा में से मात्र एक पृष्ठ ही संलग्न है, शेष पृष्ठ संलग्न नहीं है. इस प्रकार एकरारनामा से संबंधित अभिलेख अधूरा है.
2. ओ.आर.जी. कम्पनी के द्वारा वार्ड सं.– 1 से 24 तक के लिए 10 प्रतियों में पी.पी.आर. दिनांक 13.12.2004 को समर्पित किया गया है.
3. पृष्ठ 49/प. पर प्रशासक, नगर निगम राँची के पत्रांक 1315 दिनांक 17.06.05 द्वारा ओआरजी को यह पत्र दिया गया कि राज्य सरकार के आदेश सं.–1158 दिनांक 15.06.05 द्वारा उनके फर्म से सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने संबंधी कोई कार्य नहीं किया जाय एवं नगर निगम के साथ फर्म के एकरारनामा को रद्द किया जाय. राज्य सरकार का उपर्युक्त पत्र संलग्न नहीं है.

4. ओ.आर.जी. से एकरारनामा रद्द होने के पश्चात् क्यू.बी.एस. (क्वालिटी बेस सिस्टम) के आधार पर ग्लोबल टेंडर निकालने एवं उसके तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकन के बाद सर्वाधिक अंक के आधार पर निविदा के निस्तार की बात कही गयी है. (निविदा से संबंधित अभिलेख संलग्न नहीं है). परिवाद में यह बताया गया है कि क्यूबीएस आधारित निविदा में कोई फर्म कार्य के योग्य नहीं पाया गया. दिनांक 12.08.05 को तकनीकी समिति की बैठक की कार्यवाही 47/प. के अनुसार पुन: निविदा आमंत्रित करने एवं वित्तीय डॉक्यूमेंट में यथावर्णित विभिन्न शर्तों में आवश्यक परिवर्तन की बात कही गयी है, ताकि क्वालिटि एवं कॉस्ट (QCBS) दोनों को निविदा में शामिल किया जा सके. पुन: दिनांक 17.08.05 को हुई बैठक की कार्यवाही पृ. 45/प. पर रक्षित है, **जिसमें माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में यह दर्शाया गया है कि मुख्य समिति एवं तकनीकी उपसमिति Minimum eligibility criteria का पुन: अध्ययन कर निष्कर्ष पर पहुँचे.**

5. परिवाद पत्र के अनुसार निविदा तीन मुहरबन्द लिफाफों में प्रस्तुत करना था, जिसमें निम्न प्रस्ताव दिये जाने थे :–

   क) योग्यता की न्यूनतम शर्तों का प्रस्ताव

   ख) तकनीकी प्रस्ताव

   ग) वित्तीय प्रस्ताव

   न्यूनतम योग्यता की एक शर्त थी कि विगत तीन वर्षों में फर्मों के औसत Annual Turnover 40 करोड़ रूपया या अधिक होनी चाहिए एवं प्रत्येक वर्ष में फर्म को मुनाफा होना चाहिए. Pre bid meeting में यह प्रश्न उठने पर कि किन–किन तीन वर्षों को Turnover हेतु रखी जाय, यह निर्णय दर्शाया हुआ है कि 2002–03, 03–04 एवं 04–05 के तीन क्रमश: वर्ष होंगे. साथ ही यह निर्णय दर्शाया हुआ है कि 2002–03 एवं 03–04 के लिए Turnover का बाह्य अंकेक्षित प्रतिवेदन तथा 2004–05 के लिए आंतरिक अंकेक्षित प्रतिवेदन निविदाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाय.

6. चार फर्मों द्वारा निविदा में भाग लिया गया, जिसमें एक फर्म का unaudited turnover रहने के कारण तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया गया है. मेनहर्ट द्वारा वर्ष 2002–03 एवं 03–04 का Turnover प्रस्तुत करने एवं वर्ष

04–05 का Turnover नहीं प्रस्तुत करने का प्रमाण पृष्ठ 39–38/प. पर मुख्य समिति एवं तकनीकी उपसमिति के द्वारा दिनांक 17.08.05 की बैठक में दिये गये तुलनात्मक विवरणी एवं मूल्यांकन से स्पष्ट होता है. **निविदा के शर्तों के अनुसार मेनहर्ट को वर्ष 2004–05 का Turnover नहीं प्रस्तुत करने के कारण अयोग्य किया जाना चाहिए था, लेकिन मुख्य समिति एवं तकनीकी उपसमिति द्वारा तकनीकी बीड के मूल्यांकन में मेनहर्ट को अधिकतम अंक प्रदान कर योग्य दिखाया गया है.**

7. इस नियुक्ति के मामले की जाँच के लिए माननीय विधायक श्री अशोक कुमार की संयोजकत्व में विधान सभा की विशेष जाँच समिति के गठन का परिवाद पत्र में उल्लेख है. विधान सभा की विशेष समिति द्वारा अनुशंसा किया गया है कि अपेक्षित जाँच करवाते हुए सरकार आगे की कार्रवाई करे, जिसके आलोक में गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का प्रतिवदेन पृष्ठ 20–15/प. पर द्रष्टव्य है, जिसमें World Bank norms के आधार पर निविदा का तकनीकी मूल्यांकन किये जाने का जिक्र है. World Bank guideline के अनुसार turnover हेतु 5 अंक ही आबंटित किया जाना एवं उसके विरूद्ध तीनों निविदादाताओं को turnover के मामले में 5–5 अंक दे देने का जिक्र है. परिवाद पत्र के साथ मूल्यांकन संबंधी पूर्ण अभिलेख संलग्न नहीं है.

8. परिवाद पत्र के कंडिका 14 के आलोक में परिशिष्ट–14 पृष्ठ 23–22/प. पर रक्षित पत्र में निविदा के प्रमुख शर्त में दो मुहरबंद लिफाफा पद्धति तथा World Bank मार्गदर्शिका के आधार पर Quality Based System के अनुसार तकनीकी रूप से सर्वोच्च अंक पाने वाले निविदादाता का वित्तीय बीड खोलने की चर्चा है. यह अभिलेख बिना किसी हस्ताक्षर एवं reference का प्रतीत होता है. इस तरह उपलब्ध अभिलेखों से चयन प्रक्रिया दो लिफाफा/तीन लिफाफा पद्धति एवं QBS/QCBS पर आधारित होने का अभिलेख संचिका में नहीं है.

9. विधान सभा की विशेष जाँच समिति की अनुशंसा पर गठित तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की अनुशंसा है कि परामर्शी की नियुक्ति में विहित प्रक्रिया एवं पारदर्शिता बरती गयी है एवं Negotiation कर निविदा के निर्धारित दर Economical एवं व्यावहारिक है.

10. पृ.–8–7/प. पर विधान सभा की विशेष कार्यान्वयन समिति की अनुशंसा का जिक्र है एवं इसमें अनुशंसा की गयी है कि मेनहर्ट के कार्यादेश को अविलम्ब

रद्द किया जाय एवं सरकार इसकी आवश्यक जाँच करायें. उक्त अभिलेख में किसी का हस्ताक्षर अथवा अग्रसारण पत्र नहीं है.

विधान सभा के कार्यान्वयन समिति की अनुशंसा पर गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता के चार सदस्यों ने प्रतिवेदित किया है कि ''तकनीकी कारणों से मेनहर्ट अयोग्य हो जाता है, परन्तु वित्तीय क्षमता के अनुसार योग्य है. फलत: राज्यहित में सरकार निर्णय ले सकती है.'' एक सदस्य ने प्रतिवेदित किया है कि ''Tender प्रकाशन से लेकर मेनहर्ट के परामर्शी के चयन तक की प्रक्रिया में भूल हुई है.'' (प्रतिवेदन पृ. 5–2/प. पर द्रष्टव्य)

परिवाद पत्र एवं उसमें संलग्न अनुलग्नक के अध्ययन से स्पष्ट हो रहा है कि मेनहर्ट के परामर्शी के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है. निविदा से संबंधित परिवादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अहस्ताक्षरित एवं अपूर्ण है. निविदा संबंधी सम्पूर्ण अभिलेखों के अध्ययन से ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पायेगी. वर्णित परिस्थिति में नगर विकास विभाग से अनुरोध किया जा सकता है कि परिवाद पत्र में वर्णित आरोपों पर कंडिकावार मन्तव्य, संबंधित पूर्ण अभिलेखों के साथ उपलब्ध करावें.

आवश्यक कार्यवाही हेतु संचिका उपस्थापित.

(ह./–कार्य.अभि.) (ह./–अधी.अभि.)

इस बीच नवंबर–दिसंबर 2009 में झारखण्ड विधान सभा के चुनाव हुये । किसी दल को बहुमत नहीं मिला. विधानसभा में भाजपा की सीटें 30 से घटकर 18 पर आ गईं. चुनावोपरांत राज्य में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और भाजपा की संयुक्त सरकार बनी. श्री शिबू सोरेन पुन: मुख्यमंत्री बने, श्री रघुवर दास उपमुख्यमंत्री बनाये गये. यह सरकार 6 माह में गिर गई. 1 जून, 2010 को झारखण्ड में पीनः राष्ट्रपति शासन लग गया जो 11 सितंबर 2010 तक रहा. राष्ट्रपति शासन की अवधि में निगरानी विभाग (तकनीकी परीक्षण कोषांग) के अधीक्षण अभियंता ने अपनी जाँच रिपोर्ट 5 अगस्त 2010 को अपने मुख्य अभियंता को सौंप दिया. निगरानी विभाग (तकनीकी परीक्षण कोषांग) के कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता की यह जाँच रिपोर्ट हू–ब–हू पुस्तक के अगले खण्ड–11 में देखी जा सकती है.

मुख्य अभियंता ने अगले दिन इस पर स्वीकृति प्रदान करते हुये इसे अग्रेतर कारवाई के लिये निगरानी आयुक्त के पास भेज दिया. परंतु राज्यपाल के सलाहकार

के स्पष्ट आदेश के बावजूद निगरानी आयुक्त ने इस पर कारवाई करने या न करने के बारे में अपना मंतव्य नही दिया. वे 7 माह तक संचिका अपने पास रखे रहीं. कोई आदेश नहीं दिया.

तब चर्चा गर्म थी कि किसी भी दिन राष्ट्रपति शासन हट सकता है और लोकप्रिय सरकार बन सकती है. हुआ भी ऐसा ही. 11 सितम्बर 2011 को भाजपा, झामुमो, आजसू की गठबंधन सरकार बन गई. श्री अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री और श्री सुदेश महतो और श्री हेमंत सोरेन सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गये. नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने निगरानी आयुक्त से कई बार संचिका की माँग की. लिखकर भी की और मिलकर भी की. पर उन्होंने संचिका नहीं लौटाई. जब इस संचिका की खोज माननीय उच्च न्यायालय में दायर एक मुकदमा के सिलसिले में हुई, तब जाकर उन्होंने 25 फरवरी, 2011 को संचिका नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराई.

यहीं से इस मामले ने नया मोड़ लिया. निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग की जाँच ठंढे बस्ते में डाल दी गयी. कई अवसर आये पर इसका जिक्र तक नहीं हुआ. ''निविदा दो मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित की गई थी'' जैसी पुरानी राग फिर से अलापा जाने लगा. महाधिवक्ता द्वारा 2008 में दी गई एक गलत कानूनी राय संचिकाओं पर हर जगह दर्ज होने लगी. राज्य में भाजपा, झामुमो और आजसू की मिलीजुली सरकार का अस्थिर माहौल और अनियमितता के मुख्य किरदार का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनकर दबाव डालने की स्थिति में आ जाने के कारण जाँच के नतीजों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाना सम्भव नहीं हो पाया. 'साँच को आँच क्या' का दंभ भरने वाले अपनी चमड़ी बचाने के लिये जाँच की आँच पर राजनीति का पानी डालने में लग गये.

सार संक्षेप

1. 2009 में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल के सलाहकार ने निगरानी आयुक्त को मेनहर्ट की नियुक्ति में अनियमितता की जाँच करने का आदेश दिया. कायदे से निगरानी आयुक्त को जाँच करने का आदेश निगरानी ब्यूरो को देना चाहिए था क्योंकि निगरानी ब्यूरो ने ही परिवाद पत्र निगरानी आयुक्त को मार्गदर्शन के लिए भेजा था. परंतु निगरानी आयुक्त ने जाँच का जिम्मा तकनीकी परीक्षण कोषांग को दे दिया और विषय की जांच को तकनीकी पहलुओं के जाँच तक सिमटा.

2. निगरानी ब्यूरो को जाँच का आदेश देने के पहले निगरानी आयुक्त इसकी जाँच करने के लिए अपने स्तर से ही तकनीकी परीक्षण कोषांग के कार्यपालक अभियंता अैर अधीक्षण अभियंता को आरंभिक जाँच के लिए पृष्ठांकित कर दिया.

3. इन अभियंताओं ने इस पर आगे बढ़ने का आदेश अपने मुख्य अभियंता से लिया. आदेश पाकर आरम्भिक जाँच आरम्भ की.

4. निगरानी के तकनीकी परीक्षण कोषांग के अभियंताओं ने आरम्भिक जाँच के निष्कर्ष के आधार पर गहन जाँच करने हेतु विधिवत आदेश प्राप्त करने के लिए संचिका पर जो मंतव्य दिया है, वह अपने आप में जाँच का जिम्मा निगरानी ब्यूरो को देने के लिए पर्याप्त था. परंतु निगरानी आयुक्त ने ऐसा नहीं किया.

5. निगरानी ब्यूरो जाँच करता तो इसके आपराधिक पहलुओं की जाँच आरम्भ करने के पहले प्राथमिकी दर्ज करता. जाँच के फलाफल के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती. उनकी सम्पत्ति की जाँच भी होती. दोषी व्यक्ति जेल के सीखचों तक पहुँच जाते, उन्हें आसानी से जमानत नहीं मिलती. मामले में आपराधिक षड्यंत्र बेनकाब हो जाता.

●●●

खण्ड–11

तकनीकी परीक्षण कोषांग : योग्यता की जाँच

विधिवत जाँच आरम्भ करने के पूर्व निगरानी के तकनीकी परीक्षण कोषांग के कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता ने संचिका पर अपना मंतव्य दिया था, जिसका उल्लेख पुस्तक के पूर्व खण्ड–10 में है. इसके आधार पर निगरानी आयुक्त से उन्हें जाँच करने की अनुमति मिल गई. उन्होंने जाँच आरम्भ की. इस बीच झारखण्ड में फिर थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति शासन लग गया. श्री शिबू सोरेन द्वारा भाजपा गठबंधन का मुख्यमंत्री होने के बावजूद लोकसभा में यूपीए के पक्ष में वोट देने के कारण भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और गुरुजी की सरकार गिर गई.

कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता ने जाँच पूरा कर अपना जाँच प्रतिवेदन को मुख्य अभियंता को सौंप दिया. मुख्य अभियंता ने अगले ही दिन इसे निगरानी आयुक्त को भेज दिया. निगरानी आयुक्त ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया. संचिका को छः माह तक अपने पास दबाये रखा. गहन जाँच के उपरांत निगरानी तकनीकी परीक्षण कोषांग के कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता के द्वारा सौंपे गये संयुक्त जाँच का प्रतिवेदन निम्नवत है. प्रतिवेदन निगरानी परीक्षण कोषांग के मुख्य अभियंता को सौंपा गया है.

मुख्य अभियंता

निगरानी आयुक्त की टि. पृ. 13/टि. पर दिये गये आदेश के आलोक में प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, राँची से संबंधित अभिलेखों की माँग की गयी थी, जिसके क्रम में नगर विकास विभाग द्वारा उनके पत्रांक 2625 दिनांक 23.07.10 (पृ. 138/प.) से अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है. पूर्व में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग की संचिका संख्या– न.वि.–05/2009 नगर विकास के टिप्पणी पृष्ठ 9–5/टि. पर उस संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निगरानी आयुक्त के आदेश के आलोक में तकनीकी परीक्षण कोषांग का मंतव्य अंकित किया गया था. उक्त समीक्षा टिप्पणी में विषयांकित मामले से संबंधित कतिपय अभिलेखों के अभाव में पूर्ण समीक्षा प्रतिवेदन नहीं दी जा सकी थी. अब उपलब्ध अद्यतन अभिलेखों के आधार पर पुनः इसकी समीक्षा की गयी, जिसका विस्तृत प्रतिवेदन निम्नवत प्रकार से है :–

1. यह विषय वस्तु राँची में ड्रेनेज–सिवरेज निर्माण हेतु परामर्शी चयन के लिए

आमंत्रित निविदा में निविदा शर्तों के अनुसार अयोग्य होने के बावजूद सिंगापुर की परामर्शी कम्पनी, मे. मेनहर्ट को परामर्शी नियुक्त करने में हुई अनियमितता तथा भुगतान से संबंधित है.

2. सर्वप्रथम अक्टूबर 2003 में राँची शहर के सिवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण हेतु M/S ORG कम्पनी से परामर्शी के रूप में कार्य करने हेतु राँची नगर निगम द्वारा एकरारनामा किया गया था. ओ.आर.जी. कम्पनी द्वारा वार्ड संख्या–1 से 24 तक के लिए 10 प्रतियों में पी.पी.आर. दिनांक 13.12.2004 (पृ. 119/प. द्रष्टव्य) को समर्पित किया गया. प्रशासक, नगर निगम, राँची ने अपने पत्रांक 1315 दिनांक 17.06.05 (पृ. 117/प. द्रष्टव्य) द्वारा M/S ORG को यह पत्र दिया कि राज्य सरकार के आदेश संख्या– 1158 दिनांक 15.06.05 द्वारा उनके फर्म से सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाय एवं राँची नगर निगम के साथ फर्म के एकरारनामा को रद्द किया जाय.

3. M/S ORG कम्पनी से निविदा रद्द होने के पश्चात् आगामी निविदा हेतु, शर्तों से संबंधित 41 पृष्ठों के बिड डॉक्यूमेंटस का अनुमोदन एवं परामर्शी चयन हेतु एक समिति एवं एक उपसमिति का गठन दिनांक 25.06.05 को किये जाने का जिक्र संचिका में है. नगर विकास विभाग के इस कार्य से संबंधित मूल संचिका की टि. पृ. 4–3/टि. की छायाप्रति अवलोकनार्थ पृ. 140–139/प. पर संलग्न है. RFP की प्रति पर किसी अधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है. उपलब्ध कराये गये Request for Proposal (RFP) (41 पृष्ठों में) की छायाप्रति पत्राचार शीर्ष के पृष्ठ 181–141/प. पर रक्षित है.

4. नगर विकास विभाग के संकल्प संख्या 1412 दिनांक 09.07.05 द्वारा निविदा के निस्तार हेतु मुख्य समिति का गठन किया गया एवं संकल्प संख्या 1413 दिनांक 09.07.05 द्वारा इस समिति के सहयोग हेतु एक तकनीकी उपसमिति का गठन किया गया जिसका स्वरूप निम्न रूप से है :–

(i) संकल्प संख्या– 1412 दिनांक 09.07.05 द्वारा गठित समिति

(क) सचिव, नगर विकास विभाग	–	अध्यक्ष
(ख) प्रधान सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
(ग) सचिव, भवन निर्माण विभाग	–	सदस्य

(घ) प्रशासक, राँची नगर निगम – सदस्य

(ड़) श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता,
सी.डी.ओ. पथ निर्माण विभाग – सदस्य

(ii) संकल्प संख्या 1413 दिनांक 09.07.05 द्वारा गठित समिति

(क) प्रशासक, राँची नगर निगम – अध्यक्ष

(ख) श्री के.पी.शर्मा, कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग – सदस्य

(ग) श्री उमेश गुप्ता, कार्यपालक अभियंता,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग – सदस्य

संकल्प संख्या– 1412 दिनांक 09.07.05 को संशोधन करते हुए नगर विकास विभाग द्वारा अपने संकल्प संख्या– 1835 दिनांक 30.08.05 से मुख्य समिति को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया :–

(क) प्रधान सचिव, वित्त विभाग – अध्यक्ष

(ख) सचिव, नगर विकास विभाग – सदस्य

(ग) सचिव, भवन निर्माण विभाग – सदस्य

(घ) प्रशासक, राँची नगर निगम – सदस्य

(ड़) श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता,
सी.डी.ओ. पथ निर्माण विभाग – सदस्य

उक्त तीनों संकल्पों की छायाप्रतियाँ पत्राचार शीर्ष पर रक्षित हैं (पृ. 184–182/प. द्रष्टव्य).

योग्यता जाँच :

5. परामर्शी चयन हेतु Quality Based system (QBS) के आधार पर ग्लोबल टेंडर निकालने हेतु दिनांक 30.06.05 को निविदा आमंत्रित की गयी. निविदा खोलने की तिथि 25.07.05 रखी गयी थी. इसमें दिनांक 18.07.05 को Pre bid meeting का प्रावधान था. Pre bid meeting के बाद निविदा खोलने की तिथि को बढ़ा कर 02.08.05 की गयी. उक्त निविदा में तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निविदाकार का ही Financial bid खोलने एवं संबंधित फर्म को दर Negotiation वार्ता हेतु आमंत्रित करने का

प्रावधान रखा गया था. तीन मुहरबन्द लिफाफा पद्धति के आधार पर निविदा आमंत्रित की गयी थी. प्रथम लिफाफे में योग्यता की न्यूनतम शर्तों का प्रस्ताव, द्वितीय लिफाफे में तकनीकी प्रस्ताव तथा तृतीय लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव का प्रावधान किया गया था.

न्यूनतम योग्यता की शर्त थी कि फर्मों के विगत तीन वर्षों का औसत Annual Turnover 40.00 करोड़ रूपया या अधिक होनी चाहिए तथा निविदाकारों को विगत तीन वर्षो में लगातार मुनाफा होना चाहिए. प्रि–बिड मिटिंग, जिसमें निविदाकार भी उपस्थित थे, में यह प्रश्न उठने पर कि किन–किन तीन वर्षो का Turnover अंकित किया जाय, यह निर्णय दर्शाया हुआ है कि वर्ष 2002–03, एवं 2003–04 के लिए Turnover का बाह्य अंकेक्षित प्रतिवेदन तथा वर्ष 04–05 के लिए आंतरिक अंकेक्षित प्रतिवेदन निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाय (पृ. 108/प. द्रष्टव्य). साथ ही यह शर्त भी निहित थी कि फर्म को शहरी सिवरेज एवं ड्रेनेज कार्य हेतु परामर्शी के रूप में कुल 300 करोड़ रूपये की प्राक्कलित राशि के कार्य का अनुभव विगत पाँच वर्षो में होना चाहिए.

6. परामर्शी चयन के उक्त निविदा में निम्न चार फर्मों द्वारा भाग लिया गया :–
   (i) M/s GKW Consultant.
   (ii) M/s Meinhardt Pvt. Ltd
   (iii) M/s Burchill Partners Pvt. Ltd.
   (iv) M/s Tahal Consulting Engineers Ltd.

7. दिनांक 12.08.05 को सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में निविदा में प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा बैठक समिति द्वारा की गयी. इसमें यह पाया गया था कि चारों निविदाकारों में से कोई भी निविदादाता प्रस्ताव में bid document में पूर्व से निर्धारित Essential Minimum Qualifying Criteria को पूरा नहीं करते हैं. तकनीकी उपसमिति ने सभी निविदाकारों के तकनीकी प्रस्तावों को Non-responsive करार दिया, जिसके आधार पर मुख्य समिति द्वारा आमंत्रित निविदाओं को रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया. साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि पुनर्निविदा में पूर्व bid document में वर्णित विभिन्न शर्त्तों में आवश्यक परिवर्तन करना आवश्यक है. समिति का यह मत था कि वर्त्तमान बिड document में वर्णित इस आवधारणा को जिसमें कि निविदाओं का निष्पादन मात्र Quality के आधार पर किया जाय, में भी परिवर्तन करना

वांछनीय है और उसके स्थान पर Quality & Cost दोनों को शामिल किया जाय ताकि वित्तीय नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय लिया जा सके. (बैठक की कार्यवाही पृ. 115/प. पर रक्षित है).

8. दिनांक 17.08.05 को 10.00 बजे पूर्वाह्न में **माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग** की अध्यक्षता में उपर्युक्त मुख्य समिति एवं उपसमिति की संयुक्त रूप से बैठक हुई. इसमें मुख्य समिति एवं उप समिति के सदस्यों को 17.08.05 को ही 4.30 बजे अपराह्न में Minimum Eligibility Criteria के Supporting document का अध्ययन कर eligibility के बिन्दु पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने का निर्देश दिया गया.

9. दिनांक 17.08.05 को 4.30 अपराह्न में यथानिदेशित सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मुख्य समिति एवं उपसमिति की संयुक्त बैठक में विमर्शोपरांत पूर्व के eligibility criteria जिसमें विगत् पाँच वर्षों में 300 करोड़ की एक शहरी सिवरेज–ड्रेनेज प्रणाली को विकसित करने हेतु Project Management Consultancy Services प्रदान करने का अनुभव आवश्यक था, को परिवर्तित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि अगर किसी निविदादाता के द्वारा सिवरेज अथवा ड्रेनेज में से किसी भी घटक से संबंधित 300 करोड़ रूपये की परियोजना के Project Management का कार्य किया गया हो तो यह मान लिया जायेगा कि उस निविदादाता ने minimum eligibility के शर्त को पूरा कर लिया है। साथ ही तकनीकी उपसमिति को निदेशित किया गया कि वे उक्त निर्णय के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन के उपरांत एक तुलनात्मक विवरणी मुख्य समिति के समक्ष उपस्थापित करें. (बैठक की कार्यवाही की छायप्रति पृ. 185/प. पर संलग्न). **RFP में निहित eligibility criteria को बाद में परिवर्तित करना नियमानुकुल नहीं है, क्योंकि संशोधित शर्तों के स्थिति में पुन: निविदा की जानी चाहिए ताकि अन्य निविदाकार भी निविदा में शामिल हो सकें.**

10. 17.08.05 के 4.30 बजे अपराह्न की बैठक में दिये गये निदेश के क्रम में चारों फर्मो की निविदा अभिलेखों के आधार पर तकनीकी उपसमिति द्वारा एक तुलनात्मक विवरणी प्रस्तुत की गयी (पृ. 187–185/प. पर द्रष्टव्य), जिसमें एक फर्म Burchill Partners Pvt. Ltd. का Unaudited Turnover A/C रहने के कारण एवं विगत् तीन वर्षो में लगातार Profit का Details नहीं रहने के

कारण उन्हें तकनीकी रूप से अयोग्य किया गया. इसी विवरणी में M/s Meinhard Pvt. Ltd. द्वारा वर्ष 2002–03 एवं वर्ष 03–04 का Turnover प्रस्तुत करने एवं वर्ष 2004–05 का Profit Details सार संक्षेप नहीं उपलब्ध कराने का प्रमाण मिलता है. **वर्णित निविदा शर्तों के अनुसार M/s Meinhard को भी वर्ष 2004–05 का Turnover नहीं प्रस्तुत करने एवं वर्ष 04–05 का Profit Details नहीं प्रस्तुत करने के कारण अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह फर्मो के eligibility हेतु आवश्यक था.**

सार संक्षेप

1. निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग की आरम्भिक जाँच के समय पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये. सारे दस्तावेज उपलब्ध होने पर तकनीकी परीक्षण कोषांग ने राँची के सिवरेज–ड्रेनेज का डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शी की योग्यता वाली शर्त की जाँच की. पाया गया कि निविदा में वर्णित योग्यता की शर्तों पर मेनहर्ट अयोग्य था.
2. निविदा मूल्यांकन के लिये गठित तकनीकी उपसमिति और मुख्य समिति ने माना था कि कोई निविदादाता निविदा की शर्तों के आधार पर हैं इसलिए निविदा को रद्द किया जाय और नया टेंडर गुणवत्ता और लागत प्रणाली पर आमंत्रित किया जाय. लेकिन नगर विकास विभाग ने मंत्री श्री रघुवर दास ने इस सुझाव को मानने के बदले निविदा शर्तों को ही परिवर्तित करने का निर्देश दे दिया.
3. निविदा खुलने के बाद निविदा की शर्तो में परिवर्तन किया गया, जो अनियमित था. परिवर्तन करने के निर्णय तत्कालीन नगर विकास मंत्री के कार्यालय कक्ष में उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. इसके लिए मंत्री, नगर विकास विभाग पूरी तरह जिम्मेदार हैं.
4. निविदा प्रपत्र में अंकित था कि जो निविदादाता योग्यता की शर्तों को पूरा नहीं करेगा, उसका तकनीकी लिफाफा नहीं खुलेगा. परन्तु अयोग्य होने के बावजूद मेनहर्ट का तकनीकी लिफाफा खोला गया.
5. योग्यता के पैमाना पर पक्षपात हुआ और मेनहर्ट को नाजायज तरीके से योग्य करार दिया गया.

●●●

खण्ड–12

तकनीकी परीक्षण कोषांग : तकनीकी क्षमता की जाँच

निविदा की तकनीकी जाँच :

तकनीकी परीक्षण कोषांग ने निविदा के तकनीकी प्रस्ताव का बारीकी से जाँच किया है और निष्कर्ष पर पहुँचा है कि इसने पक्षपात कर मेनहर्ट को सर्वोत्कृष्ट अंक दिया गया है. इसके अनुसार M/s Burchill Partners Pvt. Ltd. को अयोग्य ठहराने के पश्चात् तकनीकी उपसमिति द्वारा शेष तीनों फर्मों का Technical evaluation दिनांक 28.09.05 को किया गया है. (evaluation प्रतिवेदन पृ. 211–188/प. पर संलग्न है).

1. निविदा (RFP) के कंडिका 5 एवं 6 के अनुसार Technical Evaluation हेतु निम्न Criteria वर्णित है :–

S. No.	Parameter	Points
1	Specific experience of the consultants related to the assignment.	10
2	Adequacy of the proposed work plan and methodology in responding to the Terms of Reference.	35
3	Qualification and competence of the key staff for the Assignment.	50
4	Consultant's office in Ranchi/Local experience	5
	Total	**100**
3 (a)	Sub Criteria for point 3 above	
	- General Qualification - Adequacy for the project as per past experience - Experience in region & language	20 20 10

2. साथ ही RFP की कंडिका 5.7 में वर्णित है कि 100 Points में से 75 Points से कम तकनीकी Score प्राप्त करने वाले प्रस्ताव को अयोग्य करार किया जायेगा. तकनीकी समिति द्वारा किये गये तकनीकी मूल्यांकन में RFP में निविदा प्रावधानों के items को Sub-items के रूप में बाँट कर मूल्यांकन किया गया है. उदाहरणस्वरुप Specific experience of the consultant मद हेतु REP में वर्णित 10 marks को दो भागों में विभाजित किया गया है, Similar Project हेतु 5 marks एवं Annual Turnover हेतु 5 marks. इस विभक्ति के उपरांत भी Similar Project हेतु 5 marks को निम्न रूप से

खण्डित किया गया है :–

(i) For 3 or more qualifying projects - 5 marks
(ii) For 2 or more qualifying projects - 3 marks
(iii) For 1 or more qualifying projects - 1 Marks

उसी तरह Annual Turnover के मामले में भी 5 marks को निम्न रूप से विखण्डित किया गया है :–

(i) For Av. Turnover more than 50 cr. - 5 marks
(ii) For Av. Turnover of 45 to 50 cr - 3 marks
(iii) For Av. Turnover of 40 to 45 cr. - 1 marks

3. RFP में Qualification and competence of key staff for the assignment हेतु 50 marks प्रावधानित था. उपसमिति के मूल्यांकन में इस मद को भी विभिन्न रूप से खण्डित करते हुए सर्वप्रथम Design Team हेतु 30 marks एवं Supervision Team हेतु 20 marks का प्रावधान किया गया है. Design Team के 30 marks को भी खण्डित कर, Criteria निम्न रूप से निर्धारित किया गया है :–

(i) Team Leader (Sewerage System & Drainage Expert)	9 marks
(ii) S.S. Design Expert	3.5 marks
(iii) S.Treatment Expert	3.5 marks
(iv) Drainage Expert	3.5 marks
(v) Structural Engineer	3.5 marks
(vi) Quality Surveyer	1 marks
(vii) Re settlement & Rehabilitation Expert	1.5 marks
(viii) Environmental Expert	1.5 marks
(ix) Electrical Engineer	1.5 marks
(x) Mechanical Engineer	1.5 marks
	कुल – 30 marks

4. Approach & Methodology हेतु कर्णांकित 35 marks का भी उप–वर्गीकरण निम्न रूप से उपसमिति स्तर पर वर्णित है :–

(i) Understanding & Objectives	10 marks
(ii) Quality of Methodology	15 marks
(iii) Work Programme	5 marks
(iv) Proposal Presentation	5 marks
	कुल – 35 marks

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि Technical evaluation हेतु छोटे–छोटे Sub Parameters में विभाजित कर evaluation की प्रक्रिया अपनायी गयी है जबकि Tender के RFP में प्रक्रिया का विस्तृत criteria/sub-criteria अंकित नहीं किया गया है. पारदर्शी Technical Evaluation प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु विस्तृत Criteria/ sub criteria का वर्णन RFP में किया जाना आवश्यक था. विदित हो कि Tender QBS पर आधारित था, जिसमें Technical Evaluation में Highest Marks पाने वाले Consultant का ही Financial bid खोले जाने का एवं उनसे rate negotiation का प्रावधान था.

5. तकनीकी परीक्षण कोषांग ने अपने प्रतिवेदन में निविदा की शर्तों के आधार पर विभिन्न परामर्शियों को तकनीकी समिति द्वारा दिये गये अंकों में विसंगतियों एवं पक्षपात को दर्शाया है जो निम्नवत है :–

(क) उपसमिति के सदस्यों के द्वारा समिति द्वारा निर्धारित Sub parameters के आधार पर भी marks देने में एकरूपता नहीं बरता गया है. उदाहरण–स्वरूप उपसमिति के सदस्य श्री उमेश गुप्ता द्वारा Tahal Consultant के Team Leader श्री J.K. Sharma को Post graduate qualification रहने के बावजूद full marks 20% के विरूद्ध मात्र 15% marks दिया गया है, जबकि उन्हीं के द्वारा M/s Meinhardt के श्री J.P. Nigam, Team Leader को Post Graduate degree हेतु 20% marks दिया गया है.

(ख) उसी तरह उनके द्वारा M/s Tahal Consulting Engineers Ltd. के Sewarage System Design Engineer श्री P.K. Kapla को P.G. degree हेतु 15% marks जबकि M/s Meinhardt के श्री S. Kumar को P.G. degree हेतु 20% marks दिया गया है.

(ग) उपसमिति के अन्य सदस्य श्री के.पी. शर्मा द्वारा Curriculam vitae हेतु प्रावधानित 50 marks के evaluation sheet में विभिन्न Sub parameters हेतु अलग–अलग प्रतिशत marks वर्णित नहीं है, बल्कि Sub Parameter के लिए एकमुश्त marks दिया गया है, जिससे मूल्यांकन में दिये गये marks का स्पष्ट आधार दृष्टिगोचर नहीं होता है. इस तरह इनके मूल्यांकन प्रक्रिया में भी पारदर्शिता की कमी है, जबकि इनके द्वारा ही M/s Meinhardt को सबसे अधिक 92.66 अंक दिये गये.

6. तकनीकी उपसमिति के तकनीकी मूल्यांकन, जिसमें M/s Meinhardt को अधिकतम अंक दिया गया था. लेकिन मुख्य समिति द्वारा भी दिनांक 05.10.05 को सहमति दे दी गयी (पृ. 212/प. पर छायाप्रति रक्षित). तकनीकी उपसमिति के तकनीकी मूल्यांकन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि समिति के अध्यक्ष, श्री शशि रंजन कुमार द्वारा तीनों फर्मों को दिये गये अंक में बहुत कम भिन्नता है जबकि श्री के.पी. शर्मा एवं श्री उमेश गुप्ता द्वारा दिये गये तीनों फर्मो के अंक में अत्याधिक भिन्नता है. यह मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है.

सार संक्षेप

- तकनीकी परीक्षण कोषांग ने निविदा मूल्यांकन के लिए नगर विकास विभाग द्वारा गठित तकनीकी उपसमिति द्वारा किये गये तकनीकी मूल्यांकन की जाँच किया तो इसमें किया गया पक्षपात उजागर हो गया.
- जाँच में पता चला कि मेनहर्ट को अयोग्य होने के बावजूद योग्य ठहरा दिया गया और उसका तकनीकी लिफाफा खोल दिया गया, तकनीकी मूल्यांकन में भी इसके पक्ष में पक्षपात किया गया और इसे अधिक अंक दिया गया.
- तकनीकी परीक्षण कोषांग ने जाँच में पाया कि नगर विकास विभाग की तकनीकी उपसमिति ने मनमाने ढंग से तकनीकी क्षमता जाँचने के लिए निविदा में निर्धारित अंकों के पैमाना में परिवर्तन किया है. निविदा में निर्धारित खण्डों को कई उपखण्डों में अपने स्तर पर मनमाना ढंग से विभाजित कर मेनहर्ट के पक्ष में अधिक अंक दे दिया है. जबकि मूल निविदा में ऐसा विभाजन नहीं था.
- तकनीकी परीक्षण कोषांग की जाँच में साबित हो गया कि नगर विकास विभाग की तकनीकी उपसमिति द्वारा एक ही प्रकार की योग्यता धारण करनेवाले सभी तकनीकी विशेषज्ञों को समान अंक नहीं देकर मेनहर्ट के विशेषज्ञों को ज्यादा अंक दिया गया है, ताकि मेनहर्ट तकनीकी मूल्यांकन में पहले स्थान पर आ जाये.
- निगरानी के तकनीकी परीक्षण कोषांग ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि नगर विकास विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने भी तकनीकी उपसमिति के मूल्यांकन को स्वीकार कर लिया है और इनके द्वारा की गई अनियमितता और पक्षपात को नजरअंदाज कर दिया है.

●●●

खण्ड–13

तकनीकी परीक्षण कोषांग : वित्तीय निगोशियेशन

तकनीकी परीक्षण कोषांग की जाँच में निविदा के वित्तीय प्रस्तावों का गहन विश्लेषण किया गया है. जाँच में कोषांग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वित्तीय निगोशियेशन में जानबूझ कर मेनहर्ट को अधिक राशि दी गई है. तकनीकी परीक्षण कोषांग जाँच का प्रतिवेदन हू–ब–हू निम्नवत है–

1. M/s Meinhardt का Financial bid दिनांक 19.10.05 को खोला गया प्रतीत होता है जिसमें Design Phase के लिए मूल रू. 22,81,14,000/– एवं Supervision Phase के रू. 14,47,12,440/– का दर Quote किया गया (छायाप्रति पृ. 220–213/प. पर द्रष्टव्य). दिनांक 22.11.05 को श्री रविशंकर वर्मा, प्रशासक, राँची नगर निगम की अध्यक्षता में तकनीकी उपसमिति की बैठक की कार्यवाही पृ. 225–221/प. पर संलग्न है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि तकनीकी उपसमिति द्वारा Tender document में वर्णित मुख्य Professional की आवश्यकता के आधार पर सिवरेज–ड्रेनेज Tender Management Consultancy के basic अनुमानित लागत की गणना की गयी है एवं इसे आकलित कर कुल रू. 9.25 करोड़ + 10.20% Service Tax बताया गया है, जबकि M/s Meinhardt द्वारा दिया गया वित्तीय प्रस्ताव रू. 37,28,26,440/– का था. उपसमिति की उक्त आकलित दर के संबंध में एक सदस्य श्री उमेश गुप्ता का यह भी मत था कि ''Key प्रोफेशनल का वेतन समरूप सरकारी पदाधिकारी के वेतन से अधिक प्रतीत होता है.'' अत: उपसमिति ने दर Negotiation हेतु मुख्य समिति को अनुशंसा की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.11.05 की उपसमिति की बैठक में श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता, सी.डी.ओ., पथ निर्माण विभाग, राँची ने भी भाग लिया था, जबकि वे मुख्य समिति के सदस्य थे न कि उपसमिति के। उपसमिति की इस अनुशंसा पर मुख्य समिति ने दिनांक 05.12.05 को बैठक में निर्णय लिया कि तकनीकी उपसमिति दस दिनों के अन्दर तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव पर Negotiation कर मुख्य समिति को अनुशंसा करे (पृ. 226/प. पर छायाप्रति रक्षित).
2. दिनांक 29.12.05 को पुन: तकनीकी उपसमिति की बैठक की गयी

(श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता इसमें भाग लिये). बैठक की कार्यवाही पृ. 229–227/प. संलग्न है. इस बैठक में दिनांक 22.12.05 को मुख्य समिति द्वारा Sewerage-Drainage परियोजना की पेचीदगियों एवं तकनीकी आवश्यकताओं के मद्देनजर Expatriate Expert की आवश्यकता (गुणवत्ता एवं संख्या) के संबंध में परामर्शी से पुन: निगोशिएशन कर स्पष्ट अनुशंसा देने के निदेश के आलोक में उपसमिति द्वारा निम्नांकित Expatriate expert की सेवा लिए जाने की अनुशंसा की गयी :–

(i) Project Manager/Planner
(ii) GIS/Mapping expert
(iii) Drainage System Modelling expert
(iv) Catchment Management expert
(v) Sewerage System Modilling expert
(vi) Sewerage Treatment expert
(vii) Senior Control Specialist
(viii) Tunneling & Trenchist Technical Engineer

उपसमिति द्वारा उक्त आधार पर Design phase के लिए रू. 10,20,95,400/– तथा Supervision Phase हेतु रू. 9,27,00,000/– कुल रू. 19,47,95,400/– की लागत का आकलन इस कार्य हेतु किया गया. जबकि M/s Meinhardt द्वारा निगोशिएसन के पश्चात् Design Phase हेतु रू. 17,88,46,000/– तथा Supervision Phase हेतु रू. 9,27,000,000/– (जिसमें पूर्व का 96.00 लाख खर्च समाहित). अर्थात् कुल रू. 27,15,46,000/– की माँग की गयी.

3. दिनांक 18.01.06 एवं 19.01.06 को प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में मुख्य समिति की बैठक हुई. बैठक की कार्यवाही की प्रति पृष्ठ 233–230/प. पर संलग्न है. इसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मुख्य समिति ने तकनीकी उपसमिति के Negotiation अनुशंसा में कतिपय कमी पायी है. मुख्य समिति के अनुसार Man Power एवं Man Month की आवश्यकता को उपसमिति द्वारा कम कर आंका गया है. इस पर पुनर्विचार के पश्चात् मुख्य समिति द्वारा Design Phase के लिए रू. 11,73,30,400/– एवं Supervision Phase के लिए रू. 9,27,00,000/– कुल रू. 21,0030,000/– की अनुशंसा की गयी. इस पर परामर्शी के प्रतिनिधि द्वारा इस राशि पर कार्य करने

से असमर्थता व्यक्त करते हुए Design Phase हेतु रू. 17,18,46,000/– एवं Supervision Phase के लिए रू. 8,21,54,000/– कुल रू. 25,40,00,000/– के शुल्क की माँग की गयी. इस परिस्थिति में समिति द्वारा उक्त तथ्य को सरकार स्तर से उचित निर्णय लेने हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया.

4. दिनांक 24.01.06 को उक्त निर्णय के आलोक में माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग, परामर्शी एवं मुख्य समिति के समक्ष हुए विमर्श के आलोक में कुल रू. 21,40,00,000/– की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया, जिसपर परामर्शी द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी. निविदा प्रक्रिया एवं कार्य आवंटन की प्रक्रिया के क्रम में विभिन्न माध्यमों से एवं विधान सभा में मामला उठाया गया. झारखण्ड विधान सभा सदन के विशेष समिति की अनुशंसा पर गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन नगर विकास विभाग के पत्रांक 1565 दिनांक 24.05.06 द्वारा किया गया. उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का प्रतिवेदन पृष्ठ 89–83/प. पर रक्षित है जिसमें World Bank Norms के आधार पर निविदा के तकनीकी मूल्यांकन किये जाने का जिक्र है. उक्त उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष श्री एस.पी. सिन्हा, मुख्य अभियंता एवं सदस्य श्री घूरन राम, मुख्य अभियंता एवं श्री निर्मल केडिया, अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुशंसा की गयी है कि परामर्शी के नियुक्ति में विहित प्रक्रिया एवं पारदर्शिता बरती गयी है एवं Negotiation कर, निविदा के निर्धारित दर Economical एवं व्यवहारिक है. **इस समिति द्वारा Minimum eligibility criteria को नजर अंदाज करते हुए मे. मेनहर्ट को परामर्शी हेतु योग्य बताया गया है.**

5. तत्पश्चात् रू. 21.40 करोड़ की राशि पर झारखण्ड मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 20.06.06 को दी गयी. नगर विकास विभाग के पत्रांक 1917, दिनांक 22.06.06 (छायाप्रति पृष्ठ 235–234/प. पर संलग्न) द्वारा M/s Meinhardt को कार्य करने हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत हुआ है. स्वीकृत्यादेश में कुल रू. 21.40 करोड़ में से Design phase हेतु रू. 16,04,36,000/– तथा Supervision Phase हेतु रू. 5,36,16,000/– रूपये परामर्शी शुल्क के रूप में दिये जाने का जिक्र है. नगर विकास विभाग द्वारा इस विषय से संबंधित उनकी मुख्य संचिका के पृष्ठ 46–51, 53–58 एवं 64/टि. तक की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है, जो पृष्ठ 248–236/प. संलग्न है. इसमें रू. 21.40

करोड़ को Design Phase एवं Supervision Phase में अलग–अलग परामर्शी शुल्क का जिक्र नहीं है. जबकि मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत संलेख में भी रू. 21.40 करोड़ की कुल परामर्शी शुल्क का bifurcation का जिक्र नहीं है (पृष्ठ 252–249/प. द्रष्टव्य).

6. पुन: नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या– 347 दिनांक 19.02.08 द्वारा विधानसभा की कार्यान्वयन समिति की अनुशंसा पर पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में किया गया. समिति के अन्य सदस्य विभिन्न विभागों के अभियंता प्रमुख थे. समिति का प्रतिवेदन संचिका के पृष्ठ 74–70 पर रक्षित है. **जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि चार सदस्यों ने प्रतिवेदित किया कि तकनीकी कारणों से M/s Meinhardt अयोग्य हो जाता है** परन्तु मेनहर्ट की वित्तीय क्षमता (Turnover) कार्य के योग्य प्रतीत होती है (पूर्ववर्ती वर्ष के Turnover के आलोक में). फलत: राज्य हित में सरकार निर्णय ले सकती है. समिति के एक सदस्य श्री सूर्यदेव प्रसाद, अभियन्ता प्रमुख ने प्रतिवेदित किया है कि M/s Burchill Patners Pvt. Ltd. द्वारा भी वर्ष 02–03 एवं 03–04 का अनांकेक्षित टर्न ओवर प्रस्तुत किया गया था एवं वर्ष 04–05 का Turnover नहीं प्रस्तुत किया गया था, जिसके कारण उनको अयोग्य घोषित किया गया. इसी प्रकार मेसर्स मेनहर्ट को भी अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था. साथ ही श्री प्रसाद ने प्रतिवेदित किया कि **जून 2005 में ग्लोबल Tender प्रकाशित करने से लेकर मेनहर्ट के परामर्शी के रूप में चयन तक की प्रक्रिया में भूल हुई है.**

सार संक्षेप

1. योग्यता के पैमाना पर बेईमानी से मेनहर्ट को योग्य ठहरा देने के बाद अनियमितता करके नगर विकास विभाग द्वारा गठित तकनीकी उपसमिति ने और मुख्य समिति ने तकनीकी क्षमता के पैमाना पर मेनहर्ट के पक्ष में खुलेआम पक्षपात किया और मेनहर्ट को सर्वाधिक अंक दे दिया. इसके कारण निविदा शर्त के मुताबिक केवल मेनहर्ट का ही वित्तीय लिफाफा खोला गया.

2. मेनहर्ट ने राँची शहर के लिए सिवरेज–ड्रेनेज का डीपीआर तैयार करने के लिए 37,28,26,440/– रूपया मांगा था. जबकि निविदा में वर्णित विशेषज्ञों की जरूरत के आधार पर विभाग की तकनीकी समिति ने लागत की गणना की तो

पाया कि इस काम पर अधिकतम व्यय 9 करोड़ 25 लाख रूपया होगा. इसके अतिरिक्त इस पर 10.20 प्रतिशत सेवाकर देय होगा. समिति ने 9 करोड़ 25 लाख रूपया व्यय का विश्लेषण करते हुए बताया कि इसमें से करीब 2 करोड़ 28 लाख रूपया डिजाइन पर और 6 करोड़ 97 लाख रूपया जब काम शुरू होगा तो इसके पर्यवेक्षण पर खर्च होग. जबकि मेनहर्ट ने अपने वित्तीय लिफाफा में इस काम के लिए 37 करोड़ 28 लाख रूपया परामर्शी शुल्क मांगा था. जिसको डिजाईन फेज के लिए 22 करोड़ 81 लाख रूपया और पर्यवेक्षण फेज के लिए 14 करोड़ 47 लाख रूपया था.

3. कहाँ सरकार का अनुमान 9 करोड़ 25 लाख रूपया, और कहाँ मेनहर्ट की मांग 37 करोड़ 28 लाख रूपये? यदि वित्तीय प्रस्ताव में भी प्रतिस्पर्धा का प्रावधान होता तो मेनहर्ट इतनी अधिक मांग नहीं करता. विश्व बैंक की गुणवत्ता आधारित प्रणाली, जिसके अनुसार तकनीकी मूल्यांकन में सबसे ज्यादा अंक आयेगा, केवल उसका ही वित्तीय लिफाफा खुलेगा, स्वीकार करने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई. जिन लोगों ने योग्यता शर्तों और तकनीकी क्षमता शर्तों में उलटफेर कर मेनहर्ट को सबसे अधिक अंक दिलवाया था, वे भी मेनहर्ट द्वारा की गई मांग से हतप्रभ रह गये. परन्तु खेल होना अभी बाकी था. तकनीकी उपसमिति के वित्तीय आकलन और मेनहर्ट की वित्तीय मांग पर निगोशिएशन का दौर शुरू हुआ.

4. निगोशिएशन के दौरान मुख्य समिति और माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग की कलई खुल गई. इनका इरादा उजागर हो गया. मुख्य समिति ने उपसमिति को निर्देश दिया कि सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना का डीपीआर तैयार करने के काम में कई पेचिदगियाँ होंगी. इसके लिए बाह्य विषेशज्ञों की जरूरत होगी. इसलिए मेनहर्ट से पुन: वार्ता करें और इनका व्यय जोड़कर निगोशिएशन करें और स्पष्ट अनुशंसा करें.

5. मुख्य समिति के निर्देश पर उपसमिति और मेनहर्ट के बीच वार्ता हुई और तय हुआ कि इस काम के लिए 8 बाह्य विशेषज्ञ की जरूरत होगी. उल्लेखनीय है कि इसका जिक्र निविदा में नहीं था. इन बाह्य विशेषज्ञों पर होने वाला व्यय जोड़ने के बाद तय हुआ कि इस काम के लिए मेनहर्ट को 19 करोड़ 48 लाख रूपया दिया जा सकता है. डिजाइन फेज के लिए 10 करोड़ 21 लाख रूपया और पर्यवेक्षण फेज के लिए 9 करोड़ 27 लाख रूपया. इस पर मेनहर्ट ने कहा

कि वह कुल 27 करोड़ 15 लाख 46 हजार रूपया से कम नहीं लेगा.

6. इसके बाद मुख्य समिति ने मेनहर्ट के साथ निगोशिएशन का मोर्चा संभाला. इसने कहा कि उपसमिति ने इस काम पर होने वाला खर्च कम करके आँका है. मुख्य समिति ने मेनहर्ट के सामने 21 करोड़ 30 हजार रूपया देने का प्रस्ताव रखा, जिसमें डिजाईन के लिए 11 करोड़ 73 लाख 30 हजार रूपया और पर्यवेक्षण के लिए 9 करोड़ 27 लाख रूपये देने का प्रस्ताव था. मेनहर्ट ने इसे नहीं माना पर वह भी थोड़ा नीचे आया. 27 करोड़ 15 लाख 46 हजार की जगह उसने कुल 25 करोड़ 40 लाख रूपया की मांग की, इसमें डिजाईन के लिए 17 करोड़ 28 लाख 46 हजार रूपया और पर्यवेक्षण के लिए 8 करोड़ 21 लाख 14 हजार शामिल था.

7. इसके बाद निगोशिएशन के लिए माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग आगे आये। उनके स्तर पर तय हुआ कि मेनहर्ट को इस काम के लिए 21 करोड़ 40 लाख रूपया दिया जाय. मेनहर्ट ने इसे मान लिया. इस 21 करोड़ 40 लाख रूपया में डिजाईन पर कितना व्यय होगा और पर्यवेक्षण पर कितना व्यय होगा, इसका उल्लेख नहीं था. पर इसमें वह 96 लाख रूपया शामिल था, जिसके एवज में ओआरजी द्वारा किया गया काम मेनहर्ट को दे दिया गया.

8. निगरानी के तकनीकी परीक्षण कोषांग ने अपनी जाँच रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि नगर विकास विभाग ने प्रासंगिक संचिका के जितने पृष्ठ उसे उपलब्ध कराया है उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि मंत्री स्तर पर मेनहर्ट को 21 करोड़ 40 लाख रूपया देने का जो निर्णय हुआ, उसमें कितनी राशि डिजाईन के लिए और कितनी राशि पर्यवेक्षण के लिए है. पर मंत्रिपरिषद् द्वारा इसकी स्वीकृति के उपरांत नगर विकास विभाग से जो अधिसूचना जारी हुई उसमें लिखा गया है कि 21 करोड़ 40 लाख रूप्या में से 16 करोड़ 4 लाख 36 हजार रूपया डिजाईन फेज के लिए और 5 करोड़ 36 लाख 16 हजार रूपया पर्यवेक्षण के लिए मेनहर्ट को देय होगा। यह कैसे तय हुआ इसका खुलासा नहीं हो पाया.

●●●

खण्ड–14

तकनीकी परीक्षण कोषांग : जाँच का निष्कर्ष

निगरानी विभाग ने राँची के सिवरेज ड्रेनेज निर्माण हेतु मेनहर्ट परामर्शी के चयन में अनियमितता की जाँच गहराई से किया. कोषांग ने पहले इसके संबंध में दायर परिवाद पत्र की आरम्भिक जाँच किया. इसके बाद निविदा की शर्तों के आलोक में योग्यता, तकनीकी मूल्यांकन वित्तीय निगोशियेशन की प्रक्रिया की गहनता से जाँच किया. जाँच का प्रतिफल पूर्ववर्ती खंडों में अंकित है. इसके बाद तकनीकी परीक्षण कोषांग ने जाँच के निष्कर्ष को संक्षिप्त रूप में निगरानी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे हू–ब–हू नीचे दिया जा रहा है. नगर विकास विभाग की प्रासंगिक संचिका एवं संलग्न संचिका संख्या–2/न. वि./यो./सी. ड्रे./2/05 के अतिरिक्त नगर विकास विभाग से प्राप्त अभिलेखों एवं तथ्यों पर आधारित थे तथ्य निम्नवत हैं :–

1. **निविदा को QBS (Quality Based System) के आधार पर आमंत्रित किये जाने का कोई विशेष कारण स्पष्ट नहीं है. राँची के सिवरेज एवं ड्रेनेज परियोजना का DPR तैयार करना कोई अतिविशिष्ट प्रकृति का कार्य नहीं था. अत: इस कार्य हेतु QBS आधार पर निविदा किया जाना उपयुक्त नहीं है.** उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एकमात्र निविदाकार का ही खोलने एवं उसी फर्म के साथ दर Negotiation का प्रावधान है. इस प्रक्रिया में तकनीकी योग्यता महत्वपूर्ण हो जाती है एवं Financial bid महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि Financial bid में कोई प्रतिस्पर्धा का प्रावधान नहीं होता है. फलत: दर Negotiation के बाद भी अत्यधिक दर की मंजूरी की बाध्यता रह जाती है.
2. QBS प्रक्रिया में निविदा आमंत्रित की गयी थी लेकिन Request for proposal (RFP) में Technical Evaluation की प्रक्रिया बारीकी से तैयार नहीं किया गया प्रतीत होता है. एक तरफ RFP में तकनीकी मूल्यांकन हेतु कतिपय पैरामीटर्स हेतु पूर्णांक निर्धारित किये गये हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके Sub parameters के पूर्णांक का उल्लेख RFP में नहीं किया गया है. यह स्पष्ट करता है कि RFP के preparation में तकनीकी मूल्यांकन हेतु पूर्ण साम्यता एवं पारदर्शिता नहीं रखी गयी है एवं इस तरह तकनीकी मूल्यांकन में पक्षपात का Scope रह जाता है. यदि तकनीकी मूल्यांकन के Criteria में Sub

Parameters के पूर्णांक का भी उल्लेख किया गया होता तो सभी निविदाकार इस आधार पर पूर्ण तैयारी के साथ अपना Technical bid प्रस्तुत किये होते.

3. दिनांक 12.08.05 को सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य समिति की बैठक में सभी निविदादाताओं के प्रस्ताव को Minimum essential qualifying criteria पूरा नहीं करने के कारण Non responsive पाया गया था एवं निविदा रद्द करने का निर्णय लिया गया था. साथ ही पुनर्निविदा का Bid Document, Quality एवं Cost (QBCS) के आधार पर करने का निर्णय लिया गया था ताकि वित्तीय नियमावली में वर्णित प्रावधान के अनुसार निर्णय लिया जा सके. **समिति का लिया गया उक्त निर्णय उचित प्रतीत होता है।** उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 4940 दिनांक 31.07.02 (प्रतिलिपि पृष्ठ 253/प. पर संलग्न) में निहित आदेशानुसार भी Tender प्रक्रिया में तकनीकी दृष्टिकोण से योग्य पाये गये सभी निविदादाताओं का वित्तीय बीड खोलने का प्रावधान है.

4. दिनांक 17.08.05 को अपराह्न 4.00 बजे मुख्य समिति की आयोजित बैठक में Eligibility criteria को इस हद तक संशोधित किया गया कि अगर किसी निविदादाता के द्वारा Sewerage अथवा Drainage दोनों में से किसी भी घटक से संबंधित 300 करोड़ की परियोजना Project Management Consultancy का कार्य पिछले 5 वर्षों में किया हो तो मान लिया जाय कि निविदादाता ने eligibility की शर्त पूरा कर लिया है.

मुख्य समिति का यह निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि निविदा शर्तों में संशोधन की स्थिति में पुनर्निविदा आवश्यक हो जाता है एवं संशोधित निविदा शर्तों के आधार पर अन्य निविदाकार को भी निविदा में शामिल होने का अवसर दिया जाता है.

5. RFP में निहित शर्तों के अनुसार Annual Turnover Rs. 40.00 करोड़ या उससे अधिक रखा गया था एवं विगत तीन वर्ष का Audit Report संलग्न करना था । इस शर्त में Pre bid meeting के दौरान स्पष्ट करते हुए यह कहा गया था कि वर्ष 02–03 एवं 3–04 का अंकेक्षित प्रतिवेदन तथा वर्ष 04–05 का आन्तरिक अंकेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय. उक्त eligibility criteria के आधार पर M/s Burchill Partners Pvt. Ltd. को वर्ष 04–05 का Unaudited Turnover प्रस्तुत नहीं करने के कारण उपसमिति द्वारा अयोग्य ठहराया गया

है. जबकि M/s मेनहर्ट को वर्ष 04–05 का Unaudited Turnover नहीं प्रस्तुत करने के बावजूद भी योग्य करार दिया गया है. **उपसमिति का M/s मेनहर्ट के इस बिन्दु पर स्पष्ट रूप से अयोग्यता प्रमाणित होने के बावजूद योग्य करार देना एक त्रुटिपूर्ण निर्णय है.**

6. शेष बचे तीन फर्मों के तकनीकी मूल्यांकन में भी उपसमिति के दो सदस्यों द्वारा एकरूपता एवं पारदर्शिता नहीं बरते जाने का प्रमाण मिलता है, जिस पर मुख्य समिति द्वारा भी सहमति दी गयी है.

7. M/s मेनहर्ट के Financial bid खोले जाने पर उनका Quoted दर कुल रू. 37,28,26,440/– था. इस पर Negotiation विभिन्न स्तरों पर किया गया. दर समझौता की प्रक्रिया भी व्यावहारिक प्रतीत नहीं हो रही है. Cost Negotiation प्रक्रिया की प्रथम बैठक (दिनांक 22.11.08) में हुई जिसमें उपसमिति द्वारा अनुमानित लागत Design Phase का 2.2841/– करोड़ रूपया और Supervision का लागत 6.9672/– करोड़ रूपया यानी कुल लागत 9.258/– करोड़ रूपया+10.20 प्रतिशत सेवा कर आ रहा था.

   उपसमिति ने अपने उक्त आकलन पर मुख्य समिति के निदेश पर दिनांक 29.12.05 को पुन: Negotiation की कार्यवाही की जिसमें उपसमिति द्वारा कतिपय Expatriate staff की सेवा लिये जाने का आधार बनाकर Design phase हेतु रू. 10,20,95,400/– तथा Supervision Phase हेतु रू. 9,27,00,000/– की अनुमानित लागत की अनुशंसा की गयी है. मुख्य समिति द्वारा दिनांक 18.01.2006 एवं 19.01.2006 की बैठक में Man Power एवं Man Month की आवश्यकता के आधार पर Design Phase हेतु 11,73,30,400/– तथा Supervision Phase हेतु 9,2700,000/– कुल 21,00,30,400/– की अनुशंसा की गयी. इस तरह विभिन्न चरणों में Negotiation के पश्चात् 21.40 करोड़ की कुल राशि परामर्शी शुल्क के रूप में स्वीकृत की गयी. **उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक अनुमानित लागत (रू. 9.258 करोड़+10.20 प्रतिशत सेवा कर) में मात्र कुछ Expatriate staff के बढ़ोत्तरी के कारण परामर्शी शुल्क में भारी वृद्धि करते हुए इसे कुल रू. 21.40 करोड़ तक ले जाया गया. Expatriate Staff के तहत् बढ़े शुल्क का निर्धारण हुआ, जबकि RFP में यह अंकित नहीं था.**

8. निविदा निष्पादन हेतु गठित मुख्य समिति एवं उपसमिति के साथ–साथ

निविदा स्वीकृति के पूर्व विधान सभा की विशेष समिति की अनुशंसा पर श्री एस.पी. सिन्हा, मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा भी Minimum eligibility criteria को नजर अंदाज करते हुए **M/s Mainhardt को परामर्शी हेतु योग्य करार दिया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है.**

9. विधान सभा की क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा पर अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित पाँच अभियंता प्रमुखों की समिति में से चार सदस्यों ने माना है कि तकनीकी कारणों से M/s Meinhardt अयोग्य हो जाता है एवं एक अन्य सदस्य ने तो निविदा प्रकाशन से निविदा निष्पादन की पूर्ण प्रक्रिया में ही भूल दर्शायी है.

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस निविदा में प्रकाशन से लेकर निविदा निष्पादन की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही है.

सार संक्षेप

1. उपर्युक्त जाँच प्रतिवेदन से शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि राँची के सिवरेज ड्रेनेज के निर्माण एवं पर्यवेक्षण के किए मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति अनियमित थी. मेनहर्ट को नियुक्त करने के लिए हर स्तर पर पक्षपात हुआ. अयोग्य होने के बावजूद उसे योग्य ठहराया गया.
2. तकनीकी परीक्षण कोषांग ने माना है कि क्वालिटी बेस्ट सिस्टम पर निविदा करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि सिवरेज ड्रेनज निर्माण का डीपीआर तैयार करना अतिविशिष्ट प्रकृति का कार्य नहीं है.
3. निविदा प्रस्ताव बारीकी से तैयार नहीं किया गया है और तकनीकी मूल्यांकन में पक्षपात करने की काफी गुंजाइश छोड़ दी गई है.
4. तकनीकी परीक्षण कोषांग ने विधान सभा की विशेष जाँच समिति की अनुशंसा के आलोक में नगर विकास विभाग द्वारा अपने ही विभाग अंतर्गत आरआरडीए के मुख्य अभियंता एस.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की उस अनुशंसा को भी अनुचित करार दिया, जिसमें मेनहर्ट को योग्य ठहरा दिया था.
5. तीन दिन तक हंगामा होने के बाद माननीय विधान सभा अध्यक्ष ने जिस विशेष जाँच समिति का गठन इस प्रसंग में किया था, उसकी अनुशंसा के आलोक में

भी मेनहर्ट के चयन में अनियमितता और पक्षपात किया जाना साबित हो जाता है.

6. निविदा खुलने के बाद निविदा शर्तों में परिवर्तन करने को तकनीकी परीक्षण कोषांग ने अनुचित माना है और कहा है कि शर्तों में संशोधन के बाद पुनर्निविदा करना आवश्यक हो जाता है.

7. वित्तीय निगोशियेशन ने प्रवासी (Expatriate) विशेषज्ञ के नाम पर अनावश्यक खर्च जोड़कर लागत को 21.40 करोड़ तक पहुँचाया गया है, जबकि निविदा में इसका कोई प्रावधान नहीं था.

8. तकनीकी परीक्षण कोषांग का निष्कर्ष है कि इस निविदा में प्रकाशन से लेकर निविदा निष्पादन तक प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही है.

●●●

खण्ड–15

जाँच की आँच पर राजनीति का पानी

राज्यपाल के सलाहकार के आदेश के बावजूद निगरानी आयुक्त ने निगरानी ब्यूरो को मेनहर्ट की अनियमित नियुक्ति की जाँच करने की अनुमति नहीं दिया. इसके बदले उन्होंने जाँच का जिम्मा निगरानी तकनीकी परीक्षण कोषांग के मत्थे मढ़ दिया. निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग ने जाँच प्रतिवेदन सौंप दिया तो इस पर मंतव्य अंकित किये बिना ही निगरानी आयुक्त ने संबंधित संचिका सात महीना तक अपने पास दबाये रखा. इसके बाद 25 फरवरी, 2011 को बिना कोई मंतव्य दिये संचिका नगर विकास विभाग को लौटा दी, जब कि राज्यपाल के सलाहकार के आदेशानुसार इन्हें संचिका पर अपना मंतव्य अंकित करना था.

नगर विकास विभाग के तत्कालीन सचिव ने 01 मार्च, 2011 को संचिका मुख्य सचिव को पृष्ठांकित कर करते हुये संचिका पर निम्नांकित टिप्पणी दर्ज किया.

''तत्कालीन मुख्यमंत्री ने (2009 में) संचिका पर आदेश पारित किया था और तत्पश्चात संलेख मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया गया था. इसी समय राष्ट्रपति शासन लग गया और संचिका लौटा ली गई. संचिका पर माननीय राज्यपाल के सलाहकार के आदेशानुसार कारवाई की गयी और अंतत: राज्यपाल के सलाहकार परिषद के समक्ष संलेख प्रस्तुत करने के क्रम में तत्कालीन महामहिम राज्यपाल के द्वारा संचिका पर आदेश दिया गया कि ''तकनीकी निगरानी द्वारा निविदा की प्रोसेसिंग और इस फर्म (मेनहर्ट) के चयन के संबंध में मंतव्य प्राप्त किया जाय तथा उसके आधार पर निर्णय लिया जाय. तदनुसार निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग ने मंतव्य दे दिया है. परंतु उस मंतव्य के आधार पर क्या कार्रवाई की जाय इस संबंध में सक्षम स्तर से कोई निर्णय नही लिया गया है. कार्यान्वयन समिति के प्रतिवेदन पर मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय लिये जाने के क्रम में इस पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है.

अत: मेरे विचार में उचित होगा कि संदर्भित आदेश के अनुपालन स्वरूप तकनीकी (निगरानी) के मंतव्य के संबंध में सक्षम स्तर पर निर्णय प्राप्त करने का निदेश मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग को दिया जा सकता है. तत्पश्चात इस परियोजना का कार्यान्वयन कराने के बारे में विधान सभा की कार्यान्वयन समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं अनुशंसाओं पर मंत्रिपरिषद का निर्णय हो जाने के बाद ही क्या कारवाई

की जाय, इस संबंध में निर्णय लेना संभव हो पायेगा. तदनुसार प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग को निर्देशित करना चाहेंगे.''

इस पर 12 मार्च 2011 को मुख्य सचिव ने स्पष्ट आदेश किया. अंग्रेजी में दिये गये मुख्य सचिव के आदेश का हिन्दी अनुवाद निम्नवत है :–

निगरानी विभाग पूरे मामले की जाँचकर बताये कि –

1. यदि अनियमितता हुई है तो क्या हुई है, तह तक जाकर बिन्दुवार बतायें?
2. अनियमितता हुई है, गलती हुई है, स्थापित नियमों के विरूद्ध काम हुआ है, तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है?
3. उपर्युक्त के आलोक में क्या कारवाई करनी होगी?
4. कृपया मुझे बतायें कि यह काम करने में कितना समय लगेगा?

मुख्य सचिव के आदेश का अनुपालन करने के क्रम में निगरानी आयुक्त ने संचिका मुख्य अभियंता, तकनीकी परीक्षण कोषांग को भेज दिया. मुख्य अभियंता ने उन्हीं अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता को भेज दिया जिन्होंने संचिका पर पहले भी जाँच कर अपना मंतव्य दिया था. इस जाँच का प्रतिवेदन और निष्कर्ष पूर्ववर्ती खण्डों (खंड–10 से खंड–14) पर देखा जा सकता है. निगरानी परीक्षण कोषांग के अधीक्षक अभियंता और कार्यपालक अभियंता ने निम्नांकित मंतव्य सहित संचिका 17 मार्च 2011 को मुख्य अभियंता के पास भेज दिया.

मुख्य अभियंता

मुख्य सचिव की पृ. 28–27 टि. पर पृच्छा के आलोक में निगरानी आयुक्त के आदेश का कृपया अवलोकन किया जाय. पृ. 13/टि. पर निगरानी आयुक्त के आदेश के अनुपालन में विषय वस्तु की विस्तृत समीक्षा तकनीकी परीक्षक कोषांग, राँची के द्वारा पृ. 25–14 टि. पर की गयी है. टि./24–22 पर निष्कर्ष के रूप में मूल तथ्य द्रष्टव्य है, जिससे वस्तुस्थिति पूर्ण रूपेण स्पष्ट होता है. पुन: मुख्य सचिव के आदेशानुसार उन्हें निम्नांकित तथ्यों से कंडिकावार अवगत कराया जा सकता है.

1. नगर विकास विभाग द्वारा विषयांकित कार्य हेतु बिना सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किये ही QBS (Quality Based system) पर निविदा आमंत्रित की गई है. QBS पर आधारित निविदा प्रक्रिया में तकनीकी बिड के मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक प्राप्त करनेवाले एक मात्र निविदाकार के वित्तीय बिड खोलने एवं उनसे दर वार्ता के पश्चात कार्य आवंटित करने का प्रावधान है. इस प्रकार

QBS निविदा की प्रक्रिया, निविदा हेतु निर्धारित प्रचलित प्रक्रिया जिसमें तकनीकी बिड में सफल सभी निविदाकारों के वित्तीय बिड को खोलकर उसमें से न्यूनतम दर दाता (L1) को कार्य आवंटित करने का प्रावधान है, से भिन्न हो जाता है. अत: QBS पर निविदा आमंत्रित करने के पूर्व सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य प्रतीत होता है. सामान्यत: अतिविशिष्ट प्रकार के कार्य के लिए QBS पर निविदा आमंत्रित की जाती है, किन्तु अतिविशिष्ट प्रकृति का कार्य नहीं होने के बावजूद भी इस कार्य के निविदा हेतु QBS की प्रक्रिया अपनायी गयी, जो उचित प्रतीत नहीं होता है. गलत प्रक्रिया के कारण Financial Bid में प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकी, फलस्वरूप यह महत्वहीन हो गया. निविदा के तकनीकी मूल्यांकन में उपसमिति द्वारा मेनहर्ट कम्पनी को अन्य कम्पनियों के respect में अधिक मार्क (नम्बर) देने का भी प्रमाण परिलक्षित होता है. इस तरह RFP के preparation में तकनीकी पक्षपात का scope रखा गया प्रतीत होता है.

2. बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन प्राप्त किये QBS पर निविदा आमंत्रित करने एवं RFP preparation करने हेतु प्रशासी विभाग के पदाधिकारी जिम्मेवार माने जा सकते है. तकनीकी मूल्यांकन में निविदा उपसमिति के सदस्य श्री के.पी. शर्मा, कार्यपालक अभियन्ता एवं श्री उमेश गुप्ता, कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कुछ बिन्दुओं पर पारदर्शिता का अभाव पाया गया है. मुख्य समिति द्वारा दर समझौता में अपनायी गयी प्रक्रिया भी व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती है. दर समझौता के संबंध में मुख्य समिति की अनुशंसा पर सरकार स्तर से दर अनुमोदन किया गया है. निविदा निष्पादन हेतु गठित मुख्य समिति एवं उपसमिति के साथ–साथ निविदा स्वीकृति के पूर्व विधान सभा की विशेष समिति की अनुशंसा पर श्री एस.पी. सिन्हा, मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय उच्चस्तरीय समिति द्वारा भी Minimum eligibility criteria को नजर अंदाज करते हुए M/s Meinhardt को परामर्शी हेतु योग्य करार दिया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है. कार्य आबंटन के पश्चात विधान सभा की कार्यान्वयन समिति की अनुशंसा पर अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित पाँच अभियंता प्रमुखों की समिति में से चार सदस्यों की मान्यता थी कि तकनीकी कारणों से M/s Meinhardt अयोग्य हो जाता है एवं एक अन्य सदस्य ने निविदा प्रकाशन से निविदा निष्पादन की पूर्ण प्रक्रिया में भूल दर्शायी है.

3. दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभाग को दायित्व निर्धारित है. (मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्रांक 298/ त.प.को., पटना दिनांक 9 अप्रैल, 1977 की छायाप्रति पृ. 266/प. पर द्रष्टव्य). इस आलोक में प्रशासी विभाग के स्तर से ही इस संबंध में समुचित कार्रवाई अपेक्षित है.

अग्रेतर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित.

ह./–कार्यपालक अभियंता, 17.03.2011 ह./–अधीक्षण अभियंता, 17.03.2011

इस बीच संचिका पर पृच्छा करने वाले मुख्य सचिव भी 15 मार्च, 2011 को हटा दिये गये. उनकी जगह पर आये मुख्य सचिव ने संचिका पर निम्नांकित टिप्पणी अंकित कर उसे निगरानी आयुक्त को भेज दिया. इनकी यह टिप्पणी निवर्तमान मुख्य सचिव द्वारा की गई पृच्छा की माथा से मेल नहीं खाती है.

निगरानी आयुक्त

मुख्य सचिव की पृच्छा पृ. 28–27/टि. के आलोक में अधीक्षण अभियंता (त.प.को.) एवं कार्यपालक अभियंता (त.प.को.) द्वारा कंडिकावार वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है, जिसकी समीक्षा के पश्चात मैं भी सहमत हूँ.

ह./मुख्य अभियंता, 17.03.2011

• • •

इस बीच निगरानी आयुक्त का तबादला हो गया. श्रीमती राजबाला वर्मा की जगह श्री जे.बी. तुबिद निगरानी आयुक्त बन गये. श्री तुबिद ने 21 मार्च 2011 को विषयवस्तु पर अपना मंतव्य मुख्य सचिव को भेजा. लम्बी टिप्पणी में मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में अनियमितताओं का विस्तार से उल्लेख करते हुये उन्होंने मुख्य सचिव की पृच्छाओं के बारे में निम्नांकित मंतव्य दिया :–

''मुख्य सचिव की कंडिका 1 और 2 की पृच्छा के संबंध में यह अंकित करना है कि इसके लिये स्पष्ट रूप से विभाग जिम्मेवार है. कंडिका 3 के संबंध में यह टिप्पणी अंकित करना है कि सभी तथ्यों एवं तकनीकी परीक्षण कोषांग के अद्यतन मंतव्य को संलेख का अंग एवं उस पर विभागीय मंतव्य गठित करते हुये इस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष उपस्थापित किया जाय ताकि मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया जा सके. तकनीकी परीक्षण कोषांग के द्वारा इंगित त्रुटियों के निवारण का विभागीय

परिपत्र संचिका मे उपस्थापित कर दिया गया है. संचिका पर मुख्यमंत्री/विभागीय मंत्री (निगरानी) का अनुमोदन/आदेश प्राप्त करना चाहेंगे.

• • •

मुख्य सचिव ने 21 मार्च, 2011 को ही अपना मंतव्य संचिका पर अंकित कर संचिका मुख्यमंत्री को भेज दिया. उनका मंतव्य निम्नवत है :–

तकनीकी परीक्षण कोषांग ने M/s Mainhardt के चयन में त्रुटियों के संबंध में अपना मंतव्य दिया है. मेरे विचार में सर्वप्रथम प्रशासी विभाग को त्रुटिवार अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिये और एक निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिये. चूंकि चयन पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन है, अत: यह मामला अंतिम रुप से मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना होगा. साथ ही यह Legal opinion प्राप्त करना होगा कि विभाग/राज्य सरकार को भुगतान के contractual liability पर इस stage पर क्या विकल्प उपलब्ध है?

यह संचिका 22 मार्च 2011 को मुख्यमंत्री सचिवालय पहुँची. मुख्यमंत्री ने 26 मार्च 2011 को इस पर अपनी निम्नांकित टिप्पणी अंकित की :–

''निगरानी विभाग के अभियंत्रण कोषांग ने मुख्यत: वही त्रुटियाँ तकनीकी मूल्यांकन में बताई हैं, जो विधान सभा की क्रियान्वयन समिति (एक सदस्यीय) के द्वारा कही गयी थी.

विधान सभा की जाँच समिति जिसमें 7 सदस्य थे तथा वित्त आयुक्त (क्रमश: श्री राहुल सरीन तथा मुखत्यार सिंह) की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपने प्रतिवेदन दिये हैं, किन्तु तकनीकी मूल्यांकन इन समितियों के स्तर से नहीं किया गया.

तकनीकी मूल्यांकन का कार्य तकनीकी उपसमिति ने किया और विधान सभा की समिति की रिपोर्ट आने के बाद विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति ने उसे जाँचा.''

इन तकनीकी त्रुटियों के मद्देनजर विद्धान महाधिवक्ता तथा विधि विभाग का यह मंतव्य था (संलग्न संचिका का पृष्ठ 24–31/टि.) :–

"I further find that three audit reports of Mainhardt for the last three years had been submitted by the said company and therefore, there was even no technical infirmity or flaw in considering the offer of the said company. As mentioned above, the cabinet has approved the allotment of work to said Mainhardt twice ..... Thus, in my opinion, Mainhardt should be approached to expedite the work."

निर्णय समितियों के द्वारा नहीं अपितु नगर विकास विभाग/राज्य सरकार के द्वारा लिये गये.

कालांतर में मुख्यमंत्री के आदेश से 5 अभियंता प्रमुखों की समिति गठित की गयी, जिसमें से 4 ने यह माना कि ''मेनहर्ट की वित्तीय क्षमता (टर्न ओवर) कार्य के योग्य प्रतीत होती है, इसमें निगरानी विभाग के अभियंता प्रमुख का भी यही मत था (संलग्न संचिका का पृष्ठ 39–40/टि. तथा 391–390/प.).

क्रियान्वयन समिति की रिपोर्ट के बाद भी विभाग के द्वारा परामर्शी को भुगतान किया गया. (फिर भी विभाग यदि चाहे तो तकनीकी उपसमिति तथा उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के सदस्यों से स्पष्टीकरण पूछ कर प्रशासनिक कार्रवाई कर सकता है.)

इस मामले में न्यायालय में भी शपथपत्र मुख्य सचिव तथा विद्धान महाधिवक्ता की सहमति से दायर किया जाय.

अब कार्रवाई निगरानी विभाग को नहीं अपितु नगर विकास विभाग को ही करनी है, जैसा मुख्य सचिव ने कहा है. मंत्रिपरिषद् से पारित योजना का अनुपालन होना चाहिए अन्यथा इस बारे में यदि कोई अतिरिक्त क्लेम अथवा Cost-escalation होता है तो कौन उत्तरदायी होगा? सम्पूर्ण राँची शहर में सिवरेज–ड्रेनेज का निर्माण, आवश्यकता हो तो विभिन्न चरणों में, शीघ्र किया जाना चाहिए जैसा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णित हुआ था.

ह./–(मुख्यमंत्री) 22.03.2011

• • •

मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद संचिका नगर विकास विभाग में चली गई। मेनहर्ट को अवैध रूप से नियुक्त करने वाले सूत्रधार तथा इसमें गैरकानूनी भूमिका निभाने वाले अभियंताओं एवं अधिकारियों पर कोई कारवाई नहीं हुई. 'सांच की आंच' पर राजनीति का पानी पड़ गया. 'सांच को आंच क्या' का दंभ भरने वाले झूठ का सहारा मिल गया.

सार संक्षेप

1. माननीय मुख्यमंत्री की टिप्पणी में महाधिवक्ता के परामर्श का उल्लेख है. वह वर्ष 2008 का है, श्री मधु कोड़ा सरकार के समय का है. इस परामर्श की

जानकारी मिलने पर मैंने तथ्य के साथ सचिव, विधि विभाग को पत्र लिखा था कि महाधिवक्ता का यह परामर्श असत्य पर आधारित है. इसे खारिज किया जाना चाहिए. मेरा यह पत्र हू–ब–हू इस पुस्तक के खंड–17 पर देखा जा सकता है.

2. इन महाधिवक्ता महोदय के 17.9.2008 को पद से हटने के बाद राज्य में 4 महाधिवक्ता बने हैं. इसी संचिका पर मुख्य सचिव का 21 मार्च, 2011 का आदेश महाधिवक्ता से परामर्श लेने का है. वर्त्तमान महाधिवक्ता से स्पष्ट मंतव्य लिये बिना 2008 में दिये गये महाधिवक्ता के अनुचित परामर्श को मुख्यमंत्री के टिप्पणी के साथ 3 साल बाद उद्धृत करना कितना वांछनीय है?

3. मुख्यमंत्री की टिप्पणी में तकनीकी उप समिति के मूल्याँकन और उच्चस्तरीय समिति के जाँच प्रतिवेदन का उल्लेख है. इन दोनों के प्रतिवेदन निगरानी तकनीकी कोषांग की जाँच में, कार्यान्वयन समिति की जाँच में और पाँच अभियंता प्रमुखों की जाँच में गलत साबित हो चुके हैं.

4. मुख्यमंत्री की टिप्पणी में यह उल्लेख भी शत–प्रतिशत गलत है कि 5 अभियंता प्रमुखों की समिति में से 4 ने कहा है कि मेनहर्ट का टर्न ओवर कार्य के योग्य है. पाँचों अभियंता प्रमुखों की जाँच रिपोर्ट इस पुस्तक के खण्ड–8 पर देखी जा सकती है. इनमें से चार का मंतव्य है कि निविदा की शर्तों के आधार पर मेनहर्ट अयोग्य है. पाँचवें का मंतव्य है कि निविदा प्रकाशन से लेकर निविदा निष्पादन तक में भारी भूल हुई है और मेनहर्ट अयोग्य है.

5. मुख्यमंत्री की टिप्पणी में एक जगह अंकित है कि ''अब कार्रवाई निगरानी विभाग को नहीं अपितु नगर विकास विभाग को करनी है, जैसा मुख्य सचिव ने कहा है. यह सरासर गलत है.'' किसी भी मुख्य सचिव ने संचिका में अपने आदेश या टिप्पणी में यह नहीं कहा है कि अब कार्रवाई निगरानी विभाग को नहीं अपितु नगर विकास विभाग को ही करनी है.

6. एक मुख्य सचिव ने 12 मार्च 2011 को दोषियों पर कारवाई के लिये कहा है, उन्हें चिन्हित करने के लिए कहा है. इस मामले में क्या कार्रवाई होनी है, इसके बारे में पृच्छा की है। इसके बाद आये दूसरे मुख्य सचिव ने 21 मार्च, 2011 को संचिका पर अंकित टिप्पणी में कहा है कि ''तकनीकी परीक्षण कोषांग ने मेसर्स मेनहर्ट के चयन में त्रुटियों के संबध में अपना मंतव्य दिया है.

मेरे विचार में सर्वप्रथम प्रशासी विभाग को त्रुटिवार अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए और एक निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए.''

7. मुख्यमंत्री की टिप्पणी में विधान सभा की कार्यान्वयन समिति को एक सदस्यीय समिति कहा गया है, जबकि यह तीन सदस्यीय समिति थी. इसमें श्री सरयू राय (सभापति), और श्री प्रदीप यादव (सदस्य) तथा श्री सुखदेव भगत (सदस्य) थे.

8. मुख्यमंत्री की टिप्पणी से स्पष्ट है कि उनकी टिप्पणी उनके समक्ष प्रस्तुत भ्रामक तथ्यों और असत्य पर आधारित है. संचिका पर गलत तथा बेबुनियाद विश्लेषण उपस्थापित कर उन्हें गुमराह किया गया है. यह टिप्पणी झूठ के हवा महल पर आधारित है. झूठ का पुलिंदा है.

9. मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी ने 'सांच की आंच' पर राजनीति का पानी डाल दिया. जिन्हें आशंका थी कि एक न एक दिन उन पर कारवाई होगी, वे निश्चिंत हो गये कि अब उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा. इस टिप्पणी ने उनका हौसला बुलंद कर दिया और उन्हें खुलकर खोलने का अवसर प्रदान कर दिया.

●●●

खण्ड–16

मुकदमों का सिलसिला

झारखंड अलग राज्य बना. राँची नवगठित राज्य की राजधानी बनी. शहर का विस्तार होने लगा. तब राँची शहर में जल–मल निकासी (सिवरेज–ड्रेनेज) की समस्या की ओर शहर के प्रबुद्ध लोगों का ध्यान गया. सरकार की ओर से संतोषजनक पहल नहीं दिखने पर एक जागरूक नागरिक ने न्यायालय की शरण ली. झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल हुई. इस याचिका संख्या W.P.- (PIL) संख्या 3858/2002- पर झारखण्ड उच्च न्यायालय ने समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उस समय की सरकार ने इस काम के लिये बाह्य परामर्शी की आवश्यकता महसूस किया. परामर्शी चयन के लिये 2003 में एक निविदा प्रकाशित की गई. प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर दो फर्मों–ओआरजी प्रा. लि. और स्पैन ट्रायवर्स मॉर्गन का चयन हुआ. इनके और राँची नगर निगम के बीच 11 अक्टूबर 2003 को विधिसम्मत अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ. इन्होंने काम शुरू किया.

इस बीच 2005 विधानसभा चुनाव हुआ, सरकार बदल गई. नई सरकार ओआरजी और स्पैन के द्वारा किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा की. इनके काम पर संतोष व्यक्त किया. परामर्शी फर्मों को 31 अगस्त 2005 तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया. परंतु आश्चर्यजनक रुप से इसके एक ही दिन बाद उन्होंने इनके साथ हुआ अनुबंध रद्द कर दिया. राँची नगर निगम को इनसे काम नहीं कराने का फरमान जारी कर दिया. सरकार को इनका चेहरा पसंद नहीं आया या काम पसंद नहीं आया, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं. परंतु इन परामर्शियों को काम से हटाने का निर्णय एकतरफा था, नगर विकास विभाग द्वारा लिया गया था, अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं था. इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मुकदमा हुआ. हाईकोर्ट ने इसके समापन के लिए केरल हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश यू.पी. सिंह की अध्यक्षता में पंचाटबना दिया. पंचाट के फैसला में इन्हें हटाने के निर्णय को गलत बनाया गया.

इसके बाद सरकार ने नया परामर्शी बहाल किया. परामर्शी बहाल करने का सरकार का तौर तरीका अनेक लोगों को पसंद नहीं आया. उन्हें इसमें भ्रष्टाचार और अनियमितता की बू आने लगी. विधानसभा में सवाल उठा. जाँच के लिये विधान सभा अध्यक्ष ने विशेष जाँच समिति बना दी. इस समिति की अनुशंसा पर तकनीकी

बिन्दुओं की जाँच करने के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी जाँच समिति बनी। फिर इसकी जाँच विधान सभा की कार्यान्वयन समिति ने की. कार्यान्वयन समिति की जाँच पर अभियंता प्रमुख स्तर के 5 अभियंताओं ने जाँच की.

सभी ने मेनहर्ट की बहाली में अनियमितता की जाँच निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग ने की और मेनहर्ट की बहाली को गलत ठहरा दिया. इसके बाद भी सरकार का अपने निर्णय पर अड़े रहना, जो मनोनुकूल है उसे मान लेना, जो रुचिकर नहीं है उसे टाल देना, मीठा–मीठा गप्प और कड़वा–कड़वा थू वाला सरकारी नजरिया जिन्हें पसंद नहीं आया, वे न्यायालय गये. कालक्रम में कई मुकदमे हुये. इनमें मो. ताहिर की जनहित याचिका, अरविन्दर सिंह देओल की जनहित याचिका, दुर्गा मुंडा की जनहित याचिका, आलोक दूबे की जनहित याचिका, पंकज यादव की रिट याचिका आदि उल्लेखनीय हैं. कतिपय याचिकायें तो उच्च न्यायालय के समक्ष आज भी लंबित हैं, पर जिन याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, उसका पालन करने पर सरकार ने समुचित ध्यान नहीं दिया. इन मुकदमों को और इनमें हुये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया. कारण कि सरकार को इन निर्णयों में पर्याप्त बल नहीं दिखा. पंचाट के निर्णय का कार्यान्वयन भी लंबित है.

लेकिन एक मुकदमा सरकार के लिए विशेष हो गया. इसने सरकार का मन मोह लिया. यह मुकदमा झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर किया सरकार द्वारा चयनित परामर्शी मेनहर्ट (सिंगापुर) प्रा. लि. ने. यह मुकदमा संख्या है–4009/ WP(C)4009 of 2009. इसमें मेनहर्ट ने न्यायालय के सामने गुहार लगाई कि सरकार ने उसका चयन जिस काम के लिये किया, वह काम उसने पूरा कर दिया है, फिर भी उसका भुगतान सरकार ने रोक रखा है. अतः माननीय न्यायालय भुगतान करने का निर्देश सरकार को दे. इस मुकदमा का फैसला 25.4.2011 को आया. न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया जब आपने काम करा लिया, काम को स्वीकार कर लिया, तब भुगतान नहीं करने का कोई कारण नहीं है. शीघ्र भुगतान करिये. विलम्ब होने पर 10 प्रतिशत सालाना सूद के साथ भुगतान करना होगा.

न्यायालय को इस नतीजे पर पहुँचने में किसने क्या भूमिका निभाई इसका उल्लेख संक्षेप में यहाँ करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है. मेनहर्ट सिंगापुर प्रा. लि. बनाम झारखण्ड सरकार और राँची नगर निगम के इस मुकदमा में मेनहर्ट के वकील थे श्री एम.एस. मित्तल. मुकदमा माननीय न्यायाधीश आर.के. मेरठिया की अदालत में था.

झारखण्ड सरकार की ओर से महाधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा और सरकारी अधिवक्ता एम.एस. अख्तर तथा राँची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता श्री आर.आर. नाथ पैरवी कर रहे थे.

मेनहर्ट के वकील की बहस का जो अंश फैसला में दर्ज है, उसके अनुसार मेनहर्ट को निविदा के आधार पर दो भाग में काम पूरा करने का आदेश सरकार से मिला. पहला भाग राँची शहर के सिवरेज–ड्रेनेज का ड्राइंग और डिजाइन तैयार करने का था और दूसरा भाग राँची मे सिवरेज–ड्रेनेज के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करने से संबंधित था. पहले भाग का काम पूरा हो जाने के बाद राँची नगर निगम ने कार्य पूरा हो जाने का संतोषजनक प्रमाण पत्र दे दिया और बैंक गारंटी लौटा दी. मेनहर्ट ने 17.1.2008 और 31.5.2008 को अंतिम विपत्र जमा कर दिया। तब से भुगतान लंबित है.

उन्होंने आगे कहा कि मेनहर्ट का काम पूरा हो जाने के 2 साल बाद झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका W.P. (PIL)No.- 735 of 2010 दायर हुई. यह याचिका निविदा में असफल हुये मेनहर्ट के किसी प्रतिस्पर्धी की शह पर एक अनजान व्यक्ति द्वारा दायर की गई. इस याचिका पर उच्च न्यायालय ने 13 सितंबर 2010 को एक निर्दोष (Innocuous) सा सामान्य एवं बलहीन फैसला दिया, जिसे आधार बनाकर मेनहर्ट को परेशान करने के लिये निगरानी जाँच शुरू कर दी गई और निगरानी जाँच लंबित रहने के बहाने मेनहर्ट का भुगतान रोक दिया गया. न्यायालय सरकार को भुगतान करने का निर्देश जारी करे.

इस पर महाधिवक्ता अनिल सिन्हा ने माननीय न्यायमूर्ति को बताया कि सरकार के साथ हुये मेनहर्ट के समझौता की कंडिका 15 के अनुसार यह याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है. आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 5 के मुताबिक इस मामले मे यह न्यायालय अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 15 के मुताबिक मेनहर्ट मुआवजा का दावा कर सकता है. **महाधिवक्ता ने आगे कहा कि निविदा के कतिपय प्रावधानों का उल्लंघन कर मेनहर्ट को काम दिया गया है. ऐसी स्थिति में निविदा रद्दकर फिर से निविदा प्रकाशित की जानी चाहिये थी.** राँची नगर निगम के अधिवक्ता ने कहा कि निगम भुगतान के लिये सरकार से राशि की माँग कर रहा है परंतु सरकार नहीं दे रही है.

इसपर माननीय न्यायाधीश ने अपना मंतव्य फैसला में दर्ज किया और कहा कि विभाग की संचिका में मुख्यमंत्री का 22 मार्च 2011 का आदेश देखने से लगता

है कि विषयवस्तु पर विचार हो चुका है. उन्होंने महाधिवक्ता श्री एस.बी. गाड़ोदिया का वह परामर्श भी अपने फैसला में उद्धृत किया है जो 2008 का है और जिसे माननीय मुख्यमंत्री भी अपने 22 मार्च, 2011 के आदेश में संचिका पर दर्ज कर चुके हैं. माननीय न्यायाधीश ने अपने फैसले में माननीय मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी भी उद्धृत की, कि ''इस मामला में कारवाई अब निगरानी विभाग से नहीं बल्कि नगर विकास विभाग से होनी है, जैसा कि मुख्य सचिव ने सलाह दिया है.'' मुख्यमंत्री के प्रासंगिक आदेश (जो महाधिवक्ता के परामर्श पर आधारित है) की इन पंक्तियों को भी जज साहब ने अपने फैसला का आधार बनाया है कि ''मेनहर्ट ने विगत तीन वर्षों का तीन अंकेक्षण रिपोर्ट जमा किया है. इसलिये उसके दावा में भी कोई तकनीकी कमी नहीं है. मंत्रिपरिषद ने इसपर दो बार विचार किया है और कहा है कि मेनहर्ट को कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिये. उपर्युक्त के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दे दिया कि तीन सप्ताह के भीतर मेनहर्ट का भुगतान कर दें अन्यथा सालाना 10 प्रतिशत ब्याज के साथ विलम्बित अवधि का भुगतान करना पड़ेगा.

राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेनहर्ट के पक्ष में दिये गये इस फैसले पर विधि विभाग की राय माँगी. विधि विभाग ने भी और महाधिवक्ता ने भी स्पष्ट सलाह दी कि ''यह मामला माननीय उच्च न्यायालय की खंड पीठ मे अपील करने लायक है.'' झारखण्ड सरकार के वकील, जो मुकदमा में सरकार की तरफ से शामिल हुये थे, ने नगर विकास विकास विभाग के प्रधान सचिव को 26 अप्रैल 2011 को पत्र लिखकर सूचित किया कि झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ के इस निर्णय के विरूद्ध खंडपीठ में अपील करनी चाहिये. दिनांक 26.04.2011 को अंग्रेजी में लिखा हुआ उनका पत्र संख्या– 3637/राँची को हू–ब–हू नीचे दिया गया है.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL,
JHARKHAND HIGH COURT, RANCHI

Letter no. 3637, dt. 26.04.2011

From,

Md. Shamim Akhter
S.C. (Mines)
Jharkhand High Court,
Ranchi.

To,

Principal Secretary, Urban Development Department,
Jharkhand, Ranchi.

Sub : WPC No. 4009/2010, M/s. Meinherdt Singapore Pvt. Ltd. Vs. The State of Jharkhand & Ors.

Sir,

This writ application filed by the petitioner M/s. Meinherdt Singapore Pvt. Ltd. for payment of the amount under the agreement with the Ranchi Municipal Corporation on the ground that they have completed the work under the agreement, but the amount has not been paid.

The matter was heard today i.e. on 25.04.2011 and the Hon'ble Court has directed that the amount due to the petitioner be paid within the specified time, failing which the amount carrying interest.

To my opinion, the writ petition itself was not maintainable in view of the fact that it was a money claim and that the agreement also contained an arbitration clause, therefore, this court should not have entertained the writ application as also no direction as aforesaid for payment of the amount should have been made, as such the department may consider to challenge this order by filing LPA before this Hon'ble Court.

If a decision to that effect is taken, it should be immediately taken, so that the LPA is filed within time.

Thanking you.

(Md. Shamim Akhter)
S.C. (Mines)

नगर विकास विभाग ने महाधिवक्ता और विधि विभाग की यह राय मानने के बदले विधि विभाग के इस परामर्श को बदलवाया और कैबिनेट से आदेश प्राप्त किया कि सरकार इस मामले में अपील में नहीं जायेगी. इस तरह अयोग्य पाये गये मेनहर्ट को भुगतान करने का रास्ता साफ हो गया.

आमतौर पर कर्मचारियों के लाख–दो लाख रूपये के भुगतान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने वाली सरकार ने अयोग्य होने के बावजूद बहाल किये गये परामर्शी को करीब 17 करोड़ रुपया का भुगतान करने के मामले में निर्णय लिया कि हाईकोर्ट के डबल बेंच में अपील नहीं की जायेगी. यह विषय मंत्रिपरिषद में गया और वहाँ से भी इसे स्वीकृत मिल गई. मंत्रिपरिषद के इस निर्णय की अधिसूचना नगर

विकास विभाग के सचिव ने 13 जुलाई 2006 को जारी किया. मेनहर्ट को परामर्शी नियुक्त करने का पहला निर्णय झारखण्ड सरकार के मंत्रिपरिषद ने 6 मार्च, 2006 को लिया था. कायदे से यह निर्णय बदला जाना चाहिए था. पर 5 साल 5 माह बाद झारखंड मंत्रिपरिषद में इसे फिर से दुहरा दिया गया. यह अधिसूचना निम्नवत हैं–

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग
संकल्प

संख्या–2/न.वि./या./सि.डे.–02/05/2307/

राँची, दिनांक 13.07.2011

विषय : राँची शहर में समेकित सिवरेज–ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन के संबंध में.

1. राँची शहर के लिए समेकित सिवरेज–ड्रेनेज (स.सि.ड्रे.प्र.) को विकसित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा आमंत्रित निविदा संख्या–01/05 दिनांक– 27.06.05 के आलोक में परामर्शी नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 06.03.06 के मद सं.–13 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी.
2. सिवरेज ड्रेनेज प्रणाली को विकसित करने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा दिनांक 30.06.05 को विश्व बैंक पद्धति पर आधारित एक ग्लोबल टेण्डर आमंत्रित किया गया था.
3. सिवरेज ड्रेनेज योजना संबंधी सभी तथ्यों को मंत्रिपरिषद् के समक्ष रखते हुए मंत्रि परिषद् से दिनांक 06.03.06 को मैनहर्ट (सिंगापुर) को परामर्शी कार्य (डी.पी.आर. निर्माण एवं प्रोसेस मैनेजर) के लिए नियुक्त करने के प्रस्ताव पर नगर विकास विभाग ने स्वीकृति प्राप्त किया.
4. सरकार के उक्त निर्णय पर झारखण्ड विधान सभा में सदस्यों द्वारा उठायी गई आपत्तियों के आलोक में झारखण्ड विधान सभा ने मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति की जाँच के लिए एक विशेष समिति का गठन विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना सं.–608, दिनांक 11.03.06 द्वारा किया गया. उक्त समिति द्वारा दिनांक 12.05.06 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें समिति द्वारा विभाग के कार्यों से संतोष व्यक्त करते हुए इसकी गहन तकनीकी जाँच करा कर आगे की कार्रवाई प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गई.

5. विधानसभा की गठित विशेष समिति की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में गहन तकनीकी समीक्षा/जाँच हेतु राज्य सरकार ने एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन विभागीय का.आ.सं.–1565 दिनांक 24.05.06 द्वारा किया. उक्त समिति गहन तकनीकी समीक्षा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँची कि परामर्शी की नियुक्ति में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन हुआ है.

झारखण्ड विधान सभा की विशेष समिति से प्राप्त प्रतिवेदन तथा उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सरकार ने उक्त कार्य को प्रारम्भ रखने हेतु पुन: मंत्रि परिषद् द्वारा दिनांक 20.06.06 के मद सं.–22 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई.

6. झारखण्ड विधान सभा के कार्यान्वयन समिति के प्रतिवेदन/अनुशंसा पर गठित विभागीय मंतव्य पर माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरांत उनके आदेश से विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता की राय प्राप्त की गई, जो निम्नवत् है :–

"I further find that three audit reports of Mainhardt for the last three years had been submitted by the said company and therefore, there was even no technical infirmity or flaw in considering the offer of the said company. As mentioned above, cabinet has approved the allotment of work to said Mainhardttwice ..... Thus, in my opinion, Meinhard should be approached to expedite the work."

7. प्रत्येक वर्ष नगर विकास विभाग, राँची में नालों के निर्माण हेतु करोड़ों रूपये नगर निगम को उपलब्ध कराती है. नगर निगम अव्यवस्थित एवं बेतरतीब तरीके से तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष करोड़ों रूपये नाला के निर्माण पर खर्च कर रही है. योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित नहीं होने के कारण इसका अपेक्षित लाभ भी राजधानी की जनता को नहीं मिल रहा है.

8. उपर्युक्त कंडिका–6 में महाधिवक्ता की राय एवं मेसर्स मेनहर्ट सिंगापुर लिमिटेड द्वारा तैयार की गई सिवरेज ड्रेनेज योजना पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए राँची शहर की जल–मल निकासी संबंधी आवश्यकताओं का समाधान किया जाय। तत्संबंधी निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 05.07.2011 में लिया गया है.

9. राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर

WP(C) No.4009/2010 में दिनांक 25.04.2011 को परामर्शी मेसर्स मेनहर्ट सिंगापुर प्रा. लि. को परामर्शी शुल्क भुगतान संबंधी पारित न्यायादेश का अनुपालन किया जाय एवं उक्त वाद में LPA दायर करने की आवश्यकता नहीं है. राँची शहर के लिए समेकित सिवरेज ड्रेनेज योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को स्वीकृति हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाएगी.

10. प्रस्तावित योजना राँची शहर की दशा में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार की गयी एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राशि राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त होनी है. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष JnNURM का अंतिम वर्ष है और अधिक विलम्ब होने से राज्य सरकार इस योजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि से वंचित हो जायेगी, जो राज्य हित में नहीं होगा.

11. JnNURM के अन्तर्गत UIG घटक में ACA के रूप में शेष राशि यद्यपि कम है फिर भी राँची राज्य की राजधानी होने के कारण भारत सरकार से इस योजना विशेष के लिए अतिरेक राशि अद्यतन एस.ओ.आर. पर प्राक्कलित राशि के अनुसार ए.सी.ए. राशि स्वीकृत करने के लिए विभाग शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करेगी.

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के राज पत्र में प्रकाशित किया जाय.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
(डा. नितिन कुलकर्णी)

• • •

झारखंड उच्च न्यायालय के जिस फैसला पर यह अधिसूचना आधारित है उस फैसला में निम्नांकित विसंगतियाँ हैं :–

मेनहर्ट के वकील ने जनहित याचिका दायर करने वाले को मेनहर्ट के प्रतिद्वंदी निविदादाताओं से प्रभावित बताया है. बहस में इन्होंने कहा कि इस याचिका पर हुये सामान्य एवं बलहीन फैसला के कारण निगरानी जाँच बैठा दी गई और इसके बहाने मेनहर्ट को किया जाने वाला भुगतान रोक दिया गया. यदि माननीय न्यायाधीश के

सामने निगरानी के तकनीकी परीक्षण कोषांग की जाँच रिपोर्ट रख दी गई होती तो उन्हें पता चल जाता कि मेनहर्ट की नियुक्ति में किस प्रकार घोर अनियमितता बरती गई है और जानबूझ कर गलतियाँ की गई है. तब फैसला आता कि मेनहर्ट को अतिरिक्त भुगतान करने की नहीं बल्कि पूर्व में उसे किये गये भुगतान को उससे वापस लेने की जरूरत है.

माननीय न्यायाधीश ने पूर्व महाधिवक्ता के परामर्श और उसपर आधारित मुख्यमंत्री के आदेश को अपने फैसला का आधार बनाया है. जबकि पूर्व महाधिवक्ता ने अपने परामर्श में सरासर गलत लिखा है कि मेनहर्ट ने तीन वर्षो का अंकेक्षण रिपोर्ट दी है. सच्चाई यह है कि मेनहर्ट ने तीन वर्षों का नहीं बल्कि केवल दो वर्षो का ही अंकेक्षण प्रतिवेदन निविदा के साथ दिया है और इसीलिये वह इस निविदा में चयन के लिये अयोग्य है. महाधिवक्ता का यह परामर्श राजकीय कार्य में महाधिवक्ता का भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है.

महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद है. राज्य का महाधिवक्ता विधान सभा का पदेन सदस्य होता है. महाधिवक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य सरकार को विधिसम्मत मंतव्य देगा, कानूनी रास्ता दिखाएगा. सरकार के किसी कार्य से कानून का उल्लंघन हो रहा है तो महाधिवक्ता सरकार को संविधान, अधिनियम, नियम के अनुरूप टोकेगा, रोकेगा और सही रास्ता दिखाएगा. यदि विधि के किसी प्रावधान के संबंध में सरकार दुविधा में है तो उसका असमंजस दूर करेगा. परन्तु इस मामले में तो महाधिवक्ता खुद ही एक पक्ष बन गये. 'जैसा रोगी चाहे, वैसा वैद्य बताये' की तर्ज पर गलत परामर्श देकर विधि के प्रावधान को शर्मसार किया है. उन्होंने स्वार्थ और राज्यादेश की बलिवेदी पर तथ्य को कुर्बान कर दिया है. अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है.

फैसले में आगे कहा गया है कि दो बार मंत्रिपरिषद ने इस विषय पर विचार किया है. परन्तु सच्चाई यह है कि मंत्रिपरिषद ने यह विचार गलत तथ्य के आधार पर किया है, जो पक्षपातपूर्ण है. जब तत्कालीन महाधिवक्ता ने बहस के दौरान याद दिलाया कि मेनहर्ट की नियुक्ति में कतिपय प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो न्यायाधीश ने तत्कालीन महाधिवक्ता की बात का संज्ञान नहीं लेकर 2008 के महाधिवक्ता की टिप्पणी पर भरोसा किया है. विषयवस्तु को गहराई में समझने में उनसे चूक हुई है. आगे उन्होंने फैसला में मुख्य सचिव के इस काल्पनिक कथन को उद्धृत किया कि ''इसपर अब कार्रवाई निगरानी विभाग नहीं अपितु नगर विकास विभाग करेगा.''

जबकि पूरी संचिका में मुख्य सचिव का ऐसा कोई आदेश दर्ज है ही नहीं. सरकार के तत्कालीन महाधिवक्ता ने भी राँची नगर निगम के वकील ने भी मामले के तथ्यात्मक पहलुओं से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत नहीं कराया. फलतः माननीय न्यायाधीश सही फैसला पर नहीं पहुँच सके.

सार संक्षेप

1. राँची शहर के लिए सिवरेज ड्रेनेज के निर्माण की पृष्ठभूमि में झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 3858/2002 है। इसके निर्देशों का समुचित पालन करने में झारखण्ड सरकार विफल रही.
2. मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में दो जनहित याचिकायें झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर हुई. दोनों में निर्णय आया कि याचिकाकर्ता निगरानी आयुक्त के यहाँ शिकायत वाद दाखिल करे. शिकायत में तथ्य होने पर वे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे. जाँचोपरांत शिकायत वादों के तथ्यपूर्ण पाये जाने और मेनहर्ट की नियुक्ति त्रुटिपूर्ण एवं अनियमित पाये जाने पर भी झारखण्ड सरकार ने निगरानी ब्यूरो को कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी.
3. इसके बाद दो अन्य रिट याचिकायें दायर हुईं, जो न्यायालय के समक्ष आज भी विचाराधीन है. एक याचिका मेनहर्ट परामर्शी की अनियमित नियुक्ति में हुए भ्रष्टाचार की जाँच का आदेश प्राप्त करने के संबंध में है. दूसरी याचिका राँची के सिवरेज ड्रेनेज कार्य की गुणवत्ता परीक्षण के बारे में है.
4. मेनहर्ट ने अपना भुगतान पाने के लिये एक रिट याचिका दायर की। इसमें राँची नगर निगम के वकील ने मेनहर्ट के पक्ष में तर्क दिया.
5. झारखण्ड सरकार के महाधिवक्ता ने माननीय न्यायाधीश को बताया कि मेनहर्ट की नियुक्ति में कतिपय प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. माननीय न्यायाधीश ने इसे गंभीरता से नहीं लेने की भूल की और मेनहर्ट को भुगतान करने का आदेश सरकार को दे दिया.
5. मेनहर्ट की याचिका पर माननीय न्यायाधीश का फैसला पूर्व महाधिवक्ता के आधारहीन परामर्श और मुख्यमंत्री के इस आदेश पर अवलम्बित है कि मुख्य सचिव के अनुसार कार्रवाई अब निगरानी विभाग को नहीं बल्कि नगर विकास विभाग को करनी है. न्यायालय को यह नहीं बताया गया कि पूर्व महाधिवक्ता

का परामर्श गलत है और मुख्य सचिव ने ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया है.

6. कुल मिलाकर इस मामले में न्याय जगत के दृष्टिकोण को Tragedy of errors की संज्ञा दी सकती है.

7. मेनहर्ट की नियुक्ति से लेकर मेनहर्ट को भुगतान करने तक का यह मामला चार बार मंत्रिपरिषद के समक्ष गया. परंतु मंत्रिपरिषद ने हर बार इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तथ्यों की अनदेखी की.

8. राज्य सरकार की कार्यपालिका नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किसी विषय में वित्तीय व्यय की राशि विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से अधिक रहती है, तब उसे स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष ले जाया जाता है. इसके अतिरिक्त राज्य की वित्तीय नियमावली की किसी कंडिका को शिथिल करना होता है, तब वह मामला मंत्रिपरिषद के सामने ले जाया जाता है. मंत्रिपरिषद को किसी अनियमितता और भ्रष्टाचार को शिथिल करने की शक्ति नहीं है. मंत्रिपरिषद सरकार का सर्वाधिक शक्तिशाली अंग होता है पर उसे यह शक्ति नहीं कि वह पुरूष को नारी अथवा नारी को पुरूष घोषित कर दे. प्रासंगिक मामले में मंत्रिपरिषद का निर्णय चुनौती दिये जाने लायक है. इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है.

●●●

खण्ड–17

महाधिवक्ता का गलत परामर्श

मेनहर्ट की नियुक्ति में हुई अनियमितता पर पर्दा डालने के लिये झारखंड सरकार के महाधिवक्ता द्वारा 2008 में दिये गये परामर्श के एक अंश का बार–बार प्रयोग दोषियों की ढाल के रूप में सरकार ने किया है. जब श्री मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री थे तब मेनहर्ट परामर्शी की अनियमित नियुक्ति के बारे में विधानसभा में कार्यावयन समिति का प्रतिवेदन नगर विकास विभाग को सौंपा गया. इसकी अनुशंसाओं पर सरकार ने तत्कालीन महाधिवक्ता का परामर्श माँगा. श्री एस. बी. गाड़ोदिया उस समय झारखंड सरकार के महाधिवक्ता थे. उन्होंने नगर विकास विभाग से विषय वस्तु के संबंध में तथ्य माँगा. नगर विकास विभाग ने जो तथ्य श्री गाड़ोदिया के सामने रखा उसके आधार पर उन्होंने परामर्श दे दिया. यह परामर्श निहायत गलत था, क्योंकि उनका परामर्श तथ्य के विपरीत था. उनके सामने जो तथ्य नगर विकास विभाग ने रखे थे उसमें बेईमानी की गई थी, जब–जब सत्य की हत्या की गई थी, मेनहर्ट नियुक्ति घोटाला के आरोपियों के फँसने का मौका आया तब–तब सरकार द्वारा श्री एस.बी. गाड़ोदिया के परामर्श के इस अंश का दुरुपयोग दोषियों को बचाने के लिए किया गया. इनके परामर्श का जो संक्षिप्त अंश सरकार द्वारा बार–बार न्यायालय के सामने, मुख्यमंत्री के समाने और मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाता रहा वह निम्नवत है–

"I further find that three audit reports of Mainhardt for the last three years had been submitted by the said company and therefore, there was even no technical infirmity or flaw in considering the offer of the said company. As mentioned above, the cabinet has approved the allotment of work to said Mainhardt twice ……..…… Thus, in my opinion, Mainhardt should be approached to expedite the work."

मुझे जब श्री गाड़ोदिया के उपर्युक्त परामर्श की जानकारी मिली तब श्री गाड़ोदिया महाधिवक्ता पद से हटा दिये गये थे. वे 19.09.2006 से 17.09.2008 तक महाधिवक्ता थे. मैंने महाधिवक्ता श्री गाड़ोदिया के कानूनी परामर्श में व्याप्त विसंगतियों, गलतियों और तथ्यात्मक भूलों के बारे में 1 सितम्बर 2011 को झारखंड सरकार के विधि विभाग को अवगत कराया और श्री गाड़ोदिया के इस गलत परामर्श को रद्द करने का अनुरोध किया. इस बारे में विधि सचिव को अंग्रेजी में लिखा गया मेरा पत्र निम्नवत है :–

Ref no. : 78(R)/2011 Dated : 01.09.2011

To,

The Law Secretary,

Govt. of Jharkhand,

Ranchi.

Sub : Request to rescind the legal opinion of the then Advocate General dated 26.04.2007 addressed to you.

Ref. : Appointment of consultant namely Meinhardt by the Govt. of Jharkhand to prepare D.P.R. for integrated Sewerage and Drainage Scheme for Ranchi.

Sir,

With regard to the Subject and the reference above I am enclosing herewith a few Documents marked as annexures below for your kind consideration and necessary action.

This is to submit before you that the Legal Opinion of the then Advocate General at Annexure-3 is factually incorrect, lopsided and lacks a comprehensive view of the subject under consideration. It has been proved wrong and does not withstand the scrutiny of the five members expert committee at Annexure-4. The joint report of four members of the enquiry committee has opined that on **pure technical grounds Mainhardt is not eligible.** Whereas the fifth member in a separate report opines that **both the technical sub-committee and the main committee responsible for evaluation and supervision of evaluation of tender have made mistakes. Mistakes were made at various levels from publication of the tender to its evaluations and also from publication of Tender in June 2005 to appointment of Mainhardt as consultant.**

It would not be out of context to mention here that the special committee of the Assembly pointed towards technical infirmity and stressed upon its redressal before taking a decision. Moreover the technical investigation cell of the Cabinet (vigilance) department of the Jharkhand Govt. constituted as per the order of the then advisor of 'Mahamahim Rajyapal Mohadaya' has made in depth enquiry in the matter and has given considered recommendation that process from the publication of the tender to its disposal was wrongful and the Meinhardt was not only not eligible according to the eligibility criterion of the tender document but favours to it were made during the technical evaluation of the tender also. Not only this but the financial negotiations also beginning from the sub-committee stage upto main committee and to the level of the minister were full of errors and flaws.

If read in the light of the investigation reports of two competent expert bodies, the legal opinion of the then Advocate General put at Annexure-3 is found completely wrong, misplaced and far from fact. It is apparent from the

text of the legal opinion of the then Advocate General that he has completely relied on the version of the Govt. placed on the files and failed to take Judicious and comprehensive view of the matter under consideration. Further the Learned Advocate General writes on page-6 (last ling of para-1) of his legal opinion that "In my opinion, so called defect/deficiency as suggested by the implementation committee is not factually correct". Curiously without going into details mentioned in the report of the implementation committee as well as annexure supplied by the State Govt. and incorporated in the report of the implementation committee the Learned Advocate General relied on the opinion of the so called high power technical committee constituted by the Govt. which recommendations were proved wrong, menipulated and far from truth. The Learned Advocate General also overlooked the decision of the pre-bid committee of the tender place at Annexure-8. The representative of the Meinhardt was also present in the pre-bid meeting.

It is irony of the fact that the Learned Advocate General who happens to be ex-officio member of the State Legislative Assembly failed to appreciate the duties of the Implementation Committee of Legislative Assembley and writes on page-6, para-1 of his legal opinion that "I may mention that out of various committees constituted generally by the Hon'ble Speaker of Jharkhand Legislative Assembly, one such committee is Implementation Committee (KARYANWAYAN SAMITI), It is not apparent from the file as to what is the scope of the said committee, Particularly in respect of present scheme, which was being implemented in accordance with the direction of the Hon'ble High Court as well as in accordance with the decision taken by the Cabinet".

Being an ex-officio member of the Legislative Assembly as well as by virtue of his standing as the paramount law officer of the state the Learned Advocate General should and must have knowledge about the scope of a committee constituted by the Hon'ble Speaker of the Jharkhand Legislative Assembly and should not have been dependent on the notes on the files for his considered opinion in this regard. I may venture to say that the Learned Advocate General has failed in his duty and has acted as an argumentative pleader on behalf of the Govt. to certify and justify a deliberate wrong decision to appoint a consultant who, as per the term of the tender, was not eligible to be appointed for an important scheme of the capital town of the state.

I am constrained to place this issue before you for your kind consideration because the paragraph on page-7, para-2 of this factually incorrect legal opinion has been cited in a recent order of the Hon'ble Jharkhand High Court. This order is placed at Annexure-9, with this application. On page-2, para-5 of the order a note of the Chief Minister of Jharkhand dated 26.03.2011 at page-32 of the concerned file, which also quoted the same factually incorrect paragraph of this legal opinion, has been cited. In this portion of the legal opinion it is said that " I further find that three audit reports of MEINHARDT for the last three years has been submitted by

the said company, and therefore, there was even no technical infirmity or flaw in considering the offer of the said company. As mentioned above, the Cabinet has approved the allotment of work to said MEINHARDT twice. Moreover an agreement has been executed with MEINHARDT and part payment has also been made. Thus, in my opinion, MEINHARDT should be approached to expedite the work". This assertion of the Learned Advocate General is factually in correct. It is unfortunate that this legal opinion of the Learned Advocated General cited by the Chief Minister on the concern file has laid the Hon'ble High Court to form an opinion that the matter was considered. Accordingly the Hon'ble High Court, relying on the note of the Chief Minister based on this factually incorrect legal opinion, erred and passed an erroneous order to make payment to the petitioner i.e. the Meinhardt though the fact is that the Meinhardt was not eligible to be appointed as per terms of the tender. The Meinhardt should have been disqualified at very first stage of eligibility criteria and envelop of its technical bid should not have been opened.

Hence, I request your good self, in the light of the facts above, to be kind enough to rescind this factually incorrect legal opinion of the then Advocate General in this regard so that in public interest the Chief Minister and the Hon'ble High Court may be pleased to correct the infirmities in their respective orders in this context.

With Regards,

Yours faithfully

Saryu Roy

LIST OF ANNEXURES :

1. **Annexure 1 :** Photocopy of the Report of the Special Committee of the Jharkhand Legislative Assembly Constituted to probe the allegation that appointment of Meinhardt is not lawful.
2. **Annexure 2 :** Photocopy of the report of the KaryanwayanSamiti (Implementation Committee) of the Jharkhand Legislative Assembly.
3. **Annexure 3 :** Photocopy of the Legal opinion of the then Learned Advocate General of Jharkhand on the recommendations of the KaryanwayanSamiti (Implementation Committee) of Legislative Assembly.
4. **Annexure 4** : Photocopy of the report of the 5 Members expert committee consisting of four engineers in chiefs and one chief engineer dated 02.04.2008 constituted by the Jharkhand Govt. regarding the opinion of the Implementation Committee of the Jharkhand Legislative Assembly.
5. **Annexure 5** : Photocopy of the investigation report of the technical vigilance cell of the Cabinet (vigilance) department dated 05.08.2010 after thorough investigation into the allegation that the consultant

Meinhardt was not eligible to be appointed as consultant as per the terms of the tender floated by the Jharkhand Govt. in June 2005.

6. **Annexure 6** : Photocopy of the eligibility criteria mentioned in the concerned Tender Document.
7. **Annexure 7** : Photocopy of the evaluation report of the Technical evaluation sub Committee of the tender.
8. **Annexure 8** : Photocopy of the minutes of the pre-bid committee.
9. **Annexure 9** : Photocopy of the judgment of Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi dated 25.04.2011 in the W.P. (C) No. 4009 of 2010 with Mainhardt Singapore Pvt. Ltd. (India Branch) as petitioner versus the State of Jharkhand and the Ranchi Municipal Corporation, Ranchi as Respondents.

परन्तु अफसोस कि विधि विभाग ने इसका संज्ञान नहीं लिया. सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया.

सार संक्षेप

1. सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत किसी ऐसे वकील को महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं, जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की पात्रता रखता है. राज्य सरकार को विधि संबंधी मामलों में उचित सलाह देना महाधिवक्ता का कर्त्तव्य है. साथ ही राज्यपाल अथवा सरकार द्वारा निर्देशित मामलों का निर्वहन करना भी महाधिवक्ता का कर्त्तव्य होता है. पर तत्कालीन महाधिवक्ता एस.बी. गाड़ोदिया ने इस मामले में गलत सलाह देकर सरकार को गुमराह किया.
2. महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है. उसे राज्य की विधान सभा में बैठने और किसी विषय पर विचार रखने का भी अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है. विधान सभा का पदेन सदस्य होने के बावजूद श्री गाड़ोदिया ने इस मामले में परामर्श देते समय विधान सभा की कार्यान्वयन समिति के प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों की अनदेखी किया.
3. व्यवहार में महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील हैं और पेशागत नैतिकता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. सरकार को किसी भी विषय में कानूनी सलाह की दरकार होती है तो विधि विभाग के माध्यम से अथवा सीधे भी वह महाधिवक्ता से कानूनी परामर्श लेती है. न्यायालय में राज्य सरकार के हितों की रक्षा करना और विधि–सम्मत कार्य के प्रति राज्य सरकार को परामर्श देना महाधिवक्ता के कर्त्तव्य में समाहित है. इस मामले में श्री गाड़ोदिया ने इस

कर्तव्य का पालन नहीं किया. वे पेशागत नैतिकता का पालन नहीं करने के दोषी हैं.

4. इस प्रसंग में विधान सभा की कार्यान्वयन समिति ने अपने प्रतिवेदन में मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति को अनियमित ठहराया तो राज्य सरकार ने इस मामले की संचिका कानूनी सलाह के लिए महाधिवक्ता के पास भेज दिया. महाधिवक्ता का कर्त्तव्य था कि वे सरकार को उचित सलाह देने के लिए विषय के सभी पहलुओं का अध्ययन कर न्याय–सम्मत सलाह देते. पर उन्होंने अपनी न्यायिक एवं पेशागत नैतिकता को ताक पर रखकर संचिका पर रक्षित तथ्यों को नजर–अंदाज किया. उन्होंने नगर विकास विभाग द्वारा उनके सामने रखी गयी असत्य एवं भ्रामक बातों को मान लिया. सरकार को वैधिक मार्गदर्शन देनेवाला व्यक्ति सरकार के एक विभाग के निहित स्वार्थों का पृष्ठपोषक बन गया और गलत परामर्श देकर उनके भ्रष्ट आचरण का बचाव किया.

5. विधि सचिव को लिखे पत्र में मैंने सभी तथ्य अनुलग्नकों के साथ उनके सामने रख दिए. स्पष्ट हो गया कि मेनहर्ट को बचाने के लिए किस स्तर तक साजिश की गई है. महाधिवक्ता ने इस विषय में जनहित के विरूद्ध गलत परामर्श दिया जो माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय मुख्यमंत्री को गलत निर्णय पर पहुँचने का आधार बना. अन्यथा मेनहर्ट घोटाला के साजिशकर्ता अबतक जेल की सलाखों के पीछे पहुँच गये होते.

●●●

खण्ड–18

विधानसभा अध्यक्ष से गुहार

2009 के विधानसभा चुनाव में मैं करीब 3000 मतों के अन्तर से पराजित हो गया. इसमें घोटालाबाजों के भूमिका और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कतिपय प्रभावशाली नेताओं के साजिश की एक अलग कहानी है. उस समय भ्रष्टाचार के जिन प्रमुख मामलों का मैंने पर्दाफाश किया था उनमें से एक था श्री मधुकोड़ा सरकार का खनन घोटाला. बाद में इस पर मैंने एक पुस्तक भी लिखा. अनियमितता और भ्रष्टाचार का दूसरा मामला था, राँची शहर में सिवरेज–ड्रेनेज निर्माण के लिए मेनहर्ट परामर्शी के चयन में घोटाला. इन दोनों मामलों से जुड़े व्यक्ति समूहों ने पार्टी के भीतर और बाहर मेरे विरुद्ध खेमाबन्दी कर चुनाव में मुझे परास्त करने का काम किया.

चुनाव में मुझे अपेक्षाकृत कम वोट बिष्टुपुर और साकची के उन इलाकों में मिले जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं. यानी मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था. इसका एकमात्र कारण मेरा कार्यकर्ता भाव से चुनाव लड़ना और संगठन तंत्र पर स्वाभाविक भरोसा कर लेना था. चुनाव हारने के बाद भी मैंने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरुद्ध संघर्ष में हार नहीं माना. शासन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरा अभियान पूर्ववत चलता रहा. मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध उस समय चलाये जा रहे एक राष्ट्रव्यापी अभियान 'एसीएसीआइ' (एक्शन कमिटी एगेन्स्ट करप्सन इन इन्डिया) के साथ जुड़ गया. राष्ट्रीय अभियान समिति की तेरह सदस्यीय समिति का मुझे भी एक सदस्य बनाया गया था. डा. सुब्रह्मयन स्वामी समिति के अध्यक्ष थे और श्री के. एन. गोविन्दाचार्य, श्री एस. गुरूमूर्ति, श्री अजीत डोभाल आदि इस समिति के सदस्य थे.

मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में अनियमितताओं की जाँच करने वाली विधानसभा की कार्यान्वयन समिति का मैं सभापति था. कार्यान्वयन समिति का प्रतिवेदन 10 जनवरी 2007 को विधानसभा अध्यक्ष को समर्पित किया जा चुका था, परन्तु इस पर कारवाई नहीं हुई थी. मैंने यह मुद्दा फिर से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष उठाया. इस संदर्भ में 13 अगस्त 2012 को मैंने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जो निम्नवत है. विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने मेरा पत्र अग्रेतर कारवाई के लिए विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति को भेज दिया. समिति के समक्ष यह विषय अभी भी प्रक्रियाधीन है.

राँची, दिनांक 13.8.2012

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,

झारखण्ड विधान सभा

राँची.

विषय : झारखण्ड विधान सभा की दो समितियों के प्रतिवेदनों के कार्यान्वयन के संबंध में.

महोदय,

झारखण्ड विधान सभा की उपर्युक्त विषयक दो समितियों के प्रतिवेदन निम्नांकित हैं :–

1. राँची शहर के लिए सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना का डी.पी.आर. तैयार करने तथा इसके निर्माण का पर्यवेक्षण करने के लिए परामर्शी (मेनहर्ट) की नियुक्ति में अनियमितता की जाँच करने के लिए झारखण्ड विधान सभा द्वारा गठित विशेष जाँच समिति का प्रतिवेदन (उपस्थापन तिथि 12 मई, 2006).
2. झारखण्ड विधान सभा की उपर्युक्त विशेष जाँच समिति के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के संबंध में झारखण्ड विधान सभा की कार्यान्वयन समिति का प्रतिवेदन (उपस्थापन तिथि 10 जनवरी, 2007)

इन समितियों के प्रतिवेदनों के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ :–

(क) उपर्युक्त वर्णित विशेष जाँच समिति के प्रतिवेदन की अनुशंसा निम्नवत् है :–

''समिति द्वारा पूछे गये प्रश्नों के आलोक में विभाग द्वारा जो उत्तर उपलब्ध करवाया गया, उस उत्तर के गहन मंथन के पश्चात् समिति संतोष व्यक्त करती है, किन्तु इसके कतिपय बिन्दु गहन तकनीकी समीक्षा से सम्बद्ध है. अत: समिति यह अनुशंसा करती है कि अपेक्षित तकनीकी जाँच करवाते हुए सरकार आगे की कार्रवाई प्रारंभ करे.''

नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार ने तकनीकी बिन्दुओं की जाँच के लिए अपने ही विभाग के एक अंग राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आर.आर.डी.ए.) के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित कर दिया. इसने 31 मई, 2006 को अपना प्रतिवेदन दे दिया, जिसका

प्रासंगिक अंश निम्नवत है :–

''उच्च स्तरीय तकनीकी समिति उपर्युक्त समीक्षोपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि परामर्शी की नियुक्ति में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन हुआ है. पारदर्शिता अपनाते हुए सभी को इस कार्य में भाग लेने का अवसर दिया गया है. तकनीकी उप समिति ने सभी प्रस्तावों को स्वतंत्र रूप से आर.एफ.पी. में निहित शर्तों एवं सभी निविदादाताओं का मूल्यांकन विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया है. निगोशिएसन की प्रक्रिया भी पारदर्शी रही है. निविदा की दर भी कार्य भार एवं निर्धारित समय सीमा के आलोक में इकोनॉमिकल एवं व्यावहारिक प्रतीत होती है. इस आलोक में चयनित परामर्शी को कार्यादेश जारी कर प्रशासी विभाग राँची नगर निगम के माध्यम से आगे का कार्य कर सकती है.''

(ख) तदुपरांत यह विषय विधान सभा की कार्यान्वयन समिति की बैठक में 24 जून, 2006 को उपस्थापित किया गया. कार्यान्वयन समिति ने विशेष जाँच समिति की अनुशंसा में अंकित तकनीकी बिन्दु की जाँच के संदर्भ में आर.आर.डी.ए. के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की उपर्युक्त अनुशंसा की समीक्षा किया और पाया कि यह अनुशंसा संदेहास्पद प्रतीत हो रही है. समिति ने गहन जाँच के उपरांत 10 जनवरी, 2007 को अपना प्रतिवेदन माननीय विधान सभा अध्यक्ष को सौंपा और अनुशंसा किया कि **(1) ''नगर विकास विभाग द्वारा सभा की विशेष समिति की अनुशंसा का सही कार्यान्वयन नहीं किया गया है. समिति अनुशंसा करती है कि नगर विकास विभाग द्वारा राँची के समेकित सिवरेज ड्रेनेज परियोजना के लिए मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति और इसे दिया गया कार्यादेश अविलम्ब रद्द किया जाए. (2) सभा की विशेष समिति की अनुशंसा के गलत कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से नगर विकास विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति, विशेषकर इसके संयोजक, पूरी तरह जिम्मेदार हैं. समिति अनुशंसा करती है कि इनके विरूद्ध अविलम्ब विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जाय.''**

(ग) कार्यान्वयन समिति की अनुशंसाओं की तकनीकी समीक्षा हेतु नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार ने एक पाँच सदस्यीय तकनीकी समिति का गठन 19 फरवरी, 2008 को किया. इस समिति में चार अभियंता प्रमुख और एक मुख्य अभियंता स्तर के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए गए. इस समिति की

अनुशंसा को पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के अभियंता प्रमुख ने 9 अप्रैल, 2008 को नगर विकास विभाग के सचिव के पास भेज दिया। विशेषज्ञ समिति के चार सदस्यों ने एक साथ अपना जाँच प्रतिवेदन दिया और अनुशंसा किया कि **''विशुद्ध तकनीकी कारणों पर मैनहर्ट अयोग्य हो जाता है (निविदा शर्त्तों के अनुरूप).** समिति के पाँचवें सदस्य भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख श्री सूर्यदेव प्रसाद ने अपना प्रतिवेदन अलग से दिया और अनुशंसा किया कि **''निविदा प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए गठित मुख्य समिति ने भी तकनीकी उप समिति के मूल्यांकन पर बिना एन.आई.टी. में निहित शर्तों पर विचार किए हुए निविदा के प्रस्ताव को पुन: मूल्यांकन करने एवं मेनहर्ट परामर्शी का चयन करने में गलती की है. 5 जून, 2005 को ग्लोबल टेंडर प्रकाशित करने की परिस्थिति से लेकर मेनहर्ट परामर्शी के चयन तक में भूल हुई है.'' समिति का प्रतिवेदन संलग्न है.**

(घ) इसके बाद महामहिम राज्यपाल के परामर्शी ने इसकी निगरानी जाँच का आदेश दिया. निगरानी विभाग के निगरानी परीक्षण कोषांग ने इस मामले की जाँच किया. तकनीकी परीक्षण कोषांग के कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता ने 5 अगस्त, 2010 को संचिका पर अपना प्रतिवेदन एवं मंतव्य अंकित कर दिया, जिसे 6 अगस्त, 2010 को तकनीकी परीक्षण कोषांग के मुख्य अभियंता ने सम्पुष्ट कर निगरानी आयुक्त के पास समुचित अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपस्थापित कर दिया. निगरानी आयुक्त ने अपने स्तर पर कारवाई नहीं कर यह प्रतिवेदन 21 फरवरी, 2011 को प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग को भेज दिया, जो निम्नवत हैं –

तकनीकी परीक्षण कोषांग की जाँच का संक्षिप्त निष्कर्ष है कि ''इस निविदा में प्रकाशन से लेकर निविदा निष्पादन की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही है.'' निविदा निष्पादन हेतु गठित मुख्य समिति एवं उप समिति के साथ–साथ निविदा स्वीकृति के पूर्व विधान सभा की विशेष समिति के अनुशंसा पर श्री एस.पी. सिन्हा, मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय उच्चस्तरीय समिति द्वारा भी मिनीमम एलीजिबिलिटी क्राईटेरिया को नजर अंदाज करते हुए मेसर्स मेनहर्ट को परामर्शी हेतु योग्य करार दिया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है. विधान सभा की क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा पर अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित पाँच अभियंता प्रमुखों की समिति

में से चार सदस्यों ने माना है कि तकनीकी कारणों से मेसर्स मैनहर्ट अयोग्य हो जता है एवं एक अन्य सदस्य ने तो निविदा प्रकाशन से निविदा निष्पादन की पूर्ण प्रक्रिया में ही भूल दर्शायी है। समिति का प्रतिवेदन संलग्न है.

(ड़) महोदय, मेरे लिए संतोष और प्रसन्नता का विषय है कि झारखण्ड सरकार के दो उच्चस्तरीय आधिकारिक तकनीकी विशेषज्ञ जाँच दल ने मेरे सभापतित्व में तैयार की गई झारखण्ड विधान सभा की कार्यान्वयन समिति के प्रतिवेदन की अनुशंसाओं को सही ठहराया है और नगर विकास विभाग द्वारा झारखण्ड विधान सभा की विशेष जाँच समिति की अनुशंसा के गलत क्रियान्वयन के लिए गठित तकनीकी समिति के निर्णय को गलत ठहराया है. स्पष्ट है कि नगर विकास विभाग ने विशेष जाँच समिति की अनुशंसा की मनोनुकूल व्याख्या कर इसका गलत कार्यान्वयन करने का प्रयास किया है और विधान सभा की दो समितियों के प्रतिवेदनों एवं अनुशंसाओं को नजर अंदाज किया है.

महोदय, आप विधान सभा की समितियों के महत्व से भलीभांति अवगत हैं और इनके संरक्षक भी हैं. अत: आपसे अनुरोध है कि इस विषय से संबंधित संचिकाओं को नगर विकास विभाग से मंगाकर स्वत: संतुष्ट हो लें, और इनका सही कार्यान्वयन करने हेतु अपने स्तर से निर्देश दें. साथ ही विधान सभा की समितियों की अनुशंसा की गलत व्याख्या करने और इन्हें कार्यान्वित नहीं करने वालों के विरूद्ध जिम्मेदारी सुनिश्चित करें.

सादर,

भवदीय
सरयू राय
पूर्व विधायक

• • •

सार संक्षेप

1. 'कौल एण्ड शकधर' की विख्यात पुस्तक ''संसदीय पद्धति और प्रक्रिया'' में समितियों की सिफारिशों का कार्यान्वयन शीर्षक में उल्लेख है कि ''यद्यपि तकनीकी तौर पर संसदीय समिति की सिफारिश औपचारिक रूप से सभा के निदेश नहीं कही जाती, लेकिन लम्बे समय से चली आ रही परिपाटी के अनुरूप, उन्हें सभा के निदेश ही समझा जाता है.''

2. इस संदर्भ में 2009 के विधान सभा चुनाव के उपरांत तृतीय विधान सभा गठित हुई तो मैंने विधान सभा अध्यक्ष, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह को स्मरण दिलाया कि इसे पूर्व की द्वितीय विधान सभा में गठित दो समितियों, 1. श्री अशोक कुमार, सदस्य विधान सभा के सभापतित्व में गठित विधान सभा की विशेष जाँच समिति और 2. मेरे सभापतित्व में गठित विधान सभा की कार्यान्वयन समिति की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन सही रूप में नहीं हुआ है. सरकार ने एक घोटाला को दबाने के लिए ऐसा किया है.

3. यदि तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष इस विषय से संबंधित संचिकाओं को नगर विकास विभाग से मंगाकर स्वत: संतुष्ट हो लेते, इनका सही कार्यान्वयन करने हेतु अपने स्तर से निर्देश देते और विधान सभा की समितियों के अनुशंसा की गलत व्याख्या करने और इन्हें कार्यान्वित नहीं करने वालों के विरूद्ध जिम्मेदारी सुनिश्चित करते तो मेनहर्ट घोटाला अब तक अपने अंजाम पर पहुँच गया होता. दोषियों को यथा योग्य सजा मिल गई होती.

4. मेरे इस अनुरोध के आधार पर माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा ने नगर विकास विभाग से स्पष्टीकरण मांगा, परन्तु विभाग ने इसमें रूचि नहीं लिया और मामला जस–का–तस दबा रह गया.

●●●

खण्ड–19

किसकी ख़ता ! किसको सजा !

नवगठित राज्य झारखंड की राजधानी राँची में सिवरेज ड्रेनेज का निर्माण करने के लिये 2003 में झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश हुआ. तत्कालीन राज्य सरकार ने इसका परियोजना प्रतिवेदन बनाने के लिये दो परामर्शियों का चयन खुली निविदा के आधार पर किया. 2005 में विधान सभा के चुनाव के बाद बनी सरकार में नगर विकास मंत्री बदल गये तो उन्होंने इन दोनों को इस काम से हटा दिया. इनकी जगह दूसरा परामर्शी बहाल करने के लिये विश्व बैंक की गुणवता आधारित सिस्टम अपनाकर वैश्विक निविदा निकाला. निविदा प्रकाशन से निविदा निष्पादन तक की प्रक्रिया में हर स्तर पर बेईमानी, हेराफेरी और अनियमितता कर सिंगापुर की कंपनी 'मेनहर्ट' को ऊँचे दर पर परामर्शी बहाल किया. काम करने के लिये इसके साथ 2006 में एकरारनामा हुआ. एकरारनामा में ऐसी अस्पष्टता रखी गई कि यदि मेनहर्ट काम अधूरा छोड़ कर बाहर निकलना चाहे तो पूरा भुगतान लेकर निकल ले.

मेनहर्ट को दो फेज में काम करना था. एक था, डिजाइन फेज– जिसमें विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करना था, इस फेज में डीपीआर बनाने के साथ ही मेनहर्ट को संविदा प्रबंधन भी करना था. संविदा प्रबंधन के अंतर्गत उसे डीपीआर के अनुरूप निविदा का प्रारूप बनाना था, संवेदक बहाल करने के लिये निविदा आमंत्रित करना था और चयनित संवेदक के साथ एकरारनामा का दस्तावेज बनाना था. इसके लिये उसे 16.04 करोड़ रूपये का भुगतान सरकार से होना था. दूसरा काम पर्यवेक्षण फेज का था. यानी जब संवेदक डीपीआर के हिसाब से सिवरेज ड्रेनेज बनाने का काम शुरू करेगा तब मेनहर्ट को इस काम का पर्यवेक्षण (सुपरविजन) करना था, देखरेख करना था. इस काम के लिये सरकार को उसे 5.36 करोड़ रूपये का भुगतान करना था.

मेनहर्ट के साथ 2006 में हुये एकरारनामा में ऐसी शर्त डाली गई थी कि डीपीआर तैयार करने का काम पूरा होते ही उसे डिजाइन फेज का 16.04 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया जायेगा. इसके बाद उसकी मर्जी कि वह संविदा प्रबंधन का काम पूरा करता है या नहीं. डीपीआर तैयार होते ही सरकार ने डिजाइन फेज का पूरा भुगतान 4 अगस्त 2011 को ही कर दिया. संविदा प्रबंधन के समय भुगतान करने के लिये अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा. यहाँ तक कि उसका सेक्युरिटी डिपोजिट भी वापस कर दिया. कारण कि एकरारनामा में शर्त ही ऐसी थी.

इसका पर्दाफाश तब हुआ जब संविदा प्रबंधन और पर्यवेक्षण के कार्य में मेनहर्ट और सरकार के बीच मतभेद उत्पन्न हुये. सरकार को मेनहर्ट की सेवायें आगे नहीं लेने का निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा. यूँ कहें कि मेनहर्ट ने परियोजना से बाहर निकलने का मन बना लिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगा. मेनहर्ट ने मात्र निर्माण के पहले चरण के लिये ही संविदा प्रबंध का कार्य किया. वस्तुत: मेनहर्ट दिसंबर 2017 में ही इस काम से अलग हो गया था. अभी दूसरे, तीसरे और चौथे चरण का काम होना बाकी था. पर उसके साथ हुआ एकरारनामा रद्द नहीं हुआ. एकरारनामा रद्द करने के लिए सरकार को लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ा. 1 जुलाई 2019 को राँची नगर निगम के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी. यह कमिटी बनाया झारखंड सरकार के अंतर्गत कार्यरत राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के निदेशक ने. इस समिति ने 25 सितंबर 2019 को प्रतिवेदन दिया और कहा कि एकरारनामा में निर्धारित किये गये काम और भुगतान के लिए बनाई गई अनुसूची में विरोधाभास है. इसके कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है.

डिजाईन फेज के अतिरिक्त मेनहर्ट को निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण भी करना था। 26 जून 2006 को हुए एकरारनामा के अनुसार इस काम के लिये उसे 5.36 करोड़ रूपया अलग से दिया जाना था. निर्माण के पहले चरण का काम आरम्भ हुआ तो सरकार और मेनहर्ट के बीच पर्यवेक्षण के लिए 1 अक्टूबर 2015 को एक पूरक एकरारनामा हुआ. ऐसा करना 2006 में हुए समझौता से विचलन करना था. इस एकरारनामा में शर्त थी कि अगले दो वर्ष तक पहले चरण के पर्यवेक्षण के लिये सरकार मेनहर्ट को 2.52 करोड़ रूपया देगी. यह अवधि पूरी हो गई, पर काम पूरा नहीं हुआ. मेनहर्ट ने आगे भी इस काम को करने के लिये 2.94 करोड़ रूपये की अतिरिक्त माँग सरकार के सामने पेश कर दी. सरकार ने इसे मानना मुनासिब नहीं समझा. कारण कि योजना के निर्माण का काम चार चरणों में होना था. सभी चार चरणों के काम का पर्यवेक्षण कार्य करने के लिये मेनहर्ट को कुल मात्र 5.36 करोड़ रूपये का ही भुगतान किया जाना था.

अभी तो पहले चरण का काम ही शुरू हुआ था. मेनहर्ट 1.52 करोड़ रूपया ले चुका था और 2.94 करोड़ की माँग कर रहा था. पहले चरण का काम अभी पूरा नहीं हुआ था और मेनहर्ट अपनी जेब में 4.46 करोड़ रूपया डाल लेने की फिराक में लग गया. यही रहा तो शेष तीन चरणों के काम में क्या होगा? इन चरणों के लिये तो संविदा प्रबंधन का काम होना अभी बाकी था, इसके पहले ही ऐसी स्थिति उलझ गई कि सरकार को मजबूरन मेनहर्ट से काम लेना बंद करना पड़ा.

पहले चरण के शेष कार्य के लिए सरकार को अगले एक साल के लिये 62 लाख रूपये व्यय पर 'वापकोस' नामक एक अन्य परामर्शी संगठन की सेवा लेनी पड़ी. इसके लिए सरकार ने आईआईटी दिल्ली को 11 लाख रूपया दिया, यानी कुल 72 लाख रूपया खर्च किया. 2006 में हुए एकरारनामा के अनुसार पर्यवेक्षण के चारों चरणों के काम के लिये मेनहर्ट को मिलना था कुल 5.36 करोड़ रूपया. पहला चरण पूरा होने के पहले ही पर्यवेक्षण पर व्यय हो गया 5.18 करोड़ रूपया.

2006 में मेनहर्ट के साथ हुये एकरारनामा के प्रावधान स्पष्ट रहते तो डिजाईन से लेकर निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान एक ही काम के लिए सरकार को बार–बार करोड़ों रूपये का व्यय करने की नौबत नहीं आती. बिडंबना है कि नियम कानून को धत्ता बताकर 2006 में की गई मेनहर्ट की नियुक्ति में पक्षपात और इसके साथ हुए एकरारनामा में अस्पष्ट एवं विरोधाभासी शर्तों के समावेश होने के कारण सरकार को लगातार नुकसान होता रहा. मेनहर्ट 2006 में अपनी शर्तो पर परामर्शी के नाते इस परियोजना मे घुसा और करीब 12 साल तक मनमानी चलाते रहने के बाद अपनी ही शर्तों पर परियोजना से बाहर निकल गया.

इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार के उस समय के नगर विकास के माननीय मंत्री महोदय 12 वर्षों के कालखंड में राज्य के मुख्यमंत्री बन गये. कालक्रम में तब की सिंगल इंजन की राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार बन गई, पर जनहित और राज्यहित का वह महत्वपूर्ण कार्य, जिसके लिये मेनहर्ट की बहाली हुई थी, पहले से भी अधिक बदरंग हो गया. क्षुद्र निहित स्वार्थ के कारण हुई एक छोटी से खता की बलिवेदी पर राज्य और जनता का व्यापक हित कुर्बान हो गया. राँची शहर आज भी इस खता की सजा भुगत रहा है.

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में राँची की जल–मल निकासी योजना की धीमी प्रगति के संदर्भ में एक जनहित याचिका संख्या 4968/2017 पर सुनवाई चल रही है । सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र पर इस बारे में जो जानकारियाँ न्यायालय को दिया है, उससे पता चलता है कि इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़े लोग और सरकारें समय–समय पर इसके साथ कैसा सलूक करते रहे हैं. डबल इंजन की सरकार ने तो इसकी जड़ में मट्ठा ही डाल दिया. इसके पूरा होने में आगे कितना समय और कितना धन लगेगा, इसका अंदाजा लगा पाना कठिन हो रहा है.

अब तो मेनहर्ट भी इससे अलग हो गया है, उसके द्वारा तैयार किया गया डीपीआर भी अप्रासंगिक होकर रद्दी की टोकरी में डाला जा चुका है. मेनहर्ट का

डीपीआर राँची नगर निगम ने 5 मार्च 2008 को स्वीकृत किया था. उस समय इस परियोजना का आकलित व्यय 1145.74 करोड़ रूपया था. इसके अंतर्गत 783 किलोमीटर सिवरेज लाईन और 951 किलोमीटर ड्रेनेज लाईन का निर्माण होना था. योजना पर काम शुरू करने हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार ने मेनहर्ट द्वारा तैयार किया गया डीपीआर भारत सरकार को भेजा तो इसकी समीक्षा करने के बाद केन्द्र ने इसे संशोधित करने के लिये कहा. अगस्त 2011 में मेनहर्ट ने इसे संशोधित किया. डीपीआर में संषोधन के कारण परियोजना पर होने वाला व्यय 1145 करोड़ 74 लाख रूपया से बढ़कर 1649 करोड़ 82 लाख हो गया.

इस बढ़े हुये खर्च पर नगर विकास विभाग के तत्कालीन सचिव, श्री अरूण कुमार सिंह ने 19 अगस्त 2013 को वित्तीय सहायता के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा. इस प्रस्ताव में राँची शहर की सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना को पूरा करने के लिये कुल 1519.25 करोड़ रूपया की सहायता मांगी गयी. इसमें 688.39 करोड़ रूपया की माँग सिवरेज के काम के लिये और 833.86 करोड़ रूपया की माँग ड्रेनेज के काम पर खर्च करने के लिये माँगी गई थी.

प्रस्ताव के अनुसार सिवरेज–ड्रेनेज का काम चार चरणों में पूरा करना था। इसमें से पहले चरण के काम पर कुल 309.45 करोड़ रूपया (151.35 करोड़ रू. सिवरेज पर और 158.10 करोड़ रू. ड्रेनेज पर) खर्च होना था. 21 जनवरी 2014 को इस योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार से मिल गई. 17 मई 2014 को पहले चरण का कार्य करने के लिए प्रकाशित निविदा में भाग लेने वालों के निविदा प्रस्तावों के मूल्याँकन की तुलनात्मक विवरणी पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई. इस बैठक में विचारोपरांत निविदा प्रक्रिया को दूषित करार दिया गया और कार्य एजेंसी के चयन हेतु पुनर्निविदा प्रकाशित करने का आदेश दिया गया.

21 मार्च 2015 को पुनर्निविदा आमंत्रित की गई. इस पुनर्निविदा हेतु भी तकनीकी और वित्तीय मूल्याँकन का काम मेनहर्ट द्वारा ही किया गया. पहले चरण का काम करने केलिए 10 जुलाई 2015 को मे. ज्योति बिल्डटेक प्रा. लि. और मे. विभोर वैभव इंडिया प्रा. लि. नामक दो संवेदकों का चयन हुआ. निविदा में प्राक्कलित राषि 309.45 करोड़ रूपया थी. निविदादाताओंने 359.25 करोड़ रूपया की राशि उद्धत किया था जो प्राक्कलित राशि से 18.5 प्रतिशत अधिक था. मंत्रिपरिषद की सहमति से इस बढ़ी हुई राशि पर कार्यादेश जारी किया गया.

मेनहर्ट के पर्यवेक्षण में दो वर्ष के भीतर पहले चरण का काम पूरा होना था. उस समय तक मात्र 22 प्रतिशत काम ही हो पाया था. समय पर काम पूरा नहीं होने के कारण सरकार ने इन संवेदकों को भी हटा दिया. काम को आगे बढ़ाने के लिए अब नया संवदेक बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है. बचे हुए काम को पूरा करने के लिये अब फिर से मेनहर्ट की जगह नया परामर्शी बहाल करने की कवायद चल रही है. इसके लिये वर्तमान सरकार ने मई 2020 में नये सिरे से निविदा प्रकाशित किया है. एक अनुमान है कि योजना पर खर्च बेतहाशा बढ़ेगा. यह खर्च 3000 करोड़ रूपया से ऊपर जाना निश्चित माना जा रहा है.

कुल मिलाकर देखा जाय तो जनहित की यह अत्यंत उपयोगी योजना शुरूआती दिनों में ही कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ का शिकार होने के कारण आज पूरी तरह बर्बाद हो गई है, नाकामयाबी के दलदल में फँस गई है. इस कालखंड में सरकार के शीर्ष पर आसीन रहे लोगों के निहित स्वार्थ और भ्रष्ट आचरण से यह दलदल निर्मित हुआ है. 15 वर्ष बीत गये, योजना को दलदल से निकालने की जितनी कोशिशें हो रही है, योजना उतना ही नीचे धंसते चली जा रही है.

इस बीच राँची शहर में ड्रेनेज निर्माण से जुड़ी सरकारी धन की लूट की एक दुस्साहसपूर्ण घटना घटी. इसकी चर्चा यहाँ करना प्रासंगिक होगा. एक ओर मार्च 2015 में मेनहर्ट द्वारा तैयार एवं उसी के द्वारा दो बार संशोधित और भारत सरकार की तकनीकी इकाई CPHEEO (सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गनाईजेशन) द्वारा समीक्षित डीपीआर के आधार पर राँची में 309.45 करोड़ के खर्चे पर (जिसमें 158.10 करोड़ रूपया का खर्च ड्रेनेज पर होना था) सिवरेज–ड्रेनेज के प्रथम चरण की योजना पर काम करने का टेंडर प्रकाशित हो रहा था. दूसरी ओर ठीक उसी समय झारखंड सरकार का पथ निर्माण विभाग अपनी ओर से, नगर विकास विभाग एवं राँची नगर निगम से पूछे बिना, राँची शहर में कई स्थानों पर बड़े–बड़े जल निकासी नाले बनाने का काम शुरू कर दिया। यह ड्रेनेज (जल निकासी) की एक समानन्तर योजना थी. यह योजना पथ निर्माण विभाग की थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिन्होंने राँची की जल–मल निकासी परियोजना के लिए 2005 में मेनहर्ट की बहाली सुनिश्चित किया था, उस समय की डबल इंजन सरकार में पथ निर्माण विभाग के भी मंत्री थे. जब नगर विकास विभाग की तरफ से सिवरेज ड्रेनेज (जल–मल निकासी) की पहले चरण की योजना का 158.10 करोड़ रूपया का टेंडर हो गया, तब उसी इलाका में ड्रेनेज बनाने का समानान्तर काम करने का आदेश पथ निर्माण विभाग को किसने दिया? इसकी पीछे क्या मंशा थी ? यह जाँच का विषय

है. इस समानान्तर ड्रेनेज योजना पर 140 करोड़ रूपया से अधिक व्यय हुआ है और नाले ऐसे बने हैं कि उनसे पानी नहीं निकलता. राँची के नागरिक गवाह है कि जहाँ नाले बने हैं, बरसात में वहीं पर सबसे अधिक जल जमाव होता है. इस पर भी तुर्रा यह कि इन नालों के ऊपर रंगीन टाईल्स बिछा दिये गये हैं.

झारखंड की राजधानी राँची में अब तक सिवरेज–ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पाने का खामियाजा किसने भुगता? किसने खता की, किसे सजा मिली? खता किसने कि यह तो उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो चुका है, परन्तु इसका खामियाजा तो राजधानी के नागरिकों को ही भुगतना पड़ा है. एक दिन भारी बरसात के कारण राँची की एक सड़क पर तेज गति से पानी बहने के कारण एक बच्ची के नाली में बह जाने की दुखद घटना इस पीड़ा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है. पथ निर्माण विभाग/राँची नगर निगम द्वारा आधे–अधूरे बने नालों के बारे में अगर कोई सवाल करता है कि इन नालों से पानी निकलेगा कैसे ? तो प्रतिप्रश्न उठता है कि ''पहले यह बताइये कि इनमें पानी घुसेगा कैसे?''

सरकार ने हाल ही में शपथ पत्र दायर कर उच्च न्यायालय को बताया है कि किन कारणों से राँची के सिवरेज ड्रेनेज का काम समय पर पूरा नहीं हो सका. इसमें एक कारण बताया गया है कि मेनहर्ट ने डीपीआर 2006–08 में बनाया था, तब से अब तक शहर का फैलाव हुआ है, आबादी बढ़ी है, कई नई सड़कें बन गई है, आदि आदि. मेनहर्ट के डीपीआर में 192 किलोमीटर लम्बाई में सिवरेज–ड्रेनेज का काम करना. लेकिन इसके बाद 2015 में नियुक्त नये परामर्शी के अनुसार यह लम्बाई 280 किलोमीटर हो गई है. माननीय उच्च न्यायालय को दी गई जानकारी में यह तथ्य छुपा लिया गया है कि 2008 में बनाये गये अपने डीपीआर का मेनहर्ट ने दो बार संशोधन किया है. इसके बाद भी त्रुटि रह गई तो क्या डीपीआर में संशोधन के नाम पर मेनहर्ट ने सिर्फ खानापूरी की? सरकार ने न्यायालय से यह तथ्य क्यों छुपा लिया है कि 2011 में और फिर 2013 में मेनहर्ट ने ही 2008 में बनाये गये अपने डीपीआर को संशोधित किया. भारत सरकार के तकनीकी संगठन ने इसकी समीक्षा की। तब जाकर 21 मार्च 2015 को योजना के प्रथम चरण को मंजूरी मिली, इसके लिये टेंडर हुआ. इसके बाद मई 2017 तक प्रथम चरण की योजना पर काम हुआ. इस समय तक मेनहर्ट इस कार्य के पर्यवेक्षण से जुड़ा रहा। आगे के पर्यवेक्षण के लिये दोगुना से अधिक राशि माँगे जाने के कारण दिसंबर 2017 में सरकार ने उससे काम नहीं लेने का निर्णय किया. उसके स्थान पर 72 लाख रूपया खर्च कर 'वापकोस' नामक एक नया परामर्शी बहाल हुआ। अब फिर से एक नया परामर्शी बहाल करने के

लिये नई निविदा निकाली गई है. नया परामर्शी बहाल हो जाएगा तो काम पूरा करने के लिए नई संवेदक एजेंसी नियुक्त की जायेगी. इसके बाद नये सिरे से राँची में सिवरेज–ड्रेनेज बनाने का काम शुरू होगा.

जिन्होंने 15 वर्ष पूर्व मेनहर्ट की बहाली में अनियमितता का जाल बिछाया, वे घर बैठे खुश हो रहे होंगे कि उनके द्वारा बिछाया गया जाल आज झारखंड सरकार के जी का जंजाल बन गया है. भ्रष्टाचार के ऐसे मकड़जाल से निकलने का रास्ता तलाशना भविष्य की बड़ी चुनौती बन गई है. यह प्रकरण 'लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई' का जीता जागता उदाहरण बन गया है. खता की भ्रष्ट आचरण और निहित स्वार्थी मानसिकता ने और सजा पा रही है राँची और राँची की जनता.

किसकी खता ! किसको सजा !

सार संक्षेप

1. मेनहर्ट को बहाल करने में तो अनियमितता, बेईमानी, हेराफेरी हुई ही थी, 2006 में सरकार और इसकेबीच हुये एकरारनामा में भुगतान की अनुसूची में भी विरोधाभास था.
2. मेनहर्ट को डीपीआर का सेक्युरिटी डिपोजिट सहित पूरा भुगतान 04 अगस्त 2011 को हो गया. इस फेज में संविदा प्रबंधन के काम के लिये सरकार ने कुछ भी हाथ में नहीं रखा. नतीजतन चार चरण से पहले चरण का संविदा प्रबंध करके मेनहर्ट चलता बना.
3. पर्यवेक्षण के कार्य हेतु मेनहर्ट को कुल 5.36 करोड़ रूपया मिलना था.पहले चरण के पर्यवेक्षण में ही 5.18 करोड़ रूपया खर्च हो गया. शेष तीन चरण का काम अभी बाकी है.
4. सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना के लिये नया परामर्शी बहाल करने के लिये वर्तमान सरकार ने फिर से निविदा निकाला है. परियोजना का खर्च बेतहाशा बढ़ा है. इस परियोजना का खर्च सरकारी खजाना पर भारी पड़ रहा है.
5. 2005 में जानबूझकर गलती की सरकार के मंत्री और अधिकारियों ने, सजा भुगतने के लिए अभिशप्त है 'राँची'।

●●●

उपसंहार

मुजफ्फर रज्मी का शेर है–

''ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने,
लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई.''

यह उक्ति झारखण्ड सरकार द्वारा चयनित मेनहर्ट परामर्शी बनाम राँची के मामले में सटीक बैठती है. राँची शहर के लिये सिवरेज ड्रेनेज का सुदृढ़ ताना बाना तैयार करने के लिये पूर्व में नियुक्त ओआरजी तथा स्पैन ट्रायवर्स मॉर्गन को हटाकर मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति हुई थी. तब कौन जानता था कि राँची के सिवरेज ड्रेनेज की स्थिति सुधारने के लिये 2002–03 में उच्च न्यायालय द्वारा की गई यह पहल अनियमितताओं के बियाबान में इस कदर भटक जायेगी. 15 वर्ष बीतने और करोड़ों रूपये खर्च हो जाने के बाद भी राँची की सिवरेज ड्रेनेज व्यवस्था बद से बदतर हो जायेगी, घाव ठीक होने की बजाय भगंदर बन जायेगा. जिस परामर्शी को वैश्विक निविदा का आधार बनाकर अक्षम्य अनियमितताओं के माध्यम से बहाल किया गया, उसे पूर्ण बहुमत और डबल इंजन की सरकार में काम छोड़कर परियोजना से बाहर जाना पड़ा. जिसने डिजाइन फेज के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाया, उसके पर्यवेक्षण फेज के काम के दौरान नीयत में खोट दिखने के कारण उसे बोरिया बिस्तर बाँधकर विदा होना पड़ा. मजबूर होकर सरकार को उससे काम लेना बंद करना पड़ा. फजीहत से बचने के लिये उसने पतली गली का रास्ता तलाश लिया, जिस पर सरकार को कोई एतराज नहीं हुआ.

ऐसा हुआ मगर काफी विलंब से. यदि यही 2005 में उस समय हो गया होता, जब विधान सभा में आरोप लगा था कि मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ है, घोर अनियमितता हुई है, भारी पक्षपात हुआ है तो मेनहर्ट की नियुक्ति में लगे मनमानी के आरोपों की जाँच करने के लिये विधान सभा अध्यक्ष को सदन की सर्वदलीय विशेष जाँच समिति नहीं गठित करनी पड़ती. शासन के विभिन्न अंगों को भ्रष्ट व्यवस्था के सामने नतमस्तक नहीं होना पड़ता.

इस मामले में गलती सुधार लेने का एक अवसर माननीय विधान सभा अध्यक्ष ने वाद–विवाद के दौरान 3 मार्च 2005 को दिया था. उन्होंने कहा था कि मैं संचिका अपने कार्यालय कक्ष में मँगा लेता हूँ. दो–चार लोग विपक्ष के रहें और मंत्री श्री रघुवर दास रहें। संचिका देख लें, अनियमितता हुई है तो उसे ठीक कर लिया जायेगा. पर

इसपर न तो विपक्ष तैयार हुआ, न मंत्री तैयार हुये. विपक्ष के वरिष्ठ नेता श्री स्टीफेन मरांडी का कहना था कि जो आरोपी है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वह कैसे बैठेगा और मंत्री श्री रघुवर दास का कहना था कि विपक्ष से दो चार लोग क्यों बैठेंगे, विषय श्री स्टीफन मरांडी ने उठाया है तो अकेले वे ही बैठें. यह प्रकरण विधान सभा की उस दिन की कार्यवाही में दर्ज है. बहस जब काफी तीखी हो गई, विपक्ष बार–बार वेल में आकर हंगामा करने लगा और जब सभाध्यक्ष को चौथी बार विधान सभा स्थगित करनी पड़ी तो उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा से हस्तक्षेप करने के लिये कहा. श्री मुंडा ने अपने हस्तक्षेप भाषण के क्रम में विपक्ष को आश्वस्त किया कि यदि आपको लगता है कि मंत्रिपरिषद ने सही निर्णय नहीं लिया है तो मैं दुबारा इस मामले को विचार के लिये मंत्रिपरिषद में ले जाऊँगा, विषयवस्तु पर पुनर्विचार होगा. यह भी एक अवसर था जब मुख्यमंत्री की पहल से घोटाला को शैशव अवस्था में ही रोका जा सकता था. नासूर के भगंदर बनने से पहले ही घाव का ऑपरेशन हो गया होता. पर विपक्ष इसके लिये तैयार नहीं हुआ, विधान सभा की समिति से जाँच कराने पर अड़ा रहा. और जब सभाध्यक्ष ने विधानसभा की विशेष जाँच समिति गठित कर दी तो विपक्ष इसमें सार्थक भूमिका निभाना भूल गया. विशेष जाँच समिति के एक स्तरहीन जाँच प्रतिवेदन का मूक समर्थक होकर रह गया. संसदीय लोकतंत्र की यह एक विचित्र विडम्बना है. यहाँ एक चूक सरकार से भी हुई. जब विपक्ष ने विधानसभा में आवाज उठाई और विधानसभा अध्यक्ष ने जाँच समिति बना दिया तो सरकार को भी अपने स्तर से एक बार जाँच कर लेनी चाहिए थी कि जो आरोप विपक्ष ने विधानसभा में लगाया है उसमें कितना दम है. परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया.

विधान सभा जब किसी खास उद्देश्य से किसी विशेष विषय की जाँच के लिये कोई विशेष समिति गठित करती है तो इसका अर्थ यही होता है कि विषय के जिन क्लिष्ट पहलुओं, दस्तावेजों आदि पर सदन के पटल पर वाद–विवाद में गहन विमर्श संभव नहीं हो पाता है, विशेष समिति इनके विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करेगी, साक्ष्य के लिये या विमर्श के लिये सरकारी अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को बुलायेगी और उनसे पूछताछ के बाद और विषय वस्तु की सम्यक विवेचना के उपरांत अनुशंसा देगी. मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में अनियमितताओं की जाँच के लिये विधान सभा द्वारा गठित विशेष जाँच समिति का भी यही उद्देश्य था कि समिति निविदा प्रपत्र, निविदा के साथ लगे दस्तावेजों और निविदा मूल्यांकन की बारीकियों का अध्ययन करेगी और ठोस निष्कर्ष पर पहुँचेगी. पर समिति का प्रतिवेदन देखने से

लगता है कि समिति ने ऐसा नहीं किया. विधान सभा में यह सवाल उठाने वाले सदस्यों में से जो इस समिति के सदस्य नामित किये गये थे, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया.

सदन की विशेष जाँच समिति को उस समय नगर विकास विभाग ने सहयोग नहीं किया. उसे सही दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराया बल्कि इसकी जगह गलत दस्तावेज उपलब्ध कराया, तथ्य छुपाया और जाँच समिति को गुमराह किया. इसलिए जाँच समिति को मेनहर्ट परामर्शी की बहाली में हुई अनियमितता से जुड़े कतिपय तकनीकी बिन्दुओं की जाँच कराने के बाद सरकार को आगे की कारवाई करने की अनुशंसा कर अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ा. इस अनुशंसा में और डेढ़ पन्ने के इसके प्रतिवेदन में जाँच समिति के असमंजस और धर्मसंकट की झलक साफ दिखाई पड़ती है. इसपर भी सत्ता का गलियारा तिकड़म से बाज नहीं आया. अनियमितता की पोल न खुले इसके लिये भरपूर षड्यंत्र करते रहा. नगर विकास विभाग के ही अधीन प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित आर.आर.डी.ए. मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय तकनीकी समिति बनाकर जाँच का कोरम पूरा कर दिया. सफेद झूठ की बुनियाद पर गलत निष्कर्ष प्रस्तुत किया और मेनहर्ट की बहाली में मनमानी करने वाले दोषियों को क्लीन चिट दे दिया. 'कामातुरानाम् न भयं न लज्जा' वाली उक्ति को चरितार्थ करने का जो सुनियोजित साजिश यहाँ से आरम्भ हुई, उसने आगे जाकर भोंड़ा रूप ले लिया.

विधानसभा की कार्यान्वयन समिति ने, पाँच अभियंता प्रमुखों की जाँच समिति ने, निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग ने अपने–अपने प्रतिवेदन में चीख–चीखकर कहा कि मेनहर्ट परामर्शी निविदा की योग्यता एवं तकनीकी शर्तो पर बहाली के लिये अयोग्य था. इसके चयन में निविदा प्रकाशन और निविदा निष्पादन में सभी स्तरों पर त्रुटि हुई है. हाईकोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता ने निगरानी आयुक्त और निगरानी ब्यूरो के समक्ष परिवाद दायर किया. निगरानी ब्यूरो के तत्कालीन आईजी एम.वी. राव इस परिवाद की जाँच करने के लिये साल भर तक निगरानी आयुक्त से अनुमति माँगते रह गये. पाँच पत्र लिखें पर उन्हें जाँच की अनुमति नहीं मिली.

राष्ट्रपति शासन काल में राज्यपाल के आदेश पर निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग ने गहन जाँचकर निविदा निष्पादन के हर स्तर पर हुई अनियमितताओं का पर्दाफाश कर दिया. पर निगरानी आयुक्त ने कार्रवाई का आदेश देने के बदले संचिका नगर विकास विभाग के पास भेज दिया. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ने मुख्य

सचिव के किसी काल्पनिक आदेश का हवाला देते हुये विचित्र निर्णय लिया कि इस मामले में कार्रवाई अब ''निगरानी विभाग को नहीं बल्कि नगर विकास विभाग को करनी है.'' जबकि संचिका पर किसी मुख्य सचिव ने ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया था। अभी तक किसी पर कोई कारवाई नहीं हुई.

विधान सभा की कार्यान्वयन समिति की अनुशंसा पाँच अभियंता प्रमुखों तथा निगरानी के तकनीकी परीक्षण कोषांग की जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मेनहर्ट का बकाया भुगतान रूका हुआ था. इस बकाया का भुगतान कर देने का आदेश सरकार के मंत्रिपरिषद ने किया. इसके लिये उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसला को ढाल बनाया. मेनहर्ट का बकाया भुगतान करने के आदेश के साथ ही मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय भी लिया कि सरकार उच्च न्यायालय के एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील नहीं दायर करेगी. जबकि महाधिवक्ता और विधि विभाग ने इस निर्णय के खिलाफ अपील दाखिल करने का परामर्श दिया था और कहा था कि मेनहर्ट का बकाया भुगतान करने की उच्च न्यायालय का आदेश अनधिकार चेष्टा है, 'यह मामला अपील में जाने योग्य है.'

वस्तुत: हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निर्णय पर पहुँचने के लिये 2008 में श्री मधु कोड़ा की सरकार के समय में दिये गये महाधिवक्ता के तथ्यहीन परामर्श का और इस परामर्श के आधार पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय का संदर्भ लिया था, जो गलत तथ्यों पर आधारित था. इसके बाद करीब आधा दर्जन महाधिवक्ता आये और गये पर उनसे अद्यतन परामर्श सरकार ने नहीं लिया. पुनः महाधिवक्ता का परामर्श लेने और दोषियों को चिन्हित करने के मुख्य सचिव के आदेश को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. सरकारी कर्मियों–शिक्षकों के पक्ष मे लाख–दो लाख रूपए भुगतान करने का न्यायिक निर्देश हो जाने पर इन न्यायिक आदेशों के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट तक अपील में जाने वाली झारखण्ड सरकार यदि 17 करोड़ रूपया के भुगतान पर हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील नहीं करना चाहती है और इसके लिये मंत्रिपरिषद के निर्णय का सहारा लेती है, तो समझ लेना चाहिये कि या तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है.

भ्रष्ट आचरण का यह एक अनोखा मामला है जिसमें शासन के तीनों अंगों–विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका–से अपने कर्तव्य पालन में चूक हुई है. इस मामले में कार्यपालिका और अनियमितता के बीच चोली दामन का संबंध रहा है. विधायिका ने मेनहर्ट की बहाली में अनियमितता के आरोप की जाँच के लिये एक

विशेष जाँच समिति बनाकर अपना दायित्व पूरा कर लिया. विशेष जाँच समिति के सतही प्रतिवेदन की मीमांसा नही की। विधान सभा की कार्यान्वयन समिति के प्रतिवेदन में इंगित अनियमितताओं पर कार्रवाई के प्रति गंभीर नहीं रही. कारण चाहे जो हो न्यायपालिका से या तो बलहीन आदेश हुये या विषय वस्तु की समग्रता पर विचार नहीं हुआ.

विचार करें तो पता चलता है कि राँची शहर का सिवरेज–ड्रेनेज दुरुस्त करने के लिये 2003 में उच्च न्यायालय का आदेश हुआ. तत्कालीन सरकार ने डीपीआर तैयार करने के लिये दो परामर्शी बहाल किया. 2005 में मंत्री बदले. समीक्षा कर पहले तो वे परामर्शियों के काम से संतुष्ट हुये, फिर 24 घंटा में ही ठीक अगले दिन असंतुष्ट हो गये. उनकी अध्यक्षता में नगर विकास विभाग ने एकतरफ़ा आदेश जारी कर पूर्व चयनित परामर्शियों को हटा दिया. बाद में राँची नगर निगम ने कहा कि एक परामर्शी ने पीपीआर तक का काम कर दिया है. एक परामर्शी ओआरजी की प्रार्थना पर उच्च न्यायालय ने केरल हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश को आर्बिट्रेटर बहाल कर दिया. आर्बिट्रेटर ने फैसला दिया कि इस परामर्शी को हटाने का सरकार का निर्णय सही नहीं था, सरकार उसे करीब 3.62 करोड रूपया हर्जाना दे.

परामर्शियों को हटाने के बाद सरकार ने एक अन्य परामर्शी मेनहर्ट को राँची नगर निगम का डीपीआर बनाने के लिये करीब 22 करोड रूपया में बहाल किया. इसे बहाल करने में सरकार, विशेषकर तत्कालीन नगर विकास मंत्री, की नीयत पर सवाल उठे। बात सामने आई कि इसकी बहाली के लिये निकाली गई निविदा की शर्तों पर कोई भी निविदादाता योग्य नहीं है तो निविदा खुलने के बाद योग्यता की शर्त बदल दी गई. ऐसा करना सतर्कता आयुक्त के निर्देशों के अनुसार भ्रष्ट आचरण का द्योतक है. बदली गई शर्तों पर निविदा का मूल्याँकन हुआ तो अयोग्य साबित होने के बाद भी मेनहर्ट को योग्य क़रार दिया गया. झारखंड सरकार के निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग ने जाँच में साबित कर दिया कि न केवल योग्यता के पैमाना पर बल्कि तकनीकी मूल्याँकन में भी मेनहर्ट के साथ पक्षपात हुआ है. उसे अधिक अंक दिये गये हैं. उसके वित्तीय प्रस्ताव के मूल्याँकन में भी मंत्री स्तर तक निगोशियेशन हुआ और मेनहर्ट को अधिक क़ीमत पर बहाल किया गया. एक जाँचकर्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि निविदा प्रकाशन से लेकर निविदा निष्पादन तक हर स्तर पर त्रुटि हुई है.

उपर्युक्त बातें विधान सभा कि कार्यान्वयन समिति ने इसके पहले ही 2007 में अपने जाँच प्रतिवेदन में बता दिया था, पर सरकार ने नहीं माना. गलत तथ्य संचिका

में देकर एक महाधिवक्ता से 2008 में नगर विकास विभाग ने भ्रामक मंतव्य ले लिया कि सबकुछ ठीक है. मैने तथ्य एवं प्रमाण के साथ पत्र लिखकर महाधिवक्ता के भ्रामक मंतव्य को खारिज करने के लिये विधि सचिव को कहा, जिसे सरकार ने नहीं माना. यही भ्रामक मंतव्य न्यायालय में, मुख्यमंत्री के सामने बार बार परोसा गया। श्री मधु कोड़ा के शासन में बहाल इन महाधिवक्ता महोदय के हटने के बाद 2008 से 2011 के बीच पाँच महाधिवक्ता आये और गये पर सरकार ने इनसे मंतव्य नहीं लिया. मामला जाँच के लिये निगरानी विभाग में गया तो निगरानी ब्युरो के आईजी ने निगरानी आयुक्त को 2009 से 2011 के बीच पाँच पत्र लिखा और मामले की जाँच करने की अनुमति माँगा पर अनुमति नहीं दी. मामला जाँच हेतु निगरानी ब्यूरो के बदले तकनीकी परीक्षण कोषांग में भेज दिया गया. कोषांग ने विस्तार से जाँचकर किया और बता दिया कि मेनहर्ट की बहाली में हर स्तर पर पक्षपात हुआ है, त्रुटि हुई है. इसके बाद भी निगरानी आयुक्त ने मुकदमा दर्ज करने के लिये मामला निगरानी ब्यूरो के पास नहीं भेजा. 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी गई. ऐसी गलत जानकारी लिखित रुप में संचिका पर दी गई जो सत्य से परे है, शर्मनाक है, आपराधिक है. निर्णय हो गया कि यह मामला अब निगरानी विभाग नही देखेगा, नगर विकास विभाग देखेगा. नगर विकास विभाग को आजतक इसे देखने की फुर्सत नही मिली। अपराधी को ही न्याय करने का अधिकार मिल जायेगा, गिद्ध को ही माँस के पोटली की रखवाली का ज़िम्मा मिल जायेगा तो ऐसा ही होगा.

मेनहर्ट प्रकरण शासन में एक नये प्रकार का भ्रष्टाचार है. चोरी भी और सीनाज़ोरी भी इसका प्रारंभिक लक्षण है. इसे भ्रष्टाचार का वायरस कहा जा सकता है. मुँह में राम बग़ल में छुरी इसकी पहचान है. सिद्धांत में साँच को आँच क्या की घोषणा करना और व्यवहार में झूठ का परचम लहराना इसकी कार्यसंस्कृति है. यह जहां भी गया, इसके लक्षण की पहचान तो हो गई, पर इलाज नहीं हो सका. काफी दिन बाद अस्थायी इलाज हुआ भी, तो जनता की अदालत में. कानून और न्याय की अदालती आदेश की तो जनता अभी भी बाट जोह रही हैं.

इस मामले में एक जनहित याचिका आज भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उम्मीद अभी भी बाक़ी है. न्याय निर्णय की प्रतीक्षा है. न्याय निर्णय तो इसपर निर्भर करता है कि विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों को किस प्रकार न्यायालय के समक्ष रखा जाता है. आँख पर पट्टी बाँधे और हाथ में तराज़ू लिये न्याय की मूर्ति के कान तो खुले रहते हैं. सरकार पर निर्भर करता है कि वह जनहित और राज्यहित में वस्तुस्थिति से

न्यायमूर्ति को अवगत कराये. पर इस मामले में तो सरकार ही पार्टी बन गई है. एक ग़लती को छुपाने के लिये ग़लती पर ग़लती करते जा रही है. आगे भी ग़लती नहीं करेगी, इसका क्या भरोसा है? पर यह ज़माना न्यायिक सक्रियता का है. जनपक्ष को भी सुने जाने का है. पंक्तियों के बीच का भाव भी पढ़े और समझे जाने का है. इस परिप्रेक्ष्य में यह पुस्तक जनपक्ष की आवाज बन सकती है.

भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रयास यानी लोक वित्त और संविधान–कानून के संरक्षण की पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू सरकारों की नीति और नीयत से भी संबंधित है. कानून कहता है कि भले ही सौ दोषी छूट जायं, पर एक निर्दोष को सजा नही होनी चाहिये. यह उक्ति हमारी न्याय व्यवस्था का आधार है. इस संदर्भ में कार्यपालिका की प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार नाम की संवैधानिक संस्था की भूमिका विचारणीय है. इसके इर्द–गिर्द जन्मने वाले और पल्लवित–पुष्पित होनेवाले किरदारों की गतिविधियाँ निर्धारण करती है कि सरकार की छबि लोक कल्याणकारी है या निहित स्वार्थी. लोक कल्याण एवं न्यायप्रियता के भाव सरकार को प्रेरित करते हैं कि व्यापक जनहित में वह भ्रष्ट आचरण पर लगाम लगाने के लिये निगरानी ब्यूरो, सम्प्रति भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, सदृश संस्थाओं का निर्माण कानून बनाकर करे. पर जब ऐसे संस्थान नख–दंत विहीन बना दिये जाते हैं और हर क़दम पर सरकार के निर्देश का मोहताज बना दिये जाते हैं तब सवाल उठता है कि सरकार नामक संस्था लोक कल्याण की संवैधानिकता से प्रेरित है या निहित स्वार्थ के दबाव से ग्रसित है. प्रासंगिक विषय भी सोचने के लिये मजबूर करता है कि जब तकनीकी परीक्षण कोषांग की जाँच में अपराध साबित हो जाता है तब अपराधियों को दंडित करने के लिये आगे बढ़ने वाले निगरानी ब्यूरो के पाँव में सरकार की अनुमति की बेड़ियाँ क्यों लगा दी जाती हैं? बार–बार याचना करने पर भी उसे आगे बढ़कर कारवाई करने से क्यों रोक दिया जाता है?

क्यों सरकार की संचिकाओं में, जाँच समिति के सामने, न्यायपालिका, मुख्यमंत्री और विधान सभा के समक्ष इस मामले में सफ़ेद झूठ परोस दिया जाता है कि निविदा दो लिफ़ाफ़ा में आमंत्रित की गई थी, एक तकनीकी और दूसरा वित्तीय। जबकि निविदा का दस्तावेज कहता है, तकनीकी परीक्षण कोषांग की जांच कहता है कि निविदा तीन लिफ़ाफ़ों में आमंत्रित की गई थी और तीसरा लिफ़ाफ़ा जिस पर सबसे पहले विचार होना था वह था योग्यता का लिफ़ाफ़ा, जिसकी कसौटी पर मेनहर्ट अयोग्य था. अयोग्य साबित हो जाने वाले निविदादाता का तकनीकी और

वित्तीय लिफ़ाफ़ा मूल्याँकन के लिये खुलना ही नही चाहिये था. पर मेनहर्ट के ये दोनो लिफ़ाफ़े खुले. इसके लिये हर जगह यह झूठ बोला गया कि निविदा दो ही लिफ़ाफ़ों में माँगी गई थी. इस झूठ का सृजन सर्वप्रथम विधान सभा में तत्कालीन मंत्री, नगर विकास विभाग श्री रघुवर दास के वक्तव्य से हुआ था. तब से बार बार बोलकर इस झूठ को सच साबित करने की कोशिश की गई. हिटलर के सिपहसलार गोयबल्स के प्रचार का तरीक़ा झारखंड में भी सिंगल और डबल इंजन की सरकारों द्वारा अपनाया गया. यह इस विषय की सबसे बडी बिडम्बना है. पर कहावत है– झूठ के पाँव नहीं होते, अंततः वह पकड़ा जाता है.

एक जिज्ञासा 'निहित स्वार्थ' के बारे में भी होती है। बार बार बोले जाने वाला, अक्सर दुहराये जाने वाला यह शब्द आखिर है क्या? इसकी परिभाषा क्या है? इसकी मनोवृति क्या है? इसके विरूद्ध बोलने और लड़नेवाला भी इसका शिकार कैसे हो जाता है? इन प्रश्नों का व्यावहारिक उत्तर ढूँढने और समझने में यह प्रकरण सहायक सिद्ध हो सकता है.

महरूम–ऐ–हकीक़त है साहिल के तमाशाई !
हम डूब के समझे हैं दरिया की गहराई !!

●●●

नोट